गीना देवी शोध संस्थान
द्वारा श्रीगंगानगर, राजस्थान से प्रसारित
साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध का अंतर्राष्ट्रीय मासिक

ISSN : 2321-8037
मई-जून 2023
Vol. 11, Issue 5-6

Impact Factor : 4.553

Gina Shodh SANGAM

Peer Reviewed & Refereed Research Journal

International Journal of Literature, Arts, Culture, Humanities and Social Sciences

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

संपादक :
डॉ. रेखा सोनी

प्रधान सम्पादक :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट

संगम SANGAM

साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक

A Peer Reviewed International Refereed Journal

वर्ष : 11 अंक : 5 – 6 मई – जून : 2023 आईएसएसएन : 2321 – 8037

संस्थापक सम्पादिका :
स्मृति शेष डॉ. विश्वकीर्ति

संरक्षक :
हरविन्द्र कमल, पटियाला

मार्गदर्शन :
डॉ. राजेन्द्र गोदारा
श्रीगंगानगर, राजस्थान।

इन्जीनियर सृष्टि चौधरी
लेक्चरर, इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर गर्ल्स, पटियाला, पंजाब।

श्रेष्ठ चौधरी
सीनियर मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साहिबजादा अजित सिंह नगर, मोहाली, पंजाब।

प्रधान सम्पादक :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट
सचिव, गीना देवी शोध संस्थान, भिवानी (हरियाणा)

सम्पादक :
डॉ. रेखा सोनी
शिक्षा विभाग, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर-335001 (राज.)

सलाहाकार समिति (Advisory Committee)

डॉ. लता एस. पाटिल
राजीव गांधी बीएड कॉलेज
धारवाड़ (कर्नाटक)

डॉ. अरूणा अंचल
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय,
रोहतक (हरियाणा)

डॉ. सुशीला
चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय,
भिवानी (हरियाणा)

डॉ. सुलक्षणा अहलावत
अंग्रेजी प्रवक्ता, शिक्षा विभाग
नूंह (हरियाणा)

डॉ. अल्पना शर्मा
आईएएसई विश्वविद्यालय सरदारशहर (राजस्थान)

डॉ. विजय महादेव गाडे
बाबा साहेब चितले महाविद्यालय
भिलवडी (महाराष्ट्र)

डॉ. रीना कुमारी
दशमेश गर्ल्स कॉलेज,
अल्ला बक्श, मुकेरिया, पंजाब।

श्री राकेश शंकर भारती
यूक्रेन।

श्री हेमराज न्यौपाने
नेपाल।

ले. डॉ. एम. गीताश्री
डिप्टी डीन एकेडमिक
विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग,
बीएमएस महिला कॉलेज, स्वायत्त,
बसवनगुडी, बेंगलुरु

प्रो. मधुबाला
राजकीय महिला महाविद्यालय,
हिसार।

प्रो. पीयूष कुमार द्विवेदी
जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उत्तरप्रदेश

डॉ. हवासिंह ढाका
सहायक आचार्य भूगोल, एस.एन.डी.बी. राजकीय महाविद्यालय, नोहर, राज.

डॉ. मानसिंह दहिया
संस्कृत प्रवक्ता, शिक्षा विभाग
तोशाम (हरियाणा)

डॉ. राजेश शर्मा
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

डॉ. मोहिनी दहिया
माती जीतोजी कन्या महाविद्यालय,
सूरतगढ़ (राजस्थान)

डॉ. मुकेश चंद
राजकीय महाविद्यालय, बाडी,
धौलपुर, राजस्थान।

प्रो. कौशल्या कालोहिया,
पॅनसिल्वेनिया, यूएसए

डॉ. मोरवे रोशन के.
यूनाईटिड किंगडम।

डॉ. प्रियंका खंडेलवाल
बराण, राजस्थान।

डॉ. आर.के विश्वास
अध्यक्ष होम्योपैथिक, टांटिया, वि.वि.

डॉ. ममता तनेजा
अबोहर, पंजाब।

कानूनी सलाहकार : **डॉ. रामफल दलाल** एडवोकेट, भिवानी
श्रीमती रूपिन्द्र कौर, एडवोकेट, पटियाला।

प्रकाशक, स्वामी एवं मुद्रक **डॉ. नरेश सिहाग**, एडवोकेट ने **मनभावन प्रिन्टर्ज**, पुराना बस स्टैण्ड रोड़, नया बाजार, भिवानी से छपवाकर 202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी-127021 (हरियाणा) से जारी किया।

संगम SANGAM

साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक

A Peer Reviewed International Refereed Journal

(Journal of Literature, Arts, Culture, Humanities and Social Sciences)

सचिव :

डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड,

भिवानी-127021 (हरियाणा)

Email : grngobwn@gmail.com

मो. 09466532152

संगम मासिक पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं/लेखों की मौलिकता का दायित्त्व स्वयं रचनाकारों/लेखकों का है। उससे सम्पादक व प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं। किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायक्षेत्र केवल भिवानी (हरियाणा) होगा। सम्पादन और प्रबंधन के सभी पद पूर्ण रूप से अवैतनिक हैं।

Published by :

Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

202, Old Housing Board,

Bhiwani-127021 (Haryana) INDIA

Email : grsbohal@gmail.com

Facebook.com/bohalshodhmanjusha

Website : www.bohalsm.blogspot.com

WhatsApp : 9466532152

All Right Reserved by Publisher & Editor

Price

Individual/Institutional : 1300/-

Disclaimer :

1. Printing, Editing, Selling and distribution of this Journal is absolutely honorary and non-commercial.
2. All the Cheque/Bank Draft/IPO should be sent in the name of Gugan Ram Educational & Social Welfare Society payable at Bhiwani.
3. Articles in this journal do not reflect the Views or Policies of the Editor's or the Publisher's. Respective authors are responsible for the originally of their views/opinions expressed in their articles.
4. All dispute will be Subject to Bhiwani, Hry. Jurisdication only.

Printed by : Manbhawan Printers, Old Bus Stand Road, Naya Bazar, Bhiwani (Hry.)

Impact Factor : 4.553

ISSN : 2321-8037

Gina Shodh SANGAM

Peer Reviewed & Refereed Research Journal

International Journal of Literature, Arts, Culture, Humanities and Social Sciences

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

Publisher : Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

तालिका– 2

शैक्षणिक / शोध अंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्यप्रणाली

(आकलन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसेः प्रकाशनों की प्रति, परियोजना स्वीकृति पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णता प्रमाण पत्र, पेटेंट दर्ज कराने संबंधी अभिस्वीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र इत्यादि।)

क्रम सं.	शैक्षणिक / शोध क्रियाकलाप	विज्ञान / अभियांत्रिकी / कृषि / चिकित्सा / पशु–चिकित्सा विज्ञान संकाय	भाषा / मानविकी / कला / सामाजिक विज्ञान / पुस्तकालय / शिक्षा / शारीरिक शिक्षा / वाणिज्य / प्रबंधन तथा अन्य संबंधित विधाएं
1	समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र	08 प्रति पत्र	10 प्रति पत्र
2	प्रकाशन (शोध पत्रों के अतिरिक्त)		
	(क) लिखी गई पुस्तकें, जिन्हें निम्नवत के द्वारा प्रकाशित किया गया :		
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक	12	12
	राष्ट्रीय प्रकाशक	10	10
	संपादित पुस्तक में अध्याय	05	05
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	10	10
	राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	08	08
	(ख) योग्य संकाय द्वारा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य		
	अध्याय अथवा शोध पत्र	03	03
	पुस्तक	08	08
3	आईसीटी के माध्यम से शिक्षण ज्ञान– अर्जन, शिक्षण शास्त्र और विषयवस्तु का सृजन तथा नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या का विकास		
	(क) नवोन्मेषी अध्यापन का विकास	05	05
	(ख) नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों को तैयार करना	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

www.bohalsm.blogspot.com grsbohal@gmail.com 8708822674 9466532152

अनुक्रमाणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	सम्पादकीय	डॉ. रेखा सोनी	7–7
2.	मेहरून्निसा परवेज के कथा साहित्य में भाषा–शिल्प–शैली	यस. याशीम. बी.	8–13
3.	ग्रामीण स्तर पर आर्थिक जनकल्याणकरी योजनाओं की पृष्ठभूमि	प्रियंका पूनियां, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मीणा	14–18
4.	नारी विमर्श या सशक्तिकरण	हरविन्दर कौर	19–22
5.	भारत की सुरक्षा में हिंद महासागर का योगदान	डॉ. स्नेह लता	23–29
6.	नीमकाथाना तहसील का भौगोलिक अध्ययन	मुकेश कुमार	30–35
7.	विकास कार्यक्रम एवं जनसहभागिता : एक अध्ययन	डॉ मामराज यादव	36–41
8.	'गोदान' के स्त्री पात्रों का सामाजिक संघर्ष	डॉ. विकास शर्मा, कपिल कौशिक	42–46
9.	स्त्री के वैचारिक आजादी की लड़ाई : स्त्री विमर्श	डॉ. आदर्श किशोर	47–50
10.	**Woman Under The Threat In Virtual World**	**Shefali Bajpai**	**51-57**
11.	संख्यातत्त्वानुसारं सांख्यशास्त्रस्य ज्योतिषशास्त्रस्य च संयोजनम्	देवलिना दास	58–64
12.	मुण्डा आदिवासियों का 'मारांग बुरू बोंगा/पर्वत पूजा' और उसका महत्व	डॉ. जितेन्द्र सिंह	65–67
13.	कार्यस्थल पर व्यावसायिक भेदभाव एवं लैंगिक भेदभाव का अध्ययन : महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में	**Vidya Kumari**	**68-74**
14.	**Need to Rejuvenate River Ganga's Biological Resources with Respect to Risk Assessment and Mitigation**	**DIPIKA, Dr. Avadh Narayan Dwivedi**	**75-81**
15.	ग्रामीण शक्ति संरचना का बदलता स्वरूप : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	**Dr. Suman Kumari**	**82-86**
16.	स्वयं सहायता समूह से सशक्त होती ग्रामीण महिलाएं	**Dr. RENU KUMARI**	**87-92**

17.	**Effectiveness of Stretching on Performance of Softball Players of Rural Area**	**Gangaram Dabi, Dr. Braj Kishor Choudhary**	**93-98**
18.	माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के नियंत्रण अवस्थान का उनकी उपलब्धि अभिप्रेरणा एवं आत्मसम्प्रत्यय पर प्रभाव का अध्ययन	डॉ. रेखा सोनी, जितेन्द्र पॉल सिह	99–105
19.	**HOW DO HUMAN ACTIVITIES AFFECT CLIMATE CHANGE, AND WHAT MEASURES CAN WE TAKE TO CONTROL THEM**	**Kajal**	**106-108**
20.	डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' से साक्षात्कार	डॉ. नरेश कुमार सिहाग	109–113
21.	मैथिलीशरण गुप्त का रचनात्मक दृष्टिकोण	पंचमणि कुमारी	114–118
22.	वर्तमान परिवेश में ग्रामीण समाज में महिलाओं की परिवर्तित स्थिति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	रिंकी जादव, डॉ. नीलम गुप्ता	119–126
23.	पण्डित नेहरू का सामाजवादी चिंतन	संतोष कुमार, डॉ. ऋषिकेश सिंह	127–130
24.	प्रभावशाली सम्प्रेषण में शारीरिक भाषा की भूमिका	डॉ. आनन्द कुमार कपिल	131–135
25.	कुँवर चन्द्रपकाश सिंह के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का सुदृढ़ स्वरूप	डॉ0 हिमानी सिंह, सुमन सैनी	136–140
26.	भारत में ग्राम पंचायत की एतिहासिक पृष्ठभूमि	यशवन्त सिंह, प्रोफेसर डी. आर. यादव,	141–145
27.	रूपांतर की कथाभूमि	डॉ. दिवाकर पांडेय	146–149
28.	हिंदी उपन्यासों में दलित चेतना	बाबु बिगुल्ला	150–155
29.	**Shakespeare in Bollywood : Where and Why**	**Geeta Gupta**	**156-161**
30.	आधुनिक काल में लोक साहित्य का महत्व	रंजना गुप्ता	162–167
31.	'सूचना, अर्थ और शस्त्र' की नई घेरेबंदी	डॉ. अभिषेक शुक्ल	168–173
32.	नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम का विद्यालय प्रबंधन पर प्रभाव का अध्ययन	डॉ. सुरेन्द्र कुमार सहारण, सुनन्दा बिश्नोई	174–179

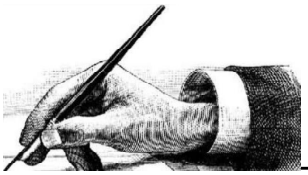

विशेषांक सम्पादक
डॉ. रेखा सोनी की कलम से..

मई–जून के संगम पत्रिका के इस अंक में यह एक खास मौका है जब हम फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत होने का सम्मान कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हम आपके साथ यह सफर जारी रख सके, और अपनी संगम परिवार के साथ जुड़े रह सके।

इस अंक के माध्यम से, हम अपनी संगम परिवार को समृद्ध, संवेदनशील और सांस्कृतिक विचारों से पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मकसद हमेशा से रहा है कि हम साहित्य, कला, संगीत, फिल्म और अन्य रंगमंचों के माध्यम से आपको प्रेरित करें, सोचने पर मजबूर करें और मनोयोग्य विचारों को साझा करें।

इस अंक में, हमने कई रोचक और मनोहारी लेखों का संकलन किया है, जिनमें समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र और विज्ञान के क्षेत्र में विस्तारित जानकारी शामिल है। हमने नए लेखकों को भी मौका दिया है जिन्होंने अपनी लेखनी का पहला कदम रखा है, और हमें गर्व है कि हम उन्हें अपने परिवार में स्वागत कर सकते है

संगम शोध पत्रिका के इस मासिक अंक के समापन के समय, हम गर्व के साथ आपके सामर्थ्य, समर्पण और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करना चाहेंगे। यह एक शक्तिशाली संगठन है जिसे बनाने में हमारी प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा हो आपकी समर्थन, प्रतिक्रियाओं और योगदान के बिना यह संगम असंभव था।

इस संगम पत्रिका के माध्यम से हमने विभिन्न विषयों पर अनुसंधान के परिणाम, सामान्य ज्ञान, और विचारों को साझा किया है। हमारा उद्देश्य था विशेषज्ञों के नवीनतम अध्ययनों, विचारों और विचारधाराओं का प्रमाणित करना, सामान्य जनता को जागरूक करना, और समाज में सकारात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना था।

हमने इस अंक में एक समृद्ध विषय सूची प्रस्तुत की है, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य, सामाजिक मुद्दे, राजनीति, पर्यावरण, शिक्षा, कला, आध्यात्मिकता और अधिक शामिल हैं। हमने प्रयास किया है कि इन विषयों पर विविधता, गहराई और विभिन्न प्रकार के विषय पर जन उपयोगी जानकारी उपलब्ध करवा सके।

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 11, Issue 5-6
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 8-13

मेहरून्निसा परवेज के कथा साहित्य में भाषा-शिल्प-शैली

यस. याशीम. बी.
शोधार्थिनी, हिन्दी विभाग, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, मुक्त विश्वमविद्यालय, हैदराबाद।

भाषा समूचे समाज को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। मनुष्य अपनी अनुभुति मन से ग्रहण करता हैं लेकिन उसकी अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा ही संभव है। तात्पर्य यह है कि भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का महत्त्वपूर्ण साधन है। भाषा हमारे आचारों विचारों का संप्रेषण करती है। साहित्य की किसी भी विधा को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा और शैली की आवश्यकता होती है। इस बारें में डॉ० श्याम सुन्दर दास कहते हैं, भाषा भावों की संवाहिका है। यह एक विशेष क्रम से व्यवस्थित होकर हमारे मन की बात दूसरों के मन एक पहुँचाने और उसके द्वारा उसे प्रभावित करने में समर्थ होती है। इसी प्रकार डॉ० अंबादास देशमुख भाषा के बारें में लिखते हैं–"मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाणी द्वारा जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है, उसे भाषा कहते हैं।"[1] महिला कथाकारों ने अपनी भाषा में परिवेशगत तथा परिवारगत भाषा के रूप को अपनाया है। भाषा को महिला कथाकारों ने तलाश कर नहीं अपनाया। उसे तो अपनी पीड़ा, अन्तर्वेदना ने जन्म दिया है। इसलिए उनकी भाषा बनावटी नहीं है। उन्होंने अपनी भाषा में नारी वेदना को मुखरित किया है।

इस संदर्भ में धनंजय वर्मा लिखते हैं–"वस्तुतः आज की कहानी में जिस भाषा की पहचान हुई है, वह परिवेश की तीखी सच्चाइयों को व्यक्त करने में सक्षम है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कहानी ने जीवन मूल्यों की निरर्थक तलाश में न भटककर उस भाषा की खोज की यात्रा प्रारंभ की है जो जीवन और सम्बद्ध मूल्यों के आग्रह से पूर्ण रहती है।"[2]

मेहरुन्निसा परेवज बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नही हैं लेकिन समाज से, परिवेश से, पशु पक्षियों से बहुत कुछ सीखा है। उन्हें आदिवासी बोलियों में काफी रुचि है। वे हलवी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, मालवी आदि बोलियों का ज्ञान रखती है।

मेहरुन्निसा परवेज की भाषा 'मेहरुन्निसा परवेज के कथा कृतित्व की भाषा रोचक, आकर्षक, सहज–सरल, बारे में लक्ष्मण सहाय लिखते हैं व्यंजक मीठी है। भाषा में नदी की धारा की तरह प्रवाह है तथा कलात्मकता की कल–कल ध्वनि का माधुर्य भी रचना में आदि से अंत तक भाषा का एक–सा सुगठित भाव व्यंजक तथा विचार संगठित स्वरूप है। उनकी भाषा प्रसंगानुकूल है, तथा भाव–विचार, संदर्भ, चित्र को उकेरने की असीम क्षमता रखती है। मेहरुन्निसा परवेज की भाषा प्रेमचंद की तरह आद्योपान्त सामान्य से सामान्य और वैशिष्ट्य वैशिष्ट्य पाठक को बाँधे रखती है। उनका भाषिक कहन, शब्द या पद चयन रचना को अत्यंत प्रौढत्व प्रदान करता है। हिन्दी के साथ उर्दू अंग्रेजी के शब्द भी उनके कृतित्व में आए हैं, साथ ही आंचलिक और क्षेत्रीय बोलियों के भी।

चंबल– भिण्ड संभाग, मालवा, छत्तीसगढ़ बस्तर और गुजरात आदि के क्षेत्रीय वाक्य अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ रचना में पात्रानुकूल संवाद के रूप में उपलब्ध होते हैं।''[3] इस प्रकार मेहरुन्निसा परवेज के कथा साहित्य की भाषा में सरसता तथा ओजस्विता आयी है। मेहरुन्निसा परवेज ने भाषा को बड़ी सहजता से प्रयोग किया हैं, उनकी भाषा पढ़कर कहीं भी ऐसा नही लगता की भाषा ऊपर से थोपी गई है।

शिल्प :–

साहित्यकार अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है उसकी रीति या पद्धति होती है उसे ही हम शिल्प कहते हैं। शिल्प शब्द की उत्पत्ति शिल्प धातु और पक प्रत्यय से हुई है। इसे ही अंग्रेजी में टेकनीक शब्द का प्रयोग किया जाता है। शिल्प का अर्थ तरीका विधान अथवा ढंग होता है। हिन्दी साहित्य कोश के अनुसार शिल्प का अर्थ होता हैं शैली अनुभूत विषय वस्तु को सजाने के – उन तरीकों का नाम है, जो उस विषय वस्तु की अभिव्यक्ति को सुन्दर एवं प्रभावपूर्ण बनाते हैं।'[4] कहानीकार जो सोचता है अनुभूति करता हैं उसे व्यक्त करने के लिए शिल्प का प्रयोग किया जाता है। किसी भी विषय को रूप प्रदान करने के लिए शिल्प की आवश्यकता होती है। क्योंकि किसी भी रचना के आदि से अन्त तक एक शैली को अपनाकार रचनाकार उसे सजाता, संवारता हैं उसे ही शिल्प कहा जा सकता है। डॉ० सुरेंद्र उपाध्याय भी इसी प्रकार अपने विचार व्यक्त करते हैं – 'शिल्प से तात्पर्य किसी वस्तु को गढ़ना या रुपायित करना है, किन्तु यह नितान्त बाह्य ढाँचे के तकनीक के नियम, जैसा कि जैनेंद्र मानते है– शिल्प वस्तुतः समूची कृति के अंत भाव का रूपाकार है, वह वस्तु की नाटकीय ढंग से संपूर्ण उपस्थिती है।'[7] इसी प्रकार के विचार डॉ० कैलास बाजपेयी भी रखते हैं– "शिल्पविधी रचना की उन का लेखा–जोखा है, जिनके आधार पर रचना मूर्त हो सकी हैं अथवा विशिष्ट भंगिमा के साथ लेखनी द्वारा अवतरित हुई हैं।'[8] स्पष्ट है कि रचनाकार अपने चिन्तन मनन के बाद उसे अभिव्यक्त करने के लिए या जिस रचना के सृजन के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता हैं, उन्हें शिल्प कहते है। याने शब्द, भाषा शैली, अलंकार, बिंब, प्रतीक, चित्रात्मकता, व्यंग्यात्मकता, सांकेतिकता, नाटकीयता आदि सभी रूपों के प्रयोग को शिल्प माना जा सकता वाक्य, भाषा के साथ शिल्प जुड़ा हुआ है, उसे किसी भी रचना से अलग नहीं किया जा सकता। केवल हरेक रचनाकार की अपनी–अपनी रचना गढ़ने की शिल्पकला अलग अलग होती है।

मेहरुन्निसा परवेज की कहानियों में शैली :–

हर एक साहित्यकार अपनी अपनी पद्धति से भाषा का गठन करता है। अपनी भावनाओं, विचारों को प्रकट करने के लिए एक पद्धति को अपनाता है। जिसे हम शैली कहते हैं। जैसे कहानी प्रेमचंद और फणीश्वरनाथ रेणु दोनों ने लिखी है। लेकिन अपनी–अपनी भाषा और शैली में। तात्पर्य हर साहित्यकार अपनी शैली से जाना और पहचाना जाता है। शैली से तात्पर्य विशिष्ट पद रचना या विशिष्ट रचना पद्धति कह सकते है। अंग्रेजी शब्द (Style) स्टाईल इसी का सूचक है। इस संदर्भ में शैली की परिभाषा हिन्दी साहित्य कोश से दी जा सकती है– ''शैली अनुभूत विषयवस्तु को सजाने के उन तरीकों का नाम है जो उस विषयवस्तु की अभिव्यक्ति को सुन्दर एवं प्रभावशाली बनाते हैं।''[9] शैली के बारें में बर्नाड शाँ भी कहते हैं–"प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति ही शैली का अध और इति है।''[10]

निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि भाषा और शैली कथाकार की अपनी विशेषता होती है। वह नई–नई शैलियाँ इजाद कर साहित्य सृजन करता है। मेहरुन्निसा परवेज ने भी कई शैलियों को अपनाकर कहानी विधा

रचना की है।

आत्मई कथात्मनक शैली :–

आत्मकथा से तात्पर्य अपने ही जीवन की कथा को अपनी शैली से कहना होता हैं अपनी व्यथा को कथा बनाकर या अपने में होने वाली हलचल को स्वयं प्रकट करना आत्मकथात्मक शैली माना 'ओस में डूबा गुलाब' में आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग किया हैं–

'मैं पीछे की छोटी सी गन्दी और सुनसान गली में खड़ी होकर रोने लगी। अब मुझे सब मालूम हो गया था माँ क्यों गांव में है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे पास कपड़े क्यों नहीं हैं माँ फटे कपड़ों को क्यों पहनती है, बुआ क्यों हर बात में बाबूजी को कोसती थी। मुझे माँ की याद आने लगी, माँ की भरी–भरी आँखें याद आने लगी, गली की धूल में खेलता भाई याद आने लगा, मुझे बाबूजी से घृणा होने लगी।'[11]

कुछ इसी प्रकार फाल्गुनी कहानी में भी मेहरुन्निसा परवेज ने आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया हैं– मैं जीवनभर यही समझती रही कि राजू के बारें में तुम्हें कुछ पता नही है, तुम नहीं जानते और मैं तुम्हें कुछ पता नही है, तुम नहीं जानते और मैं जीवन भर इसी अपराध–भाव से हमेशा डरी रही खुलकर कि जिस दिन तुम्हें पता चलेगा तो जाने क्या होगा। पर नहीं, मैं जीवनभर धोखे में रही, तुम सब जानते थे मैं जीवनभर अपने ही अपराध से साँस भी न ले पाई और तुम चुप रहकर कितना बड़ा दण्ड दे गए। मैं अपनी ही आग में जीवन–भर झुलसती रही, खुद को दण्ड देती रही, तुमने कितनी सादगी से मेरे ही हाथों, मुझे दण्ड दिया। चुप रहकर तुम कितनी बड़ी सजा दे गए मुझे।''[12]

कथात्मक शैली :–

इस शैली में कहानीकार बीती घटना का ब्यौरा कहता है। या किसी घटना का विवरण देता जाता है। मेहरुन्निसा परवेज ने अपनी कई कहानियों में इस शैली का प्रयोग किया हैं– जैसे – 'भोगे हुए दिन' कहानी में शांदा साहब अपनी व्यथा इस प्रकार कहते हैं इन आँखों से दो दौर देखे हैं। एक वह वक्त, जब मेरे नाम से दूर–दूर से लोग आते थे। एक–एक शेर को हजारों बार पढ़वाया जाता था। रेडियो वाले मेरा प्रोग्राम रिकार्ड करने दौड़ते थे। दिल्ली और बम्बई के लोग मेरे पीछे पागल से थे। दूसरा वक्त अब देख रहा हूँ, यही लोग जो मेरे दिवाने थे, अब मुझे भूल गए हैं। दिल्ली, बम्बई का तो छोड़ दो, खुद नागपुर के मुशायरे होते हैं तो मुझे बुलाया नहीं जाता। अब तो सिर्फ पुराने दो–चार लोग हैं जो मुझे के नाम से जानते हैं, वरना यह नई नस्ल तो मेरा नाम तक नहीं जानती।'[13]

वर्णनात्मक शैली :–

कहानीकार किसी घटना, प्रसंग को उद्घाटित करता चलता है उसे वर्णनात्मक शैली कह सकते है। मेहरुन्निसा परवेज ने 'लाल गुलाब' कहानी में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है –'आज वही सौभाग्यशाली दिन था जब वह बेटे की माँ बनी थी। आज से अठारह बरस पहले जब वह भोर आई उस भोर में और आज की भोर में कितना अंतर था। कितनी सुहावनी भोर थी वह। लगा था जैसे सारा संसार उसकी खुशी में शामिल है और नगाड़े बजा रहा हैं, परंतु अब लग रहा है आज की ही तरह उजड़ा बेरौनक उसका भाग्य है। काल की अंधड़ आँधी ने उसके जमे पैर उखाड़कर उसे भी सड़क पर धराशायी वृक्ष की तरह फेंक दिया था। उसके सपने भी ऐसे पत्तों की तरह झड़ गए थे और वह नंगी–उघाड़ी रह गई थी।'[14]

काव्यात्मक शैली :–

कुछ कहानीकार मूल रूप से कवि भी है। पर जब वे गद्य लिखते हैं तो उनका कवि मन कभी–कभी जाग जाता हैं और सुन्दरता से उनके गद्य में भी काव्यात्मकता आ जाती है। मेहरुन्निसा परवेज ने भी इस शैली को अपनाया हैं –

'तारा ते तारा ऐ सरगन तारा
बेटती बेट कुई आले बेट
दिया आले दिया, नाई जिबू अमर पारा री`
जिबू अमर पाराऽऽ
राजा रानी बसला आसे
जोड़ा चावुर घुकूरी, जोड़ा चावुर धावुर पुकू
तारा ते तारा।'[15]

प्रतीकात्मक शैली :–

इस शैली में मेहरुन्निसा परवेज ने कई कहानियाँ लिखी है। जिसमें 'दूसरी अर्थी', 'टहनियों पर धूप', 'पाँच जन्म पाँच रूप', 'तीसरा पेंच', 'मुंडेरों की दोपहर' आदि। प्रस्तुत है– 'दूसरी अर्थी' का एक उदाहरण, कमला सारा सामान समेट रही है और खोली वाली नाली के पास खड़ी रो रही है, बच्चे उससे लिपटे हैं। मोहल्ले के बच्चे खड़े देख रहे हैं। उसे अपने रात के झूठ पर दुःख हुआ, मन में आया, कमला को बुलाकर माफी माँग ले और एक रुपया दे दे। पर हिम्मत नहीं हुई। पकड़े रोते हुए पीछे जा रही थी। उसने चौंककर देखा, वह लोग उसी गली जा रहे थे, जहाँ से अर्थी गई थी।'[16]

व्यंग्यात्मक शैली :–

जो व्यवस्था समाज के खिलाफ जाकर काम करती हैं, जिसे सामान्य व्यक्ति विरोध नहीं कर पाता जो नहीं होना चाहिए, वही होता हैं। तो उस समय व्यंग्य शैली को अपनाया जाता है। कुछ इसी प्रकार मेहरुनिमा परवेज 'अपने होने का एहसास' कहानी में व्यक्त करती हैं ''दीमक घर बनाती हैं, और उसमें रहता साँप है। दीमक सारी उम्र मेहनत करके घर बनाती है, पर जब वह तैयार हो जाता है तो साँप उसमें अपना डेरा डाल लेता है। उसे भी यही बात हमेशा औरत के लिए लगी। दीमक की तरह वह घर बनाती रही और साँप की तरह वह रहता रहा।'' इस प्रकार मेहरुन्निसा परवेज में अपने कथा साहित्य में विविध शैलियों का प्रयोग कर अपनी कथा यात्रा के सोपान रचे है।

मेहरुन्निसा परवेज की कहानियों में प्रयुक्त शब्द :–

मेहरुन्निसा परवेज ने अपने कथा साहित्य में विविध भाषाओं के शब्दों को अपनाया है। लेखिका का बचपन आदिवासी लोगों के क्षेत्र बस्तर में बीता इस कारण वहाँ के लोगों की बोली भाषा के शब्द भी लेखिका ने अपनाये है। तथा मेहरुन्निसा परवेज मुस्लिम परिवार से होने के कारण उर्दू का संस्कार भी उनपर हुआ हैं। नतीजा उर्दू शब्दों का प्रयोग भी इनकी कहानियों में दिखाई देता है।

अंग्रेजी शब्द :– मेहरुन्निसा परवेज ने अपनी कहानियों में अंग्रेजी शब्दों का काफी प्रयोग किया हैं जैसे युकेलिप्टस, मम्मी, कॉलेज, अंकल, कॉमरेड, पापा, आंटी, कैरियर कार्ड, गिफ्ट, पैंट, पर्स, नोट स्टोव बाई गॉड,

टेबल, ऑफिस, लॉन, बोल्ड, डिस्टर्ब, ट्रेन, आई० पी० एस० कोर्ट, कोर्ट मरीज पोयम, सिगरेट, प्लेन, एयरपोर्ट, इलेक्शन, कँटिन, लायब्रेरी, किचन, शॉपिंग, प्रोफेसर, लेक्चर, सेक्स, बॉक्स, कप्तान, डियर, रिटायर, फॉरेस्ट नर्सरी, रेस्ट हाऊस, आर्डर, डायरेक्टर मिनिस्टर, टी० ए० बील, टान्सफर, ट्रे, कॉपी आदि।

उर्दू शब्द – मेहरुन्निसा परवेज ने अपने कहानी साहित्य में उर्दू शब्दों का भी अधिक प्रयोग किया है– जैसे मदरसा, जुम्मा, मस्जिद, जुमेरात, खैरात, मुताबिक, कब्रिस्तान, कब्र, जनाजा, गुलशन, बेवा, पैगाम, अजनबी, मजहब, जिस्म, जौहर, खामख्वाह आदि।

देशज शब्द – लेखिका बचपन से लेकर आज तक आदिवासी समाज से जुड़ी हुयी है। इसलिए उनके साहित्य में आदिवासी लोगों की परम्पराएँ तथा उनके शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता हैं, जैसे साग, घोटुल, मांदरी, कुमला, खिलबाँ, बनुरिया, कासरान, मदार पगार, पनियाँ, मायलोटीया, कुडमुडा, सलफी, सरगीपाला तात्पर्य मेहरुन्निसा परवेज के कहानी साहित्य अन्य भाषा तथा बोली शब्दों की भरमार है। लेकिन वही शब्द कहानी में सरसता तथा सुन्दरता प्रदान करते है।

भाषा प्रयोग : मेहरुन्निसा परवेज ने अपने कथा साहित्य में भाषा के विविध प्रयोग किये है। साथ ही साथ लेखिका बस्तर से जुड़ी होने के कारण आदिवासी लोगों के बोलचाल के शब्द तथा उनकी बोली भाषा का प्रयोग भी किया है।

आलंकारिक भाषा – अपने वक्तव्य को आकर्षक एवं प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए आलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस संदर्भ में डॉ० नरसिंह प्रसाद दुबे लिखते हैं– "अलंकारों के द्वारा अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है, भावों में प्रभावोत्पादकता आती है तथा भाषा में सौंदर्य आता है।'' इसी प्रकार मेहरुन्निसा परवेज ने अपनी कहानियों में आलंकारिकता का प्रभावी उपयोग किया हैं 'लाल गुलाब' कहानी से कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं – आँधी पानी ने युकेलिप्टस के ऊँचे–ऊँचे पेड़ों को एकदम नंगा कर दिया था।'' जब मन के ठहरे जल में तरंग उठती है। ''दोनों के जीवन में पहली बार प्रेम का अंकूर फूटा था।'' बेटे के मन की दीवार पर कान लगाकर वह क्यों उसके भीतर का कुछ नहीं सुन सकी?

पात्रानुकूल भाषा :– मेहरुन्निसा परवेज ने वातावरण के आधारपर चरित्रों का निर्माण किया है। ग्रामीण या आदिवासी चरित्रों के आधार पर भाषा का चयन कर पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग लेखिका की विशेषता हैं। 'जंगली हिरनी' कहानी में इस भाषा का प्रयोग हुआ है– लच्छो सिर पर घास का गठ्ठर उठाए दूर से आती दिखी। उसके पैरों में पड़े चाँदी के कड़े उछलकर अपनी स्थिति का भान करा रहे थे।

लच्छों ने घुटनों के ऊपर तक साड़ी बाँधी थी। 'आया मामा करत ह ए पुनी के त्यौहार है। और वह सिर का गट्ठर उतार मद से पसर गई। सामने से दो औरतें आई, ष्काम करत हो दीदी? कोई नहीं।

'अरे वह लाखन की बिटीया रही ना?, वह मर गई, तोके नाही बाघ खा गयो।'

'मेगन के काम करते हाथ रुक गए, का कहत हो दीदी। "हाँ री झूट थोरे ना बोल हूँ।'

'हे मोयो आय। हाथ री कितनी भली रही। अरी एही पुनी में उसका ब्याह होत रही।

निष्कर्ष :–

मेहरुन्निसा परवेज के कथा साहित्य की भाषा–शैली–शिल्प के समग्रालोचन द्वारा यह कहा जा सकता कि– भाषा शैली और शिल्प में मेहरुन्निसा ने विभिन्न प्रयोग किये है। अपनी कहानियों में भाषा की अलग–अलग

शैलियों को अपना कर कहानी जगत में अपना अलग स्थान बनाया है। तथा विभिन्न शब्दावली का प्रयोग कर खासकर उर्दू शब्दों का प्रयोग कर अपनी कहानियों को आकर्षक बनाया है। मेहरुन्निसा परवेज ने शहरी वातावरण, ग्रामीण वातावरण तथा आदिवासी संस्कृति का वातावरण अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया है। पात्रों तथा चरित्रों के आधार पर भाषा का चुनाव कर कहानी में सजीवता, सरलता और औत्सुक्य निर्माण किया है। अतः यह कहा जा सकता है कि मेहरुन्निसा परवेज ने अपने कथा साहित्य में नये नये प्रयोग कर अपनी खास पहचान बनाई है।

संदर्भ सूची :–

1. डॉ० अंबादास देशमुख भाषिकी हिन्दी भाषा तथा भाषा शिक्षण, पृ० 217
2. डॉ० सुरेंद्र उपाध्याय : कहानी प्रवृत्ति और विश्लेषण – पृ० 323
4. डॉ० धनंजय वर्मा : आज की हिन्दी कहानी – पृ० 12
5. पुनश्च पत्रिका विशेषांक – लक्ष्मण सहाय के लेख से – पृ० 90
6. हिन्दी साहित्य कोश – पृ० 837
7. डॉ० सुरेंद्र उपाध्याय कहानी प्रवृत्ती और विश्लेषण – पृ० 310
8. डॉ० कैलास बाजपेयी आधुनिक हिन्दी कविता में शिल्प, पृ० 19
9. हिन्दी साहित्य कोश भाग 1, पृ० 779
10. हिन्दी साहित्य कोश भाग 1, पृ० 773
11. मेहरुन्निसा परवेज ओस में डूबा गुलाब, पृ० 106
12. मेहरुन्निसा परवेज – फाल्गुनी, पृ० 99
13. मेहरुन्निसा परवेज भोगे दिन पृ० 208
14. मेहरुन्निसा परवेज – लाल गुलाब, पृ० 12.
15. मेहरुन्निसा परवेज – देहरी की खातिर, पृ० 122
16. मेहरुन्निसा परवेज – देहरी की खातिर, पृ० 124

मो. 7729847399

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 11, Issue 5-6
पृष्ठ : 14-18

ग्रामीण स्तर पर आर्थिक जनकल्याणकरी योजनाओं की पृष्ठभूमि

प्रियंका पूनियां, शोधार्थी,
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मीणा, शोध निर्देशक
राजनीतिक विज्ञान विभाग, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

भारत गाँवों का देश है, जहाँ की जनगणना अनुसार, कुल जनसंख्या 1121 करोड़ है जिसमें 37.70 करोड़ शहरी क्षेत्रों में व शोष 83.33 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसकी 70 प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती है, इसलिए जनसंख्या की इतनी बड़ी आबादी गांवों में रहती है तो ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर को उच्चा उठाए बिना राष्ट्र का विकास होना असम्भव है। आज भारत विश्व में एक मजबूत अर्थ रूप में उभरा है। भारत में औद्योगिक उत्पादन दर–शक्ति के विकास दर बढ़ी है। आज भारत में ग्रामीण विकास स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा भिन्न–भिन्न योजनाओं की तथा आर्थिक लागू किया जा रहा है। अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता की भिन्न–भिन्न तरह का लाभ प्राप्त हो रहा है।आज भारत की आजाद हुए 75 वर्ष हो गये हैं। अंग्रेजों की दासता से जब हम आजाद हुए थे तब हमारा देश और देश की जनता दयनीय हालात में थी। सब–कुछ अस्त–व्यस्त था। आजाद होते ही भारत में सबसे पहले भारतीय सविधान का निमार्ण किया गया जिसमें भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतन्त्रता, समानता को सुनिश्चित करने के लिए नियम व कानून बनाये गए और भारत के नागरिको के लिए सामूहिक विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है। जैसे अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय कल्याणकारी ग्रामीण आवाश मिशन, भारत निमार्ण, आदि इन सभी योजनाओं को गरीबी कम करने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू किया गया जिससे इस प्रतियोगी दुनियां में अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो सके।

1947 में स्वतन्त्र होने पर इस देश ने काफी विकास की प्रक्रिया के युग का प्रारम्भ देखा। सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं और स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। ये जरूरते बहुतायत में तथा विभिन्न प्रकार की होती है, कुछ गंदगी, अन्यत विश्वास, खराब स्वास्थ्य एवं खराब आवास जैसे हालातों के बीच से जल्दी ही हटाना होगा। इन सभी बुरे हालातो से निकलने के लिए किसी देश के विकास में समाज कल्याण कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। ''समाज कल्याण सेवाएँ' शब्द व्यक्ति समूहों की विशेष आवश्यकताओं बाली सेनाओं को बोध है जिनका लाभ व्यक्ति या व्यक्ति समूह किसी सामजिक, आर्थिक, शारीरिक प्राप्त या मानसिक बाधाओं के कारण प्राप्त नहीं कर पाते है अथवा समुदाय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का सीधा लाभ

इन लोगों तक नहीं पहुँच पाता। इस अर्थ में कल्याण सेवाएँ जनसंख्या के कमजोर आर्थिक अथवा सुविधा–विहिन वर्गो के लिए होती है। इन वर्गो तक सुख–सुविधाएं पहुँचाने के लिए सरकार अनेक जन–कल्पणाकारी योजनाए चला रही है। और इन योजनाओं का गरीब लोगों की बहुत लाभ हुआ है।

भारतीय जनकल्याण नियोजन चार दशकों से ज्यादा समय से अपने प्रारम्भिक काल से ही बहुआयामी विकास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक प्रयास करता रहा है। जैसे :–

– राष्ट्रीय आय में वृद्धि को सुनिश्चित करना।
– राष्ट्रीय जन कल्याण के लिए राष्ट्रीय आय में वास्तविक विनियोग के अनुपात को बढ़ाने के लिए विनियोग की योजना वह दर को बढ़ाना।
– आय एवं सम्पति की असमानताओं को कम करना।
– मानवशक्ति के अधिकतम उपयोग के लिए सेवायोजना की मात्रा में वृद्धि करना।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो में गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, खादी ग्रामोध्योग विशेष रोजगार योजना, ट्राइसेम, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जीवनधारा योजना, उन्नत टूल किट योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि विभिन्न योजनाएं कई वर्षों से चलाई जा रही है। इन सबके बावजूद भी ग्रामीण जनसंख्या का 37. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। सम्भव इन योजनाओ के क्रियान्वयन में भ्रष्ट्राचार के कारण जन सामान्य के मन में सरकारी योजनाओं के प्रति अविश्वास व अनास्था को जन्म दिया है और इन योजनाओ के पर्याप्त जनसमर्थन एंव जनसहयोग प्राप्त नहीं हुआ। अतः ग्रामीण गरीब जनता के लिए एक बड़ी कल्याणकारी योजना ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम–2005 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई। जिसके द्वारा ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार का अधिकार सुनिश्चित किया गया है।

आर्थिक जन कल्याणकारी योजनाओं का अर्थ एवं परिभाषा :–

आर्थिक जन–कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य लोगों कल्याण करना तथा उनके हितो की रक्षा करना और उनके सुख–समृद्धि की वृद्धि में अधिकतम योगदान देना। एक लोक–कल्याणकारी राज्य अपने आपको का लोगो की अथवा समाज की सेवा का साधन समझता है।

आम बोलचाल की भाषा में लोक–कल्याण करने वाला राज्य लोक–कल्याणकारी राज्य कहलाता है। यह तो इसका शाब्दिक अर्थ हो सकता है इससे लोक कल्याणकारी राज्य का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि लोक हित व्यक्तिगत नही है।

ग्रामीण स्तर पर आर्थिक जनकल्याकारी योजनाओं का उद्देश्य :–

– जनकल्याणकारी योजनाओं द्वारा ग्रामीण स्तर पर लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो सके।
– ग्रामीण क्षेत्रों जनकल्याणकारी योजनाओं का अध्ययन करना।
– ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई योजनाए अपने उचित महत्व की प्राप्त कर पाई है, इसकी वास्तविकता का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है।
– आर्थिक रूप से कमजोर लोग, बेसहारा, विधवाओं तथा वृद्धों की आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं से लाभ का अध्ययन।

– ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जारी योजनाओं में सुधार की सम्भावनास तथा नवीन प्रवर्तियों का अध्ययन।
– ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं को लागू करवाने में त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था तथा सरकारी एजेंसियो की भूमिका का अध्ययन करना।
– सभी नागरीको को न्यूनतम जीवन सा प्रदान करना।
– सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण के साथ बुराइयों को दूर करते हुए अच्छी शिक्षा पद्धति घर, समाज की उन्नति करना।
– ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं के महत्व को स्पष्ट करना, हनुमानगढ़ जिले के संदर्भ में।

प्रस्तुत अध्ययन में राजस्थान के जिले हनुमानगढ़ क्षेत्र के शुद्ध अध्ययन के समग्र के रूप में लिया जाता है। हनुमानगढ़ भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक नगर है हनुमानगढ़ जिले में संगरिया, नोहर, पीलीबंगा, टिब्बी, रावतसर, भादरा आदि। हनुमानगढ़ यह जिले का मुख्यालय भी है। अनुसूची के माध्यम से साक्षात्कार हेतू हनुमागढ़ जिले के गामीण स्तर पर जनकल्याणकारी योजनाओ के प्रभाव का चयन यादृच्छिक निदर्शन (रैन्डम सैम्पलिंग) नियाजित अकन प्रणाली द्वारा किया गया। इसके लिए प्रत्येक जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत के मस्टररोल से कुछ ग्रामीण लोगो का चयन करके साक्षात्कार हेतू किया गया है।

शोध प्रबन्ध का चयन :–

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अन्तर्गत विषय से सम्बन्धित आकड़े राजस्थान राज्य के लिए किए गए, है तथा शोध प्रबन्ध में यथा स्थान उनन उपयोग किया गया है। लेकिन अध्ययन में गहनता लाने हेतू राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के ग्रामीण स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओ के प्रभाव व नवीन प्राकृतियों का चयन किया गया है।

साहित्य समीक्षा :–

शोधकार्य करने से पूर्व तथा शोध के दौरान दिशा–निर्देश हेतु सन् 2010 से 2020 तक सरकारों की आर्थिक जनकल्याणकारी योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर प्रभाव एवम नवीन प्रवर्तियाँ हनुमानगढ़ जिले के संदर्भ में) से सम्बंधित उपलब्ध साहित्य का अवलोकन शोधार्थी द्वारा किया गया है इस हेतु पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, इन्टरनेट, पीएच.डी. थिसिज व एम. फील, लघु शोध प्रबन्ध्य का अवलोकन किया है।

आर्थिक कल्याणकारी योजनाओ ग्रामीण सामाजिक सेवा पर प्रभाव :–

आर्थिक जनकल्याणकारी योजनाओं का ग्रामीण सामाजिक विकास पर गुणात्मक प्रभाव पड़ा है। ग्रामीण विकास मे आर्थिक योजनाओ का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोगों का आर्थिक सुधार और बड़ा सामाजिक बदलाव दोनो ही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की बढ़ी हुई भागीदारी योजनाओं का विकेन्द्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना और ऋण की आसान उपलब्धि करवाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है। प्रारम्भ में विकास के लिए मुख्य जोर कृषि, उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्बंधित क्षेत्रों पर जोर दिया गया था। बाद में यह समझने पर कि विकास केवल तभी सम्भव है जब सरकारी प्रयासो के साथ–साथ पर्याप्त रूप से जमीनी स्तर पर लोगों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी हो। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न कार्यक्रम चलाए जा रहे है।

1. रोजगार देने के लिए मनरेगा।
2. गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को आवास देने के लिए इंदिरा आवास योजना।
3. अच्छी सड़के बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
4. स्व– रोजगार और कौशल विकास के लिए नेशनल सरल लाइवलीहूडस मिशन।
5. सामाजिक पेंशन के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम।
6. आदर्श ग्रामों के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना।
7. ग्रामीण विकास केन्द्रों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर्बन मिशन इसके आलावा मंत्रालय के पास ग्रामीण पदाधिकारियों की क्षमता के विकास सूचना, शिक्षा और संचार और निगरानी व मूल्यांकन के लिए भी योजनाऐं है।

ग्रामीण विकास की समस्याएं एवं समाधान हेतु सुझाव :–

जनकल्याणकारी योजनाओं को ढंग से अमल में लाना आवश्यक :

एक सरकारी अध्ययन की रिपोर्ट से पता चलता है गरीबो के लिए बड़ी बजट वाली एक 12 योजनाओं के असफल होने की पुष्टि होती है। यदि गरीबोन्मुखी कार्यक्रम को तटस्थता के साथ लागू किया जाता है तो आज यह जितना अपना लक्ष्य को प्राप्त किया है उससे कहीं अधिक प्राप्त कर सकता था क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसा करने की क्षमता रखते है। भारत ने सामाजिक कार्यक की शुरुआत तो सही तरीके से की थी लेकिन उत्साह में अनावश्यक विस्तार कर दिया। मनरेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रम वास्तव में विकास वादी व परिवर्तन कारी भी हैं। लेकिन आज अधिकांश सुरक्षा जात और समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। जिससे गरीबी में कमी आने की उम्मीद कम हो जाती है। पीडीएस जैसे कार्यक्रम में लाभार्थियों की संख्या तो बहुत दर्शायी गई है लेकिन सब्सिडी के रिसाव के कारण गरीबों को जितना लाभ मिलना चाहिए वह मिल नहीं पाता है। इसी तरह से अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए अच्छा वातावरण तैयार करने की जरूरत है। गावों की जनसंख्या वृद्धि भी एक बहुत बड़ी बात है, जिससे विकास नहीं हो पा रहा है।

जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों की कटाई, ईंधन की कमी पशुचारे की कमी तथा वातावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। प्राथमिक क्षेत्र की समस्या ग्रामीण विकास की प्रमुख समस्या है। इसमें खेतीबाड़ी की जटिल समस्याएँ मुख्य रूप से है। कृषि जोतो में विभाजन उपविभाजन के कारण किसान के पास भूमि कम रह गई है जिसके कारण गाँव के किसान कृषि श्रमिक बनने के लिए मजबूर हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी नहीं है परन्तु इनका नियोजित विदोहन नहीं हो पाता है। संसाधनों कर नियोजित निदोहन होना बहुत जरूरी है। गाँवों में नियोजन के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है वो सही नहीं है। यदि किसी भी तरह की सुविधाऐं ग्रामीण क्षेत्रों में देने का प्रयत्न भी किया जाता है तो भ्रष्टाचार के कारण वह विकास सम्भव नहीं हो पाता। गाँवों में फैली सामाजिक कुरीतियाँ, कुप्रथा बाल विवाह, मृत्यु भोज, छुआछुत, पर्दा प्रथा, नशा खोरी। रूढिवादिता आदि ग्रामीण विकास पर आज भी रोक लगा रही है। इन बुराईयों के कारण ग्रामीण वासियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता हैं। पर्दा–प्रथा जैसी कुरीतियाँ आज भी गाँवों में प्रचलित है इससे महिलाओं के विकास में उचित योगदान नहीं मिल रहा है।

देश के ग्रामीण विकास करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार ने समय–समय पर अनेक योजनाएं व

कार्यक्रम लागू किया, क्योंकि भारत के ग्रामीण क्षेत्री में लघु एवं सीमान्त कृषको, खेतिहर मजदूरों तथा अन्य श्रमिकों, शिल्पियों व विभिन्न सेवाएं देने वाले परिवारों की बहुसख्या है। इनमें से अधिकांश परिवार गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बढ़ती ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार मुहैया कराने, गरीबी दूर करने, आर्थिक विषमता कम करने से बढ़ते शहरीकरण की समस्या का एक मोटा समाधान है। गाँवों में रोजगार बढ़ाना समय–समय पर अनेक श्रम साध्य कार्यक्रमों की शुरुआत की गई रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए केन्द्र व राज सरकार अनेक अनेक योजनाएं शुरू की परन्तु गाँवों में बेरोजगारी दूर करने में सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। भारत में योजनागत विकास का यह अनुभव रहा है कि समाज के निम्न व पिछड़े वर्ग की विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का मौका सुलभ करवाया गया था किन्तु शिक्षा, अशिक्षा, गरीबी एवं पिछड़ेपन तथा प्राकृतिक दण्ड के कारण वहन तो विकास प्रक्रिया को समझ पाये और न ही लाभ ले सके। जिसके कारण विकास कार्यों में जनसहभागीता नहीं हो सकी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. गाबा, ओपी राजनीति विज्ञान कोष, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2000 पृ. 95
2. कटारिया, सुरेन्द्र ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज आर. बी. एस एस पब्लिशर्स जयपुर, 2003 पृ 115
3. मिश्र आर पी ग्राम स्वराज, ग्रामीण विकास का आदर्श मॉडल, कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली, अक्टूबर 1994, पृ 42
4. नरवानी, जी एस पंचायतों की शक्तियाँ, सूर्य प्रकाशन मन्दिर, जयपुर, 2005,
5. ग्रीन, ए. डब्लू सोशियोलोजी, मेक्ग्राहिल, न्यूयार्क, 1956 पृ 34
6. रोजर्स, एवर्ट एम कम्युनिकेशन एण्ड डवलपमेन्ट, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव सेज कन्टमपरेरी सोशल साइन्सेज इश्यू 32 लन्दन, 1976
7. द कन्सेप्ट ऑफ डवलपमेन्ट एण्ड इट्स मेजरमेन्ट इन्टरनेशनल डवलपमेन्ट रिव्यू नं 2 यूनाइटेड नेशन्स
8. हाब हाउस, एल टी सोशल डेवलपमेंट', 1966 जीएस आरएस मदन, विकास का समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली, गिन्सबर्ग, सोशियोलोजी।
9. ऑगबन एण्ड निमकॉफ हैण्डबुक ऑफ सोशियोलोजी 1947
10. मेकाइवर एण्ड पेज सोसायटी इन इन्ट्रोडक्टरी एनालाइसिस, मैकमिलन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, लन्दन।
11. एण्डर गुण्डर फेंक सोशियोलोजी ऑफ डवलपमेन्ट एण्ड अण्डर डवलपमेन्ट ऑफ सोसायटी केप्लास्ट, वोल्यूम 5, 1967
12. वर्ल्ड बैंक पॉवर टी रिडक्शन हैंडबुक, वाशिंगटन, 1992
13. घाडोलिया एम के एप्रोज टू रूरल डवलपमेन्ट एण्ड एग्रेरियन स्ट्रक्चर, उद्धत सी एम जैन एवं ही कमन फोर्टी ईमर्स ऑफ रूरल डवलपमेन्ट इन इण्डिया प्रिंटवैल, जयपुर 1993
14. चौधरी, सीएम ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, शिवम बुक हाउस (प्राण) लि जयपुर 2002
15. माथुर, पी सी रूरल डवलपमेन्ट इन इण्डिया द फस्ट फोर्टी इमर्स एण्ड बिमीण्ड उद्धत सी एम जैन एवं टी कमन, पृष्ठ 33 32 श्रम व समाज कल्याण एन आर पी सिन्हा एवं इन्दूबाला 1994
16. कटारिया, सुरेन्द्र ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज आर. बी एस एस पब्लिशर्स जयपुर, 2003 पृ 176
17. मीना, जनक सिंह ग्रामीण विकास के विविध आयाम ज्ञान पब्लिशिंग हाऊस 23 मेन हंसारी रोड दिल्ली 2010, पृ. 31–32
18. दागी के एस पंचायती राज और ग्रामीण विकास– एक सैद्धान्तिक विश्लेषण, आदित्य पब्लिशर्स, बीना मध्य प्रदेश 2001 पृष्ठ संख्या 102–103
19. डॉ महिपाल पंचायती राज चुनौतिया एवं सभावनाएं, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नेहरू भवन नई दिल्ली, 2014, पृष्ठ संख्या 107.

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 11, Issue 5-6
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 19-22

नारी विमर्श या सशक्तिकरण

हरविन्दर कौर
अनुसंधान अध्येता, देश भगत विश्वविद्यालय, मंडी गोविंदगढ़।

सारांश :–

प्रस्तुत आलेख में नारी विमर्श या नारी सशक्तिकरण के अनुपम दृश्यों को उजागर किया गया है। मानव जीवन का रथ एक चक्र से नहीं चल सकता। समुचित गति के लिए दोनों चक्रों का विशिष्ट महत्व है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान न होकर अत्यधिक आरोह–अवरोह से युक्त दिखाई देती है। आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएँ कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ हैं फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएँ आज भी घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और शिक्षा जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं। पुरानी परम्पराओं और दुष्टताओं से लोहा नहीं ले सकती। वह इस योग्य नहीं बन सकती कि स्वंय अपनी निजी स्वतंत्रता और अपने फैसलों पर अधिकार पा सके। हर विषय के दो पहलू होते है। आगे बढ़ती हुई महिलाएँ, सशक्त होती हुई महिलाएँ बाहर अपनी जगह बनाने के मद में, भौतिकवादी युग के प्रलोभनों में गाँव, घर, परिवार और समाज की अवहेलना और उपेक्षा भी करती हैं। जो दुखदायिनी है। भारतीय नारियों को इस बात का ध्यान रखते हुए ही कर्त्तव्य पथ पर चलना चाहिए।

प्रस्तावना :–

आज के आधुनिक समय में नारी सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। आदि ग्रंथों में भी नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक कहा गया है कि –

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।

अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। जहां ऐसा नहीं होता वहां समस्त यज्ञार्थ क्रियाएं व्यर्थ होती हैं। इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता है। 'सशक्तिकरण' से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें ये योग्यता आ जाती है कि वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके।

महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं। जहाँ महिलाएँ परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो। महिला सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि महिलाएँ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो। महिला सशक्तिकरण

के लिए किए जा रहे इतने प्रयासों के बाद भी महिलाओं के प्रति सोच में अभी तक बदलाव नहीं आया है। स्त्री केवल भोग की वस्तु बनकर रह गई है। धरती से लेकर आसमान तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें नारी ने अपना पंचम न लहराया हो, ऐसा कोई काम नहीं जो नारी ने न कर दिखाया हो। फिर भी नारी को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है।

नारी सशक्तिकरण का स्वरूप :–

भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, बलात्कार, मानव तस्करी आदि। यद्यपि आज की नारी आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र है, परन्तु भारत जैसे विशाल देश में गाँवों में आज भी नारी की स्थिति अच्छी नहीं है। गाँवों में आज भी वह पुरूष की दासी है तथा कष्टपूर्ण जीवन बिता रही है क्योंकि वह पूर्णतः पुरूष पर आश्रित है। स्त्री और पुरूष समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। अतः समाज उन्नति एवं विकास के लिए दोनों का सुदृढ़ होना आवश्यक है। इसलिए यह आवश्यक है कि पुरूष नारी को अपने से हीन न समझे तथा नारी भी अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहे। वह अपनी भूमिका स्वयं तय करेगी और वह उन्मुक्त होगी, स्वच्छंद होगी, शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर और वैचारिक तल पर भी।

हम भले ही खुद को आधुनिक कहने लगे हों लेकिन वास्तविकता यही है कि आधुनिकता केवल हमारे पहनावे और व्यवहार में आई है लेकिन चरित्र और विचारों से अभी भी हमारा समाज और इसमें रहने वाले लोग पिछड़े हुए ही हैं। पुरूष वर्ग महिलाओं को आज भी एक वस्तु की भांति अपने अधीन बनाए रखना चाहता है। आज महिलाएँ गृहणी से लेकर एक सफल व्यावसायी की भूमिका को सहज ढंग से निभा रही हैं। नारियाँ पुरूषों से किन्हीं भी मायनों में कम और घर की चारदिवारी में कैद नहीं हैं। वे उच्च शिक्षित हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक व अंतरिक्ष यात्री हैं तथा हर तरह के उच्चतम पदों पर भी आसीन हैं। वे अपने वस्त्रों व जीवन शैली के साथ अपने जीवन साथी का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। नारियों ने साबित कर दिया है कि वे पुरूषों के समकक्ष नहीं, बल्कि उनसे बेहतर हैं। दूसरी तरफ समाज की कुछ उच्च शिक्षित नारियाँ और उनके संगठन शायद यह समझते हैं कि मनचाहे कम वस्त्र पहनना, रोक–टोक रहित मुक्त जीवन जीना, मुक्त सेक्स की राह पर चलना ही वांछित बदलाव है। इस बदलाव का कोई तर्कयुक्त जवाब उनके पास नहीं है सिवाय इसके कि सदियों से चले आ रहे रहन–सहन व आचार–व्यवहार के हर नियम को उन्हें बस चुनौती देना है।

इस बात में कोई सशय नहीं है कि नारी अपने जीवन में घर के सीमित दायरे के लिए नहीं बनी है। फिर भी नारी को यह भूलना नहीं चाहिए कि घर ही उनका किला और सबसे बड़ा कार्यक्षेत्र है जिसकी वे अकेली ऑर्किटेक्ट हैं। नारी के द्वारा घर को घर जैसा बनाएं रखने में किया प्रयास महान होता है जिसमें वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर उनका और देश का भविष्य संवारती है। स्वामी विवेकानंद का विचार था कि भारत को यदि उन्नति करनी है तो सर्वसाधारण जनता के साथ–साथ विशेषकर नारी जाति का उत्थान करना अनिवार्य है उन में शिक्षा का विस्तार करना ही नारी जाति के उत्थान का एकमात्र उपाय है। बल्कि वह बार–बार कहते थे –

''स्त्रियों को पहले उठना होगा। ..... स्त्रियों की पूजा करके ही सभी जातियाँ बड़ी बनी हैं। जिस देश में, जिस जाति में स्त्रियों की पूजा नहीं, वह जाति न कभी बड़ी हुई है और न कभी हो सकेगी।

घर की हर जिम्मेदारी को निभाकर वह अपने पति की धुरी और खुशहाल घर की नींव बनकर दिखाती है। ऐसे खुशहाल घरों से ही देश ताकतवर बनता है। लेकिन उसे यह भी सुनिशिचित करना होगा कि उसे घर में उतना ही सम्मान मिले जितना कि घर का पुरूष घर के बाहर काम करके अर्जित करता है।

महिला सशक्तिकरण में ये ताकत है कि वो समाज और देश में बहुत कुछ बदल सके। यह दुनिया पल –पल बदलती रहती है और नारियों को भी स्वयं को मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार लगातार बदलते रहना होगा। जीवन की दौड़ में वह पुरूषों के समकक्ष ही नहीं, बल्कि उनसे बेहतर हैं। जिस देश में नारी देवी हो, माता हो, जननी हो वहां उसके प्रति बढ़ रहे अपराध देश में मौजूद पुरूष समाज के असल चरित्र को दर्शाते हैं।

आधुनिक युम में स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर साहित्यकारों ने भी ध्यान दिया। कवि मैथिलीशरण गुप्त की पंक्तियाँ :–

''अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी।
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।''

इस उक्ति से भले ही सब लोग अथवा सभी नारियाँ भी सहमत न हों लेकिन यह बात माननी पड़ेगी कि आज भी महिलाएँ सम्पूर्णतयः सबल नहीं हैं। चंद नारियों के पास शास्त्र है, ज्ञान है, कुछ के पास अर्थ है, कुछ के पास मान है, कुछ के पास आन है। फिर भी अधिकांश का जीवन अभी भी आँखों से बहते नीर के साथ बहा जा रहा है। अभी तक का सशक्तिकरण का दावा एकांगी है, विकलांग है।

नारी सशक्तिकरण की दोड़, में एक बाधा पश्चिमी सभ्यता भी है। पश्चिमी सभ्यता की चका–चौंध में अत्यधिक शिक्षित एवं स्वावलंबी नारी अपनी संस्कृत तथा नैतिक मूल्यों को विस्मृत करती जा रही है, जिसे उचित नहीं माना जा सकता। भारत की स्त्रियों की मनः स्थिति पूर्णतः पश्चिम से मेल नहीं खा पाती है। अगर कुछ नारीवादी स्त्रियाँ इसका प्रयास भी करती हैं तो वह महज कुछ समूहों तक सिमट कर रह जाता है। उनकी सामाजिक स्वीकृति नहीं हो पाती। ऐसा स्वाभाविक भी है। जहाँ भारत में आज भी राजनीतिक–सामाजिक विमर्शों में गरीबी, बेरोजगारी, भूख, कुपोषण जैसे मुद्दे केन्द्र में हैं एवं प्रायः स्त्री हाशिये पर है, वहाँ स्त्री का नई स्त्री के स्वरूप में आ पाना लगभग एक भ्रांति सम ही होगा। फिर भी आज की नारी ने अपने लिए जो जगह बनाई है उसके पीछे एक लंबी संघर्ष गाथा है। यह जगह उसने अपनी प्रतिभा के दम पर हासिल की है।

यहाँ तक आने के लिए उसने जो कीमत चुकाई है उसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद मर्यादा और, स्वतंत्रता महिलाओं को खुद तय करने हैं क्योंकि बाजार और पूंजीवाद ने मिलकर स्त्री की जो नई छवि निर्मित की है जो स्वतंत्रता की परिभाषा रची है। उससे स्त्री को ही सावधान रहने की आवश्यकता है। आजादी के कुत्सित अर्थ उसके दिमाग में इस कुशलता से रोपित किए गए हैं कि वह शोषण के नवीनतम रास्तों को ही आजादी मान बैठी है। वास्तविक महिला एवं उसका यथार्थ गायब होता जा रहा है।

उपसंहार :–

सशक्तिकरण स्वातंत्रय का अनुगामी होता है। किसी क्षेत्र को सशक्त करने के लिए प्रथमतः उसे सभी बाधाओं और अवाँछित बंधनों से मुक्त करने की आवश्यकता होती है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को वह मजबूती प्रदान करता है, जो उन्हें हक के लिए लड़ने में मदद करता है। आज की नारी अब जागृत और सक्रिय हो चुकी है। जागरूक नारी वह है, ''जो न तो पुरूष की दया चाहती है, न ही हिंसा, मात्र आदरपूर्ण जीवन जीने का हक चाहती है।''

अतः भारतीय नारी को भी पश्चिमी अपसंस्कृति के प्रकोप से बचकर अपनी अस्मिता को बनाए रखना होगा ताकि पुरूषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर देश और समाज के विकास में अपनी अतुलनीय भूमिका निभा सके।

सन्दर्भ :–

1. मनुस्मति 3/56
2. डॉ0 गरिमा श्रीवास्तव – कृष्णा सोबती कृत 'ऐ लड़की में नारी चेतना : पृ0 16

पत्रिकाएँ :–

1. शीराज़ा, फरवरी–मार्च 2014
2. शीराज़ा, अप्रैल–मई 2014

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 11, Issue 5-6
पृष्ठ : 23-29

भारत की सुरक्षा में हिंद महासागर का योगदान

डॉ. स्नेह लता
एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, रक्षा अध्ययन विभाग, राजकीय पी.जी. कॉलेज, हिसार।

भारत एक विशाल देश है इसकी सीमाएं दूर–दूर तक फैली हुई है। भारत की कुट्योजनात्मक स्थिति भारत को तीनों और से समुद्र से घेरे हुए है। भारतीय सुरक्षा में हिंद महासागर का सामरिक, सैनिक, राजनैतिक व सामाजिक स्थिति का विशेष योगदान है। हिंद महासागर का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि कई राष्ट्र द्वीपों का सैनिक अड्डों के रूप में प्रयोग करने लगे हैं। इससे हिंद महासागर पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से सैनिकों की तैनाती की जाती है। अल्फ्रेड थेयर महान ने ठीक ही कहा था, 'जो देश समुद्र पर नियंत्रण करेगा, वही देश भू–भाग पर शासन करेगा'। प्रथम विश्व युद्ध से पहले इंग्लैंड ने सामुद्रिक शक्ति के महत्व के कारण ही उन्नति की थी और व्यापार को आगे बढ़ाया था तथा वहां पर विकास कार्य किए जाने लगे। व्यापार करने के लिए सबसे सस्ता साधन आयात निर्यात का सामुद्रिक शक्ति ही है इसी के कारण उन देशों ने अधिक तरक्की की जिन देशों के समुद्र लगता था। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। सामरिक दृष्टि से हिंद महासागर भारत के लिए विशेष प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति के कारण सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है, वहीं राजनैतिक आर्थिक व व्यापारिक रुप से भी भारत को सुरक्षा देता है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सभी राष्ट्र अपने हित की पूर्ति लिए संघर्ष करते हैं तथा एक दूसरे के निकट आते हैं और आपसी निकटता से ही राष्ट्र हित को पूरा करने के लिए संबंध बनाते हैं। दक्षिण एशिया के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए तथा आर्थिक विकास के लिए हिंद महासागर का बहुत अधिक महत्व है। हिंद महासागर पर बसे तटीय देश प्रत्यक्ष रूप से समुद्री शक्ति द्वारा भारत के संपर्क में आते हैं। हिंद महासागर के रास्ते से व्यापार के लिए भारत जैसे महान देश से संपर्क किए बिना अपना व्यापार आसानी से नहीं कर सकते। हिंद महासागर से विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, कच्चा तेल, गैस खाद्यान्न आदि प्राप्त करने के लिए हिंद महासागर की महत्वता को कम नहीं आंका जा सकता। सभी राष्ट्र जो तेल आयात करते हैं, खाड़ी देशों से कच्चा तेल लेते हैं वह भी हिंद महासागर के रास्ते से अन्य देशों में जाता है। हिंद महासागर से यूरोप के देशों में जाने के लिए स्वेज नहर के रास्ते से कम समय में और शीघ्र आ सकते हैं और जा सकते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, व्यापार और सुरक्षा इसके भू–सामरिक स्थिति से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए सभी राष्ट्र भारत तथा हिंद महासागर की और अपने हित पूरा करने के लिए आकर्षित होते हैं। दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के सभी देश भारत में से ही प्रवेश द्वार के लिए महत्व रखते हैं, जो भौगोलिक स्थिति के कारण ही राष्ट्र को महान बनाते हैं। इस स्थिति की बदौलत भारत के पास आर्थिक और सामरिक गतिविधि

के लिए एक क्षेत्रीय हब के रूप में काम करने का एक विशेष अवसर है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों का बडे. देशों से सम्बंध हिंद महासागर के कारण ही आसानी से बनता है। भारत का इस क्षेत्र पर काफी प्रभाव है और यह देश की स्थिति का सामरिक महत्व है। भारत की स्थिति अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा, भारत का स्थान दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक प्रवेश द्वार का काम करता है, जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए आने वाले वर्षों में भारत के भू–कुटनीतिक स्थान के अंतरराष्ट्रीय संबंधों, आर्थिक विकास और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अनुमान है। संयुक्त रूप से उग्रवाद, हथियारों की तस्करी और ड्रग्स, आतंकवाद, मानव और वन्य जीवों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए सूचनाओं का आदान–प्रदान आवश्यक और लाभदायक है। हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी के कारण ही भारत की दक्षिण एशिया के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बढ़ेगी।

भारतीय इतिहास पर समुद्री शक्ति के प्रभाव पर एड्मिरल के एम पणिक्कर अपनी पुस्तक 'इंफ्लुन्स आफ सी पावर' में लिखते हैं– 'भारत की सुरक्षा हिंद महासागर पर निर्भर है, इसलिए भारत का भविष्य उस ताकत से निकटता से हुआ है जिसे वह एक नौ सेना शक्ति के रुप विकसित करने में सक्षम है। हिंद महासागर में महाशक्ति प्रतिद्वंदिता के वर्तमान समय में यह काम विशेष रुप से रक्षा विश्लेषकों और नीति निर्माताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है'। दक्षिण एशिया में चीन और भारत दोनों ही देश जनसंख्या में क्रमशः पहले और दूसरे नम्बर पर हैं तथा परमाणु शक्ति सम्पन्न हैं। दोनों ही राष्ट्र परस्पर सहयोग और विश्वास करके इस क्षेत्र में शांति स्थापना और विकास में राष्ट्रों के मध्य विवाद हल करने में मध्यस्थता कर सकते हैं। 21वीं सदी के भविष्य पर दोनों पक्षों का मानना है कि "नई सदी में अंतरराष्ट्रीय संबंधों और बहु–साहित्यिकता का निरंतर लोकतंत्रीकरण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है"। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर, दोनों राज्यों का कहना है कि एक खुली, निष्पक्ष, न्यायसंगत, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की स्थापना सभी देशों की आम आकांक्षा है। चीन और भारत दोनों ही देश इस बात से सहमत हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामान्य हित में है कि वह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा व्यवस्था स्थापित करे जो संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लाभ के लिए निष्पक्ष, सुरक्षित और स्थिर हो। "इसके अलावा, दोनों पक्ष जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शामिल होने के लिए अपनी तत्परता को दोहराते हैं"। हथियारों की दौड़ पर, दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बहुपक्षीय हथियार नियंत्रण, निरस्त्रीकरण और अप्रसार की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की अपील करते हैं। आतंकवाद के संबंध में दोनों पक्ष हैं, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक ढांचे को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने की प्रतिज्ञा करते हैं। सीमा मुद्दे के प्रश्न पर दोनों पक्ष शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से सीमा प्रश्न सहित बकाया मतभेदों को हल करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं।

भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो रणनीतिक रूप से दक्षिण एशिया में स्थित है, जिसकी सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर और अरब सागर से लगती है। भारत अपनी भू–रणनीतिक स्थिति के परिणामस्वरूप एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र है। यह व्यापार और वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है क्योंकि यह दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, हिंद महासागर कई महत्वपूर्ण

शिपिंग मार्गों का स्थान है, जो विश्व व्यापार बाजार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके अतिरिक्त, भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा मुद्दों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से इसकी निकटता इसे क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाती है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक प्रमुख अभिनेता, भारत को अपने रणनीतिक स्थान से भी लाभ हुआ है। भारत की भू–रणनीतिक स्थिति ने इसके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है और आने वाले वर्षों में ऐसा करना जारी रखेगा।

आज की दुनिया में भारत की भू–रणनीतिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। एशिया और मध्य पूर्व के गठजोड़ में इसका स्थान इसे चीन और पाकिस्तान सहित कई देशों की सीमाओं तक पहुँच प्रदान करता है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, भारत प्रमुख समुद्री मार्गों तक आसानी से पहुंच प्राप्त करता है और इस क्षेत्र में अन्य देशों के साथ घनिष्ठ राजनयिक और वाणिज्यिक संबंध स्थापित करने में सक्षम रहा है। राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति भी इसे विश्व मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से भारत–प्रशांत क्षेत्र में। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, भारत कई क्षेत्रीय संकटों और असहमतियों में शामिल हो गया है, जिसमें कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ जारी विवाद भी शामिल है। हालाँकि, इसने भारत के लिए विश्व आयोजनों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनना और अपने आर्थिक और भू–राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी स्थिति का लाभ उठाना भी संभव बना दिया है। कुल मिलाकर, देश की विदेश नीति और आधुनिक दुनिया में इसके स्थान को निर्धारित करने में भारत की भू–रणनीतिक स्थिति महत्वपूर्ण है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भारत की भू–रणनीतिक स्थिति महत्वपूर्ण है। चीन और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश हैं तथा सीमा पार और समुद्री रास्ते से आतंकवाद की घटनायें होती रहती है, इस और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के मिलन बिंदु पर स्थित है। भारत की भौगोलिक स्थिति, जो इसे ऊर्जा और परिवहन नेटवर्क के लिए एक प्राकृतिक केंद्र बनाती है, व्यापार और वाणिज्य के मामले मंर इसे एक महत्वपूर्ण बढ़त देती है। सीमा मुद्दे के प्रश्न पर दोनों पक्ष शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से सीमा प्रश्न को हल करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। भारत और चीन दोनों देश 21वीं सदी में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता के साथ दोनों ऊर्जा संपन्न देशों के साथ घनिष्ठ और गहन सुरक्षा संबंध बनाने की कोशिश करेंगे और समुद्री सुरक्षा के लिए रणनीति भी विकसित करेंगे जिसके माध्यम से उनका अधिकांश व्यापार होता है।

अमेरिका के बाद चीन किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक तेल की खपत करता है। भारत की ऊर्जा खपत प्रति वर्ष 3.6 और 4.3 प्रतिशत के बीच बढ़ने और 2030 तक दोगुने से अधिक होने की उम्मीद है। यह भारत को 2025–26 से पहले दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक बना देगा। उनकी अर्थव्यवस्थाओं की निरंतर विकास दर निर्भर करती है तेल और गैस जैसी ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति पर काफी हद तक, क्योंकि दोनों प्रमुख ऊर्जा आयातक देश हैं। उपर्युक्त घटनाक्रमों के संदर्भ में, यह भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में, दो एशियाई देश के बीच समुद्री प्रतिस्पर्धा भारतीय और चीनी नौसेना की भारतीय और प्रशांत महासागर में बैठक के रूप में तेज होने वाली है। इसके अलावा, चीन और भारत के बीच भविष्य के संबंध प्रतिनिधि और संवेदनशील

बने रहेंगे और गलत धारणा के परिणामस्वरूप संबंधों के अचानक बिगड़ने की संभावना है।

चीन और भारत के बीच भविष्य के संबंध में संवेदनशीलता दिखाने की पर बल देना चाहिए और विशेष रूप से सीमा मुद्दे पर गलत धारणाओं, शत्रुतापूर्ण रवैये के परिणामस्वरूप संबंधों के अचानक बिगड़ने की संभावना है। इसके अलावा संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, प्रभाव के अतिव्यापी क्षेत्र, प्रतिद्वंद्वी गठबंधन संबंधों से पता चलता है कि दो एशियाई देशों के मध्य भविष्य के संबंधों को निकट भविष्य में सहयोग की तुलना में प्रतिस्पर्धा से अधिक चित्रित किया जाएगा। यह एक बार फिर से दोहराया जाना चाहिए कि इतने जटिल और नाजुक माहौल में कोई भी पक्ष ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उनके वर्तमान द्विपक्षीय आर्थिक या अन्य संबंध अस्थिर हों। लेकिन साथ ही, दोनों राज्य अपनी घरेलू और आंतरिक समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हुए अपनी शक्ति और स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। इस तरह की रणनीति के साथ, वे व्यापक एशियाई क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने और हिंद महासागर से लाभ प्राप्त करने के लिए एक–दूसरे की गतिविधियों की निगरानी करना भी जारी रखेंगे। चीन या किसी अन्य शक्ति का मुकाबला करने के उद्देश्य से किसी भी गठबंधन में शामिल न होकर भारत अपनी विदेश नीति में स्वतंत्रता बनाए रखना चाहेगा। फिर भी, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में अमेरिका समर्थक/जापान समर्थक झुकाव, चीन की शक्ति प्रक्षेपण क्षमताओं की प्रतिक्रिया एक तेजी से वैश्वीकृत दुनिया की एक परिभाषित विशेषता होगी।

भविष्य के भारत–अमेरिका संबंधों, चीन–अमेरिका संबंधों और चीन–पाक संबंधों की प्रकृति चीन–भारत संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। 1960 और 1970 के दशक के दौरान, भारत और चीन के बीच दुश्मनी का एक मुख्य कारण भारत–सोवियत गठबंधन था और वर्तमान समय में भी, जापान के प्रति चीनी दुश्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इसका गठबंधन है। इसी तरह, भविष्य में, अगर अमेरिका चीन के खिलाफ रोकथाम की नीति अपनाता है और भारत को अपने स्वाभाविक सहयोगी के रूप में मान्यता देता है तो इसका परिणाम चीन और भारत के साथ–साथ चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध होगा। यह इस संबंध में है कि भारत के प्रति चीन का व्यवहार चीन के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवहार से बहुत अलग नहीं है, क्योंकि चीन भारत के संबंध में एक यथास्थितिवादी शक्ति है जबकि अमेरिका चीन के संबंध में एक यथास्थिति शक्ति है। इस प्रकार, एशियाई सुरक्षा वातावरण का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका चीन के उदय का प्रबंधन कैसे करता है और बदले में चीन भारत के उदय का प्रबंधन कैसे करता है। अमेरिका–चीन सम्बंध का प्रभाव भारतीय सुरक्षा व भारत–अमेरिका सम्बंध पर प्रभाव पड़ेगा।

निष्कर्ष :–

अंत में, चीन–भारत के भविष्य के संबंधों को जे. टेलर के उस बयान के साथ सबसे अच्छा समझा जा सकता है जो उन्होंने 1980 के दशक के मध्य में दिया था, लेकिन आज भी प्रासंगिक है। 21वीं सदी के दूसरे दशक में उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा : दीर्घावधि में, भारत और चीन हमेशा एक प्रतिद्वंद्वी संबंध की ओर प्रवृत्त रहेंगे और इस प्रकार प्रत्येक एक अलग महाशक्ति के साथ एक सुरक्षा कड़ी की तलाश करेगा। भारत और चीन दोनों युद्ध से बचना चाहते हैं और विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं फिर भी राष्ट्रवाद और इतिहास के अस्थिर एजेंट एक रहस्यमय रसायन विज्ञान का उत्पादन करते हैं शक्ति और आकार उनके साथ स्थिति और प्रभाव के लिए तर्कसंगत रूप से चलते हैं और भारत और चीन दोनों भविष्य के क्षेत्रीय संघर्षों में खुद को खींच

सकते हैं या संभवतः पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। देशों को कुछ अस्थिरता या कार्रवाई के कारण धमकी के रूप में पेश किया जाता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में चीन बार–बार घुसपैठ व सैनिक गतिविधियां बढा रहा है। इसलिये भारत ने चीन को इस बारे सचेत किया है और अमेरिका ने भी चीन को सीमावर्ति इलाके में घुसपैठ न करने बारे चेताया है।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ जगहों के नाम चीनी भाषा में अंकित करवाये हैं तथा दो नदियों तक के नाम बदल कर अपने क्षेत्र मे दिखाये हैं यह भारतीय सुरक्षा पर प्रहार है, अमेरिका ने भी इस बारे चीन को धमकाया है। ऐसी हरकतें दो देशों के मध्य भविष्य के क्षेत्रीय संघर्षों को जन्म देती है। अतः इन घुसपैठ व सैनिक गतिविधियों से बचना चाहिये ताकि भारत व चीन के बीच संबंधों में सुधार आये। संभावना यह है कि लंबी अवधि में हिंद महासागर के क्षेत्र में आपसी सहयोग की जरुरत होनी चाहिए, लेकिन हथियारों की दौड़ पर, दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बहुपक्षीय हथियार नियंत्रण, निरस्त्रीकरण और अप्रसार की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की अपील करें इसके सार्थक प्रयास की आशा की जानी चाहिये। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ जगहों के नाम चीनी भाषा में अंकित करवाये हैं वह क्षेत्र उनका है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट सड़क का निर्माण करना व आबादी बसाना चीन की विदेश नीति और रणनिति का ही एक हिस्सा है। भारत को इस क्षेत्र में सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

चीन की दबाव बनाने और धमकाने की नीति भी तनाव व संघर्ष को जन्म देती है। इस प्रकार दो देशों के मध्य कटुता पैदा होती है और यही कटुता संघर्ष और युद्ध का रुप ले लेती है। "ताइवान की राष्ट्रपति साइ इंग–वेन के अमेरिका दौरे से गुस्साए चीन ने 8 अप्रेल 2023 को ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा पार कर ताइवानी क्षेत्र में सैन्य अभ्यास शुरु कर दिया। इस अभ्यास में चीन के 71 लडाकू विमान और 8 युद्धपोत हिस्सा ले रहे है"। यह अभ्यास ताइवान के इर्द–गिर्द तीन दिन तक चला। ताइवान ने कहा कि सैन्य अभ्यास पर उसकी नज़र है और वह उसका शांति से जवाब देगा। चीन ने यह सैन्य अभ्यास ताइवानी राष्ट्रपति साइ इंग–वेन की लास एंजिलिस में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात की निंदा के बाद शुरु किया है। राष्ट्रपति साइ इंग–वेन का अमेरिका का दौरा पूरा कर अब वापस ताइपे पहुंच चुकी है। चीन लोकतांत्रिक ताइवान पर अपना अधिकार जताते हुए उसे अपना हिस्सा बताता है जबकि ताइवान की सरकार चीन के इस दावे को खारिज करती है। वैसे चीन का कभी भी ताइवान पर अधिकार नहीं रहा है।

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 8 अप्रैल 2023 से उसने अपने क्षेत्र में चीन के 71 लड़ाकू विमान और 8 युद्धपोत प्रवेश करते हुए देखें। ताइवान के बीच कोई औपचारिक सीमा रेखा नहीं है लेकिन दोनों विभागों के बीच के समुंदर को ताइवान स्ट्रेट कहा जाता है और उस के मध्य की रेखा को ताइवान और उसके समर्थक सीमा रेखा कहते हैं। "चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि उसमें पूर्व निर्धारित योजना अनुसार जॉइंट सैन्य अभ्यास शुरू किया है। पीएलए की पूर्वी थिएटर कमांड ने कहा है कि यह अभ्यास ताइवान की अलगाववादी तत्वों के लिए गम्भीर चेतावनी है वह बाहरी ताकतों के साथ सांठगांठ करने और उनके उकसावे से बाज आएं"। ताइवान ने कहा है कि चीन की हरकत पर वह शांत प्रतिक्रिया देगा वह अपना गंभीर आचरण बनाए रखेगा अपनी ओर से कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे क्षेत्र में तनाव हो, लेकिन सुरक्षा और संप्रभुता

से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विदित हो कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता को मान्यता नहीं देता लेकिन उसका समर्थन करता है। अमेरिका ताइवान की यथास्थिति बनाए रखने का पक्षधर है।

सन 1962 के पश्चात से ही भारत–चीन युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। जब सेना द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ शुरू की जाती है दो देशों के मध्य तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है या वही तनाव संघर्षों और युद्ध का रूप ले लेता है। इससे दो देशों के मध्य संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपसी विश्वास भाईचारे व सहयोग से ही आगे बढ़ा जा सकता है। "अगस्त 2022 में अमरीकी संसद सदन प्रतिनिधि सभा की तत्कालीन स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवान गई थी। उनके दौरे पर नाराजगी जताते हुए चीन ने ताइवान के करीब समुद्र और आकाश में कई दिनों तक सैन्य अभ्यास किया था"। पड़ोसी देशों को भी इस प्रकार का आचरण व्यवहार करना चाहिए जिससे निशस्त्रीकरण की ओर आगे बढ़ा जा सके।

चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आर्मी त्रिशक्ति कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के साथ उत्तर बंगाल में वायु सेना स्टेशन हासीमारा का दौरा किया। यहां उन्होंने वायु सेना के उच्च अधिकारियों से चीन सीमा पर भारत की मुस्तैदी और तैयारियों के संबंध में बातचीत की। उन्होंने हासीमारा वायु सेना स्टेशन में हुई बैठक में सैन्य शक्ति से जुड़े बुनियादी ढांचे की प्रगति और रसद आदि की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इसके अलावा सीडीएस में आर्मी त्रिशक्ति कोर मुख्यालय सुखना में सेना के अधिकारियों संग बैठक कर सेना की सीमा पर तैयारियों का ब्यौरा लिया। अपने दौरे में अधिकारियों के साथ दूरदराज के इलाकों में तैनात सैनिकों से बातचीत कर उनके मनोबल को बढ़ाया मुस्तैदी से की जा रही सेवा की सराहना की।

भारत एक शांति प्रिय देश है तथा भारत आर्थिक विकास और सहयोग की कामना करता है। भारत युद्ध नहीं चाहता है। पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध रखना चाहता है लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों ही देश सीमा पर बार–बार घुसपैठ करते हैं और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। सीडीएस का उत्तर बंगाल दौरा सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने सेना व वायु सेना के अधिकारियों के साथ बैठक कर सैनिकों के कठिन प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सीमा पर ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी। लेफ्टिनेंट कर्नल रावत शहर रक्षा यारों गुवाहाटी की ओर से मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार सीडीएस को सेना के अधिकारियों द्वारा सिक्किम में उतरी सीमाओं पर सैन्य शक्ति की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। हाल ही में जैसी प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की आपात स्थिति के समय सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और स्थानीय आबादी की सहायता के लिए सेना के कदमों की सराहना की।उन्होंने सैनिकों को सूचना प्रौद्योगिकी के कामरूप बढ़ रहे साइबर खतरो और जवाबी उपायों से अवगत रहने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिया।

भारत और फ्रांस की नौ सेनाओं ने 2022 मे हिंद महासागर क्षेत्र के बडे सामरिक योद्धा के रुप में सयुक्त अभ्यास किया है। दोनों ही देश आपसी सहयोग करने को सहमत हुए हैं। भारत और फ्रांस के बीच सामरिक सांझेदारी को नया आयाम देने में हिंद महासागर क्षेत्र की महत्वता 2018 में शुरु की गई जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैंयुअल मैक्रों भारत आये थे। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने के लिये हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के सांझा सहयोग करने के लिए समझौता किया। सन 2021 में भारत ने फ्रांस के नौसैनिक अभ्यास में भागीदारी की थी। भारत के इलावा इस अभ्यास में तीन अन्य देश आस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की नौ सेना ने भाग लिया था। इन सभी देशों ने हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्र को

खुला और स्वतंत्र समुद्री क्षेत्र बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। इस से इन देशों को अपने द्वीप की सुरक्षा करने में सहयोग मिलेगा। इसी प्रकार सन 2020 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेडागास्कर के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल आर रिचर्ड के साथ बैठक की समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने का समझोता किया। इस के लिए दोनों देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वे समुद्री क्षेत्र में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करें, जिस से कि व्यापार सम्बंधित गतिविधियां सुचारु ढंग से चल सके। मेडागास्कर के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल आर रिचर्ड ने कहा कि हिंद महासागर के क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल बनाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय नौ सेना की चक्रवाती तूफान मे की गई सहायता के लिए आभार प्रकट किया और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मेडागास्कर के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल आर रिचर्ड ने 26 जून को मेडागास्कर के स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने के लिए निमंत्रण दिया। सीमा के साथ–साथ हिंद महासागर और समुद्रिक क्षेत्र में भी भारत और चीन को विवाद हल करने के लिए आगे आना चाहिये, ताकि अन्य पड़ोसी देश भी एशिया के क्षेत्र में शांति व्यवस्था में सहयोग सांझा कर सकें। हिंद महासागर के तटीय देशों पर चीन अपने समुद्री जहाज निगरानी करने हेतु भेजता रहता है जो असुरक्षा का माहौल उत्पन्न करता रहता है जो अनुचित है। पाकिस्तान की तरह चीन भी कुट्योजनात्मक नीति से सीमावर्ती इलाके में घुसपैठ करके अशांति पैदा करता है। अतः आर्थिक विकास और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए सीमावृति इलाकों व हिंद महासागर क्षेत्र में आपसी सहयोग करने के सार्थक प्रयास करने चाहिए।

संदर्भ सूची :–

1. के. एम. पैनीकर – इंडिया एंड इंडियन ओसिएन।
2. भसीन अवतार सिंह, भारत के विदेशी संबंध–2008 दस्तावेज़ भाग, सार्वजनिक कूटनीति प्रभाग विदेश मंत्रालय, गीतिका प्रकाशक, नई दिल्ली 1546–1549 (2008)
3. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, 21वीं सदी के लिए एक साझा दृष्टिकोण
   भारत गणराज्य और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, (2008)
4. हरवीर शर्मा – राष्ट्रीय प्रति रक्षा और सुरक्षा।
5. मलिक जे. मोहन चाइना–इंडिया रिलेशन्स इन द पोस्ट सोवियत एरा : द कंटीन्यूअस राइवलरी इन जॉय टेलर, द ड्रैगन एंड द वाइल्ड गूजरू चाइना एंड इंडिया, द चाइना क्वार्टरली। (142) (1995)
6. के. एम. पैनीकर– इंफ्लुएंस आफ सी पावर।

डॉ स्नेह लता

एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, रक्षा अध्ययन विभाग, राजकीय पी.जी. कॉलेज, हिसार।

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 11, Issue 5-6
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 30-35

नीमकाथाना तहसील का भौगोलिक अध्ययन

मुकेश कुमार
सहायक आचार्य (VSY) भूगोल राजकीय महाविद्यालय मकराना, नागौर (राज०)

ऐतिहासिक एवं भौतिक स्वरूपः–

नीमकाथाना क्षेत्र तोरावाटी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर तँवर राजपूतों की रियासत पाटन रियासत रही है, इसलिए यह क्षेत्र तोरावाटी कहलाया। तोरावाटी क्षेत्र का मुख्य केन्द्र नीमकाथाना कोटपुतली व श्रीमाधोपुर तहसीलों तक विस्तृत रहा है। यह दिल्ली अहमदाबाद मुख्य रेलमार्ग पर स्थित है। जो राजस्थान के सबसे पुराने रेल्वे स्टेशनों में से एक है। यह क्षेत्र लम्बे समय से बसा हुआ है। तथा अनाज, कपड़ा, शक्कर आदि के व्यापार का केन्द्र रहा है। यहाँ का सामान दूर–दूर तक उदयपुरवाटी, अजीतगढ़, शाहपुरा, चवंरा आदि गावों तक जाता था। नीमकाथाना नगर के पूर्व दिशा में 2 किमी. की दूरी पर स्थित सवाईरामगढ़ आबादी बसी हुई थी। जिसका प्रमाण आज भी वहाँ स्थित गौशाला पर अंकित है, यहाँ अंग्रेजों के समय में सैना व पुलिस मुख्यालय था। इसी कारण यह 'छावनी' नीमकाथाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छावनी में अंग्रेजों के समय से ही कोर्ट कचहरी बनी हुई है। जिसके एक ही परिसर में प्रशासनिक व न्यायिक कार्यालय कार्यरत है। इनका कार्य क्षेत्र नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, रींगस, भाहपुरा, बैराठ, खेतड़ी, कोटपूतली एवं उदयपुरवाटी आदि ग्राम थे। आजादी के बाद 1950 में यह उपखण्ड कार्यालय बना, जिसका अधिकार क्षेत्र तहसील नीकाथाना रहा। व्यापार की दृष्टि से रेल्वे स्टेशन के पास नई मण्डी की स्थापना की गई, जो अब 'कपिल मण्डी' नीमकाथाना के नाम से जानी जाती है। यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र है जो सोनापट्टी के नाम विख्यात है।

आज उद्योग धंधों में विकसित होता विकासशील नीमकाथना की जनसंख्या, जनगणना 2011 के अनुसार 3,99,9111 है। यह चारों ओर से पहाडियों व धार्मिक स्थलों से घिरा हुआ है। तोरावाटी पुराने जयपुर राज्य की एक निजामत के तौर पर थी चूंकि पंजाब एवं पटियाला संघ की सीमा तोरावाटी से लगती थी। इस कारण यहाँ पलटन (सेना) रहती थी। इस क्षेत्र में राजस्थान की प्रसिद्ध 'कांतली नदी' के किनारे बसे गणेश्वर, चौकड़ी, गुहाला, सुनारी आदि स्थानों में पुरातत्व विभाग ने खुदाई कर ऐसे प्रमाण प्राप्त किये है कि इस क्षेत्र में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा–मोहनजोदड़ो से पूर्व की सभ्यता विद्यमान थी। खुदाई में ऐसी चीजें व खण्डहर मिले है। जिनसे यह साबित हो चुका है कि यह क्षेत्र बहुत पुराने जमाने के आदिमानव जो सिर्फ जानवरों के शिकार पर निर्भर थे। ताम्र युग की सभ्यता के भी यहाँ प्रमाण मिले है। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि महाभारत काल में यहाँ (चन्द्रवंशी) बसे हुए थे एवं मोरध्वज का राज्य था तथा इन्हीं के परिवार के सदस्य हस्तिनापुर में शासन करते थे। यह बात कुरूवंश के चन्द्रवंशी कहलाने से सही प्रमाणित होती है।

स्थिति एवं विस्तार :–

नीमकाथाना तहसील राजस्थान राज्य में सीकर जिले के उत्तर–पूर्वी भाग में समुद्रतल से 448 मीटर ऊँचाई पर स्थित है। तहसील का कुल भौगिलक क्षेत्रफल 118822 हैक्टेयर है। यह 27027′05′′ से 27055′45′′ उत्तरी अक्षांश एवं 75034′14′′ से 76005′05′′ पूर्वी देशान्तर रेखाओं के मध्य अवस्थित है। सामान्य रूप से नीमकाथाना तहसील मेंढ़क के आकार लिए हुए है। इसका उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी भाग चौड़ा एवं दक्षिणी भाग नुकीला रूप लिए हुए है।

नीमकाथाना तहसील के उत्तर में हरियाणा राज्य का महेन्द्रगढ़ जिला पश्चिम में झुंन्झुनूं जिला, दक्षिण में श्रीमाधोपुर तहसील तथा पूर्व में जयपुर जिले की कोटपूतली तहसील सीमा बनाते है।

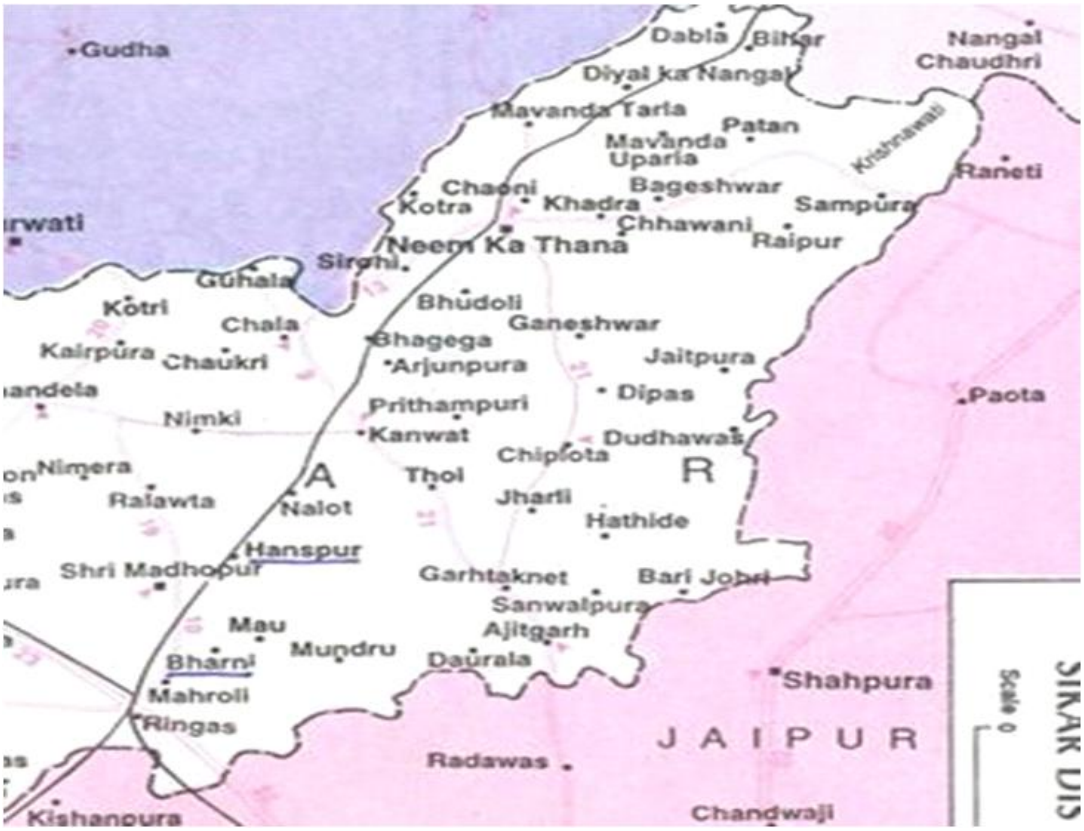

भू–गर्भिक संरचना :–

क्षेत्र की भू–गर्भिक संरचना बहुत विविधतापूर्ण है। इसकी कई इकाईयों को चिन्हित करना अत्यन्त कठिन है। फिर भी इसको निम्नांकित इकाईयों में विभाजित किया गया है। चट्टानीय संरचनाओं को समझने के लिए कई समूहों में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों में जिन चट्टनों की खोज हुई है, उन्हें दो वर्ग–अलवर और अजबगढ़ ग्रुपों में बाँटा गया है तथा जी.एस.आई सर्वेक्षण नीचे दिया गया है।

वर्तमान में नीमकाथाना तहसील में जो भू–भाग शामिल है उसके अधिकांश भागों में ऐसे चिह्न मिलते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि कभी तूफान ने इस क्षेत्र को धोया था जिसके संकेत चारों ओर दृष्टिगोचर होने वाली मिट्टी की परतों के रूप में भी देखे जा सकते हैं। यह क्षेत्र पहाड़ी व अर्द्ध शुष्क भाग है। तहसील का अर्द्ध शुष्क भाग 'टेथिस सागर' का अवशेष माना जाता है जो कालान्तर में नदियों द्वारा लाई गई तलछट के द्वारा ढक दिये

गये है।

प्राचीनकाल में भूगर्भिक हलचलों के कारण सरिताओं से आच्छादित यह भाग जल विहिन होकर वीरान मरू भूमि में परिवर्तित हो गया। इन्हीं परिस्थितियों के कारण यह तहसील अर्द्ध शुष्क प्रदेश के अन्तर्गत आती है। तहसील के अधिकांश भाग में उपजाऊ बलुई, कछारी एवं बलुई दोमट मिट्टियों का फैलाव पाया जाता है।

सारणी

युग/आयु	शैल समूह	वर्णन/पत्थर विज्ञान
पोस्ट देहली	अन्तर्वेधी	मृदा और एल्यूमिनियम ग्रेनाइट ऐम्फिबोलाइट
प्रोटेरोजोइक	देहली सुपर ग्रुप अजबगढ़ ग्रुप	फिलट्स और इन्टरबेडेड क्वार्टजाइटस बायोटाइट शिस्ट, ट्रेमोलाइट, मार्बल और माइनर क्वार्टजाइट सकोणाष्म क्वार्टजाइट चुना पत्थर, कैल्शियम पटिट्लाष्य, और माइनर क्वार्टजाइट।
	अलवर ग्रुप	भारी क्वार्टजाइट, एम्फिबोलाइट, क्वार्टजाइट के साथ इन्टरबेडेड शिस्ट शिस्ट ओर फिलट्स के साथ माइनर क्वार्टजाइट फेल्सपार क्वार्टजाइट
आर्केन्स	भीलवाड़ा–सुपर ग्रूप	असमबिन्यासी, ग्रेनाइट, पट्टिलाष्म (आवरण के अन्दर)

Source : Structure of India by Majid Husain

इस क्षेत्र में देखी गई चट्टानें पूर्णतया देहली समुदाय के मध्य तलछटीय किस्म की है। देहली समुदाय की चट्टानें अलवर व अजबगढ़ शैल समूहों में विभाजित की गई है।

उच्चावच :–

नीमकाथाना तहसील में बहुत बड़े–बड़े रेत के क्षेत्र हैं जो तहसील के दक्षिणी भाग में तीन खण्डों के रूप में हैं जो क्वार्टजाइट की पहाड़ियों और इनके बीच की घाटियाँ बनाते हैं। इन तीनों खण्डों के उत्तरी भाग में घाटी बनी है। यहाँ रेत के रास्ते से पता चलता है कि इसका फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है। इस क्षेत्र में बड़े–बड़े रेत के टीले देखे जा सकते हैं जो पहाड़ियों के दक्षिणी और पश्चिमी भागों को विभाजित करते है। यह भगोठ, चारण का बास, पीथमपुरी, कैरवाली, झाड़ली, मावण्डा व जीलों गाँवों के बीच देखे जा सकते हैं। शेष भाग में पूर्व से पश्चिम दिशा में लम्बी और संकरी बालू का पट्टी देखी जा सकती है। इस पट्टी की सामान्य ऊँचाई पश्चिमी भाग में 450 मीटर (समुद्री तल) और पूर्वी भाग की ऊँचाई 530 मीटर (समुद्री तल) से अधिक है।

यहाँ ऊँची उठी हुई क्वार्टजाइट श्रृंखलाएँ हैं जिनका ऊपरी सिरा समतल तथा ढाल खड़ा है यह श्रेणियाँ भू–तल से 300–400 मीटर ऊँची हैं। ये गोलाकार है।

भौगोलिक दृष्टि से तहसील को तीन भौतिक विभागों के बाँटा जा सकता है :–

(अ) उत्तर–पूर्वी व दक्षिणी पहाड़ी भाग

(ब) पठारी एवं मैदानी भाग

(स) अर्द्ध–शुष्क मरूस्थलीय भाग

जलवायु :–

नीमकाथाना क्षेत्र की जलवायु विशेषताएँ :– ग्रीष्मकाल गर्म एवं कम वर्षा वाला तथा शीतकाल ठण्डा एवं सामान्य शुष्कता वाला और अल्पकालीन मानसून वाला है।

तहसील में नवम्बर के मध्य से फरवरी के अन्त का समय तेज शीतकाल एवं इसके बाद का समय भयंकर ग्रीष्मकाल का होता है जो जून के अन्त तक चलता है। दक्षिण–पश्चिमी मानसून लगातार सितम्बर के मध्य तक चलता है। अतः हम कह सकते हैं कि तहसील अर्द्ध शुष्क प्रदेश में स्थित है।

मिट्टियाँ :–

मिट्टी के निर्माण में तापमान, वर्षा, ऊँचाई, वनस्पति, जैविक, क्रियाएँ, स्थलाकृति एवं समय पक्ष आदि तत्व अपना योगदान करते हैं। कृषि की दृष्टि से मिट्टी का विशेष महत्त्व है। मृदा की संरचना पौधों की वृद्धि के कारणों को प्रभावित करती है। मिट्टी में वायु का आवागमन, पानी की प्राप्ति, पोषक तत्वों की प्राप्ति, अणुजीवों की क्रियाशीलता, जड़ों की वृद्धि और ऐसे अन्य कारक मिट्टी से प्रभावित होते है। सामान्यतः मिट्टी में आवश्यक पोषक पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा, पी.एच. आदि सभी कृषि उत्पादन को प्रभावित करते है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से नीमकाथाना तहसील की मिट्टियों में नाइट्रोजन की मात्रा निम्न स्तर में तथा फास्फोरस और पोटाश की मात्रा मध्यम स्तर में पाई जाती है जिसका विवरण निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी

मिट्टियों की रासायनिक संरचना

निम्न	मध्यम	उच्च
नाइट्रोजन 0.205 पौंड एकड़	0.205–400 पौंड एकड़	400 पौंड से अधिक
ऑरगेनिक कार्बन 0.27	.27–.50 प्रतिशत	.50 प्रतिशत से अधिक
फॉस्फोरस 20 पौंड	20–25 पौंड	.50 से अधिक
पोटाश 98 पौंड एकड़	98 से 250 पौंड	250 पौंड से अधिक

स्रोत : मृदा सर्वे विभाग, सीकर।

अपवाह तंत्र :–

कांतली नदी का उद्गम स्थल श्रीमाधोपुर तहसील में खण्डेला की पहाड़ियों व नीमकाथाना तहसील में गणेश्वर–छापर की पहाड़ियों से है। यह नीमकाथाना तहसील के पश्चिमी भाग कांवट, चौकड़ी, गुहाला, सुनारी घाट होकर झुन्झुनूँ जिले में बहने के बाद चुरू जिले की सीमा में जाकर विलीन हो जाती है। यह नदी सीकर

और झुन्झुनूँ के 2570 वर्ग कि.मी. भू–भाग को अपवाहित करती है, जो राजस्थान के कुल नदी प्रवाह क्षेत्र का 1.52 प्रतिशत भाग है। डोगर नदी का उद्‌गम नीमकाथाना तहसील की उत्तरी पहाड़ियों से होता है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र तहसील के उत्तरी भाग में गांवली व बिहारीपुर से होकर हरियाणा में चला जाता है। इस नदी के अन्तर्गत नीमकाथाना तहसील व झुन्झुनूँ का 1400 वर्ग कि.मी. क्षेत्र आता है। जो राजस्थान के कुल नदी प्रवाह क्षेत्र का 0.83 प्रतिशत भाग है। कृष्णावती नदी का उद्‌गम स्थल नीमकाथाना तहसील की ही उत्तरी–पूर्वी पहाड़ियाँ हैं जिसके बहाव की दिशा उत्तर–पूर्व है। उपर्युक्त सभी नदियाँ वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती हैं, शेष ऋतुओं में शुष्क रहती है।

नीमकाथाना तहसील में पीथमपुरी में एकमात्र प्राकृतिक झील है। यह सिंचाई और प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यह एक छोटी सी गर्त भमि हैं, जहाँ वर्षा का पानी जमा हो जाता है। जो कुछ महिनों तक भरा रहता है। तहसील के गाँव कैरवाली में एक बड़ा तालाब है। किन्तु छोटे तालाब और गढ्‌ढों की संख्या काफी है। वर्षा ऋतु में इन गढ्‌ढों में थोड़े समय के के लिए पानी भर जाता है।

वनस्पति :–

वनों से आच्छादित क्षेत्र में जलवायु का पर्यावरण रक्षा तथा मिट्‌टी की उर्वरता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। वन किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण भमिका का निर्वाह करते हैं। नीमकाथाना जैसी तहसील के लिए वनों का महत्व अधिक है। थार मरूस्थल का प्रसार सीकर जिले में धीरे–धीरे बढ़ रहा है। नीमकाथाना तहसील में 32287 हैक्टेयर भू–भाग पर वन फैले हुए है। तहसील के दक्षिणी–पूर्वी एवं उत्तरी–पूर्वी तथा मध्यवर्ती भाग अधिक वनाच्छादित हैं। तहसील में वन वृद्धि हेतु राज्य सरकार वन विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएँ एवं अरावली विकास परियोजना के द्वारा कई कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।

खनिज :–

नीमकाथाना क्षेत्र खनिज संसाधनों में प्राचीन काल से ही समृद्ध है। खेतड़ी–सिंघाना से टोडा–दरीबा तक समृद्ध खनिज पदार्थ हैं जिसमें तांबा, पाइराइट, चूना पत्थर, कैल्साइट सहित अनेक बहुतायत में मिले हैं। सोना, यूरेनियम जैसी बहुमूल्य धातुएँ भी मिली है। खनिज आधारित अनेक परियोजनाएँ संचालित है। ताम्र के अतिरिक्त यहाँ डाबला की खानों से लोहा भी मिलता है। खनिज पदार्थो में प्रमुखतः एपेटाइट, फ्लोराइट, पाइराइट, अभ्रक, डोलोमाइट, सेलखड़ी के साथ–साथ इमारती पत्थर भी बहुतायात से मिलता है तथा नीमकाथाना के पाटन इलाके मे पत्थरों को निकालने के लिए तथा उनकी रोड़ी बनाने के लिए क्रेशर लगे हुए है। इस क्षेत्र में प्रस्तर चट्‌टानों के चार प्रकार मिलते हैं। 1. अलवर शैल समूह 2. अजबगढ़ शैल समूह 3. आग्नेय अन्तर्वेधी शैल समूह 4. बालू मिट्‌टी के टीले। इन्हीं के बीच–बीच में ग्रेनाइट की छोटी–छोटी पहाड़ियाँ स्थित हैं। यह क्षेत्र चूना पत्थर का भण्डार भी है।

निष्कर्ष :–

अध्ययन में नीमकाथाना तहसील की स्थिति, विस्तार, भू–गर्भिक संरचना, उच्चावच, मिट्‌टी, अपवाह तंत्र, जलवायु, खनिज आदि का अध्ययन किया गया है। इसके साथ ही प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दशाओं का समग्रता से अध्ययन किया है। जो सार्थक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राजस्थान, जिला गजेटियर सीकर, 1988, पृष्ठ 25–28
2. Kumar Vijay : 1985, Ganeshwar – Jodhpura Culture: The Antecedents of Copper Age in India, "The Researcher" (A Bulletin of Rajasthan's Archaeology and Museum, Govt. of Rajasthan, Jaipur PP 5-7)
3. शर्मा, डॉ. महावीर प्रसाद : 2001, ''तोरावाटी का इतिहास'' लोक भाषा प्रकाशन, कोटपूतली, पृ. 206–210 तथा 216–218
4. Rajasthan State Gazetteer, Vol. 2 (Gazetteer of India 1995) Directorate, Distict Gazetteers, Govt. of Rajasthan P.P. 13-16.
5. पहाड़ी, रघुनाथ सिंह काली : 2050 वि.सं. ''क्षत्रिय राजवंश'', श्री शार्दुल शेखावाटी इतिहास शोध संस्थान, काली पहाड़ी (झुन्झुनूँ) पृ. 33–34.
6. स्त्रोत कार्यालय, सर्वे ऑफ इण्डिया, पश्चिमी वृत कार्यालय, जयपुर।
7. सक्सेना, एच.एम, राजस्थान का भूगोल, हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर, पृ. 3
8. तहसील कार्यालय, नीमकाथाना।
9. खनन विभाग, सीकर।
10. वन कार्यालय, सीकर।

E-mail_ Mkthebar1985@gmail.com

Mob. 9785878087

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 11, Issue 5-6
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 36-41

विकास कार्यक्रम एवं जनसहभागिता : एक अध्ययन

डॉ मामराज यादव
सहायक आचार्य (VSY), राजकीय महाविद्यालय तखतगढ (पाली)

विकासशील देशों की सरकारों ने अपना ध्यान ग्रामीण विकास पर केन्द्रित किया है जिसमें जनता की सहभागिता हो और जिसमें परिवर्तन नियोजित हो। ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यक्रम बनाने और क्रियान्वित करने से लोगों अथवा लाभ भोगियों का सहभागी होना जरूरी है। लोगों की हिस्सेदारी न केवल नीतियों एवं योजनाओं का यथार्थ वही जमीन से जुड़ा हुआ बनाने में सहायक सिद्ध होती है बल्कि यह भागीदारी जन शक्ति, समय और धन की न्यूनतम लागत पर विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है। विकास में कोई भी अच्छी नीति तब तक अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती, जब तक उसको जन–सहभागिता नहीं मिल सके।

जनता के योगदान की संकल्पना की शुरूआत सर्वप्रथम यूनान से की। जहाँ सरकार के रूप में लोकतंत्र का उदय हुआ। प्राचीन यूनान के प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी विशेष निर्णय लोकप्रिय विधानसभाओं द्वारा लिये जाते थे और नागरिक राज्य के मामलों में सक्रिय भाग लेते थे तब से राज्य की बदलती हुई प्रकृति और भूमिका से लोकतंत्र का अर्थ और तत्व विस्तृत एवं संकुचित दोनों होते गये। राजनीतिक तत्व में सामाजिक और आर्थिक तत्व शामिल होने से अब लक्ष्यार्थ व्यापक हो गया है। गाँधीजी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी। ग्राम स्वराज्य का अर्थ है ग्रामीण विकास योजना जनता स्वयं तैयार करे और वे ही प्राथमिकता तयकर अपनी देख–रेख में संचालित करे।सरकार आर्थिक सहयोग एवं संबल देवे। तकनीकी ज्ञान व आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करें।

जनसहभागिता :–

जनसहभागिता प्राचीनकाल से प्रचलन में आया यह शब्द लोगों की भागीदारी से है। जनसहभागिता को मुख्यतः दो अर्थों में व्यक्त किया जा सकता है–(क) परम्परागत (ख) आधुनिक। परम्परागत अर्थ में जनसहभागिता का अर्थ है – निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिक का सक्रिय रूप से सम्मिलित होना। आधुनिक अर्थ में जनसहभागिता का अर्थ व्यापक रूप में सभी क्षेत्रों जैसे नीति निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन आदि में लोगों की सक्रिय व अर्थपूर्ण सहभागिता से लिया गया है।

सहभागिता की अवधारणा का विकास :–

लोगों की भागीदारी का विचार नया नहीं है क्योंकि बहुत समय पहले ही गाँधी जी ने अपनी परिकल्पनाओं एवं कार्यों में इसे मूर्त रूप दिया था। ग्रामीण जनसमुदायों को केन्द्र के विकास के संचालनकर्ता के रूप में रखा गया था। स्वतंत्रता के बाद इस अवधारणा में परिवर्तन आया है। योजनाबद्ध विकास के बाद योजना के लक्ष्यों को हासिल करने में लोगों की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है।

सहभागिता के उद्देश्य :–

कोई योजना तब तक सफल नहीं हो सकतीं जब तक देश के करोड़ों छोटे किसान इसके लक्ष्यों को स्वीकार नहीं करते, इसके निर्माण में शामिल नहीं होते इसे अपना नहीं समझते और इसे लागू करने के लिए अपेक्षित त्याग करने को तैयार नहीं होते। इसलिए केन्द्र स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) शुरू किया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तन किया जा सके। ग्राम पंचायते, खण्ड सलाहकार समितियों और जिला बोर्डों के माध्यम से ऐसे नियम बनाये गये कि विकास कार्यक्रमों को योजना बनाने और उन्हें लागू करने में लोकप्रिय भागीदारी प्राप्त हो।

सहभागिता के आयाम :–

विकास सम्बन्धी उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति समुचित सहभागिता के द्वारा ही सम्भव है लेकिन विश्वसनीय बात यह है कि सहभागिता कैसी व किस प्रकार की हो, इसका अध्ययन हम निम्नलिखित चार प्रकार की सहभागिता के आधार पर कर सकते हैं :–

1. निर्णय लेने में सहभागिता
2. कार्यान्वयन में सहभागिता
3. उपलब्धियों में सहभागिता
4. मूल्यांकन में सहभागिता

1. निर्णय लेने में सहभागिता :–

सहभागिता विचारों की उत्पति, योजनाओं को बनाने, उनके विकल्पों में मूल्यांकन तथा इन विकल्पों के बीच से ही चुनाव पर केन्द्रित है। यहाँ तात्पर्य 3 प्रकार के निर्णय से है अर्थात् प्रारम्भिक निर्णय, निरन्तर लिये जाने वाले निर्णय तथा प्रारम्भिक निर्णय स्थानीय जरूरतों की पहचान तथा योजना से संबधित हो सकते हैं। यह नीति, वित्त प्रबन्ध, बचत, मूल्यांकन के लिए निर्धारण इत्यादि से संबंधित हो सकता है। निरन्तर लिये जाने वाले निर्णय, योजना के जारी रखने या समाप्त करने के बारे में निर्णय, सेवाओं की पुनर्स्थापना, बेहत्तर तरीके से कार्यान्वयन के लिए निर्णयों पर पुनर्विचार इत्यादि से संबंधित परिचालन सम्बन्धी है।[39] विकास प्रक्रिया के मूल्यांकन, गैर सरकारी संगठनों के सहकारी तथा अन्य स्थानीय संगठनों के योगदान से संबंधित है।

2. नीति क्रियान्वयन में सहभागिता :–

कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में संसाधनों के अंशदान द्वारा तथा प्रशासन व संचालन के कार्यक्रमों में अन्य लोगों को सम्मिलित किया जा सकता है। कार्यक्रमों को लागू करने से समुदायों को लाभ पहुँचता है तथा लोग विकास के फलों का उपभोग कर सकते हैं। ये भौतिक उपलब्धियाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व व्यक्तिगत लाभ के रूप में हो सकती हैं। विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के बाद ये जानने के लिए कि कार्यक्रम के प्रयोजनों की पूर्ति हुई या नहीं। आशाजनक उपलब्धि लोगों को मिली या नहीं तथा जानने के लिए कार्यक्रमों के मूल्यांकन की आवश्यकता है। मूल्यांकन को अर्थवान बनाने के लिए योजना की रूपरेखा में जन सहभागिता का अंश होना चाहिए। यह औपचारिक समीक्षा या सुझावों, सीधे–सीधे विरोध या अखबारों के पत्र द्वारा या इसी तरह के अन्य तरीकों द्वारा हो सकती है।

3. उपलब्धियों में सहभागिता :–

यह सहभागिता जनता के लिए महत्त्वपूर्ण है यह मुख्यतः चार प्रकार की हो सकती है– जैसे स्थानीय निवासी, अधिकारी, स्थानीय नेता और विदेशी विशेषज्ञ। प्रत्येक समूह की सहभागिता आवश्यकताओं पर,

तकनीकी विशेषज्ञता के साथ–साथ सरकारी नीतियों पर भी निर्भर करती है। विकास प्रक्रिया में कौन भाग लेता है और किस हद तक हिस्सा लेता है। यह जानने के लिए प्रत्येक श्रेणी की आयु विशेषताओं जैसे लिंग, समाज में स्थिति, व्यवसाय शिक्षा इत्यादि को जाँचना जरूरी है। विभिन्न प्रभावकारी कारकों की खोज प्रासंगिक है, जैसे सहभागिता का आधार क्या है? अर्थात् क्या यह लाभ के प्रोत्साहन पर आधारित है? यह स्वैच्छिक है या बलपूर्वक? हमें सहभागिता के स्वरूप का निरीक्षण करना आवश्यक है अर्थात् क्या यह प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष? अथवा व्यक्तिगत है या किसी संस्थान या संगठन के द्वारा है। अंत में सहभागिता के प्रभाव से आशाजनक परिणाम प्राप्त करने की सामर्थ्य रखती है।

4. मूल्यांकन प्रक्रिया में सहभागिता :–

सहभागिता को समझने के लिए संदर्भ की जाँच आवश्यक होती है अर्थात् योजना की विशेषता तथा कार्य का वातावरण योजनाओं की विशेषताओं में निम्न बातें आती हैं– तकनीकी जटिलता व संसाधनों की जरूरतें, लाभों की संभावना व कार्यक्रम की सम्बद्धता, कार्यक्रम का लचीलापन तथा सहभागिता के प्रकार तथा मात्रा को प्रतिबन्धित करना। कार्य वातावरण में शारीरिक तथा जैविक तत्व सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक तत्व, सामाजिक तथा राजनैतिक तत्व शामिल है। इन तत्वों का सहभागिता के स्वरूप पर मजबूत और उपर्युक्त प्रभाव होता है।

जनसहभागिता का स्वरूप एवं प्रकार :–

परोक्ष भागीदारी :

इस भागीदारी में लोगों को बताया जाता है कि क्या होने जा रहा है अथवा क्या किया जा चुका है, यह एक प्रशासनिक घोषणा के अन्तर्गत किया जाता है। जिसमें लोगों की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जाता।

(1) सूचना देने में भागीदारी :

व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता वरन् बाहरी विशेषज्ञों अथवा अधिकारियों के प्रश्नों का उत्तर देता है और लोगों को कार्यवाही में हस्तक्षेप करके अपना प्रभाव दिखाने का अवसर नहीं मिलता है।

(2) भौतिक प्रोत्साहन के लिए भागीदारी :

लोग संसाधन उपलब्ध करवा कर भागीदार बनते हैं, जैसे भौतिक प्रोत्साहन के लिए मजदूरी करना, इसमें प्रोत्साहन समाप्त होने के बाद गतिविधियों में लोगों की कोई हिस्सेदारी नहीं रहती है।

(3) सलाह द्वारा भागीदारी :

लोगों की भागीदारी उनकी सलाह के रूप में ली जाती है और बाहरी एजेन्ट लोगों के विचारों पर अमल करने के प्रति बाध्य नहीं होते हैं।

व्यावहारिक भागीदारी :–

इसमें परियोजना सम्बन्धी पूर्व लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए लोग समूह बनाकर हिस्सेदारी करते हैं। ये संस्थाएँ बाहरी कार्यकर्ताओं और आयोजकों पर निर्भर रहती हैं लेकिन कई आत्मनिर्भर भी बन जाती हैं।

(1) संस्थागत भागीदारी :

लोग पहले से स्थापित संस्थाओं के जरिए भागीदारी करते हैं, जैसे– पंचायत, सहकारी संगठन आदि।

(2) परस्पर भागीदारी :

लोग संयुक्त विश्लेषणों में भाग लेते हैं जिनकी क्रियान्विति कार्य योजनाओं और नयी स्थानीय संस्थाओं

के निर्माण अथवा पहले से कार्यरत संस्थाओं को मजबूत बनाने के रूप में होती है। ये समूह स्थानीय फैसलों पर नियन्त्रण रखते हैं और इस तरह लोग संरचनाओं एवं पद्धतियों को बनाए रखने में योगदान करते हैं।

(3) स्वयं एकजुट होना :

इसमें लोग प्रणालियों को बदलने के लिए स्वतंत्र रूप से बाहरी संस्थाओं में हिस्सेदारी करते हैं। वे अपेक्षित संसाधनों और तकनीकी परामर्श के लिए बाहरी संस्थाओं के साथ सम्पर्क करते हैं लेकिन वे यह जानते है कि संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करें।

जनसहभागिता के साधन :–

विकास प्रक्रिया में जनसहभागिता बढाने के लिए सरकार व लोगों ने बहुत से प्रयास किये हैं। उनके लिये जिन साधनों का सहारा लिया है, वे साधन निम्नलिखित है :–

1. स्थानीय सरकारें :

लोकतांत्रिक सरकारों के क्रमिक विकास में स्थानीय स्वशासन की उत्पत्ति एक अद्वितीय घटना है। यह सभी सार्वजनिक मामलों में नागरिकों को सम्मिलित करते हुए स्वशासन पर आधारित है। क्या कार्य करना है? किसे क्या करना है? यह कैसे किया जाना है? जैसे निर्णय स्वयं नागरिकों द्वारा लिये जाते हैं।

2. सहकारी संगठन :

सहकारी संगठन मूलभूत रूप से जनता के संगठन हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जनसहभागिता को सक्रिय करने के लिए बनाये गये हैं। सहकारी ऋण संस्थाएँ, गन्ना सहकारी संगठन, आवास सहकारी संगठन इत्यादि।

3. संस्थाएँ :

संस्थाएँ विशिष्ट क्षेत्रों से लोगों को जोड़ने का एक अन्य दृष्टिकोण हैं। संस्थाएँ गैर सरकारी रूप से बनाई जाती है यथा शुल्क अदाकर्ता संस्थाएँ, उपभोक्ता परिषदें, स्थानीय निवासी, कल्याण संस्थाएँ इत्यादि। ये संस्थाएँ अपने संबंधित इलाकों में उठने वाली अनेक सामान्य समस्याओं को प्रकाश में लाती हैं तथा उनका समाधान करने में मदद करती हैं।

4. स्वयं सेवी संगठन :

जनसहभागिता की विकास प्रक्रिया में स्वयंसेवी संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बनाये गये हैं। स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अनेक स्वैच्छिक सेवाएँ जैसे स्वास्थ्य, सफाई, बच्चों की देखभाल, महिला कल्याण, शिक्षा इत्यादि दी जाती हैं। वे एक ही विचार रखने वाले लोगों को एक समान मंच प्रदान करते हैं। जनता की सहभागिता को सम्मिलित करके विकास के बोझ का एक बड़ा हिस्सा भी उनके द्वारा वहन किया जाता हैं।

सहभागिता बढ़ाने के तरीके :–

किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन में सहभागिता का अपना महत्व है। जन समुदाय अनेक दबावों के कारण विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से जुड़ नहीं पाता। इसलिए समुदाय के सहयोग तथा सहभागिता को सम्मिलित करने के लिए सही योजना की आवश्यकता है ताकि लोगों में सक्रिय सहयोग के कार्यक्रमों को सफल तरीके से लागू किया जा सके। लोग हिस्सा लेने में जितने कम अभ्यस्त होगें, उनकी सहभागिता हासिल करने के लिए ज्यादा प्रयासों की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित कुछ तरीके विकास कार्यक्रमों में जनता की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं :–

1 सहभागिता में बढ़ोतरी का एकमात्र कारण सूचना की सुलभता है। जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है कि गरीब ग्रामीण को उनके फायदों के लिए प्राप्त नीतियों तथा कार्यक्रमों का ज्ञान नहीं है। जनता द्वारा सार्थक सहभागिता के बारे में सूचनाओं का अभाव है। यदि सूचनाओं की आवश्यकताओं को सही ढंग से व नियमित रूप से पूरा किया जाये, तो लोग कार्यक्रमों को समझ पायेंगे और अपने आपको कार्यान्वयन से जोड़कर अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे।

2 समुदाय प्रणाली का प्रयोग, नवीन संचार तकनीकी सदस्यों का सक्रिय रूप से जुड़ना, स्थानीय नेतृत्व का उभरना, जिम्मेदारियाँ निश्चित करना।

3 छोटे समूहों की सामान्य रूचि वाली गतिविधियों के इर्द–गिर्द योजनाएँ बनायी जाये तो सहभागिता प्रभावशाली होगी। इसी एकरूपता के कारण ग्रुप के सदस्य योजना के साथ अपनी पहचान बनाने के लिए और सक्रिय सहभागिता के द्वारा योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे।

4 यदि विकास कार्यक्रमों का ध्येय आय देने वाले उत्पादक कार्यक्रमों के इर्द–गिर्द होगा तो लोग विकास कार्यक्रम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अपनी निजी आय में प्रत्यक्ष बढ़ोतरी न होने पर एक किसान या दस्तकार स्वयं को कार्यक्रमों में जोड़ पाने में कठिनाई महसूस करता है।

5 जैसाकि सर्वविदित है, गरीबी का प्रमुख कारण अज्ञानता है जो उदासीनता तथा भाग्यवादिता को बढ़ावा देती है। यह विकास में अवरोध डालती है। इसलिए कर्त्तव्यनिष्ठा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा जनता के शक्तिहीन प्रभाव निष्प्रभावी हो सकते हैं।

6 विकासात्मक कार्यक्रमों में जनता की सहभागिता बढ़ाने के अन्य महत्वपूर्ण तरीके है– दक्षता तथा कानूनी समर्थन, सम्मिलित मूल्यांकन, ठोस लक्ष्यों का निर्धारण, आर्थिक अनुकूल वातावरण आदि हैं तथा मौजूदा माध्यमों को मजबूत बनाने के साथ–साथ जनप्रिय सहभागिता के और माध्यमों को बढ़ाने के लिए सरकार तथा अन्य क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास होने चाहिए।

जन सहभागिता के लाभ :–

1. विकास के लक्ष्यों तथा समुदाय के मूल्यों एवं प्राथमिकताओं के बीच विषमता दूर करने में सहायता मिलती है।
2. लोगों की भागीदारी से जो कार्यक्रम शुरू किये जाते हैं। उनके बाहरी वित्तीय एवं तकनीकी सहायता हटा लिये जाने पर भी जारी रहने की संभावना रहती है।
3. समाज के गरीब वर्ग की भागीदारी से सम्पन्न लोगों द्वारा विकास कार्यक्रमों के लाभ अपने तक सीमित रखने की आशंका नहीं रहती है।
4. व्यक्ति नगदी, श्रम, प्रबन्धकीय प्रतिभा और राजनैतिक समर्थन के रूप में स्थानीय संसाधन जुटा सकते हैं।
5. विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और कार्यक्रम तैयार करने के स्तरों से लेकर उन्हें लागू करने के दौरान ग्रामीण लोग बहुमूल्य सामाजिक, सांस्कृतिक, परिस्थिति सम्बन्धी, और देशी तकनीकी संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं।
6. लोग ऐसे कार्यक्रमों को तत्परता से स्वीकार करते हैं, जिनमें वे स्वयं अथवा उनके मान्यता प्राप्त नेता

शामिल होते हैं।

7. वे महसूस करते हैं कि यह उनका अपना कार्यक्रम है।

8. लोगों में दायित्व निर्वाह करने की क्षमता बढ़ती है।

सहभागिता में रूकावटें :–

राष्ट्र के विकास व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहभागिता का अत्यधिक महत्व है फिर भी इसमें अनेक बाधाएँ हैं। लोगों की खराब आर्थिक स्थिति, प्रतिबद्ध अफसरशाही, राजनैतिक नेतृत्व की कमी, संचार तकनीकी का अभाव व संगठनात्मक समस्याएँ सहभागिता की पद्धति में रूकावट लाने वाली कुछ प्रमुख समस्याएँ हैं। निरक्षरता से लोग शिक्षितों पर निर्भर रहते हैं। उसी तरह आर्थिक पिछड़ापन लोगों को आर्थिक रूप से बेहत्तर स्थिति में रहने वालों पर निर्भर बनाता है। दूसरों पर निर्भरता की आवश्यकता नागरिकों को कमजोर बनाती है। यह सहभागिता की उत्कंठा को दबा देता है। सहभागिता में समय एवं संसाधनों के विनियोग की परम आवश्यकता है परन्तु दुर्भाग्यवश गरीब दोनों में से किसी का भी योगदान देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उन्हें इनका विनियोग अपना जीवनयापन करने में करना पड़ता है। सहभागिता की आवश्यकता तथा वांछनीयता को समझाने में समर्थ बनानी वाली समुचित सूचनाओं का न होना भी एक अन्य रूकावट है।

निष्कर्ष :–

गाँव के लोग वर्तमान में विकास की गतिविधियों में अधिक सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। क्योंकि आज वे सरकार से बहुत माँग करने में जुट गये हैं। सरकारी योजनाओं, सब्सिडी हासिल करने के लिए लोगों की लम्बी कतारें लगने लगी हैं। जहाँ हम पंचायती राज की बात करते हैं। अनेक अध्ययनों और समीक्षा समितियों के अनुसार ग्रामीण लोगों की भागीदारी बढाने में उनका योगदान संतोषप्रद नहीं रहा है, लेकिन 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को नया जीवन दिया है।

सन्दर्भ :–

1. ढढ्ढा, सिद्धराज : मेरे सपनों का भारत, राजपाल पब्लिकेशन, नई दिल्ली 1999, पृ. 72
2. गाँधी, महात्मा : हमारे गाँवों का पुनर्निर्माण, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 1972, पृ. 42
3. गाँधी, एम. के. : विलेज स्वराज, नवजीवन पब्लिकेशन हाउस, अहमदाबाद, 1962, पृ. 21
4. रिपोर्ट ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी ऑन डेमोक्रेटिक डिसेंटरलाइजेशन : सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 1957, पृ. 63
5. राजस्थान सरकार : राजस्थान विकास, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर, वर्ष 12, अंक 4, जुलाई–दिसम्बर 1994, पृ. 7
6. एफ. एच. एस. – 1 मानविकी एवं सामाजिक विज्ञानों में आधार पाठ्यक्रम, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, पृ. 14–15
7. सिंह विजेन्द्र : पंचायती राज एण्ड विलेज डवलपमेंट, सरूप एण्ड संस पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2003, पृ. 32

Mob No.9460749121, Email Id– mamrajyd.1980@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 11, Issue 5-6
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 42-46

'गोदान' के स्त्री पात्रों का सामाजिक संघर्ष

डॉ. विकास शर्मा, एसोशिएट प्रोफेसर,
हिंदी विभाग, शिवाजी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।
कपिल कौशिक, शोधार्थी,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

'गोदान' मुंशी प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, जिसमें उनकी कला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँची है। इसमें उनकी व्यापक मानवीय दृष्टि और यथार्थवादी चेतना समग्र रूप से दृष्टिगोचर होती है।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'हिंदी साहित्य का इतिहास' में लिखा है :– ''लोक या किसी जन समाज के बीच काल की गति के अनुसार जो गूढ़ और चिन्तिय परिस्तिथियाँ खड़ी होती हैं ,उनको गोचर रूप से सामने लाना और कभी–कभी निस्तार का मार्ग भी प्रत्यक्ष करना उपन्यास का काम है।''(1)

प्रेमचंद के कथा साहित्य में शुरू से ही अभिशप्त समाज की पीड़ा के प्रति लेखक की अक्षय सहानुभूति दिखाई पड़ती है। 'गोदान' का समाज, यथार्थ का समाज है, जहाँ उस समय समाज में व्याप्त समस्याएं प्रेमचंद जी ने दिखाने की कोशिश की है।

'गोदान' तक आते–आते मुंशी प्रेमचंद जी की मानसिकता नारी के प्रति पूरी तरह से बदली हुई दिखाई देती हैं। जहाँ गोदान पूर्व उपन्यासों में प्रेमचंद नारी पात्रों को कठपुतली की तरह प्रस्तुत करते थे, वही 'गोदान' में नारी–पात्र स्वयं अपनी दिशा निर्धारित करते हैं।

प्रेमचंद के 'गोदान' में नारी अपने अस्तित्व या अस्मिता के प्रति जागरूक है। चाहे नारी शिक्षित हो या अशिक्षित, चाहे ग्रामीण हो या शहरी ,सब अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इन पात्रों को ग्रामीण और शहरी पात्रों में विभाजित करके एक ही समस्या के प्रति उनके अलग–अलग दृष्टिकोणों को समझा जा सकता है। गोदान में अभिव्यक्त स्त्री समस्या एवं उलझनों को नैतिकता, पितृसत्ता, परिवार, विवाह की समस्या और नारी उत्पीड़न आदि बिन्दुओं के आधार पर समझा जा सकता है।

भारत में पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण परिवार का मुखिया और सर्वे सर्वा पुरुष होता है। ग्रामीण समाज में पितृसत्ता अधिक दिखाई देती है।'गोदान' में होरी और धनिया दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं और अपने संघर्षों से लड़ते हैं। धनिया एक बहुत ही धैर्यवान, मेहनती, साहसी और कुशल गृहिणी है। वह सेवा, उदारता, पवित्रता, त्यागमय भावना के आदर्शों से युक्त होरी से कहीं अधिक गुणवान है। फिर भी चाहे गोबर के विदेश जाने का फैसला हो या सोना के अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ शादी का फैसला, सब निर्णय अंत में होरी का ही होता है। दातादीन का यह कथन इस तथ्य को प्रमाणित करता है, ''अगर होरी हाँ कर ले, तो

वह रो धोकर मान जाएगी।''[2]

नैतिक स्तर पर जितना अधिकार पुरुषों को प्राप्त है, उतना स्त्रियों को नहीं। विधवा झुनिया के होरी के घर आकर रहने पर दातादीन धनिया से कहता है, ''तुम्हें इस दुष्ट को घर में नहीं रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकाल फेंकता है और दूध पी जाता है।''[3] वह झुनिया को दूध की मक्खी बताकर समाज से निकाल फेंकने को कहता है,जबकि वह खुद एक चमारिन के साथ संबंध में है। फिर भी खुद को सही समझता है और श्रेष्ठ ब्राह्मण समझता है।

भले ही धनिया सदैव सत्य का साथ देती थी, पर एक जगह धनिया को भी समाज की इस रूढिवादिता से लिप्त दिखाया गया है, जहाँ वह नारी होकर नारी का शोषण करती है। झुनिया को शरण देने के बाद धनिया कहती है, ''इसी चुड़ैल के पीछे डाँड़ देना पड़ा, बिरादरी में बदनामी हुई, सारी दुर्गति हो गयी।''[4] धनिया के माध्यम से ही प्रेमचंद जी दिखाते हैं कि किस प्रकार स्त्री जब विधवा हो जाती है तो वह समाज मे घृणा का पात्र बन जाती है।

जब सिलिया सहुआइन को पैसे के बदले अनाज ले जाने को कहती है, तब मातादीन कहता है, "तूने अनाज क्यों दिया, किस से पूछ कर दिया, तू कौन होती है मेरा अनाज देने वाली?"[5] और जब शहर में गोबर के बिगड़ जाने पर झुनिया उसे समझाती है, तब गोबर भी उसे अपमानित करता है, हीरा बांस बेचने के ऊपर अपनी पत्नी को पीट देता है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पुरुष महिलाओं द्वारा किये गए कार्यों या उनके द्वारा पूछे गए सवालों पर उनका अपमान करते हैं और महिलाएं अपमान को चुपचाप समाज की दृष्टि में उचित मानकर सह लेती है। वे इसे अपना पत्नी धर्म समझती हैं, ताकि भारतीय समाज के मानदंडों के अनुसार पतिव्रता नारी बनी रहें। खासतौर पर ग्रामीण महिलाएँ अवहेलना, अपमान और उत्पीड़न को चुपचाप सह लेती हैं। वे पुरुष के अधीन रहती हैं। यह उनकी नियति है। उपर्युक्त सभी घटनाओं में पितृसत्तात्मक समाज की झलक अलग–अलग तरीके से साफ दिखाई पड़ती है।

नारी की वैवाहिक समस्याओं का जितना विशद चित्रण प्रेमचंद जी के कथा साहित्य में हुआ है, उतना कदाचित हिंदी का कोई कथाकार नहीं कर पाया। प्रेमचंद जी की नारी के वैवाहिक जीवन की समस्याओं की पकड़ अत्यंत सुदृढ़ और मनोवैज्ञानिक है। इन समस्याओं में दहेज प्रथा प्रमुख है। बिना दहेज के गरीब परिवार या निन्म वर्ग की युवतियों का विवाह करना माता–पिता के लिए चिंता का विषय है। होरी सोना की शादी के लिए कर्जा लेने या खेत को गिरवी रखने की सोचता है। साथ ही सोना और सीलिया के बीच हुई वर्तालाप से भी पता चलता है कि समाज में अच्छी जगह शादी के लिए दहेज प्रथा को निभाना जरूरी है। दहेज के युवतियों की शादी अपने से बड़े उम्र या अधेड़ उम्र के पुरुषों से होती है। जैसे होरी की छोटी बेटी रूप की।

'गोदान' में नारी के यौन शोषण को भी दर्शाया गया है। झुनिया के साथ दो बार यौन शोषण हुआ है, एक बार तिलक मुद्रा लगाने वाले एक पंडित ने और दूसरी बार मातादीन ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था। सीलिया भी कहीं ना कहीं यौन शोषण की शिकार है कि मातादीन पहले उसके रूप को देखकर उसके आगे पीछे घूमता था, उसे अपने घर पर ले आया पर जब सीलिया उसकी पत्नी के रूप में फैसले लेती है, तो वह उसे डाँटकर अपमानित करता है और निम्न वर्ग की होने के कारण उसके हाथ की रोटी भी नहीं खाता है। इससे साफ पता चलता है कि वह सिर्फ सीलिया के यौवन से आकर्षित था। इसका कारण पुरूष वर्चस्व समाज, कुलीन

वर्ग द्वारा नीची जाति की औरतों के शोषण में अपना अधिकार समझना स्वयं नारियों में आत्मसम्मन और आत्मविश्वास की कमी तथा उनकी मजबूरियां हैं।

ये समस्याएँ हमें सिर्फ निम्न वर्ग या गरीब या ग्रामीण समाज में ही नहीं बल्कि कुलीन वर्ग और शहरी जीवन शैली में भी देखने को मिलती है। 'गोदान' में मिस मालती को खुले विचारों का दिखाया है, जो उसकी आलोचना का कारण बनता है। मालती इंग्लैंड से शिक्षा पूरी करके आई है, और अब वह अपने पुरुष साथियों के साथ स्वतंत्र रूप से उठती बैठती, जिससे समाज में उसके चरित्र को ठीक नहीं माना जाता है। सरोज मालती की बहन है, जिसकी शादी राय साहब के बेटे से होनी है। मेहता और राय साहब आपस मे बात करते हैं, तो राय साहब कहते हैं कि कुछ ऐसा करें कि सरोज शादी से इंकार कर दे। आगे राय साहब कहते हैं, ''बहन तो मालती की ही है।''[6] यहाँ सरोज को बिना किसी क़सूर के पुरुषों की दकियानूसी विचारधारा का शिकार बनना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मालती की बहन है और मालती एक आज़ाद महिला है। वह पुरुषों के साथ उठती बैठती है और किसी से नही डरती है। इसलिए लोगों को लगता है कि उसका चरित्र ठीक नहीं है और सरोज उसकी बहन है, इसलिए उसका चरित्र भी ऐसा ही होगा। मालती समाज द्वारा निर्धारित किये गए आदर्श नारी के मानदंडों को नहीं मानती तो उसे चरित्रहीन माना जाता है।

मालती के पिता अपाहिज़ हैं। उसकी दो छोटी बहनें हैं, सरोज और वरदा। परिवार के भरण पोषण का उत्तरदायित्व मालती पर है। वह एक अच्छी शिक्षित नारी है और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क में रहती है। समाज उसकी जिम्मेदारी को न देखकर उसके खुलेपन से उसके व्यवहार को निर्धारित कर लेते हैं।

'गोदान' में एक जगह मालती के चरित्र की व्याख्या करते हुए लिखा है– "मालती बाहर से तितली है, अंदर से मधुमक्खी।"[7] इस कथन के स्पष्टीकरण के लिए पहले मधुमक्खी और तितली का भेद जान लेना आवश्यक है। तितली के बारे में सामान्य धारणा यह है कि वह एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती और उन्मुक्त भाव से मकरन्द पान करती रहती है। तितली फूलों का रसपान तो करती है, पर वह मधुमक्खी की तरह मधु का संचय नहीं करती। तितली और मधुमक्खी में अंतर यह होता है कि जहां तितली का उदेश्य केवल रसपान होता है, वहाँ फूलों से रस या मधु का संचय कर एक स्थान पर उसे जमा करती है। मालती अपने पुरुष मित्रों के साथ मुस्कुराहट रूपी रस बाँटती है, पर प्रेम किसी से नहीं करती। वह शराब पीती है और अपने रूप से पुरुषों को आकर्षित करती है। मालती की ये विशेषताएँ उसे 'तितली' सिद्ध करती हैं। मेहता के सम्पर्क में आते ही उसकी मधुमक्खी की तरह घर जोड़ने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। भोग, विलास में मग्न रहने वाली मालती सेवा और त्याग की भावना भर लेती है। तात्पर्य यह है कि मालती बाहर से ही 'तितली' है, उसकी आंतरिक वृति सर्वथा भिन्न है। मालती की तर्क और विचार शक्ति भी प्रबल है। मालती परंपरागत नैतिक मूल्यों को महत्व नहीं देती।

यहाँ मालती के अच्छे व्यवहार, ज्ञान, भावना से भरे होने के बाद भी उसे एक सभ्य नारी नहीं माना गया है। उसके चारों ओर जिन पुरुषों का जमघट लगा रहता है वहीं पुरुष उसे चरित्रहीन और असभ्य मानते हैं। नारी चाहे ग्रामीण समाज की हो या शहरी, शिक्षित हो या अशिक्षित, सबके लिए समाज में समान मानदंड हैं और ये मानदंड पुरुषों द्वारा ही निर्धारित हैं।

प्रेमचंद जी के गोदान में नारी सिर्फ शोषण का शिकार नहीं है, वह हर जगह पुरुष से दबती नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर विरोध भी करती है। एक जगह मुंशी प्रेमचंद होरी के माध्यम से धनिया के बारे में कहलवाते हैं, "बिगड़ती है तो चण्डी हो जाती है, मारो, काटों, सुनेगी नहीं।"[8] उपन्यास के पहले अंक के आरंभ में ही होरी की पत्नी धनिया का रुढ़िवादी परंपराओं के प्रति आक्रोष दिखाई देता है। जब वह रायसाहब की हवेली पर होरी को रोज–रोज जाने के संदर्भ में कहती है– "आज न जाओगे तो कौन हरज होगा। अभी तो परसों गए थे।"[9] धनिया सशक्त इरादे की निडर और धैर्यवान स्त्री है। यथासंभव परिस्थितिवश विरोध और विद्रोह का साहस रखती है। इसी उपन्यास की नारी पात्र झुनिया सामाजिक नियमों को चुनौती देती हुई प्यार के बाद शादी का फैसला करती है। पुरुष से यानि गोबर से ज्यादा हिम्मत उसमें है और सबसे अपनी शादी की बात भी वही करती है। प्रेमचंद जी ने झुनिया पात्र का वर्णन कर,समाज में आधुनिक नारियों को विधवा और पुनर्विवाह के संबंध में संदेश दिया है।

खन्ना साहब मालती के प्रति आकर्षित हैं और वे मालती के साथ संबंध बनाने को आतुर है, पर मालती चरित्रहीन नहीं है और उन्हें साफ साफ बता देती है कि धन ने आज तक किसी नारी के हृदय पर विजय नहीं पाई और ना ही कभी पाएगा।

प्रेमचंद के जमाने में जो समाज की रुपरेखा थी और उस सामाजिक रूपरेखा में जो स्त्रियों की अवस्था थी, उसी को प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में चित्रित किया है। प्रेमचंद युगीन समाज में नारी पूरी तरह पुरुषों के अधीन रही। चाहे वह समाज की शिक्षित नारी मालती हो या सरोज हो या फिर गांव की अशिक्षित धनिया, झुनिया या सीलिया, सभी ने समाज द्वारा बनाए गए नैतिक और सामाजिक मानदंडों का सामना किया है। ग्रामीण समाज की नारियों ने पुरुष के शोषण और अपमान को एक पतिव्रता पत्नी की तरह सहन कर लिया। जबकि कुलीन वर्ग या शहरी जीवन में इसका विरोध कर पति–पत्नी अलग हो जाते हैं जैसे रायसाहब की पुत्री मीनाक्षी और दामाद। लेकिन गरीब परिवार में पारिवारिक विघटन नहीं होता। इसके उदाहरण हैं– धनिया, झुनिया, हीरा की पत्नी पुन्नी और सीलिया। इसमें सीलिया मातादीन के द्वारा घर से निकाले जाने पर सोना से कहती है कि मातादीन की जितनी सेवा की है, उसका फल उसे जरूर मिलेगा। वह भाग्य और कर्म पर पूरा भरोसा करके अपने जातिगत शोषण का विरोध न करके उसे चुपचाप सहन कर लेती है। क्योंकि वह समझती है कि वह ब्याहता है। मातादीन के अलावा अब उसका दूसरा कोई सहारा नहीं है, चाहे वह उसके साथ कैसा भी व्यवहार करें। बाकि सब भी अपने शोषण को समाज की दृष्टि में उचित मानकर पत्नी धर्म निभाती हैं।

ये आदर्श नारी की अवधारणा भी पुरुष प्रधान समाज द्वारा बनाई हुई प्रतीत होती है, क्योंकि प्रो. मेहता जोकि नारी के पुरुषों के बराबर होने और शिक्षित होने के पक्षधर है, कहते हैं कि – "संसार में जो कुछ सुंदर है, उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ। मैं उससे यह आशा रखता हूँ कि मैं उसे मार ही डालूँ तो प्रति हिंसा का भाव उसमें न आए, अगर मैं उसकी आँखों के सामने किसी स्त्री को प्यार करूँ तो भी उसकी ईर्ष्या न जागे। ऐसी नारी पाकर मैं उसके चरणों में गिर पडूंगा और उस पर खुद को अर्पण कर दूंगा।"[10] दूसरी तरफ वह मालती को खन्ना साहब और गोविंदी के बीच आने का जिम्मेदार मानता है।

प्रेमचंद अपने उपन्यासों में स्त्री का दर्जा पुरुषों से ऊपर रखते हैं। स्त्री–पुरुष को एक दूसरे का साथी होना चाहिए, न कि स्त्री को पुरुष का गुलाम, परंतु इस बात को न तो पुरुष स्वीकार करने की मनोस्थिति में

थे, न ही स्त्रियों में हिम्मत थी। जिस युग में नारी को देवी स्वरूपा समझा जाना चाहिए, उस युग में नारी शोषित और दासी तुल्य थी। कथाकार प्रेमचंद ने नारी जीवन को निकट से देखा है। वे नारी जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक मानते हैं कि समाज में स्त्री व पुरुष का बराबर का हक हो। दोनों में सहयोग की भावना से ही समाज, परिवार या देश को बढ़ाया जा सकता है। परंतु प्रेमचंद भारतीय नारी के पश्चिमी सभ्यता के आदर्शों को उचित नहीं मानते। उनके अनुसार सेवा, प्रेम, उदारता और करुणा आदि नारी के आदर्श गुण हैं। आरम्भ में मालती का शराब पीना, पुरुषों को रिझाना आदि उसके चरित्र और व्यवहार को खराब दिखाते हैं, परन्तु मेहता के संपर्क में आने के बाद वह पूरी तरह से बदल जाती है और उसमें सेवा भावना पैदा हो जाती है। वह मेहता के साथ मिलकर अच्छे दोस्त बनकर समाज और देश सेवा का प्रण लेते हैं। इस प्रकार प्रेमचंद का नारी विषयक आदर्श मालती में पूरी तरह प्रतिफलित हो जाता है। 'गोदान' में प्रेमचंद जी ने नारी का कहीं भाग्य से समझौता करना,कहीं विरोध करना, आधुनिक और आदर्श नारी का सब पात्रों के माध्यम से जो चित्र प्रस्तुत किया है, वह हमें अपने सामने के सजीव समाज का अहसास कराता है, और ऐसा सजीव चित्रण शायद ही किसी अन्य कथाकार के उपन्यासों में देखने को मिले।

संदर्भ :-

1. हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक (आचार्य रामचन्द्र शुक्ल), पृ.स. 135
2. गोदान (मुंशी प्रेमचंद), अनिता प्रकाशन, दिल्ली–110006, पृ. स. 290, अंक 35 (संस्करण 2011)
3. गोदान, पृ.स. 104, अंक 11
4. गोदान, पृ. स. 188, अंक 21
5. गोदान, पृ. स. 206, अंक 23
6. गोदान, पृ. स. 265, अंक 31
7. गोदान, पृ. स. 130, अंक 15
8. गोदान, पृ.स. 38, अंक 4
9. गोदान, पृ. स. 1, अंक 1
10. गोदान, पृ. स. 123, अंक 13

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 11, Issue 5-6
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 47-50

स्त्री के वैचारिक आजादी की लड़ाई : स्त्री विमर्श

डॉ. आदर्श किशोर
सहायक आचार्य, हिंदी, राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर।

सभी धर्मशास्त्र एवं आचार संहिता, सारी व्यवस्थाओं चाहे वह पारिवारिक हो या सामाजिक, आर्थिक हो या राजनैतिक का निर्माण पुरूश ने अपने हितों एवं वर्चस्व को ध्यान में रखकर किया। स्त्रियों को शिक्षा और सम्पत्ति के हक तथा सामाजिक हैसियत से वंचित कर उसे विवाह बच्चे तथा परिवार के दायित्व से इस तरह बांध दिया कि उसे स्वतंत्रता के विसर्जन तथा आत्म समर्पण के साथ–साथ अपनी समस्त ऊर्जा का प्रयोग दूसरों के हेतु करने की शर्त पर ही सम्मान हासिल हो सकता है।''[1] समाज के प्रभुता सम्पन्न तत्वों की मानसिकता में बदलाव तभी सम्भव है जब नारी स्वयं चेतना सम्पन्न हो अथवा अपने ऊपर होने वाले अत्याचार उत्पीड़न व अन्याय शोषण के विरूद्व प्रतिरोधात्मक भाव रखती है।''[2] जब स्त्री अपने व्यक्तित्व निर्माण में संघर्षरत होती है तो उसमें चेतन मन की संकल्पात्मक भूमिका और अवचेतन मन की इच्छा शक्ति होती है। सदियों से अवस्थित एक परम्परा व सृदृढ़ व्यवस्था को तोड़ना एवं जन संघर्ष से जुड़ना तथा पग–पग पर यथार्थ के थपेड़े खाना ही अस्मिता की पहचान है। प्रसिद्ध फ्रेंच लेखिका 'सिमोन च बोआ' ने नारी की स्थिति को स्पष्ट करते हुए 'द सेंकड सेक्स' नामक पुस्तक में पहले तो स्त्री का स्त्री होना स्वीकार ही नहीं है। समाज का परिवेश, परिवार नारी को नारी बनाये रखने के लिये जिम्मेदार है। सिमोन ने कहा है ''औरत को औरत होना सिखाया जाता है औरत बनी रहने के लिये अनुकूल बनाया जाता है।''[3]

पाश्चात्य विद्वान एलिस जार्डिन के अनुसार ''नारीवाद स्त्रियों की दृष्टि से स्त्रियों के लिये किया गया आन्दोलन है।''[4] बांगला लेखिका तस्लीमा नसरीन के अनुसार 'जिस दिन यह समाज स्त्री शरीर का नहीं'–शरीर के अंग–प्रत्यंग का नहीं, स्त्री की मेधा और श्रम का मूल्य सीख जाएगा, सिर्फ उस दिन स्त्री 'मनुष्य के रूप में स्वीकृत होगी।''[5] डॉ. विद्युत भागवत ने स्त्रीवाद का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा 'वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्तरों पर स्त्री पर जो अन्याय अत्याचार के विरोध में संघर्ष की तैयारी रखना ही स्त्रीवाद को अपनाना है।''[6] स्त्रीवाद का तात्पर्य पुरूषों के विरोध में संघर्ष न होकर जैविक, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तरों पर स्त्री को जो कनिष्ठ स्थान दिया जाता है, उसे नष्ट कर पुरूषों के समान स्थान प्राप्त करके अपने अस्तित्व की अलग पहचान का निर्माण करना है।

स्त्री विमर्श का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन है। अडवी सूर्य कुमारी के अनुसार ''समाज व्यवस्था

में निहित लिंगभेद के कारण सैकड़ों सालों से नारी दबी हुई है। इस व्यवस्था को बदलकर ही नारी बन्धनों से मुक्त होगी।''[7] आरम्भ में नारी को समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। उसका भी स्वतंत्र अस्तित्व था। लेकिन धीरे–धीरे स्थितियों में परिवर्तन हुआ और नारी मात्र 'साधन' या 'भोग्या'' बनकर रह गयी। सुदेश बत्रा के अनुसार 'न जाने कब इतिहास की अन्धी गलियों में नारी को पुरूष की छाया और अनुगमिनी बना दिया गया। वह स्वायत्त व्यक्ति नहीं, वह प्रथम पंक्ति का व्यक्तित्व नहीं, वह मात्र 'अन्या' है। पुरूष ने उदार होकर उसे इतिहास संस्कृतिक, परम्परा और मर्यादा के नाम पर 'देवी' पद दिया है। यह समाज पुरूष सत्ता प्रधान समाज है नारी का अपना संगठित इतिहास नहीं है, जैविक दृष्टि से भी वह कोमलांगी है, अतः वह दोयम दर्जे की नागरिक बना दी गई।''[8]

सुदेश बत्रा के अनुसार, स्त्रियों को चाहिए कि वे पुरूषों को झुकाने से पहले अपना हीन भाव दूर करें। समाज में ऐसी स्थितियां लाने की जिम्मेदारी स्त्रियों की ही है कि उन्हें पुरूषों का साथ और सहारा मिले, उनके पैर की ठोकर नहीं। यदि किसी कारण उन्हें सहारा मिले या मिलकर छिन जाये तो उन्हें अपने हाथ पैरों अपने दिल दिमाग का सहारा लेना है तभी उन्हें समाज की शंकित और हीन निगाहों से मुक्ति मिलेगी और यही भारतीय नारी का सही मुक्ति आन्दोलन होगा।''[9]

स्त्री को मुक्त करने के लिए जो व्यापक प्रयास चल रहे थे, उनका प्रभाव साहित्य पर भी दिखाई देता है आदिकाल से लेकर आज तक काव्य के क्षेत्र में नारी चित्रण प्राप्त होता है। अनामिका ने कहा है जब मीरा कहती है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय तो एक के स्वीकार में पूरी व्यवस्था के निषेध का क्रान्तिकारी दर्शन घटित दिखाई देता है।''[10]

पुरूष भोगे और स्त्री भुगते यह इस दशक की स्त्री को मान्य नहीं है। वह अब बंधनों के विरोध में खड़ी हो गई है। मृदुला गर्ग ने 'कठगुलाब' में स्मिता और अमिता की बातचीत नारी के बदलते तेवर को व्यक्त करती है'' मुझे यह पुरातन औरत नुमा छल प्रपंच पसन्द नहीं। दो टूक बात कहने का साहस हो तो मुझसे दोस्ती करना वरना अपना रास्ता माप'' –यहां स्पष्ट रूप से लेखिका ने व्यक्त किया है कि स्त्री का शरीर उसकी अपनी मिल्कियत है। उसकी देह पर उसका अधिकार है। वह चाहेगी, तभी पुरूष उसका उपयोग कर सकता है। नासिरा शर्मा की 'शाल्मली' एक स्थान पर कहती है, मैं पुरूष विरोधी न होकर अत्याचार विरोधी हूं। मेरी नजर में नारी मुक्ति और स्वतंत्रता समाज की सोच, स्त्री की स्थिति को बदलने में है। यह संघर्षशील नारी बदली हुई स्थितियों में पुराने मूल्यों की पड़ताल करती है। स्वतंत्रता के बाद नारी अस्मिता के स्वर तेजी से उभरे तो नारी जीवन को नया आयाम मिला।

चित्रा मुद्गल कहती है कि औरत पुरूष की विरोधी नहीं हो सकती। जब वह अधिकारों की मांग करती है तो उसका ससुर, पति विपक्ष में हो सकते है पर उसका अपना पिता भाई और कोख जाया बेटा कैसे पराये हो सकते है ? स्वतंत्र चेतना के अभाव में समता, शिक्षा स्वावलम्बन स्वाध्याय निरर्थक है। आज राजनीतिक स्तर पर स्त्री सशक्तिकरण की मांग की जा रही है। यह घरेलू हिंसा का प्रतिरोध है। पुरूष प्रभुत्वशील समाज के लिये चुनौती है।

सन् 1970 के पश्चात की महिला उपन्यासकारों ने हर नारी के संघर्ष को स्वर प्रदान किया है। कृष्णा सोबती, उषा प्रियवंदा, निरूपमा सेवती, मालती जोशी, कृष्णा अग्निहोत्री, मंजुल भगत, मन्नू भण्डारी, मेहरून्निसा परवेज, शिवानी, रजनी पनिक्कर, शशि प्रभा शास्त्री..... आदि नाम महत्वपूर्ण है। मृदुला गर्ग, राजी सेठ, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, मैत्रेयी पुश्पा के प्रतिनिधि उपन्यासों के विवेचन के पश्चात् हर स्तर से जुड़ी नारी का संघर्ष खुलकर सामने आता है।

स्त्री विमर्श का मुद्दा ज्वलंत होने से, विचारों के मंथन से यह लाभ तो हुआ है, उपलब्धि भी हुई है कि औरते खुद के हीन होने के अहसास से मुक्त हुई है। वैचारिक स्तर पर ही सही साथ–साथ बेहतर या उच्चता ग्रन्थि से भी मुक्त हुई है। उसे ये लगने लगा है 'हम औरतों को भी भूख लगती है, हमारे अन्दर भी कुछ कर गुजरने के सपने जगते है, हमारें अन्दर क्षमता है करूणा है तो वक्त बेवक्त नफरत और ईर्ष्या के भाव से पैदा होते है। एक तानाशाह व्यवस्था और संस्कृति हमें भी उतना ही तानाशाह बना सकती है जितना किसी पुरूष को। सत्ता का नशा हमें भी उसी हद तक पागल बना सकता है जिस हद तक पुरूषों को जिस तरह मर्दो को यौन की भूख सताती है, उसी तरह समाज ने जो यौन अधिकार उन्हें दे रखे है, हमें भी चाहिये। समाज जिन पाबंदियों को न्यायजनक मानता है उसे मानने को पुरूषों को भी उतना ही बाध्य होना है जितना हमें।''[11]

कृश्णा सोबती के लघु उपन्यास ए लड़की में ऐसी स्त्री की जिन्दगी उन लोगों की बातों से स्पष्ट हो जाती है, जिन्होनें जीवन को उसकी तमाम जीवंतता और कटुता के साथ खुलेआम स्वीकार किया है। असल में, इस उपन्यास की खूबी यह है कि इसमें जीवन की विभिन्न अवस्थाओं पर अटल विश्वास व्यक्त किया गया है। उसके विभिन्न पहलुओं को आस्था के संतुलन के रूप में देखा परखा गया है।

''नारी की चिर पराधीनता के पीछे शोधपरक तथ्य यह है कि पौरूषिक चेतना की तानाशाही ने हमेशा वस्तुपरक ढंग से अपनी प्रभुता स्थापित की। मनुष्य की मौलिक इच्छा दूसरों पर शासन करने की रहती है।''[12]

आज नारी के सामने कठिन चुनौतियां है, जिनका सामना वह कर रही है। नारी के सम्बंध में पुरूषों ने भी लिखा लेकिन वह वैसा ही जैसा सीमोन लिखती है, ''अब तक औरत के बारे में पुरूषों ने जो कुछ भी लिखा, उस पूरे पर शक किया जाना चाहिए क्योंकि लिखने वाला न्यायाधीश और अपराधी दोनों स्वयं ही है।''

इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि स्त्री के वैचारिक आजादी की लड़ाई में स्त्री–विमर्श की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में स्त्री मुक्ति आन्दोलन का अर्थ सम्पूर्ण समाज की मुक्ति है, सम्पूर्ण समाज का उत्थान है। स्त्री पुरूष पूरक है और पूरकता ही उन्हें पूर्णता प्रदान करेगी। खण्ड खण्ड में विभाजित स्त्री और पुरूष से जो त्रासद स्थितियां वर्तमान में महसूस की जा रही है वह धीरे–धीरे और भयावह रूप में हमारे सामने आयेगी और इससे सभी जीव मात्र प्रभावित होंगे।

संदर्भ :–

1. डॉ. उषा झा, हिन्दी कहानी और स्त्री विमर्श, साक्षी प्रकाशन 2005, पृष्ठ 167

2. वही, पृष्ठ 168
3. प्रभा खेतान, स्त्री उपेक्षिता, पृष्ठ 23
4. सुशिला सिंह, फेमिनिज्म एण्ड रिसेंट फिक्शन एन इंग्लिश, पृष्ठ 8
5. तस्लीमा नसरीन, औरत के हक में, मुनमुन सरकार, पृष्ठ 99
6. विद्युत भागवत, महाराष्ट्रातील स्त्रियांच्या चलवनीचा आठवां परामर्श खण्ड 1, पृष्ठ 37
7. अडवी सूर्य कुमारी अनु शैलजा जोशी तेलुगु देशातील स्त्रीवाद, पृष्ठ 33
8. डॉ. सुदेश बत्रा, नारी अस्मिता : हिन्दी उपन्यासों में, पृष्ठ 1
9. वहीं, पृष्ठ 6
10. जगदीश्वर चतुर्वेदी, स्त्रीवादी साहित्य विमर्श, पृष्ठ 63
11. धर्म युग, 95 अंक नवम्बर
12. डॉ. सत्यनारायण व्यास, समकालीन नारी चेतना और कविता – मधुमती, जनवरी 2003

Dr. Adarsh Kishore, Assistant Professor
Address – Rajiv Nagar, Sindhari Road, Gali No 5 Barmer Rajsthan 3444001
Email- adarsh.jani@gmail.com
Mobile – 9413904492

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 11, Issue 5-6
पृष्ठ : 51-57

Woman Under The Threat In Virtual World

Shefali Bajpai
Research Scholar, Department of Law from P. k. University Gram Karera, Shivpuri (M.P.)

Abstract :-

Most of the crimes being committed on the Internet, obscenity Appears to the one which has serious nature implications and it is the form of information that has increased in economic value in our cyber network environment. It is said that the pornography industry has been estimated to contribute some $20 billion annually to the economy as the cyber asserts .While the other crimes threaten the very credibility of the Internet, cyber pornography promotes the use of the Internet. . Information Technology Act has been passed by the Indian Parliament with an object to facilitate e-commerce, e-governance and to prevent Cyber Crimes in any field. This legislation is unique in many respects of cyber crimes. It provides legal recognition for transactions carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication. It mandates electronic governance and provides infrastructure to achieve that goal to prevent the crimes. It chalks out an ambitious plan for preventing Cyber Crimes by using any digital medium. Pornography is available on the Internet in different formats whether that is short animated movies, sound files or textual stories. Thus, cyber pornography refers to stimulating sexual or other erotic activity over the Internet. This includes pornographic websites, pornographic magazines produced using computers to publish and print the material and the Internet to download and transmit pornographic pictures, photos, writings, etc. woman and children have a big threat by it. They are easy prey for cyber criminals. This paper outlines some of key elements of this field and discusses the steps to be taken to prevent it.

Introduction :-

In this growing era of cyberspace, cybercrime is also being committed in various forms like – hacking, cyber stalking, cyber defamation, etc. Cyber obscenity is one of them. Basically 'obscenity' means sexual act or language which shocks people or offends them. When obscenity is committed via the internet it is termed as "cyber obscenity". Cyber obscenity is a trading of sexually expressive materials within cyber space. Legally cyber obscenity is also termed as 'pornography'. According to

the honourable Supreme court of India- “Obscenity has a tendency to deprave and corrupt those, whose minds are open to such immoral influence”. Cyber obscenity can be committed through literary, artistic, music, etc.

CYBER OBSCENITY AS A CRIME :-

Certain legislations prescribe obscenity as an offence, such as Indian Penal Code,1860, Information Technology Act, 2000 and several others. But none of them defines obscenity; they just describe the meaning of obscenity as anything that is lascivious or appeals to the prurient interest or if its effect is to deprave and corrupt persons would be considered to be obscene.

Apart from general obscenity or pornographic material, there is also specified pornography such as child pornography which has increased multifold with the advent of information technology.

The Council of Europe Convention on Cyber crime in its preamble declares that it considers and given importance to the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child and the 1999 International Labour Organisation Worst Forms of Child Labour Convention and it also aims at the “protection of society against cyber crime”. Thus, it has deliberated on the subject of child pornography and under Article 98, has urged the Member States to legislate on it rendering child pornography a criminal offence.

The article defines child pornography as including pornographic material which shows :-

1. A minor engaged in a sexual act.
2. A person shown as a minor and engaged in a sexual act.
3. “Realistic images” of a minor engaged in a “sexually explicit act”.

The definition remarkably upholds gender equality in this respect as it includes within the word "minor" not only females but males as well, as it uses the words "all persons under 18 years of age". Generally speaking, women are the object of physical exploitation or a symbol of sex but child pornography rightly upholds the right to decency of all children whether male or female, hence the definition is in right direction.

Article 9 regards following activities or conduct when done intentionally and without right as a criminal offence :

1. Production and distribution of child pornography through a com putter system.
2. Presentation and depiction of child pornography through a com putter system.
3. Distribution and transmission of child pornography through com putter system.
4. Procuring child pornographic material for one's self or for others.
5. Possession of child pornography in any electronic form through the computer data storage medium.

PORNOGRAPH AND OBSCENITY :-

As we know pornography is synonym of obscenity, it is a threat to citizen. It includes pornographic magazines produced using the internet and the internet transmit pornographic pictures, videos, writing, etc.

CHILD PORNOGRAPHY :-

It is a form of child sexual exploitation. It is defined as a visual depiction, including any photograph, film, video, whether made or produced by electronic means, of sexually explicit conduct where it includes minors engaging in sexually explicit conduct.

Section 67B of IT Act,2008 deals with the punishment for publishing or transmitting material depicting children to be engaged in sexually explicit acts or conduct.

CYBER OBSCENITY IN INDIA :-

As we know cyber crime is increasing dreadfully in India and according to Indian courts 'common law approach of dispute resolution has been adopted. Various cases were filed in India in recent time which are related to cyber obscenity. For eg. "BOYS LOCKER ROOM" case in which the accused used to have indecent conversation in the group and had shared obscene pictures of girls. Similarly, there is a group named "GIRLS LOCKER ROOM" where girls have been accused of similar obscene comments and conversations.

In India, where the society is in flux and as people are modifying themselves, there are certain groups of people who still believe that advertisements related to spreading awareness of the use of 'sanitary pads' and 'condoms' publically are somewhat vulgar. It is very important that people understand its true meaning.

Some cases to decide obscenity :-

The Supreme Court of India in Ranjit D. Udeshi v. State of Maharashtra[9] (Ranjit D. Udeshi), has observed that the test of obscenity laid down by Cockburn CJ should not be discarded. It has held that the test of obscenity to adopt in India is that obscenity without preponderating social purpose or profit cannot have the constitutional protection of free speech and expression, and obscenity is treating sex in a manner appealing to the carnal side of human nature or having that tendency. The obscene matter in a book must be considered by itself and separately to find out whether it is so gross and its obscenity so decided that it is likely to depraveand corrupt those whose minds are open to influences of this sort and into whose hands the book is likely to fall.

Section 292 achieves the object of freedom of speech and expression enshrined in Article 19 (i)(a) of the Constitution of India which aims at upholding the values of public decency and morality. In Ranjit D. Udeshi , the court said that the freedom under Article 19(i)(a) is recognised as a means of

social change, for advancement of human knowledge and it is not so expansive as to include within it, expressions or depictions of all sorts, indecent or obscene.

Thus, Section 292, by making indecent expressions as a punishable offence, merely supplements the constitutional provisions under Article 19(1) (a) read with clause 2 of the same article. The restrictions therefore on ground of decency and morality are constitutional.

In Chandrakant Kalyandas Kakodkar v. State of Maharashtra, the Supreme Court ruled that. The concept of obscenity would differ from country to country on the standard of morals of contemporary society and recognised that in India, the standards of contemporary society are fast changing. The court said that it is the class and not an isolated case into whose hands the book, article or story falls, suffer in their moral outlook or become deprave by reading it or might have impure and lecherous thoughts aroused in their minds.

The court later held in Samaresb Bose v. Amal Mitra, that in order to constitute an offence under Section 292 IPC, the obscene matter must be so grossly indecent that it is prone to deprave and corrupt the mind of those who come across it. More importantly, the court also held that obscenity is an extremely subjective concept and may differ not only from society to society but also from Judge to Judge and though the Judge may apply his wisdom dispassionately; his mind may affect the verdict unconsciously.

0In UK, the Hicklin test dominated the legal circles until 1954 and slowly and gradually, public opinion towards sex became liberal and its horizons broadened so much so that Stable J observed in R. V. Martin Seeker & Warburg Ltd,15, that the Hicklin test should be applied keeping in mind present day standards, taking into account the prevailing attitude towards sex. The change in attitude led to the passing of the Obscene Publications Act, 1959 in which under Section 2, obscenity is described in the following words :

For the purpose of this Act? an article shall be deemed to be obscene If its effect... taken as a whole, such as to tend to deprave and corrupt persons who are likely, having regard to all relevant circumstances, to read, see or hear the matter contained or embodied in it.

In the US, the Hicklin test was abandoned in 1933 in United States v. One Book Entitled Ulysses by James Joyce16. Moreover, in US, obscenity is not an area of constitutionally protected speech or press.17 In 1973, the US Supreme Court issued the following test :

(a) Whether 'the average person, applying contemporary community.18 standards would find that the work, taken as a whole, appeals to the prurient interest...

(b) Whether the work depicts or describes, in a patently offensive way, sexual conduct specifically defined by the applicable state law; and

(c) Whether the work, taken as a whole, lacks serious literary, artistic,political or scientific value.

However, in the US, an individual has the right to possess obscene materials in the privacy of his or her own home. Thus, what the State restricts is the dissemination or publication of an offending material and not more.

INDIAN LAWS RELATED TO OBSCENITY :-

Laws related to obscenity are as follows :

Sections related to obscenity under India Penal Code,1860.

Section 292 states that whoever sells, lets to hire, imports or exports any obscene object or whoever takes part in such business or advertisement of any such object, etc shall be punished with imprisonment and fine.

Section 293 states that whoever sells, lets to hire, distributes, exhibit or circulate to any person under the age of 20 years, any such obscene object, shall be punished with imprisonment.

Section 294 states that whoever does any obscene act in any public place or sings, recites or utters any obscene song, near a public place , shall be punished.

Under Indian Constitution :-

The freedom of expression guaranteed under Article 19(1) (a) is subject to some reasonable state restrictions in the interest of decency or morality. So, it is clear from this Article that no one can do anything in lieu of their fundamental right guaranteed under Article 19 of Indian constitution. Though the people of India have fundamental right to Freedom of Speech and Expression, they cannot blindly do any act which is likely to cause obscenity.

Information Technology Act, 2000 :-

Cyber law also provide some relief to cyber obscenity or pornography. Section67 of the act lays down that obscenity is an offence when it is published or transmitted or caused to be published in any electronic form.

The Indecent Representation of Women Act,1986.

Sec 2(c) of the act defines indecent representation of women. This act also prohibits publication, sale, etc containing indecent representation of women and publication or sending by post or figuring in any form containing indecent representation of women.

Sec 6 describes the punishment for contravention of any of the provision of this act.

Young Person's Act,1956

Section 3 of the act, states that if any person advertises of harmful publication, shall be punishable with imprisonment.

SUGGESTIONS :-

To curb the crime, education should be the primary concern of every civilized society and awareness should be spread in the society related to such crimes. There must be offices of the websites throughout the countries. Awareness should be spread through social media as young citizens are more active there. NGOs should take initiatives to spread awareness by meeting the people one on one. When society will acknowledge this fact and be cautious while using.

Conclusion :-

Obscenity is a globally recognized complex issue which has attracted the attention of jurists, lawmakers and society at large. It can be stated that what is immoral for one may not be so for other or other society. Due to the latest technology people are becoming more power oriented day by-day with the fully consciousness of their freedom rather than their duties to maintain the moral standards, decency, peace and order and to follow the law in country. Above all, judiciary is one among three organ of the government which performs the function of maintaining peace and order in the society and it is left to it for maintenance of the reasonable as well as prudent repository of moral standard in the society for dealing with obscenity in cyberspace. The use of new multimedia technology is increasing day-by day which is misused by the criminals in cyberspace. Cyber obscenity is one out of those cyber crimes which is growing everyday both at national and international level.

There are number of offences taking place in both countries but only the few cases are lodged as a complaint. But due to this the cyber criminals are day-by-day more encouraged to get involved in such type of criminal activities. It is suggested that punishment needs to be enhanced for dealing with such crimes and there is a need to adopt specific and comprehensive definition of cyber obscenity in the cyberspace. On priority basis, there is a need to take concert action to stop the all forms of obscenity and child pornography specifically. There is also a need of issuance and determination of uniform guidelines for the internet service providers and cyber cafés which expressly mentions their liability and accountability such as there must be the provision for keeping the secrecy of the user's personal information which is provided on the basis of utmost good faith. For combating the problem of publishing obscene information in cyber space, there is a pressing need of spreading awareness in government as well as public. It is also highly demanded that the cyber authorities must be technically trained from time to time.

Reference :-

1. Quoted in "Cashing on Porn Boom" BBC Nwews, 5-7-2001.

2. Vivek Sood, Chap 2 “Cyber Crime and Criminal Justice Penalties, Adjudication and Appeals Under the IT Act, 2000” in Cyber Law Simplified (Tata Mc Graw-Hill Publishing Co. Ltd., New Delhi, 2001) 70.
3. Y. Akdeniz, "Governance of Pornography and Child Pornography on the Global Internet: A Multi-Layered Approach 55 in L. Edwards & C. Waelde (Eds.), Law and the Internet : Regulating Cyberspace (Hart Publishing, UK, 1997).
4. E-bhasin, "The Internet Service", <http://www.ebhasin.com/bonline/profaqs.htm>.
5. Vivek Sood, Chap 2 “Cyber Crime and Criminal Justice Penalties, Adjudication and Appeals Under the IT Act, 2000” in Cyber Law Simplified (Tata Mc Graw-Hill Publishing Co. Ltd., New Delhi, 2001) 70.
6. Preamble-The Council of Europe Convention on Cyber crime (Budapest 23-11-2001).
7. Art, 9, cl, 2-Offence related to child pornography.
8. M. Hidayatullah J & R. Deb (Eds.), Ratanlal & DhirajlaVs the Indian Penal Code (26th Edn., Wadhwa & Co. (P) Ltd., Nagpur, 1987) 259.

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 11, Issue 5-6
पृष्ठ : 58-64

संख्यातत्त्वानुसारं सांख्यशास्त्रस्य ज्योतिषशास्त्रस्य च संयोजनम्

देवलिना दास
सहायक प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, भक्त बाला संस्कृत कालेज, पश्चिम बंगाल

'संख्या' अतीव महत्त्वपूर्णः विषयः। अस्माकं एतत् ब्रह्माण्डं संख्यातत्त्वस्य अधीनमस्ति। पृथिव्याः अन्तर्जगत् वहिःजगत् च सर्वत्रमेव 'संख्या' एकं गुरूत्वपूर्णं भूमिकां पालयति। पञ्चसहस्रवर्षपूर्वम् अस्य देशस्य हरप्पा महेञ्जोदारो चेति स्थानयोः सभ्यतायाः प्रकाशः प्रज्वलितः आसीत्। ततःपरम् अस्मिन् देशे लिप्याः आविष्कारस्य प्रयासाः कृताः। यद्यपि अद्य अपि तस्य पाठोद्धारः न कृतः। अस्याः सभ्यतायाः सार्ध एकसहस्रवर्षात् द्विसहस्रवर्षं परं आर्यजनाः अस्मिन् देशे आगताः। ततः ऋग्वेदः इति प्राचीनतमं पुस्तकं रचितम्। ऋग्वैदिकयुगात् ज्योतिर्विज्ञानशास्त्रं वा ज्योतिषविज्ञानशास्त्रम् आरब्धम्।

वेदाङ्गं किम्?

विष्णुपुराणे चतुर्दशविद्यायाः कथा अस्ति। यथा-चत्वारः वेदाः, षट् वेदाङ्गानि, मीमांसा, न्यायः, धर्मशास्त्रं, पुराणं चेति। वेदस्य अङ्गानि= वेदाङ्गानि। वेदस्य गूढं च वास्तविकम् अर्थं ज्ञानाय येषां सहायकतत्त्वनाम् आवश्यिकता सन्ति तानि वेदाङ्गानि उच्यन्ते। 'पाणिनीय-शिक्षा' ग्रन्थे षट् वेदाङ्गानि उल्लिखितानि सन्ति-(१)शिक्षा (२)कल्पः (३)व्याकरणम् (४)निरूक्तः (५)छन्दस् (६)ज्योतिषम् चेति।
'पाणिनीय शिक्षा' ग्रन्थे षट् वेदाङ्गानि कल्पितवेदपुरूषस्य षट्अङ्गैः सह तुलना कृता अस्ति-

" छन्दः पादौ तु वेदस्य,हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरूक्तं श्रीत्रमुच्यते।।
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य,मुखं व्याकरणं स्मृतम्।
तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते।। " (पा.शि. ४१- ४ २)

अन्तिमः वेदाङ्गः ज्योतिषम् इति। वेदपुरुषस्य नेत्रेण सह ज्योतिषस्य उपमा कृतमस्ति।

ज्योतिषम् किम्?

'ज्योतिष' शब्दस्य अर्थः ज्योतिर्विज्ञानम्। ज्योतिर्मयपदार्थेषु सूर्यः चन्द्रः ग्रहः नक्षत्रादिः चेति आकाशपिण्डानि गण्यन्ते। एतत् विज्ञानं ज्योतिषशास्त्रं ज्योतिर्विज्ञानं Astronomy वा कथ्यते। परन्तु महर्षिः लगाधः ज्योतिषशब्दस्य अन्यः अर्थः अपि दत्तवान्.- कालज्ञानशास्त्रं वा कालविज्ञानशास्त्रः इति। अर्थात् एतेषु कालचक्रस्य संवत्सरचक्रस्य तथा कालसम्वन्धीतथ्यस्य च विचारः उपलभ्यते। अर्थात् ज्योतिषं कालविज्ञानस्य ज्योतिर्विज्ञानस्य च संयोगः इति बोध्यते।

प्राचीनाः ग्रन्थाः-

ज्योतिषशास्त्रस्य प्राचीनतमं ग्रन्थं महर्षिणा लगधेन कृतं 'वेदाङ्ग- ज्योतिषम्' इति। अस्य ग्रन्थस्य भागद्वयमस्ति- एकः 'आर्च-ज्योतिषम्' अन्यः च 'याजुष-ज्योतिषम्'। अनेन ग्रन्थेन मूलतः यज्ञकार्यस्य शुभक्षणस्य ज्ञानं कृतम् -

" ज्योतिषामयनं कृत्स्नं प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः।
विप्राणं संमतं लोके, यज्ञकालार्थसिद्धये।। " (आर्च.३,याजुष् ४)

त्रिगुणानां पञ्चमहाभूतानां च प्रभावः-

प्रकृत्यां गुणत्रयस्य समावेशः लक्ष्यते- सत्त्वं रजः तमः चेति। अस्माकं प्रतिजने त्रयः गुणाः विद्यन्ते। गुणत्रयस्य साम्यावस्थायां किमपि कार्यं न घटितः। एतत् कथ्यते Perfect state of balance .विवर्तनेन असमगुणविभागाः कर्म सृजति। यथा- क्रोधी तमगुणेन युक्तः भवति, साधुजनः सत्त्वगुणस्य अधिकारी भवति, बहुकार्यं कुर्वन् जनः राजगुणस्य अधिकारी भवति। प्रति जने त्रिषु गुणेषु एकस्य गुणाधिकत्वात् तद्गुणानुसारेण जनः क्रियाकलापं करोति। वयं सांख्यकारिकादर्शने दृष्टवन्तः त्रिगुणात्मिकाप्रकृतितः महदादिक्रमेण पञ्चमहाभूतं वा स्थूलशरीरं प्रजायते। क्षितिः अप् तेजः मरुत् व्योम्- एतानि पञ्चकारणानि मूलप्रकृतौ समाविष्टाः सन्ति। वाह्यलोकः पञ्चकारणसहायेन पञ्चेन्द्रियैः अभ्यन्तरलोके प्रविशति। यदि परिवेशे किमपि घटति तर्हि इन्द्रियाणां माध्यमेन तत् ज्ञातुं शक्नुमः। इन्द्रियाणि बाह्यवस्तूनि कियत् गृह्णन्ति इति अस्माकं मनः नियन्त्रयति। प्रकृतेः पञ्चकारणेषु प्रथमः चत्वारः अनुधावनयोग्यः भवति। केवलं सूक्ष्मतमं कारणं वा अवस्था भवति आकाशः। परन्तु एषः न अनुधावनीयः। अतः ४ कारणानि × ३ गुणाः = कालचक्रस्य १२ राशिः। ते प्रकृतेः विवर्तनस्य अवगमने सहायकाः भवन्ति। ते द्वादशः राशिसमूहाः यथा- मेषः वृषः मिथुनः कर्कटः सिंहः कन्या तुला वृश्चिक् धनुः मकरः कुम्भः मीनः चेति।

राशिचक्रे नवग्रहाः-

यथा सौरमण्डले सूर्यात् नानाग्रहाः दूरं स्थितः, तथैव राशिचक्रे अपि ग्रहाः तदृशः व्यवस्थिताः सन्ति। हिन्दु ज्योतिर्विद्यायाम् उल्लिखिताः नवग्रहाः- रविः चन्द्रः बुधः शुक्रः मङ्गलः बृहस्पतिः शनिः तथा च द्वौ काल्पनिक-गाणितिक-विन्दू राहुः च केतुः।

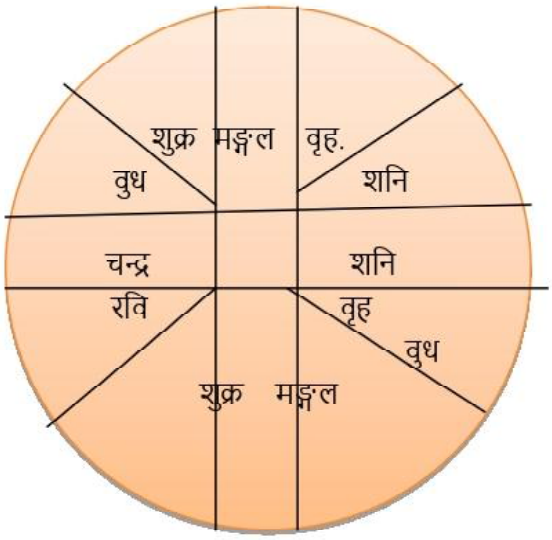

राशिचक्रे नक्षत्राणि-

नक् वा 'नक्त' अर्थः रात्रिः(नक्तम् = नज-तमु) च 'सत्र' (सत्र-अच्)अर्थः बहुदिनसाध्यः यज्ञविशेषः। एतयोः द्वयोः संयोगेन 'नक्षत्रं' भवति, अर्थात् रात्रेः यज्ञः। राशिचक्रे २७ नक्षत्राणि सन्ति। बहुकालात् पूर्वं २८ नक्षत्राणि आसन्। किन्तु 'अभिजित्' नामकं नक्षत्रं पश्चात् लोपितम्। महर्षिः लगधः अनुष्टुप् छन्दे (३२ अक्षरम्) सप्तविंशति-नक्षत्राणां नामानि प्रकाशितवान्,येन तस्य पाण्डित्यं दृश्यते-

"जौ द्रा गः खे श्वे ऽही रो षा
चिन् मु ष ण्यः सू मा धा णः।
रे मृ घाः स्वा ऽऽपो ऽजः कृ ष्यो
ह ज्ये ष्ठा इत्यृक्षा लिंगैः।" (याजुष १८, आर्च १४)

(१) जौ= अश्वयुजौ (अश्विनी) (२) द्रा =आर्द्रा (३) गः=भगः (उत्तरा फाल्गुनी) (४) खे =विशाखे (विशाखा) (५) श्वे= विश्वेदवाः (उत्तरा आषाढा) (६) अहिः =अहिर्बुध्न्य (उत्तरा भाद्रपदा) (७) रो = रोहिनी (८) षा = अश्लेषा (९) चिऽ = चित्रा (१०) मू = मूलः (११) ष = शतभिषक् (१२) ण्यः= भरण्यः (भरणी) (१३) सू = पुनर्वसू (पुनर्वसू) (१४) मा = अर्यमा (पूर्वा फाल्गुनी) (१५) धा=अनुराधा (१६) णः=श्रवणः (श्रवणा) (१७) रे =रेवती (१८) मृ=मृगशिरस् (मृगशिरा) (१९) घा=मेघाः (मघा) (२०) स्वा=स्वातिः (२१) आपः=आपः (पूर्वा आषाढा) (२२) अजः=अज एकपाद् (पूर्वा भाद्रपदा) (२३) कृ = कृत्तिकाः (कृत्तिका) (२४) ष्यः=पुष्यः (२५) ह = हस्त (२६) ज्ये=जेष्ठा (२७) ष्ठाः=श्रविष्ठा।

ज्योतिषशास्त्रे एकस्मात् नक्षत्रात् अपरस्य नक्षत्रस्य दूरत्वं १३°२०' भवति। एतानि सप्तविंशतयः नक्षत्राणि द्वादशराशिनवग्रहैः राशिचक्रे स्थितानि सन्ति। सौरमण्डलस्य इव ग्रह-नक्षत्राणां प्रभावः पृथिव्याः जीवमण्डले पतति। समग्रं जगत् संख्यातत्त्वानुसारं प्रचलति। सौरमण्डले सर्वाणि ग्रह-नक्षत्राणि सूर्यं परितः सुनिर्दिष्ट-दुरे उपवृत्ताकारेण मार्गेण परिभ्रमति। एकेन माध्याकर्षणवलेन ग्रह-नक्षत्राणि निर्दिष्ट-कक्षे भ्रमति। गोस्वामी तुलसीदासः श्रीहनुमानचाल्लिसायं ब्रह्माण्डस्य एकं रहस्यं उल्लिखितवान्-

" युग सहस्र योजन पर भानु।
लील्यो ताहि मधुर फल जानु।। "

१ युग= १२००० वत्सरः

१ सहस्रम्= १००० वत्सरः

१ योजन = ८ माइल

युग × सहस्र × योजन पर भानु अर्थात् सूर्यस्य दूरत्वम्-

१२००० × १००० × ८ माइल= ९६०००००० माइल

१ माइल= १.६ कि.मि.

९६०००००० × १.६=१५३६००००० कि.मि.। अस्य आधारेण गोस्वामी तुलरीदाराः सूर्यस्य पृथिव्याः च दूरं १५ कोटि कि.मि. इत्येव कथितवान्। पृथिव्याः सूर्यस्य दूरत्वं १८ शतके विश्ववैज्ञानिकैः गणितम्। किन्तु तुलसीदासः १६ शतके हनुमानचालिशे एतत् लिखितवान्।

एतेषां ग्रहादीनां ऐशीक्तिः अस्माकं सार्वजनिकजीवनं प्रभावितवती। ज्योतिषशास्त्रस्य मुख्यं उद्देश्यं अन्तरज्योतेः जागरणम् अस्ति। तदा मनुष्यस्य अन्तर्जगतः शक्तिः जागरिष्यति,तदा बाह्यान्तरलोकविषये अज्ञानं तिरोहितं भविष्यति। सांख्यदर्शनमते पुरूषः आत्मा वा सस्य स्वरूपता सम्वन्धे ज्ञातं चेद् मुक्तिं प्राप्स्यति। तदा साधकः एकस्थाने स्थिरं स्थित्वा ब्रह्माण्डस्य सर्वे संवादाः ज्ञातुं शक्नोति।

ज्योतिषशास्त्रं किम्?

येन शास्त्रेण वयं ज्योतिष्काणां परिभ्रमणकालं,तेषां स्वरूपम्, स्थितिं च तत्सम्बन्धानि सर्वाणि घटनानि तथा गानवजीवने तेषां प्रभावं वैज्ञानिकरूपेण ज्ञातुं शक्नुगः, एतदेव ज्योतिषशास्त्रग् इति कथ्यते।

ज्योतिषशास्त्रस्य श्रेणीभागः-

ज्योतिषशास्त्रं द्विधा विभक्तम्- (१)सिद्धान्त-ज्योतिषम् (२)फलित-ज्योतिषम्।

(१) <u>सिद्धान्त-ज्योतिषम्</u>- ज्योतिष्क-परिवारस्यान्तर्गतः विविधग्रह-नक्षत्राणां स्थानानि,तेषां गतिः, क्रियाशीलता इत्यादयः अत्र सन्ति। अपिच पाटीगणितं, बीजगणितं,परिमितिइत्यादयः च अस्मिन् शाखायां चर्चा कृता अस्ति। सिद्धान्तज्योतिषस्य अपरं नाम गणितज्योतिषम् वा ज्योतिर्विज्ञानं वा ज्योतिर्विद्या वा **'Astronomy'**

अस्याः शाखायाः गतावलग्वी भवति- प्रथगः आर्यभट्टः(प्रकृतप्रतिष्ठाता,ख्री.५गः शतकम्),वराहमिहिरः(५७८ ख्रीः), ब्रह्मगुप्तः(५९८ख्रीः),भास्कराचार्यः(आनुमानिकः १११४ ख्रीः)प्रमुखाः।

(२) <u>फलित-ज्योतिषम्</u>- ग्रहनक्षत्रादीनां ज्योतिष्कपदार्थानां आवर्तनं च अवस्थानानुसारं मानवजीवने तथा पृथिव्यां तेषां प्रभावानाम् अन्वेषणम् च तेषां कृते शुभाशुभं फलगणना। एतत् फलित-ज्योतिषं **'Astrology'** इत्युच्यते। अस्य प्राचीनाचार्यगणाः- विष्णुगुप्तः, जीवशर्मा, देवस्वामी, यवनाचार्यः, सत्याचार्यः, सिद्धसेनः, पृथुः प्रमुखाः। वराहमिहिर् फलित-ज्योतिषशास्त्रं त्रिषु शाखासु वर्गीकृतवान्- (१) तन्त्रं (२) होरा/जातकः (३) संहिता।

भारते गणितस्य अध्ययनस्य बीजानाम् उत्पत्तिः वैदिकसाहित्ये एव अभवत्। वैदिकऋषयः यागयज्ञं कुर्वन्तः ज्यागितेः गणितस्य च सूक्षतत्त्वस्य आवश्यकताग् अनुभवन्ति स्ग। वेदाङ्गज्योतिषस्य एकस्गिन् श्लोके गणितस्य प्राधान्यं स्वीकृतम्- "वेदाङ्गशास्त्राणां गणितं मूर्धणि स्थितम्।" १ संख्यातः १० संख्यापर्यन्तं च १० संख्यायाः गुणितकं, भिन्नसंख्यायाः उल्लेखः ऋग्वेदे प्राप्यते। संख्यालेखनव्यवस्था प्रथमं कदा कुत्र च प्रथमम् उत्पन्ना इति विषये विद्वत्सु मध्ये मतभेदाः वर्तन्ते। लिपेः आविष्कारानन्तरं संख्यालिखनस्य उत्पत्तिः अभवत्। ब्राह्मीलिपि इव संख्यालिखनपद्धतिः अपि भारतस्य स्वस्य सम्पत्।

मनवजीवने संख्यायाः माहात्म्यम्-

संख्यालेखनम् अधुना अतीव सुलभं कार्यमस्ति। वयं १ संख्यातः १०० सहस्रं वा कोटिं पर्यन्तं संख्या लिखितुं शक्नुमः। परन्तु एताः सङ्ख्याः कथं प्राप्यन्ते इति सम्यक् कोऽपि जानाति वा? सर्वप्रथमं शून्यसंख्या वा 'जिरो' संख्या आगता। गणिते केवलं शून्यस्य किमपि मूल्यं नास्ति। परन्तु कस्यापा संख्यायाः दक्षिणभागे शून्यं स्थापयित्वा तस्याः मूल्यं परिवर्तते। अस्तु, १९ इत्यस्य दक्षिणभागे '००' स्थापयामि, तदा १९०० भवति। अर्थात् पूर्वापेक्षात् परा संख्या शतगुणाधिका भवति। अस्याः '०' सङ्ख्यायाः आविष्कारकः आर्यभट्टः अस्ति। '०' आविष्कारेण गणितशास्त्रं बहुसुलभं भवति। गणितस्य सर्वाः सङ्ख्याः १ संख्यातः ९ सङ्ख्यायाः अन्तर्भुक्ताः भवन्ति। भारते एव मुनयः १-९ सङ्ख्यायाः उद्भवं कुर्वन्ति। एतया सङ्ख्यया सह '०' योजयित्वा संख्यानाम् अनन्तपरिधिं कृतवान्। ते संख्यातत्त्वस्य गूह्यतमं रहस्यं विवृतवन्तः। ज्योतिषशास्त्रे अपि दृश्यते

यत्, १-९ सङ्ख्यायाः शुभाशुभफलं मनुष्यस्य जीवनं प्रभावितं करोति। नवग्रहाः इहलोके सर्वाः संख्याः नियन्त्रयन्ति। तस्याः संख्यायाः गुणागुणं दृष्ट्वा मनुष्यस्य समग्रजीवनस्य भविष्यत् घटनानां निर्धारणं सम्भवति। यथा कस्यचित् नाम – स्वामी विवेकानन्दः।

(1) Upadhi : SWAMI= S +W +A +M +I =1+5+1+4+9 =20 = 2+0=2

(2) Name: VIVEKANANDA =V +I +V +E +K +A +N +A +N +D +A

=4+9+4+5+2+1+5+1+5+4+1

=41

=4+1

=5

Total Name-2+5=7=केतुग्रहः

अर्थात् स्वामी विवेकानन्दस्य भाग्यांक =7=केतुग्रहः

एषः केतुग्रहः मानवस्य जीवने तपस्वीजीवनं, कैवल्यप्रप्तिं वा मोक्षलाभं प्रदायते। अतः स्वामी विवेकानन्दः जगति प्रसिद्धः अभवत्। स्वामी विवेकानन्दस्य जन्म अभवत्-1863 ख्रीष्टाब्दे। एनं वर्षं विश्लेषणं कृत्वा वयं प्राप्नुमः –

1863= 1+8+6+3= 18 =1+8 =9 मङ्गलग्रहः

एषः मङ्गलग्रहः वीरस्य प्रतीकः। एतस्मात् कारणात् सः 'वीरसन्न्यासी' इति नाम्ना ख्यातः। यावत्पर्यन्तं सः जीवति स्म तावत् अविद्या-दुर्बलता-अशुचितानां विरुद्धं संग्रामं कृत्वा मनुष्याय ज्ञानं दत्तवान्। अतः नामकरणम् अतीव सावधानीपूर्वकं कर्तव्यम्। प्राचीनकाले शिशोः नामकरणसमये दिनं क्षणं च दृष्ट्वा गुरुदेवस्य आदेशं स्वीकृत्य गुरुद्वारा वा सार्थकं नामकरणं कृतम्। अतः 'मनुस्मृतिः' इति ग्रन्थे षोडशसंस्कारेषु एकादशदिने वा द्वादशदिने नामकरणसंस्कारस्य प्रावधानं दत्तम्-

" नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वारयं कारयेत्।
पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते।।" (मनुः.२अध्या., ३०श्लो.)

न केवलं नामसङ्ख्यां, अपितु जन्मतिथिं, समयं, जन्मस्थानं च सर्वदिशं विचार्य्य तदा कस्यापि भाग्यं ज्ञातुं शक्यते। अतः संख्यातत्त्वस्य ज्ञानेन सह मनुष्यस्य अन्तर्निहितज्ञानस्य आवश्यकता अस्ति। यदा अन्तःकरणशक्तिः जागरिता भवति, तदा एव कस्यचित् भाग्यलिपिः उद्धारयितुं शक्यते।

संख्याविचारेण सांख्यदर्शनम्-

सांख्यदर्शनग्रन्थेऽपि संख्यातत्त्वस्य उपरि गुरुत्वं दत्तम्,अतः संख्यातः 'सांख्य' नाम भवति। ज्योतिषशास्त्रं यथा संख्याभिः मनुष्यस्य वहिः जीवनस्य गणनां करोति तथा सांख्यदर्शने अपि पञ्चविंशतितत्त्वानां संख्याज्ञानेन मनुष्यस्य अन्तर्मनसि शुद्धता विकसिता भवति।

ज्योतिषि संख्याविज्ञानेन जातकस्य भाग्यफलं वा जीवनचित्रं निर्णयितुं शक्नोति। अतः ग्रहाणां सम्यक् पर्यवेक्षणमावश्यकम्। वैज्ञानिकेन अनुसन्धानेन सह मननशक्त्या अपि जातकस्य भाग्यम् अनुधावनं करोति। एवम् हृदयस्य अभ्यन्तरस्य ज्योतिः यः द्रष्टुं शक्नोति सः एव वस्तुतः ज्योतिषविद् भवति।

कदा मानवाः ज्योतिषीणां शरणापन्नं भवन्ति? यदा मनुष्यः स्वस्य जीवने दुःखी भवति,तदा ज्योतिषिं निकषा गच्छति। सांख्यदर्शने अपि त्रिविधदुःखैः ग्रन्थस्य प्रारम्भः भवति। अस्माकं सनातनः धर्मग्रन्थः 'श्रीमद्भगवत्गीता' इति विषादेन राह आरभते। अस्याः प्रथमः अध्यायः 'अर्जुनविषादयोगः' इति। अतः किमर्थं

सर्वप्रथमं दुःखेन सह ग्रन्थस्य प्रादुर्भावः भवति? अस्य कारणं यत्,जगति प्रत्येकं जनः केनचित् कारणेन वा दुःखं प्राप्नोति। इहलोके न कश्चित् सुखी भवति। अतः सर्वे दुःखात् मुक्तिं प्राप्तुं उपायान् अन्विषन्ति। केन प्रकारेण प्रकृतसुखं जनः लप्स्यते,तस्मिन् विषये सांख्यदर्शनं वारंवारं दर्शयति। यथा श्रमं विना उत्कृष्टफलं न लभते, तद्रुपं प्रकृतसुखं कष्टसाध्यं भवति। संसारे मायया आच्छन्नः जनः आलस्यवशात् तस्मिन् दिशि गन्तुं न इच्छति। अतः सः अविद्याकारणात् चर्मचक्षुषा यत् दृश्यते,तदेव सत्यं जानानि। एवम् अज्ञानव्यक्तिः वारंवारं क्षणिकसुखानुसरणं करोति। तदा व्यक्तिः दुःखात् मुक्तिलाभाय ज्योतिषविदं निकषा गच्छति। जनाः अस्मिन् जन्मनि स्वभाग्ये यत् आनयन्ति तत् भवितव्यम्। शुद्धाभा ज्योतिषिः संख्यातत्त्वस्य विचारेण मनुष्यस्य भाग्यस्य पाठोद्धाराय प्रयाशं करोति।

मन्तव्यः-

ईश्वरेण निर्मितस्य अस्मिन् ब्रह्माण्डे सर्वं संख्याभिः चालितं भवति। न केवलं बाहिर्जगत्,अपितु या प्राणशक्तिः मानवशरीरस्य रक्षणं करोति सा श्वासरूपेण २४ घटिकायां १६६०० बारं चलति। यदा शिशुः जायते तदा सः निर्दिष्टमात्रायां श्वसनवायुना सह जगति आगच्छति। अतः यस्मिन् दिवसे श्वाससङ्ख्या समाप्तः भविष्यति, तस्मिन् दिवसे सः पृथिवीं त्यक्ष्यति। निम्ने प्राणीनां प्रतिनिमेषे आनुमानिकः श्वासांख्या च आनुमानिकः परमायुः दत्तम्-

प्राणी	श्वासः	आयुष्कालः
शसकः	३८/३९	८ वत्सरः
वानरः	३१/३२	२०/२१ वत्सरः
छागः	२३/२४	१२/१३ वत्सरः
मनुष्यः	१२/१३	१०० वत्सरः

अतः पूर्वकाले योगिनः रेचक-पूरक-कुम्भकैः प्राणं धृत्वा प्राणायामेन आयुः वर्धयित्वा दीर्घकालं जीवितवन्तः। अतः अस्माकं प्रत्येकस्य जीवने संख्यानां महत्त्वं वर्तते। दैनन्दिनजीवने गणनायाः सुविधार्थं १२ घटिकायां दिनं १२ घटिकायां रात्रिः कुर्वन्ति अर्थात् २४ घटिकायां एकं दिनं च रात्रिः विद्यते। ६० क्षणिके १ निमेषः, ६०निमेषे १ घटिका, २४ घटिकायां १ दिनं, ३६५ दिने १ वत्सरः, अपिच ३६५ दिने पृथिवी सूर्यं एकवारं प्रदक्षणं करोति- एवं सर्वं वयं स्वयमेव संख्याभिः परिचालितं भवामः। गृहस्य सत्कार्ये वा यज्ञकार्ये दिनं, समयं, शुभमुहूर्तं च दृष्ट्वा एव अनुष्ठानं क्रियामहे। यज्ञवेदी निर्माणकाले भूमेः परिमापः यथा- वृत्तकारः, अर्धवृत्ताकारः, चतुष्कोणः, त्रिकोणाकृतिः च इत्यादयः विविधाकाराः निर्धारणाय ये विधयः प्रगृह्यन्ते ते सर्वे वेदाङ्गानां कल्पसूत्रान्तर्गतं शूल्वसूत्रे निहितमस्ति। तस्मात् वैदिकयुगात् अद्यपर्यन्तं वयं ज्यामितिज्ञानार्थं शुल्वसूत्राणां साहाय्यं गृह्णामः। यथा प्राणहीनं शरीरं जडवत् , तथा संख्यां विना इहलोकं निष्क्रियः भवति । संख्यानां महत्वं ज्ञातुं न केवलं बाह्यज्ञानं अपितु आध्यात्मिकं ज्ञानमपि आवश्यकम् । यदा मनुष्यस्य मनसि विवेकख्यातिः जागरति, सत्यं ज्ञानं च उद्भवति, तदा तस्य किमपि अज्ञातं न तिष्ठति। अतः सांख्याशास्त्रस्य ज्योतिषशास्त्रस्य च ज्ञानम् आवश्यकम्।

संकेत-सूची -

1. मनुः. -मनुसंहिता
2. अध्या. - अध्यायः
3. श्लो. - श्लोकः
4. आर्च. - आर्च-ज्योतिषम्
5. याजुष्. – याजुषज्योतिषम्
6. पा.शि.–पाणिनीय शिक्षा

ग्रन्थ सूची -

1. वाचस्पतिमिश्र, ''सांख्यतत्त्वकौमुदी'', चौखाम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी।
2. महर्षि पतञ्जलि,''पातञ्जलयोगदर्शनम्'', चौखाम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी।
3. घोष, जगदीश चन्द्र, 'श्रीगीता ', प्रेसिडेन्सी लाइब्रेरी, कोलकाता।
4. मजुमदार, डः अखिल,'सांख्यतत्त्व ओ आपनार भाग्य' , गिरिजा प्रकाशन, कोलकाता।
5. दे,दीपंकर, ''एटाइ ज्योतिष'' ,भाषा ओ साहित्य प्रकाशन, कोलकाता।
6. द्विवेदी, डाँ कपिलदेव,'' वैदिक साहित्य एवं संस्कृति'', विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
7. बन्द्योपाध्याय, मानवेन्दु, ''मनुसंहिता'', संस्कृत पुस्तक भाण्डार, कोलकाता।

DEBALINA DAS.

ASSISTANT PROFESSOR OF BHAKTA BALA SANSKRIT COLLEGE, WEST BENGAL & RESEARCH SCHOLAR OF RANCHI UNIVERSITY.

ADDRESS- C/O NIRMAL KUMAR GOSWAMI, PASCHIM DAS PARA, NEAR SONARPUR SHISHU VIDYAPITH, KOLKATA-700150, WEST BENGAL.

MOBILE NO- 8001508989/ 7001339691

WHATSAPP NO- 8001508989

E-MAIL - debalinadasju1@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 11, Issue 5-6
पृष्ठ : 65-67

मुण्डा आदिवासियों का 'मारांग बुरू बोंगा/पर्वत पूजा' और उसका महत्व

डॉ. जितेन्द्र सिंह
सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची।

प्रसिद्ध आदिवासी चिंतक रामदयाल मुण्डा एवं रतन सिंह मानकी द्वारा संपादित पुस्तक 'आदि धरम' 2009 में राजकमल प्रकाशन समूह से छप कर आया था। इस पुस्तक का प्रमुख उद्देश्य है आदिवासियों की धार्मिक पहचान को रेखांकित करना; लोक में प्रचलित उनकी पूजा मान्यता को सूत्रबद्ध करना। यह एक तरह से झारखंड एवं उसकी संस्कृति से प्रभावित आदिवासियों के लिए धर्मग्रंथ की रचना का प्रयास था। इसमें प्रमुख पूजा–पाठ, अनुष्ठान, तत्संबंधी कथा वर्णन, मंत्रपाठ, निमित पूजा सामग्री, तौर–तरीके एवं उसके महत्व का उल्लेख किया गया है। हालांकि यह मुण्डा आदिवासियों की पूजा–पद्धति पर आधारित है मंत्र–गीत भी मुण्डारी भाषा में हैं किन्तु यह एक प्रतीक मात्र है भाषा भेद एवं थोड़ा बहुत उलट–फेर के साथ इसका प्रसार झारखंड के सभी आदिवासी समूह तक है। यहाँ तक कि झारखंड के सदान (गैर आदिवसी मूल निवासी) भी इसका पालन करते हैं।

'आदि धरम' का एक अध्याय है 'मारांगबुरू बोंगा/बड़पहाड़ी पूजन' अर्थात पर्वत पूजा। यह पूजा पूर्णतः प्रकृति केन्द्रित है इसलिए इसकी व्याख्या करना पर्यावरण संकट के इस दौर में प्रासंगिक है। चूंकि आदिवासी समाज यह भली–भांति जानता है कि विराट पारिस्थितिकी को अपने में समेटे पहाड़ों का आम जिंदगी में क्या महत्व है। पहाड़ एक आदिवासी के लिए अभिभावक के समान होता है रोज़मर्रा की जिंदगी की कई जरूरतों को वह पूरा करता है। पहाड़ों के बिना ना तो वर्षा संभव है और ना ही शुद्ध हवा। पहाड़ पालतू पशुओं के भरण–पोषण के आधार हैं। आहार शृंखला में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्थानीय स्तर पर कई गाँवों के लोग पहाड़ों के फल–फूल व कंद–मूल से लाभान्वित होते हैं। पहाड़ नदियों के उदगम स्थल एवं जंगली जीवों के घर हैं। इनके साथ छेड़–छाड़ से सम्पूर्ण पारितंत्र के बिगड़ने का खतरा रहता है। नदियां जहाँ सभ्यता के उदगम एवं विकास के केंद्र हैं तो वहीं पहाड़ सभ्यता के रक्षक हैं। हम कई स्तरों पर पहाड़ों से जुड़े हुए हैं इसलिए हमारी आदिम कहानियों में पहाड़ों का आना–जाना लगा रहता है।

आदि धरम कहता है– "बुरू बोंगा का नेतृत्व स्वाभाविक है क्योंकि वह बादलों से पानी खींच कर उसे किसानों के खेतों तक पहुंचाता है। वही जंगलों से खाद ले आता है। वह जंगली जानवरों का रक्षक–पालक भी है। इसलिए कुछ समुदायों (जैसे कि संथाल) में मारांग बुरू खुद परमेश्वर है। इस तरह से बड़ पहाड़ी का उच्चतम और विस्तृतम साक्षात स्वरूप हिमालय है और कदाचित इसीलिए मुंडा समुदाय के लोग प्राण त्यागने के

अंतिम क्षणों तक मारांग बुरू (रातांग बुरू : हिमालय) को अपनी नजरों के सामने रखने की लालसा में दक्षिण की तरफ सिर करके मृतक को दफनाते हैं।''[1] झारखण्ड के पाँच परगना, ढालभूम एवं संथाल परगना क्षेत्र में पहाड़ पूजा की सनातन परंपरा है। जिसका विस्तार पश्चिम बंगाल के सीमांत क्षेत्रों तक है। इनमें उल्दा पहाड़ (घाटशिला), कान्हाईश्वर पहाड़, जामिरा पहाड़, गोटाशिला पहाड़ (चाकुलिया), सातनाला पहाड़ (सोनाहातु) आदि प्रसिद्ध हैं। पहाड़ पूजा प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में किया जाता है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य अच्छी बारिश के लिए पर्वतों की प्रार्थना करना होता है। आषाढ़ मास मानसून के सक्रिय होने का मास होता है और आदिवासी यह अच्छी तरह जानता है कि पहाड़ बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, परिणामस्वरूप बारिश होती है। यह तथ्य बहुत पहले ही वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है। आदि धरम के अनुसार – 'पानी के संरक्षक के रूप में मुंडा समुदाय के अवचेतन में पहाड़ का चित्र सृष्टि के आदिकाल से ही बना हुआ लगता है।''[2] आदि धरम के एक मंत्र में रांची पहाड़ी, डोम्बारी पहाड़, साईल राकाब पर्वत समेत झारखण्ड के कई पहाड़ों का स्मरण किया गया है :–

''मारांग बुरू रिची बुरू सुकान बुरू सांडिबुरू
सिली बुरू पाड़ासी बुरू मुड़हर बुरू जगन्नाथ बुरू।
साईल राकाब डोम्बारी बुरू सिंबुआ बुरू बिचा बुरू
कुलाबुरू तुड़ाम बुरू कोराङ्ग बुरू बाड़ान्दा बुरूघ
तीरे ती सांगोमकेआते काटा सुबा तिरुबकेआते
जोआरतानाले, गोआरितानाले।''[3]

ठीक ऐसा ही वायु पुराण में भारत के कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में उल्लेख मिलता है :–

''मेरु मंदर कैलास मलया गंधमादनः
महेंद्र श्रीपर्वतश्च हेमकूटस्तथैव च।
अष्टावेते तु सम्पूज्या गिरयः पूर्वादिकक्रमात।''[4]

इन मंत्रों को पढ़कर ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है जिसे प्रकृति के साथ सहजीवी संबंध का सहज ज्ञान है वह उनके महत्व को जानता है इसलिए वह नाम ले ले कर उन्हें धन्यवाद प्रेषित कर रहा है। भारतवर्ष के विभिन्न भाषा साहित्य में इस तरह की गीत कविताएं मिल जाएंगी। पहाड़ों को दैवीय रूप देने का एक फायदा यह रहा कि लोग लंबे समय तक उन्हें नुकसान पहुंचाने से बचते रहे। पर्वतों के प्रति श्रद्धा–भाव ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। वहीं आधुनिक समाज की पर्यावरणीय दृष्टि पर विचार करें तो हम पाते हैं कि यह विरोधाभासी एवं उलझा हुआ है। प्रकृति के प्रति आम जनजीवन के श्रद्धाभाव में निरंतर कमी आयी है। यही कारण है कि प्रकृति को सिर्फ संसाधन और पर्यटन के रूप में देखने और व्याख्यायित करने का चलन बढ़ता जा रहा है। जो कि सही नहीं है। हमारे पास पर्यावरण संरक्षण की समृद्ध धार्मिक–सांस्कृतिक परम्पराएं हैं। इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। किन्तु ध्यान रहे हमें पर्यावरण के संदर्भ में प्रतीकात्मक श्रद्धा से बचना होगा। मसलन हम नदी को पवित्र मानते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं किन्तु उसी नदी में तमाम तरह का कचरा फेंक आते हैं पहाड़ों को खोद–खाद कर समतल किए जा रहे हैं अंधाधुंध वृक्ष काट रहे हैं तो फिर यह कैसी श्रद्धा हुई? कहना न होगा कि हमारी संस्कृति में पर्यावरण रक्षा के कई संदेश हैं किन्तु हम उन पर गौर

नहीं करते उनके मूल उदेश्यों के बजाय कर्मकांड और बाहरी दिखाओं पर ज्यादा जोर देते हैं। हमें प्रकृति को अपना अभिन्न अंग मानते हुए उसके साथ सह–अस्तित्व सम्बन्धों कि वापसी करनी होगी।

इस छोटे से लेख के बहाने मेरा आग्रह है कि सरकारें चाहें तो आषाढ़ महीने में ''बुरू उत्सव'' (पर्वत उत्सव) प्रारंभ कर सकती हैं। इससे समाज में पर्यावरण के प्रति जागृति का प्रसार होगा एवं पहाड़ों के प्रति सम्मान भाव का विकास होगा। इससे अवैध खनन एवं पेड़ों कि कटाई जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने में भी मदद मिलेगा।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. रामदयाल मुण्डा : आदि धरम, राजकमल प्रकाशन, नेताजी सुभाष मार्ग नई दिल्ली–110002, प्रथम संस्करण – 2009, पृष्ट सं. – 303
2. वही – पृष्ट सं. – 303
3. वही – पृष्ट सं. – 362
4. वायु पुराण – 12/116

Correspondence Address :

Dr. Jitendra Singh

C/o– Manoharnath Singh

Near Nucleus Mall, Circular Road, Nagra Toli

Post – Lalpur, Pin Code – 834001, Ranchi, Jhrkhand.

Mob : 9798958444

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 11, Issue 5-6
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 68-74

कार्यस्थल पर व्यावसायिक भेदभाव एवं लैंगिक भेदभाव का अध्ययन : महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में

Vidya Kumari
Research Scholar, Univ. Dept. Of Psychology, T. M. Bhagalpur University, Bhagalpur-812007

मुख्य शब्द :- लैंगिक भेदभाव, महिला सशक्तिकरण, व्यवसाय, कार्यस्थल, सामाजिक, आर्थिक विकास।

शोध सार :-

महिला सशक्तिकरण वर्तमान समय में सबसे चर्चित विकासात्मक कार्य हैं। इसे सफल बनाने के लिए महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव एवं पक्षपात को दूर करना आवश्यक हैं। महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव घर में, घर के बाहर एवं सामाजिक स्तर पर होने के साथ साथ मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में कार्यस्थल पर होता हैं। जिसका नकारात्मक प्रभाव महिलाओं के सर्वागीण विकास पर परता हैं। लैंगिक भेदभाव महिला सशक्तिकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा हैं। कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए महिलाओं को शिक्षित होना होगा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा, सामाजिक रीति–रिवाज परम्परा के नाम पर होने वाले शोषण को रोकना होगा, पुरुष वर्ग का महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव लाना होगा। शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति एवं असंगठित मजदूरों पर किये गये इस शोध से निष्कर्ष निकला हैं कि विभिन्न व्यवसायों में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए किए उपायों एवं सरकारी प्रयासों को कठोरता से लागू करना होगा। महिलाओं के सर्वागीण विकास एवं मुख्य धारा में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिसके बारे में महिलाओं को जागरुक होना आवश्यक हैं। महिलाएँ सभी प्रकार से सुरक्षित रहे इसके लिए विभिन्न प्रकार के कानून का निर्माण भी किया गया हैं। ताकि उनके साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव को रोका जा सके। महिलाओं को अपने अधिकारो के प्रति जानकारी ना होने के कारण वह विभिन्न प्रकार की समस्याओ का सामना करती हैं। महिला सशक्तिकरण वास्तव में महिलाओं की योग्यता को निखार कर उन्हें एक उपयोगी साधन के रूप में विकसित करना है। लिंग भेद जैसी समस्याओं को समाप्त कर के ही प्रत्येक व्यवसायों मे महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा वरीयता प्रदान करके महिलाओं का सर्वागीण विकास किया जाना संभव है।

परिचय :-

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं के सर्वांगीण विकास से हैं। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं व्यवसायिक स्तर पर स्वतंत्र निर्णय करने में सक्षम

बनाती है। उन्हें रूढ़िवादी परंपरा एवं गुलामी की बेड़ियों से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही उन्हें विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं। महिला सशक्तिकरण से महिलाओं को अपनी खुद की पहचान बनाने की आंतरिक प्रेरणा मिलती है। पुरुषों की प्रधानता को खत्म करके महिला पुरुषों में समानता की भावना का विकास होता है। इससे लैंगिक भेदभाव समाप्त होकर महिलाओं को समाज में परिवार में उचित सम्मान और अधिकार प्राप्त होता है। महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वयं के उत्थान के लिए निर्णय लेने का अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है।

परिवार और पितृसत्तात्मक समाज की रूढ़िवादी सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए अपने विचार, अधिकार एवं स्वतंत्रता का निर्णय लेने के साथ–साथ अपने आप को परिपक्व बनाना महिला सशक्तिकरण का प्रमुख लक्ष्य है। समाज में पुरुषों एवं महिलाएं दोनों को समान रूप से अवसर एवं अधिकार देना होगा तभी हम कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक भेदभाव को पूर्ण रूप से समाप्त कर पाएंगे। महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह कतई नहीं है कि महिलाओं की महत्ता पुरुषों पर स्थापित हो, यूनेस्को के अनुसार महिला सशक्तिकरण हेतु उनमें निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए एवं इसके लिए उनकी पहुंच सूचना एवं संसाधनों तक होनी चाहिए महिलाओं को सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने में अग्रणी रहना, परिवर्तन करने की क्षमता एवं बदलाव को स्वीकारने की क्षमता का विकास करना, लोकतांत्रिक साधनों एवं प्राचीन रूढ़िवादी भावनाओं को परिवर्तित करने की क्षमता का विकास करना होगा। महिलाओं को स्वच्छ और उपयुक्त अवसर की जरूरत है जिससे वह हर क्षेत्र में अपने आप को शामिल करें और अपना पूर्ण योगदान दे सकें। सरकार द्वारा भी महिलाओं की भागीदारी मुख्यधारा में लाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जरूरत है महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला सशक्तिकरण के पांच महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं जो निम्नलिखित हैं :–

1. महिलाओं में आत्म मूल्य की भावना।
2. विकल्प चयन का अधिकार।
3. अवसर एवं संसाधनों तक सुगमता से पहुंच।
4. घर में एवं बाहर स्वयं के जीवन पर नियंत्रण का अधिकार।
5. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन को प्रभावित करने की क्षमता।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ इस संदर्भ में भी है कि महिलाओं द्वारा स्वयं के जीवन को ना सिर्फ सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र बनाएं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अपने करियर को महत्व देकर आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करें साथ ही साथ कार्यस्थल पर होने वाले भेदभाव का भी डटकर सामना करें और अपने अधिकारों का समुचित प्रयोग करें तभी महिला सशक्तिकरण सार्थक होगा।

लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए महिलाओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता प्रदान करना होगा जिससे महिलाएं खुद को अधीनता से स्वतंत्रता की ओर ले जा सके। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए परिवार की समाज को कार्यस्थल पर साथ काम करने वाले सहकर्मी, उच्च अधिकारी सभी को अपने सोच में बदलाव लाना होगा। महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का अधिकार स्वयं अवसर प्रदान करना होगा तभी लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए किए गए सरकारी प्रयास भी सफल एवं सार्थक हो पाएगा।

लैंगिक असमानता :–

लिंग शब्द का प्रयोग आमतौर पर पुरुष या स्त्री के व्यक्तित्व एवं प्रकृति द्वारा दिए गए गुणों एवं व्यवहारों के संदर्भ में किया जाता है। जिससे उनकी सामाजिक पहचान की जा सके। सैक्स को जैविक तथ्य माना जाता है और जेंडर तथा लिंग की सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथ्य। लिंग दो प्रकार के होते है :–

1) पुल्लिंग एवं 2) स्त्रीलिंग।

महिलाएं एवं पुरुषों में अपने अपने व्यक्तित्व एवं जैविक गुणों के आधार पर अलग–अलग भिन्नता एवं समानता पाई जाती है। कुछ गुण एवं विशेषताएं जन्मजात बाय बर्थ मिलता है तथा कुछ विशेषताएं वातावरण से सीखता है। स्त्री पुरुष के गुणों के आधार पर इन्हें अलग–अलग भूमिकाएं एवं कार्य प्रदान की गई है। किसी भी प्राणी को जन्म के समय पर ज्ञात नहीं होता है, कि अलग व्यवहार, भाषा कैसा होना चाहिए। समाज में बड़े होने के साथ–साथ प्राणी का समीकरण होता है। जिससे वह भाषा व्यवहार तब सीखता है। सभी समाजों की कुछ अपनी मान्यता एवं सांस्कृतिक विशेषताएं होती है। जिसके आधार पर लैंगिक भेदभाव किया जाता है। कुछ समाज की मान्यताएं पितृसत्तात्मक होती है। तथा कुछ की मातृसत्तात्मक मान्यताएं होती है। जिसके आधार पर महिलाएं एवं पुरुषों की भूमिका निर्धारित कर दी जाती है। यह एक सामाजिक परंपरागत अवधारणा है।

कार्यस्थल पर भी महिलाओं के साथ भेदभाव देखने को मिलता है। ऐसे कार्य जिसमें पुरुषों का वर्चस्व चला आ रहा हो, वहां पुरुषों को ही महत्व दिया जाता है। अगर महिलाएं वहां काम करने का सोचती भी है, वह पुरुषों को पसंद नहीं आता है। जिससे महिलाओं के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दिया जाता है कि वह स्वयं कार्य छोड़ कर चली जाती है। कुछ कार्यस्थल पर ऐसी भी धारणा पाई गई है कि महिलाएं उच्च स्तर के पदों के लिए नहीं बनी है। उच्च स्तर के पद पर केवल पुरुष वर्ग का आधिपत्य होनी चाहिए। इसी भेदभाव के कारण महिलाओं को अपनी योग्यता साबित करने का मौका नहीं मिलता है। पुरुष बहुल कार्यक्षेत्र में पुरुषों के कार्य की प्रशंसा की जाती है, प्रोत्साहन दिया जाता है तथा महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है। दया की भावना से देखा जाता है। महिलाओं के कार्यों को नजरअंदाज किया जाता है, खासकर ग्रामीण परिवेश में असंगठित क्षेत्रों के महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय है। पुरुष सहकर्मियों एवं अधिकारियों द्वारा महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। अपशब्द कहना, मारपीट करना, महिलाओं के परिश्रम के अनुसार वेतन और मजदूरी नहीं देना पुरुषों की तुलना में महिलाओं से अधिक काम करवाना, समय पर वेतन नहीं देना, नीचा दिखाना ऐसी बातें करना जिससे महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे और वह काम छोड़कर चली जाएं। जो सहायता और समर्थन पुरुष वर्ग को उपलब्ध कराई जाती है।

वह महिलाओं को नहीं कराया जाता है। इन सभी समस्याओं का सामना ज्यादातर असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को चुप रह कर करना पड़ता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अपने कैरियर में तरक्की एवं विकास के अवसर अधिक प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों के बीच कार्यस्थल पर कार्य वितरण में भी असमान व्यवहार किया जाता है। इसके लिए महिला एवं पुरुषों की शारीरिक बनावट का तर्क दिया जाता है। विकसित देशों की अपेक्षा अविकसित एवं विकासशील देशों के महिलाओं के साथ अधिक भेदभाव देखने को मिलता है।

लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए समाज एवं परिवार, पुरुष वर्ग को अपनी सोच में सकारात्मक

परिवर्तन लाना होगा। यह समझना होगा कि महिलाओं को अवसर एवं अधिकार देकर ही विकास के रास्ते पर चला जा सकता है।

लैंगिक भेदभाव के कारण :–

समस्त भारत की बात हो या उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की महिलाओं के साथ भेदभाव हर जगह देखने को मिलता है। महिलाओं के साथ घर परिवार से लेकर सामाजिक स्तर पर, कार्यस्थल पर भेदभाव मध्यकाल से ही होता चला आ रहा है। इसका प्रमुख कारण महिलाओं में शिक्षा की कमी, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र ना होकर पुरुषों पर निर्भर होना, भारतीय संस्कृति में ज्यादातर संयुक्त परिवार की व्यवस्था होना, सामाजिक रीति रिवाज, विश्वास परंपराएं पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था इत्यादि महिलाओं के व्यक्तिगत कैरियर विकास में मुख्य बाधा है।

लैंगिक भेदभाव को दूर करने के उपाय :–

जौनपुर सहित संपूर्ण भारत में मध्यकाल से ही लैंगिक भेदभाव होते चले आ रहा है। वर्तमान परिपेक्ष की अगर बात की जाए तो महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है। सरकारी योजनाएं ऐसी बहुत सारी चलाई जा रही है। जिससे महिलाओं में जागरूकता आए और समाज की सोच में परिवर्तन लाया जा सके। सरकारी संगठनों और महिला आयोग का मुख्य लक्ष्य यही है, कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं को आगे लाया जाए। समाज की मुख्यधारा में महिलाओं की भागीदारी हो, ताकि महिलाएं खुद पर आत्मनिर्भर बन सकें। इन सभी प्रयासों से लैंगिक भेदभाव की दूर करने का प्रयास किया जाता है। उपयुक्त परिवर्तन के बावजूद आज भी समाज में ऐसी अनेक मिथक हैं, जो महिलाओं की विकास की राह में बाधा उत्पन्न करता है। इसके लिए और अधिक प्रयास की जरूरत है। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए समाज के हर वर्ग चाहे वह महिला हो या पुरुष निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के लोगों को अपनी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना होगा, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र का विकास करना होगा, सरकारी प्रयासों को जमीनी स्तर पर लागू करना होगा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु अभी भी अथक प्रयास की जरूरत है।

उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है, कि महिला सशक्तिकरण को अगर सार्थक बनाना है, तो महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना आवश्यक है।

समस्या कथन :–

कार्यस्थल पर व्यवसायिक भिन्नता एवं लैंगिक भेदभाव का अध्ययन महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में।

अध्ययन के उद्देश्य :– प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

1. नौकरी या व्यवसाय करने के पूर्व एवं पश्चात निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव को दूर करने के उपायों का अध्ययन करना।
3. विभिन्न कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. महिला सशक्तिकरण के कारण लैंगिक भेदभाव पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
5. विभिन्न व्यवसायों में होने वाले लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध परिकल्पना :–

1. विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं की स्थिति में सार्थक अंतर नहीं है।
2. विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव को दूर करने के दिए गए उपायों में सार्थक अंतर नहीं है।
3. विभिन्न कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव में सार्थक अंतर नहीं है।
4. महिला सशक्तिकरण के कारण लैंगिक भेदभाव पर पड़ने वाले प्रभावों में सार्थक अंतर नहीं है।

प्रतिदर्श का चयन :–

शोधार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले के अध्ययन क्षेत्र को सीमित करते हुए क्रमशः शिक्षा, चिकित्सा, दैनिक मजदूर (असंगठित क्षेत्र), राजनीतिक क्षेत्र से 100–100 प्रतिदर्सी का चयन सर्वेक्षण विधि का उपयोग करते हुए किया गया है प्रतिदर्सी की कुल संख्या 400 है।

अध्ययन क्षेत्र :–

शोधार्थी ने इस अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित जौनपुर जिले का चयन किया है। जौनपुर जिला वाराणसी प्रयाग के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। जौनपुर शहर के शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्रों से प्रतिदर्सी का चयन किया गया है।

साहित्य का अवलोकन :–

शोधार्थी द्वारा निम्नलिखित शोध कार्यो की समीक्षा की गई है–करूणा, करूणा (2008) – विकास एवं लैंगिक भेदभाव हरियाणा का एक अनुभवत्मक अध्ययन –

यह अध्ययन हरियाणा में विकास और लैंगिक असमानता के विभिन्न आयामों के अध्ययन पर आधारित है। राष्ट्रीय मानव विकास प्रतिवेदन 2001 के अनुसार जहां विकास के आधार पर पंजाब और हरियाणा को विकसित राज्य का दर्जा प्रदान करती है। लेकिन साथ ही साथ बढ़ती लैंगिक असमानता भी कड़वी सच्चाई है। संपूर्ण देश में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। इस शोध निष्कर्ष यह है कि हरियाणा के विकास को लैंगिक असमानता को दूर करने लिए किस प्रकार प्रयोग किया जाए। इस अध्ययन से करुणा और करुणा के निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किए हैं :–

1) हरियाणा में लैंगिक असमानता के मामले में सबसे निचले पायदान पर बना हुआ है हरियाणा के आर्थिक विकास का लैंगिक असमानता को दूर करने में कोई सीधा संबंध नहीं है।
2) हरियाणा में लैंगिक असमानता की जड़ों को वहां के सांस्कृतिक परिवेश में तलाश करनी चाहिए।
3) यदि हरियाणा में लैंगिक समानता को स्थापित करना है, तो जनभागीदारी, आर्थिक विकास, सामाजिक जागरूकता को साथ–साथ आगे बढ़ाना होगा।

पांडे और एसएस स्टोन 2001 : ग्रामीण भारत में पुत्र प्राथमिकता संरचनात्मक बनाम व्यक्तिगत कारकों की स्वतंत्र भूमिका :–

इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया है, कि शिक्षा ही महिलाओं को लैंगिक असमानता से मुक्त कराने का एकमात्र उपाय है। एक शिक्षित पुत्री अपने परिवार को वह सारी सुविधाएं एवं समर्थन दे सकती है। जो 2 पुत्र मिलकर भी नहीं दे सकते हैं। गरीब माता–पिता खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में और सुरक्षा एवं आर्थिक दबाव

के कारण पुत्रों को पसंद करती है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिंग भेद को समाप्त करने का मुख्य साधन महिलाओं को उचित शिक्षा एवं वित्तीय अधिकार देना है।

डूवरी, एन. और के. एल्लनडोर्फ (2001)– भारत में घरेलू हिंसा : शिक्षा और रोजगार की भूमिका–

इस अध्ययन से यह निष्कर्ष सामने आए हैं, कि शिक्षित महिलाएं ही अशिक्षित महिलाओं को उनके अधिकार एवं विशेषाधिकार से अवगत करा सकती है। महिलाओं को अपनी खुद के सम्मान और समानता के लिए आवाज उठाने का अधिकार शिक्षा ही देती है।

बी. एम. शर्मा 2005 – महिला एवं शिक्षा :–

इस पुस्तक के आरंभ में ही महिला सशक्तिकरण पर गांधी जी के विचारों पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय अध्याय में महिलाओं की स्थिति के आधार पर महिला सशक्तिकरण के विभिन्न कार्यक्रमों का विश्लेषण किया गया है। एक अन्य अध्ययन में शोधकर्ताओं ने विद्यालय एवं उच्च शिक्षा स्तर से पलायन के कारण पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। यह पुस्तक भारत में महिलाओं के शिक्षा स्तर को बहुत बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करती है।

Geraldine Forbes 1908: - The new Cambridge History of india: Women in modern india.

इस शोध में 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में पुरुष सुधारकों द्वारा प्रारंभिक मान्यताओं के विरुद्ध महिलाओं के उत्थान की भूमिका पर बल दिया गया है।

शोध न्यूनता :–

उपयुक्त साहित्य के तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है, कि महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव का अध्ययन तो किया गया है। लेकिन कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से संबंधित अध्ययन में कमी होने के कारण शोधार्थी द्वारा इस विषय का चयन किया गया है।

शोध अध्ययन की विधि :–

इस अध्ययन में शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित उपकरण, प्रश्नावली, एवं केस स्टडी का प्रयोग किया गया है।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी :–

प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है।

1) मध्यमान। 2) प्रमाप विचलन।

3) T-test प्राप्तांक। 4) Anova (F Test)।

5) शह संबंध।

शोध के निष्कर्ष :–

उपरोक्त शोध में शोधार्थी द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से विभिन्न सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किए गए–परिणामों का विश्लेषण करते हुए पाया गया कि विभिन्न व्यवसाय में महिलाओं की स्थिति में सार्थक अंतर है। विभिन्न व्यवसाय में महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए किए गए उपायों में सार्थक अंतर नहीं है। विभिन्न कार्य स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाली लैंगिक भेदभाव में सार्थक अंतर नहीं है। महिला सशक्तिकरण के कारण लैंगिक भेदभाव पर पड़ने वाले प्रभावों में सार्थक अंतर नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. देसाई ब्लास्सोफ कारोल (1994) गरीबी से अमीरी की ओर एक भारतीय गाँव में महिलाओं की स्थिति पर ग्रामीण विकास का प्रभाव, एल्सेवियर साइंस लिमिटेड, भाग 22, संख्या 5, 1994, पृष्ठ संख्या– 707–19.
2. ब्लूम (2001) एक उत्तर भारतीय नगर में महिलाओं की स्वायत्ता और मातृ स्वास्थ्य पर प्रभाव के आयाम, डेमोग्राफी, भाग–38, संख्या–1.
3. गैरी बेकर और अमर्त्य सेन (1999) विकास स्वतंत्रता के रूप में, ओक्सफॉर्ड विश्वविद्यालय प्रेस, न्यू यॉर्क 1999, पृष्ठ संख्या, 189–194.
4. पांडे और एस्टोन (2001) ग्रामीण भारत में पुत्र प्राथमिकता : संरचनात्मक बनाम व्यक्तिगत कारकों कि स्वतंत्र भूमिका, जनसंख्या और विकास समीक्षा, भाग–11. संख्या–2.
5. डूवरी, एन. और के. एल्लनडोर्फ (2001) भारत में घरेलू हिंसारू शिक्षा और रोजगार की भूमिका, छठे महिलाओं की राजनीति शोध सभा, महिलाओं की स्थिति भविष्य निर्माण के तथ्यों का आवरण, जून 8–9, 2001, वाशिंगटन डी सी.
6. Nath Pramanik Rathindra, (2006), Gender Lhequality and women's Empowerment, Abhijeet Publication Delhi.
7. Sharadha Deva (Nov. 2014) "Sexual Harassment of Women at Workplace – A Legal Mayth", Journal of India Education, Vol. XXXX. No. - 3.
8. Government of India (1975) "Towards Equality" Report of the Committee on the Status of Women in India.
9. शोध गंगा।

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 11, Issue 5-6
पृष्ठ : 75-81

Need to Rejuvenate River Ganga's Biological Resources with Respect to Risk Assessment and Mitigation

DIPIKA, Research Scholar
Department of Life Sciences, Chhatrapati Shahu ji Maharaj University, Kanpur
Dr. Avadh Narayan Dwivedi

Abstract :-

Water is a boon to not only for the life of human beings but also to the Mother Nature. The process of self-rejuvenation and purification is the utmost important contribution of water as a resource. But due to excess greed and need, the level of balance has been deteriorated causing a huge environmental imbalance and shift towards its biological resources. The varied levels of pollution and changes in the topographical scenario have caused a huge risk to the health of not only biological organisms but also to the natural resources. Varied level of pathogenicity and fungal infection have upheavaled the level of imbalances in the riverine resources, thereby leading to breakthrough of unpredictable diseases which needs to be assessed and mitigated at its earliest spread.

Keywords :- Biological Resources, environment, diseases, fungal contamination, pollution, pathogenicity, freshwater, health hazards, pollutants, toxicity, ecosystem.

Introduction :-

Approximately 97% of the water found on Earth is saltwater leaving around 3% of Earth's water as freshwater. The freshwater available is either in the form of ice in glaciers, ice caps and as permanent snow while the remaining useable freshwater is in the form of lakes, ponds, rivers and streams. Various commercial units depends on this available freshwater for agriculture, industry, recreation, tourism and municipal use. The various resources available from these freshwater resources contribute to major industries and economical resources of the nation. One of it is freshwater fisheries, which globally, serves as one of the most over exploited resources producing one quarter of the world's fish from a small fraction of the percent of the world's water resources. The essentiality of water as a resource is well known since the ancient time. The well laid example is that of Romans who were the first to pipe water into their growing cities, especially with their aqueducts and also made it

realize that sewage water could cause damage to their people, and needed to be removed from large areas of people. Nature also contributes to the essence of riverine sources through the water or hydrologic cycle.

Water, being the most valuable resources, is widely distributed all over the world and is available to mankind, in a very small amount, for sustenance and survival and the safe access to potable water is must for the prevention of health hazards and its prevalence. Fast pace development and industrialization throughout the world have gained an immense understanding and worldwide recognition for the improved need for the balance and safe maintenance of the inter relationship between pollution, environment and public health. According to the World Health Organization (WHO) data, it is estimated that about 4.6 million people die each year from illness caused due to water pollution. Various factors seems to be responsible for the deterioration of water quality like industrial effluents and domestic sewage on river Ganges at Allahabad and it is also reported that all the pollution parameters are beyond the permissible limits and unfit for human consumption.

Topographical importance of River Ganga

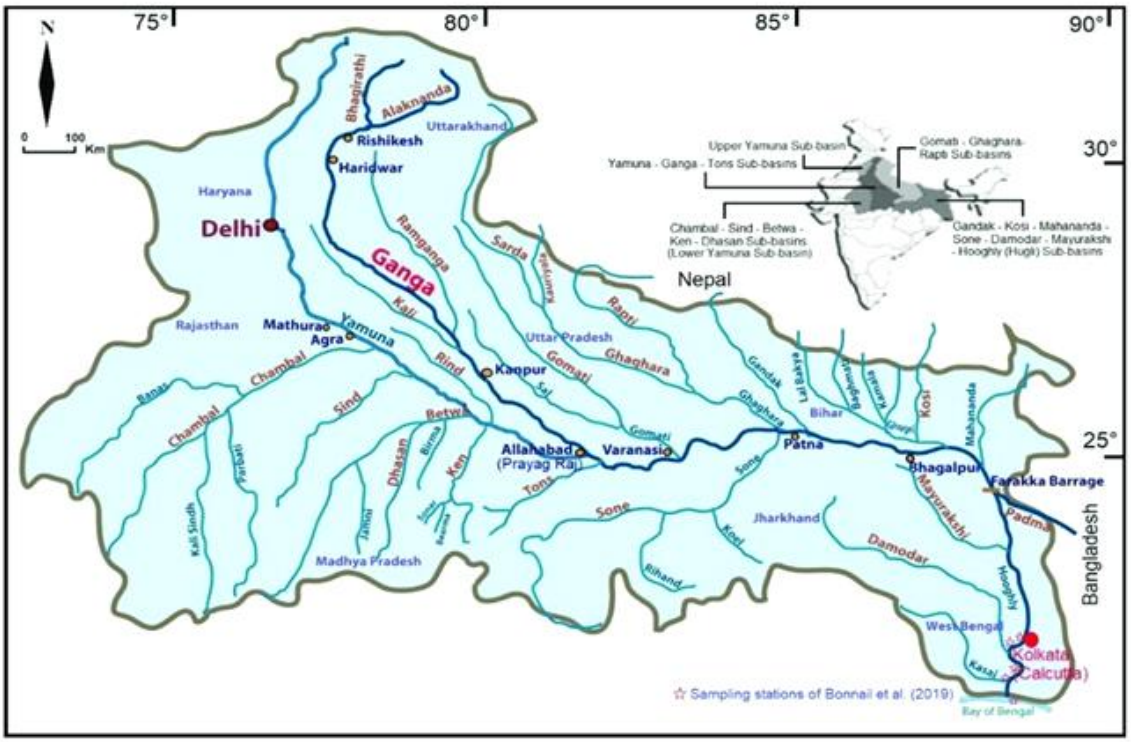

Fig.1- Major tributaries of the Ganges River (Ganga) with its basin boundaries, together with its sub-basins. (Note- This map is drawn based on the official map of the Irrigation and Water Resources Department of the Uttar Pradesh Government of India) (Ref. - 3)

The River Ganges represents one of the world's largest and most important river systems, spanning greater than 2500 km in length through one of the most densely populated areas of the India.

As a major source of livelihood, the River Ganges serves as the most culturally important and key central focus for many social and traditional realms in the Indian sub-continent (Kumar, 2017; Lokgariwar et al., 2014). The holy River Ganges (Ganga) provides crucial water resources not only for the environment but also for the society as well, posing a significant challenge associated with cumulative impacts arising from upstream environmental challenge and anthropogenic influences.

Surface topography of River Ganga basin plays a significant role in the development of drainage and its evolution which immensely affects the evolution of landforms and slope, vegetation growth, and soil development. This surface topography makes the Ganges Basin most fertile soil and key to influential factor for the agricultural economies of India and Bangladesh. The Ganges and its tributaries provide a constant source of irrigation to an extensive area with respect to the major crops cultivation like rice, lentils, sugarcane, potatoes, oil seeds and wheat. Along the banks of the River Ganga, rich fertile soil provides a huge cropping area for crops like legumes, chilies, sesame, mustard, sugarcane, and jute along with a large fishing zones in highly populated and polluted zones in India. The origin of River Ganga can be traced from the Gangotri glacier with the occurrence of five major streams of it namely, Bhagirathi River, Mandakini River, Alaknanda River, Dhauliganga and Pindar River. The River Ganges and its vastness with respect to its tributaries affirms the religious significance as many pilgrimage site for the Hindus are settled along the banks of River Ganges where people pray and urge for the purity of thoughts, soul, expression and well-being. People worship in Varanasi, Haridwar and Allahabad or Prayagraj situated on the banks of Ganga, where even world's largest human gathering takes place in the form of Kumb Mela festivities. The fertile soil due to the embankments of River Ganga and its tributaries supplies extensive irrigation facilities and network.

Riverine pollution :-

Riverine pollution has become a major concern in India as more than 70 per cent of its surface water resources and groundwater reserves are contaminated by biological, toxic, organic, and inorganic pollutants and this has been rendered unsafe for human consumption as well as for other activities, such as irrigation and industrial needs. This shows that degraded water quality can contribute to water scarcity as it limits its availability for both human use and for the ecosystem. Many a times, even the Central Pollution Control Board (CPCB), identified severely polluted stretches on 18 major rivers in India which are wide spread stretched in and around large urban areas, thereby indicating the severe contamination due to industrial and domestic sectors' contribution. Geogenic contaminants, including salinity, iron, fluoride, and arsenic have affected groundwater in over 200 districts spread across 19 states. The regenerative capacity of the water as an environmental resource could absorb pollution loads up to certain levels without affecting its quality. In fact there could be a problem of water

pollution only if the pollution loads exceed the natural regenerative capacity of a water resource. The control of water pollution, therefore, lies in the fact that reduction in pollution loads from anthropogenic activities can only makes it possible for the water sources to maintain its natural regenerative capacity. The benefits of the preservation of water quality are manifold. Not only can abatement of water pollution provide marketable benefits, such as reduced water borne diseases, savings in the cost of supplying water for household, industrial and agricultural uses, control of land degradation, and development of fisheries, it can also generate non-marketable benefits like improved environmental amenities, aquatic life, and biodiversity.

The varied characteristics of polluted riverine resources includes undesirable colour, odour, taste, turbidity, organic matter contents, harmful chemical contents, toxic and heavy metals, pesticides, oily matters, industrial waste products, radioactivity, high Total Dissolved Solids (TDS), acids, alkalies, domestic sewage content, virus, bacteria, protozoa, rotifers, worms, etc which may be biodegradable or non-biodegradable in nature. Prevention and mitigation of these harmful characteristics can be implemented to avoid ill effects of water pollution on the human and animal health and agriculture by laying down standards/rules/guidelines devised for discharge of effluents from industries and municipalities, quality of drinking water, irrigation water, criteria for aquatic life in fresh water by various authorities including Central Pollution Control Board (India), World Health Organization (WHO), World Bank, Indian Standard Institution, Indian Council of Medical Research, etc. Improperly treated or even untreated industrial and municipal effluents have been continuing to pollute not only surface water sources but also the ground waters. There are numerous ill effects of pollution, each type of pollutants having different effect, on human/animal health and ecology.

Ecological imbalances due to riverine pollution are also visible when the pollutants enter the food chain causing severe implications. In India, water pollution and riverine pollution have become a menace for the biological organism as well as for the environment as Survey of industrialized zones show that even ground water has become unfit for drinking due to high concentration of toxic metals and chemicals along with bacteriological contamination. Balance of the environment and life and survivability of human beings are totally dependent on rivers, providing a huge system and network of irrigation, potable water, cheap transportation, electricity, as well as livelihoods for a large number of people all over the country. River Ganga is one of the prime rivers of India and it not only serves as an important source of transportation but also for the sewerage facility. Biological analysis of the environment is immensely helpful in assessing the health of ecosystems which is essentially based on the simple principal of sensitivity or tolerance of the organisms/communities susceptible to its environmental changes and due to these changes, pattern of specie dynamics in River Ganga system

gets disturbed very oftenly and greatly with further introduction of and the discharge of filth, garbage, untreated sewage, industrial effluents, residues of fertilizers, pesticides and immersion of human corpse, animal carcasses.

Causes of riverine pollution

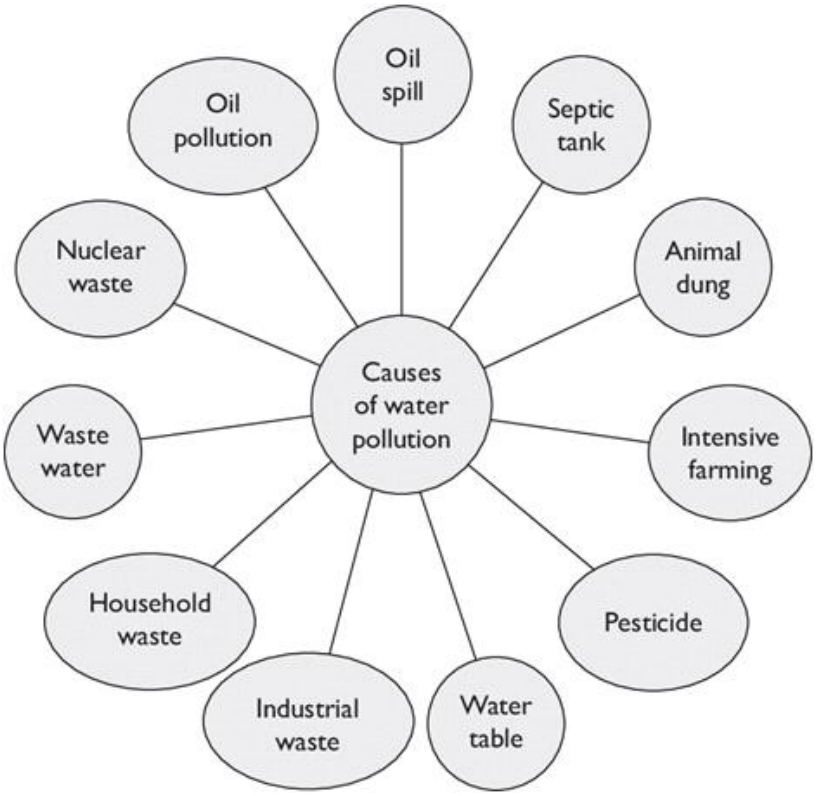

Fig. 2- Major Causes of Water Pollution (Ref.-8)

The increasing pressure due to population explosion, industrialization, urbanization, highly deteriorating energy intensive life style pattern, loss of forest cover, lack of environmental awareness, lack of implementation of environmental rules and regulations and environment improvement plans, etc are the leading causes of riverine pollution. River pollution can also be due to the following reasons stated below :-

- Acid rain caused when the rain falling through polluted air absorbs some of the pollutants such as sulphur dioxide (SO2), oxide of nitrogen (NOx) etc that react with rainwater to form acids thereby, causing heavy metals poisoning and disruption and death to plant and animal life.
- Industrial pollution leads to discharge of industrial effluents into water with heavy metals toxication.
- Agricultural pollution which results due to extensive uses of chemicals in the form of fertilizers and pesticides that gets indirectly or directly absorbed and imbibed in the food chain. Thereby,

contaminating the soil with of heavy metals.

- Oil drained into the rivers forms a rainbow-coloured film over the entire surface preventing oxygen from entering the water and without oxygen the river is biologically dead.
- Phosphorus from household waste water and sewage is another powerful pollutant.
- Solid waste, plastic bags, etc disposal into rivers.
- Open-defecation near rivers.
- Washing and wallowing of Animals.
- Dumping of human remains and carcasses in the river may result in the spread of epidemics.

Fungal Contamination In River Ganges :-

Human beings uninterrupted interference in the environmental resources have lead to severe exposure to Fungi such as Alternaria spp., Aspergillus, spp., Cladosporium spp. and Penicillium spp., etc., which are linked to allergic disease, including worsening of asthma symptoms, hypersensitivity pneumonitis and skin irritation.

Effects of Riverine Pollution :-

Riverine pollution has widespread caused a major havoc not only in the environment but also posed a threat to sustenance and survival of life. Fungal contamination leads to scavenging of nutrients with the production of metabolites in the form of toxins which are capable human pathogens or allergens (Paterson and Lima, 2005).

Health risk assessment and mitigation :-

Detection of contaminants and infectious fungal agents are the key factors in risk assessment and the causes of it can help in solid implementation of the mitigation techniques. Severe infection in the subcutaneous layer reaching dermis, tissue or internal organs can cause diseases in humans as well as in other organisms. Therefore, the level of pathogenicity, duration and allergens knowledge plays a key role in the health risk assessment and its mitigation at its earliest level of proliferation, thereby helps in preventing occupational diseases such as Humidifier fever, Malt workers' lung, Farmers' Lung ,etc. Many fungal species like Alternaria tenuis, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terrus, Fusarium oxysporum, Penicillium chrysogenum etc have known to cause diseases like hay fever, chronic granulomatous sinusitis, keratitis, cutaneous aspergillosis, osteomyelitis, allergic reactions, serious lung disease, aspergillosis, etc.

Indian Government initiatives, including the Ganga Action Plan and the National Mission for Clean Ganga (Namami Gange) Programme, have been established in an attempt to monitor, control and/or mitigate pollution in the River Ganga (Ministry of Jal Shakti, 2021; Narain, 2014). Cooperation in managing water-related risks and disasters should be shared with neighbouring countries and

awareness regarding the same should be done at the regional level as well.

Conclusion :-

The benefits of the preservation of water quality are manifold as it can not only leads to abatement of water pollution that provide marketable benefits, such as reduced water borne diseases, savings in the cost of supplying water for household, industrial and agricultural uses, etc., but it can also generate non-marketable benefits like improved environmental amenities, aquatic life, and biodiversity. The upliftment of tourism and economic resources are also the major benefits by rejuvenating River Ganga and its resources.

References :-

1. Bilgrami KS (1986). Study of River Ganga (Munger- Farakka). Report from 1st May 1985 to Sep. 1986 Bhagalpur University.
2. Bilgrami KS (1991). The Living Ganga, Narendra Publishing House, Delhi.
3. Bonnail et al. (2019). A Note on "Metal Distribution and Short-Time Variability Recent Sediments from the Ganges River towards the Bay of Bengal (India)".
4. Gillman JC (2008). A Manual of Soil Fungi, Biotech Publishing House, Delhi.
5. Heremith AS (1984). Studies on the role of fungi in the sewage stabilization pond ecosystem. Ph. D. thesis, Gulbarga University, Gulbarga.
6. Shukla AC (1989). Biological studies of Ganga ecosystem between Kannauj and Shuklaganj. Technical report of Ganga Authority Project 1-229.
7. Shukla AC and Asthana V (1995). GANGA: A Water Marvel, Ashish Publishing House, New Delhi. ASBN 81-7024-681-4.
8. Sinha AK (1988). A comprehensive study of Ganga and its dependents. Report submitted to Dept. Environ. Govt. of India, Firoz Gandhi College, Ria Bareli.
9. Rulia Akhtar (Jan.2014). Water Pollution for Challenges and Future Direction for Water Resource Management Policies in Malaysia.Environment and Urbanization ASIA. 5(1): 63-81.
10. Warcup JH (1955). Isolation of fungi from hyphae present in soil. Nature, Lond. 175 953-954.

Dr. Avadh Narayan Dwivedi

04, Parsan House, Dubauli Parsan,Patti, Pratapgarh,U.P. - Pin Code - 230 135

tripathidipika772@gmail.com

bablupcb@gmail.com

09415 70 2566

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 11, Issue 5-6
पृष्ठ : 82-86

ग्रामीण शक्ति संरचना का बदलता स्वरूप : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

Dr. Suman Kumari
Vill+PO.Tar, PS. Agiaon Bazar, Dist. Bhojpur -802155 (Bihar)

शोधसार :–

शक्ति संरचना तथा सामाजिक संरचना की बीच घनिष्ट सम्बंध है। शक्ति संरचना सामाजिक संरचना का एक आधार है। क्योंकि शक्ति को समझे बिना किसी भी समाज की संरचना को समझना सम्भव नहीं है। जिसके पास शक्ति होती है, वहीं समाज की संरचना का निर्णायक रूप देता है। आजादी के बाद, जागीरदारी और ग्रामीण संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण के बदलते प्रतिमानों के बारे में मध्यक्षेत्रीय सामान्वीयकरण एक कठिन कार्य है। आजकल समूह और व्यक्ति दोनों प्रकार्यात्मक प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं। इसके नाते सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमान भी बदल हैं। गाँवों में जाति आज भी सामाजिक स्तरीकरण की एक मुख्य इकाई है। परन्तु अन्य कारक भी विभेदीकरण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। गाँवों में आजकल जाति के नाम से व्यक्ति को सामाजिक संस्तरण में स्थान नहीं मिल रहा है। बल्कि उसकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति इसमें महत्वपूर्ण हो गई है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर शोध आलेख के विषय का चयन किया गया। आलेख का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज में शक्ति संरचना में हुए बदलाओं का पता लगाना है।

कीवर्ड :– ग्रामीण शक्ति संरचना, सामाजिक स्तरीकरण, जाति, सामाजिक संरचना।

भूमिका :–

डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रत्येक व्यक्ति (चाहे वह किसी भी जाति, धर्म लिंग या पहचान से रखता हो) को समूह या समाज के मामलों में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। ग्रामीण समुदाय के लोगों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन में एकरूपता देखने को मिलती हैं। उनके व्यवसाय, भाषा, धर्म, रीति–रिवाज, आदर्श, संस्थाएं, आचार–विचार एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण सामान्यतः सामान्य होता है। उनके जीवन में नगरीय लोगों की तरह अनेक विभेद और विषमताएं नहीं पाई जाती हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नियोजित विकास योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों वैश्वीकरण एवं नगरीकरण ने ग्रामीण सामाजिक संरचना में व्यापक प्रभाव डाला है। ग्रामीण विकास नीतियों एवं योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र परिवहन सुविधाएँ, सूचना एवं जनसंचार के माध्यम शिक्षा स्वास्थ आदि की उपलब्धता बढ़ी है। जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण समुदाय का बाहय जगत से सम्पर्क बढ़ा है। नवीन पंचायती राज व्यवस्था

ने समाज के सभी वर्गो की भागीदारी हेतु किये गये प्रावधानों से वंचित वर्गो से राजनीतिक चेतना का संचार हुआ है। इससे ग्रामीण शक्ति संरचना में भी परिवर्तन आया है। विकास योजनाओं सें ग्रामीण संस्थाओ के स्वरूपों में सार्थक परिवर्तन हुआ और भारतीय ग्रामीण की प्रमुख संस्थाएँ, परिवार, विवाह, जाति, जजमानी आदि के प्रतिमानों में परिवर्तन आया है। आधुनिक मूल्यों प्रथाओ संस्थाओ में परिवर्तन हुआ है।

सरकार के द्वारा विकास योजनाओं को ग्रामीण समाज पर लागू करने से भारत गाँव लगातार प्रगति के पथ अग्रसर हैं। वास्तव में ग्रामों में जिस गति से विभिन्न तरह की सुविधाएं पहुँच रही है। उसी तरह से लोगों के रहन–सहन और कार्य की प्रणाली में बदलाव भी आ रहा है। ग्रामीण विकास योजनाओं का स्पष्ट प्रभाव गाँवों की सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना पर रखा जा सकता है। सामाजिक संरचना की मुख्य पक्ष –जाति, सम्प्रदाय अथवा धार्मिक समुदाय और परिवार तथा रिश्तेदारों समूह–अकेले पृथक–पृथक रहकर कार्य नहीं कर सकती हैं। एक दूसरे का सहयोग ग्राम संघर्ष का भी रंगमंच है। संघर्ष समझौता और सामाजिक एकजुटता के उसके अपने रूढ़िवादी तरीके हैं। दूसरी ओर विभिन्न ग्रामों में अधिक गुटबंदी और बराबर चलते रहने वाले संघर्ष उनकी विशेषताएँ हैं। विकास का पक्ष माने जाने वाले गाँव में यथार्थ में विभिन्न औपचारिक तथ्य कानूनी संस्थाएँ हैं। विभिन्न ग्रामों में राजनीतिक पार्टियों के अपने कार्यकर्त्ता हैं और बड़े ग्रामों में उनके राजनीतिक पार्टियों का कार्यालय है। गाँव की अपनी एक अलग पहचान है, सुनिर्धारित क्षेत्र हैं, गाँव की सामान्य सम्पत्ति तथा साझा संसाधन जैसे कुएँ–तालाब आदि होते हैं। वहाँ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तथा गुरुद्वारा हो सकता है। धार्मिक स्थलों में सभी लोगों का प्रवेश रहता है या यह भी हो सकता है कि केवल धर्म विशेष को अपनाने वाले लोगों के लिए दरवाजा खुला हो।

साहित्य की समीक्षा :–

1. डॉ. सिंह, योगेन्द्र ने अपनी पुस्तक लिखा है कि परम्परागत ग्रामीण भारत मे शक्ति–संरचना के तीन आधार थे–जमींदारी प्रथा, ग्राम पंचायत एवं जाति पंचायत।[1]
2. डॉ. सिंह, बैजनाथ ने अपने अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि ग्रामीण नेतृत्व की यह विविधता मूल रूप से विभिन्न विकास योजनाओं तथा सामाजिक जागरूकता का परिणाम है।[2]
3. डॉ. मोदी, अनीता (2014) का कहना है कि ''पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था का प्रावधन होने से महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस आरक्षण व्यवस्था के कारण ही महिलाएँ अपने घर की देहरी से बाहर कदम रखकर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए, अपनी क्षमता और कौशल का परिचय दे रही हैं।[3]

अध्ययन का उद्देश्य :–

ग्रामीण शक्ति संरचना में बदलते स्वरूपों का अध्ययन करना।

अध्ययन पद्धति :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति वर्णात्मक और अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप पर आधारित होगा। इसमें बिहार भोजपुर जिला के अंतर्गत आरा प्रखंड के ग्राम पंचायतों से उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के आधार पर 100 सूचनादाताओं का चुनाव किया गया है।

तथ्य संकलन की प्रविधियाँ :-

प्रस्तुत अध्ययन में तथ्य संकलन दो स्तरों पर किया गया–प्राथमिक एवं द्वितीयक। प्राथमिक तथ्यों का संकलन शोधकर्ता द्वारा साक्षात्कार–अनुसूची की सहायता से अवलोकन एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार विधियों द्वारा किया गया। द्वितीयक तथ्यों का संकलन अध्ययन से सम्बंधित विभिन्न पुस्तकों, शोध पत्रों, सन्दर्भ ग्रन्थों, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, प्रकाशित व अप्रकाशित विविध सरकारी एवं गैर–सरकारी प्रतिवेदनों, इंटरनेट किया गया।

संकलित गुणात्मक तथ्यों को वर्गीकरण एवं सारणीयन द्वारा मात्रात्मक दत्तों में परिवर्तित करके सम्बंधित सारणी का निर्माण करके शोध आलेख तैयार किया जायेगा।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी संख्या–1

सूचनादाताओं का शिक्षा, सामाजिक वर्ग और धर्म के आधार पर

शैक्षणिक स्तर	निरक्षर / साक्षर	प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल	हाईस्कूल इंरमीडिएट	स्नातक स्नातकोत्तर
संख्या प्रतिशत	18	16	42	24
सामाजिक वर्ग	सामान्य वर्ग	अ०पि० व	अनु० जाति०	
संख्या प्रतिशत	20	35	45	
धर्म	हिन्दू	मुस्लिम		
संख्या प्रतिशत	82	18		

सारणी संख्या–1 के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि 42 प्रतिशत सूचनदाताएँ स्नातक / स्नातकोत्तर 16 प्रतिशत प्राइमरी / जूनियर हाईस्कूल जबकि 18 प्रतिशत निरक्षर / साक्षर का शैक्षणिक स्थिति है। समाजिक वर्ग के आधार पर 45 प्रतिशत अनु० जाति ,35 प्रतिशत अतिपिछड़ा वर्ग से, जबकि सामान्य वर्ग से 20 प्रतिशत सूचनदाताएँ हैं। धर्म के आधार पर 82 प्रतिशत हिंदू जबकि 18 प्रतिशत मुस्लिम धर्म के हैं।

सारणी संख्या –2

सूचनादाताओं की राजनीतिक सहभागिता में परिवर्तन की प्रवृति

परिवर्तन की स्थिति	अनु० जाति	अ०पि०व	सामान्य वर्ग
बहुत कम	05	04	13
सामान्य	12	19	07
बहुत अधिक	22	10	08
योग	39	33	28

सारणी संख्या–2 के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि सूचनातदाओं की राजनीतिक सहभागिता में परिवर्तन की प्रवृति अनुसूचित जाति बहुत अधिक 22 प्रतिशत, सामान्य 12 प्रतिशत। जबकि 05 प्रतिशत बहुत कम है। अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य 19 प्रतिशत, बहुत अधिक 10 प्रतिशत ओर बहुत कम 04 प्रतिशत परिवर्तन की प्रवृत्ति

है। सामान्य वर्ग में बहुत कम 13 प्रतिशत, बहुत अधिक 8 प्रतिशत तथा सामान्य 07 प्रतिशत परिवर्तन की प्रवृति है।

सारणी संख्या–3

ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन के बारे में सूचनातदाओं का विचार

परिवर्तन की स्थिति	अनु० जाति	अ०पि०व	सामान्य वर्ग
बहुत कम	07	06	14
सामान्य	11	09	07
बहुत अधिक	23	17	06
योग (100)	41	32	27

सारणी संख्या–3 के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण शक्ति संरचना में बहुत अधिक परिवर्तन मानने होना मानने वालों में सबसे अधिक सूचनदाताएँ अनुसूची जाति 23 प्रतिशत हैं और 17 प्रतिशत अति पिछड़ा वर्ग इसके विपरीत सबसे अधिक सामान्य वर्ग के लोग 06 मानते हैं। संरचना परिवर्तन बहुत कम सामान्य वर्ग 14 प्रतिशत ,07 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 06 प्रतिशत अति पिछड़ा वर्ग के लोग मानते हैं। संरचना में परिवर्तन समान्य मानने वालों में अनुसूचित जाति 11 प्रतिशत, अति पिछड़ा वर्ग 9 प्रतिशत और 07 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लोग आते है।

सारणी संख्या–4

सूचनातदाओं के परिवर्तन का क्षेत्र के आधार पर

परिवर्तन का क्षेत्र	संख्या	प्रतिशत
शैक्षणिक	17	17
आर्थिक	11	11
राजनीतिक	38	38
सामाजिक	34	34
कुल योग	100	100

सारणी संख्या–04 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि सूचनातदाओं के परिवर्तन के क्षेत्रों में सूचनातदाओं ने 38 प्रतिशत राजनीतिक क्षेत्र में, समाजिक क्षेत्र में 34 प्रतिशत शैक्षणिक क्षेत्र में 17 प्रतिशत जबकि आर्थिक क्षेत्र में 11 प्रतिशत माना है।

अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण शक्ति संरचना में बहुलांक 38 प्रतिशत राजनीतिक और 34 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन आया है।

निष्कर्ष :–

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय समाज में औद्योगीकरण, यंत्रीकरण की प्रक्रिया की तीव्र गतिशीलता का रूप देखने को मिला है। यह कथन इस तथ्य से स्पष्ट है कि सन् 1921 में देश की कुल जनसंख्या का मात्रा 11.2 प्रतिशत लोग शहरों में रहते थे, जबकि 1931 में बढ़ कर 12 प्रतिशत, 1962 में 18 प्रतिशत, 1981 में 23.3 प्रतिशत, 1991 में 25 प्रतिशत एवं 2011 में 31.1 प्रतिशत हो गई है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने

तरह–तरह के ग्रामीण–योजनाओं के माध्यम से सम्पूर्ण आर्थिक–सामाजिक एवं सांस्कृतिक ढाँचे में बदलाव लाने का प्रयास किया है। यातायात साधनों और संचार के साधनों की प्रगति ने शहर और गाँव को परस्पर जोड़ा है। वैज्ञानिक कृषि के साधनों ने कृषि व्यवसाय को आधुनिक बनाया है। कृषि–व्यवसाय का आधुनिकीकरण होने से ग्रामीण समाज की जीवन में आमूल–चूल परिवर्तन आया है। ग्रामीण–आर्थिक संरचना में बदलाव हो रहे हैं। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और कई भूमि सुधार पेश किए गए। जिन्होंने पारंपरिक शक्ति संरचना को कमजोर कर दिया और एक नई शक्ति संरचना का निर्माण किया। वंशानुगत और जाति के नेताओं के स्थान पर, राजनीतिक समर्थन वाले निर्वाचित व्यक्ति नेता बन गए। व्यक्तिगत योग्यता न कि जाति या वर्ग नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। गाँवों के वे लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति को खेती, रोजगार, शिक्षा आदि के माध्यम से अच्छा बना लिये है और जिनका बाह्य जगत से सम्पर्क बढ़ गया है ऐसे लोगों की सामाजिक परिस्थिति बदली है और सामाजिक स्तरीकरण में इनके वर्ग की स्थिति उँची हुई है, भले ही जाति की स्थिति यथावत हो। ये परिवर्तन प्रगति और आधुनिक समाज के द्योतक हैं। स्पष्ट है कि ग्रामीण शक्ति संरचना में प्रतिशत राजनीतिक और समाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन आया है।

संदर्भ सूची :-

1. Singh ,yogendra "The changing power structure of village community : A case study of a villages in Eastern up, Rural sociology in India (ed) A .R Desai. Pp. 711 & 723.
2. Singh, B.N "The important of community development programme on rural leadership" in leadership and political institution in India (ed) L. Park and tinker, pp. 358 & 371.
3. आहूजा, राम, ''भारतीय समाजशास्त्र'' रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली और जयपुर।
4. एस. सी. दूबे, ''भारतीय समाज'' नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली, 2002।
5. गुप्ता, एम.एल एवं शर्मा, डी.डी. ''भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र'' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2010
6. सिंह, जे. पी., ''आधुनिक भारत का समाज'', रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2019
7. सचदेव, डी. आर., ''भारत में समाज कल्याण प्रशासन'', किताब महल, 22 ए, सरोजिनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 2005

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 11, Issue 5-6
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 87-92

स्वयं सहायता समूह से सशक्त होती ग्रामीण महिलाएं

Dr. RENU KUMARI

W/o Dilip Kumar, Moh. Dharahra (Pull), Post –Ara, Thana-Town Ara, Dist- Bhojpur (Bihar) Pin cord - 802301

भूमिका :–

स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में 15–20 व्यक्तियों (खासकर महिलाओं) का एक अनौपचारिक समूह होता है। जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करता है और विकास गतिविधियाँ चलाकर गाँव के विकास और महिला सशक्तिकरण में योगदान करता है। स्वयं सहायता समूह में महिलाएँ विशेषकर गरीब महिलाएं अपने बचत पूँजी को एकत्रित करती हैं और उस एकत्रित पूँजी से निर्धन लोगों को कर्ज देती हैं। उनकों उपर वे ब्याज भी लेती हैं। लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए गये ब्याज से कम होता है। इस स्वयं सहायता समूह में महिलाएँ बढ़–चढ़कर भाग लेती हैं। इस स्वयं सहायता समूह में छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। क्योंकि साधारणतः ये महिलाओं द्वारा चलायी जाती हैं। महिलाओं द्वारा बचत की गयी पूँजी को उचित ब्याज दर पर जमीन छुड़वाने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई मशीन खरीदने के लिए, हथकरघा एवं पशु खरीदने के लिए, बीज, खाद और बाँस खरीदने के लिए ऋण दिये जाते हैं। इन ऋणों पर जो ब्याज आता है इससे स्वयं सहायता समूह की पूँजी का निर्माण हो जाता है। इससे न केवल महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह के नियमित बैठकों के जरिये लोगों को एक आम मंच मिल जाता है। जहाँ वे तरह–तरह के सामाजिक जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं और इन समस्याओं का निदान करने की कोशिश भी करती हैं। स्वयं सहायता समुह के जरिये महिलाएँ छोटे–मोटे स्वरोजगार कर अपनी आमदनी कमाती हैं। जिससे वे आर्थिक रूप में सशक्त हो रही हैं और दूसरी जरूरतमंद महिलाओं को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से मदद कर उनके जीवन–स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश करती हैं। अतः महिलाएँ स्वयं सहायता समूह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

स्वयं सहायता समूह है आशय :–

स्वयं सहायता समूह की अवधारणा न केवल भारत देश में अपितु संपूर्ण विश्व में प्रयोग की जा रही है। भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन व ग्रामीण विकास कार्यक्रम में इसे अनिवार्य माना गया है। विश्व रूप से स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में सहायता समूह को आधारभूत इकाई के रूप में मान्यता दी गई है। जिससे महिला स्वयं सहायता समूह के विकास व गठन पर बल दिया जा रहा है मैकमिलन ने 2002 में अपने अध्ययन में स्वयं सहायता समूह 15–20 सदस्यों का समजातीय समूह होता है। जो अपनी सामान्य समस्याओं के लिए

एकत्रित होते है और स्वैच्छिक आधार पर नियमित बचत करते हैं और इस बचत से अपने समूह की ऋणी आवश्यकताओं को पूरा करते है।

इस तरह से समूह के सदस्यों में वित्तीय अनुशासन की जानकारी विकसित होती है। आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें लेखा–जोखा रखना भी सिखाती है। इस प्रक्रिया में उनकी कड़ी मेहनत का पैसा एकत्र होता है। अतः स्वयं सहायता समूह की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि यह एक सशक्त संगठनात्मक इकाई है। जहां समान उद्देश्यों वाले व समान समाजिक, आर्थिक स्तर वाले व्यक्तियों का समूह खुद की इच्छा से अपनी कम आय में से छोटी बचत शुरू करते है। प्रायः इनकी संख्या 10–20 होती है सदस्यों द्वारा एकत्र की गई जरूरत के अनुसार कर्ज का लेन– देन न करते है । फिर वो बैंकों से संपर्क स्थापित करते है तथा उनसे कर्ज प्राप्त कर के आय सृजन करने वाली गतिविधियों का संचालन करते हैं। ताकि एक समूह के रूप में इनकी आय में बढ़ोतरी हो सके।

स्वयं सहायता समूह के लाभ :–

1. गरीबों के बीच बचत आदत विकास करने का माध्यम।
2. वृहत पैमाने पर संसाधन की उपलब्धता।
3. एक स्थान से बेहतर तकनीकी एवं बौद्धिक ज्ञान वर्द्धन की सुविधा।
4. अपने क्षेत्र में ही आपातकालीन, उपयोग एवं उत्पादन कार्य हेतु कर्ज की उपलब्धता।
5. विभिन्न प्रकार का प्रोत्साहन सहायता का उपलब्ध होना।
6. स्वतंत्रता, समानता, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण सुनिश्चित होना।
7. महिला और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण।

स्वयं सहायता समूह की विशेषता :–

1. 15 से 20 व्यक्तिओं का समूह जो खुद की इच्छाओं के आधार पर संगठित होता है।
2. समूह सदस्यता की वजह अपनी कठिन समस्या का समाधान है।
3. समूह के द्वारा बचत करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ आर्थिक संसाधनों में बढ़ोतरी करना ही सिर्फ उद्देश्य नहीं हैं बल्कि स्वरोजगार व कर्ज लेना भी स्वयं सहायता समूह की विशेषता है।
4. संसाधनों का उपयोग कर खुद का विकास करना।
5. निर्धन महिलाओं का आर्थिक विकास करना।
6. नई गतिविधियों को मजबूती मिलता है।
7. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है।

अध्ययन समस्या :–

भारतीय अर्थव्यवस्था में दहाई की गति प्राप्त करना तथा निरंतरता बनाए रखना बहुत ही महत्त्वाकांक्षी प्रतीत होता है। आज के बदलते भारत में आवश्यकता है कि विभिन्न महत्वपूर्ण चुनौतियों, जैसे सभी राज्यों में संतुलित समान आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव, आगामी पीढियों के मद्देनजर मानव–हित में पर्यावरणीय

संरक्षण एवं संतुलन बनाते हुए 2030 तक समावेशी एवं सतत विकास के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से रणनीतिक तौर पर प्राप्त किया जाये। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र, गैर–सरकारी संस्थाएँ एवं स्वयं सहायता समूह अपने एकीकृत प्रयास से ग्रामीण भारत की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य समस्याओं का समाधान एवं प्रबंधन के बेहतर तरीके सहायक हो रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर देखें तो लोगों में इसके प्रति जागरूकता की कमी है। क्योंकि स्वयं सहायता समूहों में काम करने वाले लोग अधिकतर अशिक्षित होते हैं। भारत में खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक मानसिकता का होना, जो कि स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी को हतोत्साहित करते हैं।ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य लोगों की कमी है। योग्यता की कमी होने के कारण इन स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण ठीक से नहीं मिल पाता, इसके अलावा क्षमता निर्माण और कौशल प्रशिक्षण के लिए संस्थागत तंत्र का अभाव है।

पूर्ववर्ती साहित्य की समीक्षा :–

1. **नाबार्ड (2002)** – मायराडा के द्वारा अपने अध्ययन में और स्वयं सहायता समूह वास्तव में अध्ययन 190 एस०एच०जी० के सदस्यों पर किया गया। यह शोध चार दक्षिण भारतीय राज्यों पर किए गए जिनमें महिलाओं को स्वास्थ के प्रति चेतना, आत्मविश्वास में वृद्धि, समाजिक जीवन के प्रति सजगता व उच्च आर्थिक गतिविधियों में डूबा पाया गया।

2. **ILO (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन), (2004)** ने 61 देशों के अध्ययन द्वारा स्पष्ट होता है कि विश्व में पुरुषों की तुलना में महिलाएं आय एवं असुरक्षा की अधिक शिकार होती है। एशिया में इनकी स्थिति और भी दयनीय है। साथ ही यह भी ज्ञात है कि विशेष रूप में भारतीय नियोक्ता रोजगार में अपेक्षित लाभ तथा पदोन्नति अवसर देते समय लैंगिक भेदभाव करते हैं।

3. **Josef, Jhon, Santiago (2007)** के अनुसार स्वयं सहायता समूह के द्वारा से महिलाओं का विभिन्न कार्यो में सक्रिय विशेषकर लघुवित्तीय कार्यक्रम में एवं उसके समाजिक, आर्थिक, सशक्तिकरण के प्रभाव को मालूम करने के लिए एस०एच०जी० में आने से पहले एस०एच०जी० के आने के बाद का विश्लेषण करने पर पाया कि गांव की महिलाओं के समूह में आने के बाद बचत में बढ़ोतरी, आय में बढ़ोतरी, संपंति का निर्माण, उपभोग में बढ़ोतरी वा साथ ही साथ महिलाओं के सोच–विचार व व्यावहार में वाकइ परिवर्तन देखने को मिला। महिलाओं का न केवल परिवारिक बल्कि समुदायिक सशक्तिकरण हुआ है।

शोध पद्धति :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति वर्णात्मक और अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप पर आधारित होगा। वर्तमान अध्ययन द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है। जिसमें, सरकारी रिपोर्ट, शोध आलेख, जनगणना, पुस्तकों आदि को शामिल किया गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य :–

महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका पता लगाना।

तथ्यों का विश्लेषण :–

स्वयं सहायता समूह का इतिहास देखने पर यह पता चलता है कि मुख्य रूप से इसकी शुरुआत देश की प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थाएं जैसे सेल्फ एम्पलाइड वीमेन एशोसिएशन, (SEWA) अहमदाबाद, मयराडा, बंगलौर आदि के माध्यम से हुई थी। मयराडा, बंगलौर के इतिहास को देखा जाये तो इस संस्था ने वर्ष 1968 से ही सामाजिक कार्य के प्रति अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। शुरुआत में मयराडा ने मुख्य रूप से चीन युद्ध के पश्चात् तिब्बत से आये। तिब्बतियों को पुनर्स्थापित करने का कार्य शुरू किया।

दूसरे दौर में इस प्रकार वर्ष 2000 तक लाखों लोगों को सुविधाएँ देकर उनके जीवन स्तर को उठाने का लक्ष्य बनाया। गाँव में कुल आबादी का 75 प्रतिशत से भो अधिक आबादी का प्रमुख आधार खेती है। ऐसे ग्रामीणों की अनेक समस्याएं हैं। पहली यह कि खेती के अतिरिक्त अन्य आय का साधन इनके पास नहीं होते हैं। दूसरा यह कि खेती में 5 से 6 माह तक काम मिलता है, इसलिए बचे समय में ग्रामीणों को आय के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अपनी जमीन व गहनों को गिरवी रखनी पड़ती है, और परिस्थिति से मजबूर होकर इसे छुड़ा भी नहीं पाते हैं। इसी बीच यदि अन्य समस्याएं (बीमारी, मृत्यु. पर्व, शादी) आ जायें तो बंधक रखने की सीमाएं बढ़ जाती हैं। बैंक शाखाओं की वृहद नेटवर्क होते हुए भी ग्रामीणों की पहुँच वहाँ तक नहीं हैं। चूँकि निर्धनों की जरूरतें छोटे ऋणों से सम्बन्धित होती हो, साथ ही साथ उनकी आवश्यकताएँ उपयोग और उत्पादन दोनों उद्देश्यों से जुड़ी है, बैंक वाले इसे खतरा मानते हैं और उधार देने से हिचकते हैं। इस संकट से उभरने के लिए एक अकेला व्यक्ति तो सम्भवतः कुछ नहीं कर सकता है। परन्तु कुछ लोग मिलकर अपनी छोटी आय से थोड़ी–थोड़ी बचत करते–करते एक पूंजी जमा कर सकते है। इसी पूंजी से वे एक दूसरे की मदद करते हैं और इसका उपयोग करके धीरे–धीरे जमीन छुडाते हैं। स्पष्टतः इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। परन्तु स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से कुछ हद तक अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं।

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति (2001) बृहत आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों को तैयार करने तथा उनके क्रियांवयन में महिलाओं को शामिल कर उनके दृष्टिकोण को स्थान दिया जाएगा। उत्पादकर्ता तथा मजदूर के रूप में सामाजिक–आर्थिक विकास में उनकी भूमिका की औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्रों में (घरेलू काम करने वाली महिलाएं भी शामिल हैं) पहचान की जाएगी और रोजगार तथा उनकी कार्यदशाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ऐसे उपायों में शामिल होंगे जहां कहीं भी आवश्यक हो। काम की पारंपरिक अवधारणा की पुर्नव्याख्या और पुनर्परिभाषा, जैसे जनगणना रिकॉर्ड में महिलाओं के योगदान को उत्पादक तथा मजदूर के रूप में दिखाया जाना।

स्व–सहायता समूह (एसएचजी) आंदोलन, समूह एकजुटता और माइक्रोइनेंस के सिद्धांतों पर आधारित है, भारत में किसी न किसी रूप में 50 वर्षों से अस्तित्व में है, 1972 से जिसकी जडे स्व–नियोजित महिला संघ (सेवा) के गठन से जुडी है। स्वयं सहायता समूह की परिवर्तनकारी क्षमता ने कोविड–19 की जमीनी प्रतिक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम उदाहरण के तौर पर, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण विकास के आधार के रूप में कार्य किया है। भारत में लगभग 1.2 करोड एसएचजी है जिसमें 88 प्रतिशत संपूर्ण महिला

एसएसजी है। इसमें सफलता की कहानियों में केरल में कुंदुम्बश्री, बिहार में जीविका, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महिला मंडल (एमएवीआईएम) और हाल ही में लूम्स ऑफ लद्दाख शामिल हैं।

कोविड महामारी के दौरान जहाँ लाखो करोड़ो लोगो के रोजगार चले गए। ऐसे समय में भारत में स्वयं सहायत समूहों द्वारा बड़ा ही सराहनीय कार्य किया गया। स्वरोजगार से जुड़े इन समूह से कोविड के दौरान बड़ी भूमिका निभाई। जहां शहरों से लाखों की संख्या में पलायन हुआ, लोग बेरोजगार हुए, Self Help Group ने कोरोना से लड़ने के लिए मास्क बनाना सेनेटिजेर वितरण व अन्य ऐसे कार्यो में भाग लिया जो कोविड के दौरान कारगर साबित हुए। विश्व के विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी भारत में स्वयं सहायता समूहों के कोरोना काल के योगदान की सराहना की है। इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हमारे देश Self Help Group ऐसे ही कार्य करते रहेंगे।

निष्कर्ष :–

भारतीय महिलाओं के संदर्भ में उपरोक्त तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है लेकिन भारतीय समाज में पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण सभी जगहों पर एक जैसा परिवर्तन नहीं हुआ है। भारतीय सामाजिक संरचना ऐसी है कि पुरुष और महिलाओं के प्रगति के मामले मैं मानसिकता मेल नहीं खाती है। इस संदर्भ में भारत में महिलाओं की के उत्थान के लिए सरकारी प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से पहले ग्रामीण महिलाएं घर की चार दीवारी में चौका चूल्हा किया करती थी और उसके परिवार का भरण पोषाण भी मुश्किल था। वे साहुकार से कर्ज लेकर ब्याज के बोक्षा में इस तरह दब जाती थी कि मूल राशि तक वे पहुँच ही नहीं पाती थी और पुरा जीवन आर्थिक संकट सहना पड़ता था। परन्तु स्वयं सहायता समूह से जुड़ने को बाद महिलाएं एकजूट होकर बचत करने लगी है। उनमें जागरूकर्ता आई है और वे अपने छोटी–छोटी बचतों से अपनी जरूरतों की पूर्ति कर लेती है और कर्ज से बच जाती है।

महिला बाल विकास और स्वास्थ विभाग भी महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए उन्हें समय–समय पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराते हैं और समूह को बैंक से जोड़ने का प्रयास करते है। जब समूह विकास के तीनों चरणों को पार कर लेता है और उसे ऋण मिलता है तो वे अचार, पापड़, रेडी टू इट, सब्जी बेचना जैसे– छोटे–छोटे उद्योगों द्वारा ना सिर्फ आय का सृजन करते है बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बन जाते हैं। जिससे न केवल घर की, समाज की, गांव की, बल्कि पूरे देश की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है। हम क्रियाशील समूहों पर कार्य करने के साथ–साथ, अक्रियाशील समूहों पर भी कार्य करेंगें और उन्हें उनकी उदासीनता का कारण जानकर जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यह बतायेंगे की जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है जबकि वे महिलाएं जो अभी भी घर की चार दीवारी को नहीं लांघी है उनकी आर्थिक स्थिति आज भी ज्यों कि त्यों बनी हुई है। परिणाम स्वरूप वे महिलाएं भी जागरूक बनेगी और नये स्वयं सहायता समूह का गठन होगा और लोगों में आर्थिक रूप से संपन्नता आयेगी। जिससे सकल घरेलू उत्पाद दर में वृद्धि होगी।

संदर्भ सूची :-

1. NABARD and Micro-finance 2000-2001 and 2001-2002 micro credit innovation department NABARD Mumbai.
2. ILO Report- 2004
3. शर्मा, प्रेमनारायण एवं विनायक वाणी (2011) : ''गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण'', भारत बुक सेन्टर, पृष्ठ – 147
4. कुरूक्षेत्र–जुलाई, 2019, पृष्ठ संख्या 38–42
5. कुरूक्षेत्र – 2013, पृष्ठ संख्या 28–31, 40–45
6. यादव, सुबह सिह (2004) : ''ग्रामीण बैंकिग एवं विकास'' सबलाइम पब्लिकेशन, जयपुर, पृष्ठ 285–325
7. शर्मा, योगेंद्र, ''महिलाओं के दशा और दिशा'' (2018) लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली।
8. नीरा देसाई और मैत्रैयी कृष्णराज (1987) ''वीमेन एंड सोसायटी इन इंडिया'', अजंता पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
9. https://hi.vikaspedia.in/

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 11, Issue 5-6
पृष्ठ : 93-98

Effectiveness of Stretching on Performance of Softball Players of Rural Area

Gangaram Dabi, Researcher
Dr. Braj Kishor Choudhary, Supervisor
Tantia University, Sriganganagar, Rajasthan

Introduction :-

Sport is the means in which we use our physical capacities to play. Sports is crucial in different ways, while one's body works better his mentality works higher, his brain and his body are interrelated. Sports permit us to blow off the anxiety to overlook problems for some time and to go out and have a terrific time regardless of what other pressures one can be beneath in his life styles.

Sports are in man's blood, Sport is recreation as well as competition. Sports are essentially person activities referring to and revitalizing in nature and meant to provide opportunities to the man or woman to make two fullest and maximum smart use of amusement time. Sports and games are a way of maintaining physical fitness, apart from promoting recreation and showing one's upper-handiness over the other. Excelling the tactics of sports events, many legends have emerged in which led to its evaluation and development of different events. Throwing some light on the reasons and circumstances would help us in better understanding the field of sports.

Softball :-

Softball is a baseball descendant game that requires speed, strength, and endurance. Softball is a bat-and-ball sport that entails skills such as throwing, fielding, pitching, catching, base-running and hitting (Craig et al., 1985). To develop in these areas, many factors play a significant role like skill, practice, level of physical activity, techniques, psychological traits, nutrition and other environmental factors. However, a particular body size and shape and certain genetically conditioned abilities and features are required in order to achieve top level performance in softball.

Softball is a physically demanding sport comprised of several specializations such as hitting, fielding, throwing, pitching, base running etc. requiring diverse skills and different types of fitness. It requires upper extremity power, hand grip strength, excellent eye-to-hand coordination and the

coordinated movements of the hips, shoulders, arms and wrists. It requires speed, strength and endurance.In softball, there is little scientific information to suggest which specific components of strength, speed or power best predict softball playing ability.Playing softball every day, and sometimes twice a day, takes a physically and mentally fit athlete. The ability to accept failure since it is an inevitable part of the game, while being prepared to perform in the moment that demands excellence takes a special set of skills physically and mentally.

Stretching :-

Stretching is a physical exercise that requires putting a body part in a certain position that'll serve in the lengthening and elongation of the muscle or muscle group and thus enhance its flexibility and elasticity.The stretching of a muscle fiber begins with the sarcomere, the basic unit of contraction in the muscle fiber. As the sarcomere contracts, the area of overlap between the thick and thin my filaments increases. As it stretches, this area of overlap decreases, allowing the muscle fiber to elongate.

Stretching exercises have traditionally been included as part of the training and recovery program. It's important to note that, maximal strength, number of repetitions and total volume is different for each type of stretching.

The three different types of stretching are :-

- Static stretch (SS)
- Dynamic stretch (DS)
- Pre-contraction stretching: Proprioceptive Neuromuscular Facilitation stretching (PNFS).

Effectiveness :–

Stretching does not appear to reduce the risk of injury during exercises, except perhaps a dynamic warm-up for runners. While running places extreme stress loads on the joints, static stretching can help to improve joint flexibility. However, this has not been proven to reduce risk of injury in the runners. A dynamic (stretching) warm up has been shown to help overall running performance.

Performance :-

Performance sports aim at high sports performances and for that the physical and psychic capacities of sportsmen are developed to extreme limits. This normally does not happen in other areas of human activity. As a result, performance sports yield valuable knowledge about the limits to which human performance and various performance factors can be developed. It also leads to discovery of means and methods for improving various physical and psychic capacities (performance factors) to exceptionally high levels. This knowledge can be fruitfully applied to other areas of sports and

human activity.

Methodology :-

Researcher has used survey method to get the information of the present circumstances.

Sample :-

The present study will be based on 170 male & female collegiate Softball players who were participated in the Inter Collegiate and inter-zone softball championship who represent respective colleges affiliated to various Universities in Rajasthan state and subject aged between 20 to 30 were selected as subjects for the study. Total sample are 170 (85 Boys + 85 Girls) in which 40+40rural area's player and 45+45urban area's players.

Data Collection :-

To achieve the purpose of the present study, 170 softball players studying in college were selected assubjects. They were between the age group of 20-30 years. The selected subjects were finding out the effectiveness of stretching on performance of the softball players through self-made questionnaire. Researcher collects data from softball players in help of questionnaire.

Tool :-

The researchers have used self-made questionnaire **'Effectiveness of Stretching on Performance of Softball Players'** for this study.

Objective :-

To find out the significant difference of effectiveness of stretching on performance of softball players of rural area.

Analysis of Data :-

Table showing thesignificant difference of effectiveness of stretching on performance of softball players of rural area-

Table – 1

Source of Variation	N	Mean	S.D.	Df.	t-value	Level of significance
Rural Boys	40	165.30	11.66	78	0.62	NS*
Rural Girls	40	167.10	14.12			

*Not Significant at 0.01& 0.05 levels

Table 1- Significant difference of effectiveness of stretching on performance of softball players of rural area-

Description :– In order to find out the significant difference of effectiveness of stretching on performance of softball players of rural area independent t-test was applied. To determine the significancedissimilarity among means score of Rural Boys&Rural Girlssoftball players, the level of significance was set at (0.01& 0.05).

Table 1 shows that Mean score of rural boys and rural girls softball players are 165.30 and 167.10 with a SD values of rural boys and rural girls softball players are 11.66 and 14.12 respectively. t-value (0.62) is found.

Table 1 reveals that the no significant difference of effectiveness of stretching on performance of softball players of rural area was 0.62 which are lessthan the requiredvalue.

So the null hypothesis, "There is no significant of effectiveness of stretching on performance of softball players of rural area" was accepted.

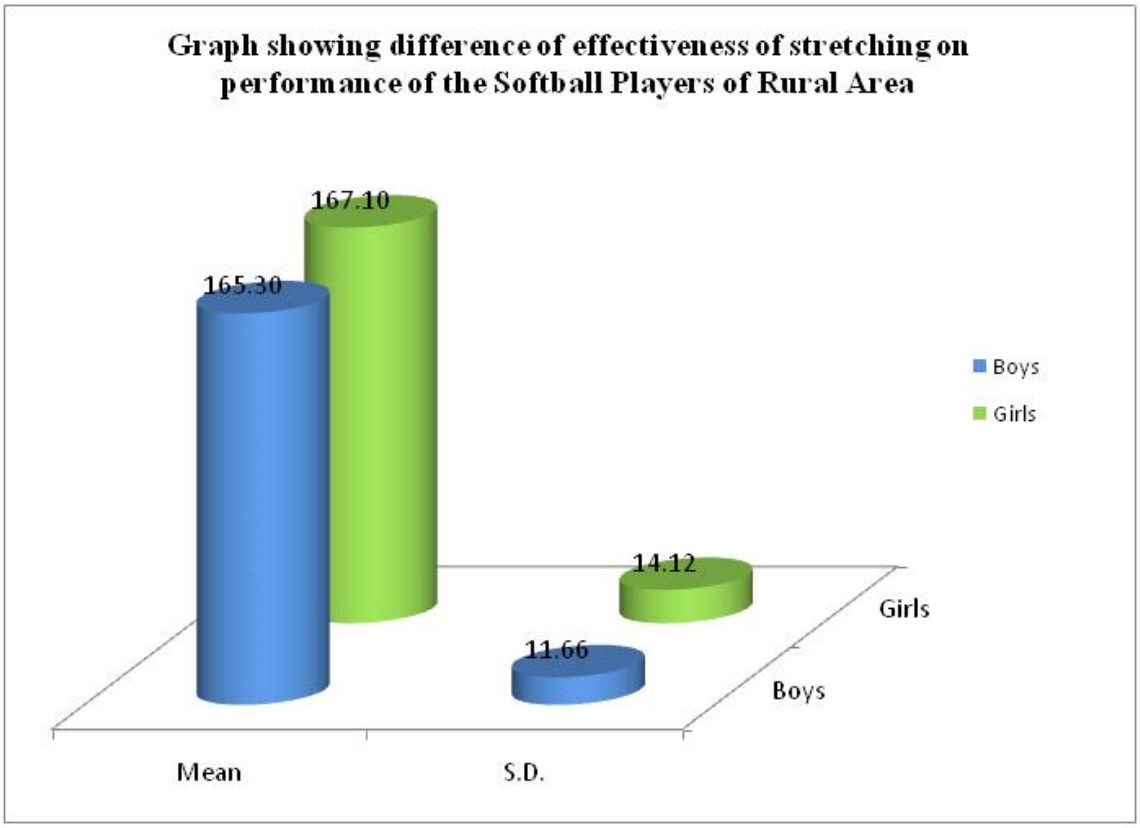

Result :-

There is no significant difference of effectiveness of stretching on performance of softball players of rural area.

Conclusion :-

The current research work was undertaken into the effectiveness of stretching on performance of softball players of rural area. Therefore it now becomes essential at this stage of the research

work to see whether the hypothesis were rejected or accepted on the basis of data analyzed.

References :-

1. American Alliance for Health, Physical Education and Recreation (1991), Softball skills test manual for boys and girls. Roberta Rikli (Ed.), AAHPER, Reston, VA, USA.
2. Amiri-Khorasani M, Kellis E (2013), Static vs. Dynamic acute stretching effect on quadriceps muscle activity during soccer instepkicking. J Hum Kinet. 39:37–47.
3. Amy Marquardt (2018), Effects of Starting Stance on Base Running Sprint Speed in Softball Players, Volume No.1, Issue No.8, PP No.1-8.
4. Behm DG, Plewe S, Grage P, et al. (2011), Relative static stretch-induced impairments and dynamic stretch-induced enhancements are similar in young and middle-aged men. ApplPhysiolNutrMetab. ;36(6):790–797.
5. Bhagat, U., Singh, A. and Deol, N.S. (2015), Comparative study of selected anthropometric, physical fitness and psychological variables between softballand cricket state level boys players. Indian Journal of Applied Research, 5(6):557-560.
6. Chang, Y. K., Ho, L. A., Lu, F. J. H., Ou, C. C., Song, T. F., & Gill, D. L. (2014), Self-talk and softball performance: The role of self-talk nature, motor task characteristics, and self-efficacy in novice softball players. Psychology of Sport and Exercise, 15(1), 139–145.
7. Daksh Sharma (2017), A comparative study of anthropometric variables of female softball players with non-softball players, Volume No.4, Issue No.5, PP No. 1-2.
8. Dickson, N.L., Ruot, C., Madeson, M. and Lindsay Edwards, L. (2009), A descriptive and comparative study of physical and performance characteristics of NCAA Division II and Division III softball players. International Journal of Exercise Science, 2(1):S30-31.
9. Kakran, S. S. (2016), A comparative study on coordinative abilities among male softball players and cricketers. International Journal of PhysicalEducation, Sports and Health, 3(1), 34–36.
10. Kumar, D. and Singh, B. (2014), Comparative study of flexibility and leg strength between korfball and softball women players of Delhi. International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 1(6):64-66.
11. Lane B. Bailey et al (2017), Effectiveness of Manual Therapy and Stretching for Baseball Players With Shoulder Range of Motion Deficits, Volume No.1,Issue No.3,PP No.1-8.
12. Mandeep Singh et al (2019), Study of body composition among male and female softball players, Volume No.5, Issue No.10.PP NO.109, ISSN: 2501 – 1235.
13. Marquardt, A., Wong, M. A., Watkins, C. M., Barillas, S. R., Galpin, A. J., Coburn, J. W., & Brown, L. E. (2018), Effects of Starting Stance on Base Running Sprint Speed in Softball Players. International Journal of ExerciseScience, 11(6), 179–186.
14. Novotna, S. (2010), Fitness development model of female softball players. Joint International IGIP-SEFI Annual Conference, 19th-22nd September 2010, Trnava, Slovakia.

15. Rao, S.K. and Kumar, P.P.S. (2015), The relationship between selected physiological parameters variables with playing ability of softball players. International Journal of Engineering Research and Sports Science, 2(4):1-4.
16. Rodney J. Negrete et al (2012), can upper extremity functional tests predict the softball throw for distance: a predictive validity investigation, Volume No.6, Issue No.2, PP No.1-8.
17. Sally J. Ford (2009), Implementing a Breathing Technique to Manage Performance Anxiety in Softball, Volume No.2, Issue No.3, PP No.1-9.
18. Sang-Won Lee et al (2016), The Effect of PNF Stretching with Elastic Band on Ball Speed of High School Baseball Players, Volume 14, No 12, PP 525-535, ISSN: 1738-1916.
19. Singh, P. (2014), Comparative study of physical fitness and psychological variables of softball and cricket players. Online International Interdisciplinary Research Journal, 4(2):246-251.
20. Taleb-Beydokhti, I., &haghshenas, rouhollah. (2015), Static versus dynamic stretching: Chronic and acute effects on Agility performance in male athletes. International Journal of Applied Exercise Physiology, 4(1), 1-8.
21. Warren Young and Simon Elliott, (2001), Acute effects of static stretching, proprioceptive neuromuscular facilitation stretching and maximum voluntary contractions on explosive force production and jumping performance, Research Quarterly for exercise and sport, Sep, Vol. 72, No.3, P 273 – 278.

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 11, Issue 5-6
पृष्ठ : 99-105

माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के नियंत्रण अवस्थान का उनकी उपलब्धि अभिप्रेरणा एवं आत्मसम्प्रत्यय पर प्रभाव का अध्ययन

डॉ. रेखा सोनी, उप प्राचार्या
जितेन्द्र पॉल सिह, पी.एच.डी. शोद्यार्थी
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

सारांश :-

प्रस्तुत शोध में ''उच्च माध्यमिक विद्यालयों की महिला अध्यापकों के कार्य–दबाब–ग्रस्तता का उनके कार्य स्थल के वातावरण एवं सामाजिक आर्थिक स्तर के सम्बन्ध में अध्ययन' का अध्ययन किया गया हैं। अध्ययन में प्राप्त आंकडों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किये गए है। यह अध्ययन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के कुल 600 महिला अध्यापकों के कार्य–दबाब–ग्रस्तता का उनके कार्य स्थल के वातावरण एवं सामाजिक आर्थिक स्तर के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया। इस हेतु इन्दौर टीचर्स जॉब स्ट्रेस स्केल–मीना बुद्धि सागर राठौर एवं मधुलिका वर्मा कार्यस्थल वातावरण अनुसूची (स्वयं निर्मित) सामाजिक आर्थिक स्तर मापनी–राजवीर सिंह, राधेश्याम एवं सतीश कुमार मानक उपकरणों का उपयोग किया गया है। निष्कर्ष रूप में पाया गया कि राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला अध्यापकों की कार्य–दबाव–ग्रस्तता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है अर्थात समान है जबकि सामाजिक–आर्थिक स्तर के आधार पर उनकी कार्य–दबाव–ग्रस्तता असमान है।

प्रस्तावना :-

महिला की महिमा को स्वीकार करते हुए महर्षि रमण ने कहा है, ''पति के लिए चरित्र, सन्तान के लिए ममता, समाज के लिए शील, विश्व के लिए दया तथा जीव–मात्र के लिए करूणा संजोने वाली 'महा–प्रवृत्ति' का नाम ही नारी है।'' प्रसिद्ध उपन्यासकार शरतचन्द्र का कथन है, ''इस अभागे देश के लिए आज भी यदि कोई गौरव की वस्तु है, तो वह है–'सती नारियाँ'। ऐसी चीज शायद और कोई देश नहीं दिखा सकता।'' महर्षि वाल्मीकि का मत है, ''जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं।'' ये तो विचार हैं ऋषि–मुनियों तथा साहित्यकारों के, किन्तु आधुनिककाल में भी महिला के प्रति यही भावना रही–

''नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पग तल में।

पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।''

20वीं सदी के महिला समाज में जो सर्वाधिक उपलब्धि रही, वह महिला समाज में आत्मविश्वास, जागरूकता, स्वाभिमान की ललक, आत्मनिर्भरता और पुरूष वर्ग के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर समाज तथा राष्ट्रीय धारा में समाहित होने की होड़ थी। महिलाओं के इस जागृति आन्दोलन को पूज्य महात्मा गांधी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, पं. जवाहरलाल नेहरू सहित मार्गरेट कजिन्स, श्रीमती ह्यूड कोपर, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, श्रीमती इन्दिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, राजमाता बड़ौदा, बेगम भोपाल, रूस्तम जी, फरदोन जी, राजकुमारी अमृत कौर, अरूणा आसिफ अली, मुथ्थुलक्ष्मी रेड्डी, विजयलक्ष्मी पण्डित तथा सुचेता कृपलानी आदि ने नेतृत्व प्रदान किया।

हमारे देश के सभी क्षेत्रों में चल रही परिवर्तन की विविध प्रक्रियाओं का एक बड़ा परिणाम यह हुआ है कि महिलाएँ परम्परागत बन्धनों से भी मुक्त हो रही हैं। स्वाधीनता के उपरान्त भारत, साथ ही साथ राजस्थान की महिलाएँ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में पेशेवर ओर गैरपेशेवर कार्यों में प्रवेश कर रही है, जहाँ उन्हें पारिश्रमिक भी प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में महिलाएँ सभी क्षेत्रों में चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, कार्यरत दिखाई दे रही हैं, साथ ही वे ग्रामीण हो या शहरी अपने संबंधियों से दूर कार्य करने हेतु अकेले निवास कर रही हैं। कुछ महिलाएँ कृषि संबंधी कार्य में भी अपने कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं। इसके साथ ही साथ वे घरेलू उघोग धन्धे में भी सहयोग कर रही हैं। राजस्थान में तो महिलाएँ व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक, यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों में भी कार्य कर रही हैं।

परिवार के प्रति कर्तव्य एवं कार्यस्थल की दायित्वपूर्ति, दोनों ही कार्यशील महिलाओं के लिए वांछनीय स्थितियां हैं। ऐसी महिलाओं को स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त दायित्वों का वहन करना होता है। सामाजिक परिवर्तन की निरन्तर प्रक्रिया में कार्यशील महिलाओं के वृहत्तर दायित्वों की समीक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।

अब रोजगार के शुभागमन के कारण महिलाओं की आर्थिक स्वतन्त्रता से उनके सोच एवं परिस्थिति में भी परिवर्तन आया है। लेकिन इस परिवर्तन के कारण कार्यशील महिलाओं को कार्य–दबाव (Job Stress) संबंधी अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। अभी भी महिलाओं के प्रति उनके कार्यस्थलों पर पक्षपात पूर्ण व्यवहार हो रहा है। कार्य का आवंटन करते समय भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यशील महिलाओं की समस्या एवं कठिनाइयां बहुपक्षीय बनती जा रही हैं। तीन दशक पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक सर्वे में यह बात सामने आई कि महिलायें न सिर्फ अच्छी प्रबंधक होती हैं बल्कि घर और कार्यालय का सामंजस्य बहुत ही बेहतर रूप से बिठाती हैं। कामकाजी महिलायें तब से अब तक इस बात को अक्षरशः सच साबित कर रही हैं। घर और दफ्तर के बीच तालमेल बैठाने के साथ महिलायें बच्चों की भी अच्छी परवरिश कर रही हैं।

वर्तमान समय में यह कार्य क्षेत्र किसी संस्था से इतर परिवार भी हो सकता है। विशेष कर शिक्षक के

संदर्भ में उसका कार्यक्षेत्र केवल विद्यालय तक सीमित न रह कर विद्यार्थियों के परिवार, समाज एवं स्वयं का परिवार भी होता है। वस्तुतः शिक्षक का कार्य क्षेत्र अब संस्था से बढ़ कर आवासीय क्षेत्र में बदल रहा है।

कार्यस्थल के वातावरण से अभिप्राय उन सभी कारकों से होता है जो व्यक्ति के व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। ये कारक नकारात्मक या सकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं तथा इनका प्रभाव भी इन्ही रूपों में दिखाई देता है। स्वतन्त्र भारत में महिला की दोहरी भूमिका के विषय में किसी भी स्थिति में मूल परिवर्तन नहीं हुए हैं। महिला के पारिवारिक एवं कार्यस्थल के दायित्वों के निर्वाह की स्वाभाविक अपेक्षा हैं। एक स्थिति यह भी है कि क्षमता एवं योग्यता के बावजूद, महिला कर्मचारी को पुरूष कर्मचारी की तुलना में, समान कार्य के लिए भी कम वेतन मिलता है।

कार्यशील महिलाओं की दो भूमिका एवं रूप हैं– सार्वजनिक रूप अर्थात् कार्यशील महिला के स्तर पर अध्यापिका, चिकित्सक, प्रशासक, वकील, श्रमिक इत्यादि। इस स्थिति में महिला आर्थिक दृष्टि से पारिवारिक स्तर में बढ़ोतरी करती है। अनेक कार्यस्थलों पर महिला के कौशल एवं निर्णायकता प्रमाणित हैं, सम्मान एवं गरिमा भी उसे प्राप्त है। भारतीय कार्यशील महिलाओं के सम्मुख अन्य चुनौती भी है। यदि कार्यशील महिला कार्यस्थल की अनिवार्यताओं को पूरा करती है, तो पारिवारिक दृष्टि से मूलभूत परिवर्तन नहीं हो पाते हैं। इस विरोधाभास में कार्यशील महिला के कार्य–दबाव के चलते विभिन्न चुनौतियाँ यथावत् विद्यमान हैं।

प्रस्तुत शोध का महत्व :–

अतीत के वर्षों में महिलाएं कमोबेश रूप में प्राकृतिक परिस्थितियों का शिकार प्रतीत होती थीं। उनका जीवन चूल्हे तक ही सीमित था, जहाँ उन्हें एक बड़े परिवार का बोझ ढ़ोना होता था। अतः वह असहाय थीं, साथ ही कठिन परिश्रम व संघर्ष करने के बावजूद भी वह एक निरीह प्राणी थीं। मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर प्रभाव विद्यार्थियों की शैक्षिक निष्पत्ति पर प्रभाव विद्यालय वातावरण पर प्रभाव शिक्षकों पर प्रभाव परिवार पर प्रभाव शिक्षा एवं सामाजिक–आर्थिक स्तर भारत की कुल कार्यशक्ति का मात्र 6 प्रतिशत महिलाएं हैं। वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर मात्र 4 प्रतिशत महिलाएं हैं, जबकि शीर्ष के नेतृत्व पर महिलाओं की संख्या लगभग नगण्य है। इस अल्प प्रतिशत की 25 प्रतिशत महिलाओं का अनुभव रहा है कि उनके साथ महिला होने के नाते भेदभाव किया जाता है।

कार्यशील महिलाओं की दो भूमिका एवं रूप हैं– सार्वजनिक रूप अर्थात् कार्यशील महिला के स्तर पर अध्यापिका, चिकित्सक, प्रशासक, वकील, श्रमिक इत्यादि। इस स्थिति में महिला आर्थिक दृष्टि से पारिवारिक स्तर में बढ़ोतरी करती है। अनेक कार्यस्थलों पर महिला के कौशल एवं निर्णायकता प्रमाणित हैं, सम्मान एवं गरिमा भी उसे प्राप्त है, लेकिन दूसरी ओर व्यक्तिगत एवं पारिवारिक स्तर पर इसकी अस्मिता पुरूष प्रधान पूर्वाग्रह है, जैसे वह पिता की पुत्री, भाई की बहिन, पति की पत्नी और पुत्र की माता है।

बढ़ती हुई महँगाई में एक व्यक्ति की आय से गृहस्थी चलाना दुष्कर हो गया है। आर्थिक दबावों ने नारी के सम्मुख अनायास ही ऐसी परिस्थितियाँ प्रस्तुत कर दीं, जो उसको परिवार एवं घर की सीमाओं को पार कर न्यूनतम आर्थिक रक्षण हेतु कार्य–व्यवसाय तक लाने में सहायक बनीं। महिला पर घर परिवार तथा कार्यस्थल

दोनों के दायित्वों को आरोपित कर दिया गया। महिला द्वारा कार्यस्थल के दायित्वों के निर्वाह के साथ आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में अग्रसर होना स्वाभाविक हो गया, लेकिन साथ ही साथ कार्य दबाव भी बढ़ता गया।

वर्तमान में कार्यशील महिलाओं की दोहरी भूमिका के कारण महिलाओं की समस्याएं एवं कठिनाईयां विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ कार्यस्थल पर अधिक रूप में बढ़ती जा रही हैं। इनका गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। वर्तमान समय में इस कार्य–दबाव–ग्रस्तता की समस्या में बढ़ोतरी ही हुई है। इस आधार पर हम महिला वर्ग की भी इस हेतु अनदेखी नहीं कर सकते। यह सत्य है कि शिक्षित और कार्यशील महिलाएँ हमें अनेक रूपों जैसे शिक्षिका, नर्स, डॉक्टर, क्लर्क, मैनेजर और स्वागतकर्त्ता आदि अनके पदों पर अपनी आर्थिक स्थिति को उच्च बनाने हेतु मिल जायेगीं और वे भी अपने कार्य के प्रति कार्य–दबाव–ग्रस्तता से पीड़ित होंगी। यह दबाव केवल शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, प्रशासनिक, बौ(िक और सामाजिक कारकों के कारण ही नहीं होता, अपितु यह कार्यशील महिला की कार्यक्षमता से भी होता है। इस कार्य–दबाव–ग्रस्तता के कारण महिलायें अनेक मानसिक एवं शारीरिक रोगों से पीड़ित हो जाती हैं। अतः इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए शोधकर्त्ता के मन अनेक प्रश्न उठे हैं, जिनका उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत विषय को शोधकर्त्ता ने अपना आधार बनाया है

समस्या कथन –

''उच्च माध्यमिक विद्यालयों की महिला अध्यापकों के कार्य-दबाब-ग्रस्तता का उनके कार्य स्थल के वातावरण एवं सामाजिक आर्थिक स्तर के सम्बन्ध में अध्ययन।'

शोध शीर्षक में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण :–

महिला अध्यापक :– राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला अध्यापिकाओं से है।

कार्य-दबाव-ग्रस्तता :– एण्डरिट्ज के अनुसार, ''यह वह मनौवैज्ञानिक एवं शारीरिक दबाव है, जो भौतिक संवेगात्मक, सामाजिक, आर्थिक या व्यवसायिक परिस्थितियों से उत्पन्न होता है तथा जिनका नियंत्रण करना या सहना मुश्किल होता है।''

प्रस्तुत शोध अध्ययन में कार्य दबाव से तात्पर्य उच्च माध्यमिक स्तरों पर कार्यरत महिला अध्यापिकाओं के कार्य से उत्पन्न हुये दबाव से है।

कार्यस्थल का वातावरण :–

बिजनस डिक्शनरी के अनुसार, ''कार्यस्थल से तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ व्यक्ति रोजगार हेतु एक निश्चित समय के लिए उपस्थित होता है।''

प्रस्तुत शोध में कार्यस्थल के वातावरण से तात्पर्य सरकारी एवं गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के वातावरण से है।

सामाजिक आर्थिक स्तर :–

गुड के अनुसार, ''सामाजिक आर्थिक स्तर वह है जो किसी व्यक्ति या समूह की आर्थिक एवं सामाजिक

उपलब्धि की ओर संकेत करता है।''

सामाजिक आर्थिक स्तर किसी व्यक्ति या परिवार की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का मिला–जुला मापन है जो कि आय, शिक्षा तथा व्यवसाय पर आधारित है। किसी परिवार के सामाजिक आर्थिक स्तर का विश्लेषण करते समय माता–पिता की शिक्षा तथा व्यवसाय की जाँच की जाती है। इसके साथ ही उनकी मिली जुली आय, किसी एक व्यक्ति के आय के विरूद्ध भी जाँची जाती है। तब उनके गुणों का विश्लेषण किया जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य :–

1. उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला अध्यापकों के सामाजिक–आर्थिक स्तर के आधार पर उनकी कार्य–दबाव–ग्रस्तता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला अध्यापकों की कार्य–दबाव–ग्रस्तता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकपनाएँ :–

1. उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला अध्यापकों के सामाजिक–आर्थिक स्तर के आधार पर उनकी कार्य–दबाव–ग्रस्तता में कोई सार्थक अन्तर नही है।
2. राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला अध्यापकों की कार्य–दबाव–ग्रस्तता में कोई सार्थक अन्तर नही है।

न्यादर्श :–

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के रूप में हनुमानगढ़ जिले के कुल 600 महिला अध्यापकों के कार्य–दबाब–ग्रस्तता का उनके कार्य स्थल के वातावरण एवं सामाजिक आर्थिक स्तर के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया।

शोध में प्रयुक्त उपकरण :–

1. इन्दौर टीचर्स जॉब स्ट्रेस स्केल– मीना बुद्धि सागर राठौर एवं मधुलिका वर्मा।
2. कार्यस्थल वातावरण अनुसूची (स्वयं निर्मित)
3. सामाजिक आर्थिक स्तर मापनी– राजवीर सिंह, राधेश्याम एवं सतीश कुमार।

प्रदत्तों का विश्लेषण व विवेचन :–

1. उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला अध्यापकों के सामाजिक–आर्थिक स्तर के आधार पर उनकी कार्य–दबाव–ग्रस्तता में कोई सार्थक अन्तर नही है।

सारणी संख्या – 1

संस्थान	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मान	सार्थकता का स्तर
सामाजिक–आर्थिक स्तर	300	154	14.961	0.449	स्वीकृत
कार्य–दबाव–ग्रस्तता	300	154.37	16.142		

व्याख्या :– उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला अध्यापकों के उच्च एवं औसत सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर उनकी कार्य–दबाव–ग्रस्तता से सम्बन्धित दत्तों के विश्लेषण प्राप्त टी–मान सार्थकता के स्तर 0.01 के सारणी मान से कम है। अतः इस आधार पर शोधकर्त्ता द्वारा निर्मित शून्य परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है तथा परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला अध्यापकों के उच्च एवं औसत सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर उनकी कार्य–दबाव–ग्रस्तता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। अर्थात् उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला अध्यापकों के उच्च एवं औसत सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर उनकी कार्य–दबाव–ग्रस्तता समान है।

2. राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला अध्यापकों की कार्य–दबाव–ग्रस्तता में कोई सार्थक अन्तर नही है।

सारणी संख्या – 2

संस्थान	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मान	सार्थकता का स्तर
राजकीय विद्यालय	300	158.3	15.158	4.75	स्वीकृत
निजी विद्यालय	300	150.05	14.363		

परिकल्पना संख्या 2 के अनुसार राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला अध्यापकों की कार्य–दबाव–ग्रस्तता से सम्बन्धित दत्तों के विश्लेषण प्राप्त टी–मान सार्थकता के स्तर 0.01 के सारणी मान से अधिक है। अतः इस आधार पर शोधकर्त्ता द्वारा निर्मित शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है तथा परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला अध्यापकों की कार्य–दबाव–ग्रस्तता में सार्थक अन्तर है। अर्थात् राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला अध्यापकों की कार्य–दबाव–ग्रस्तता असमान है।

निष्कर्ष :–

1. उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला अध्यापकों के उच्च एवं औसत सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर उनकी कार्य–दबाव–ग्रस्तता समान है।
2. राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला अध्यापकों की कार्य–दबाव–ग्रस्तता असमान है।

उपयोगिता :–

1. कार्यस्थल का वातावरण भी कार्य–दबाव का महत्वपूर्ण कारक है। अध्ययन के परिणाम बतातें हैं कि जब किसी व्यक्ति को निर्णय लेने का अधिकार व कार्य करने की स्वतन्त्रता नही दी जाती है तो वह अच्छी तरह से अपना दायित्व नही निभा पाता है और वह हमेशा दबाव में रहता है। यह अधिकार विहीनता सामान्यतया निजी विद्यालयों में पायी जाती है। विद्यालयों के प्रकार का कार्य–दबाव–ग्रस्तता के विभिन्न आयामों जैसे– अति भारिता, प्रेरणा विहीनता एवं दुर्बल अन्तर्वैयक्तिक संबंधों पर भी देखने को मिलता है। निजी विद्यालय शिक्षकों पर अत्यधिक

कार्य दबाव बनाये रखतें हैं। अतः शिक्षाविदों को यह प्रयास करना चाहिए कि शिक्षकों के दायित्वों को उनकी क्षमता के आधार पर बांटा जाये ताकि वे कार्य दबाव में न आयें और अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें। आत्म सम्प्रत्यय के विकास से बालक का संवेगात्मक विकास होता है अतः बालक की संवेगात्मक बुद्धि के विकास के लिये उसे सदैव अपने आत्मसम्प्रत्यय को उत्तम बनाने का प्रयास करना चाहिये।

सन्दर्भ सूची :-

1. अग्रवाल, अर्चना (2015), ''ए स्टडी ऑफ टीचर्स मोरल इन रिलेशन टू ऑर्गनाइजेशनल क्लाइमेट'' भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, लखनऊ, जुलाई–दिसंबर 2014
2. कपिल, एच. के. (2006), सांख्यिकी के मूल तत्व, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
3. केल्लेहर, फातिमा (2014), ''वूमन इन टीचिंग प्रोफेशन एक्सप्लोरिंग दा फेमिनाइजेशन डिबेट'' unesdoc.unesco.org/images.
4. डॉ. शर्मा, वी. एस. ''शिक्षा मनोविज्ञान'' साहित्य प्रकाशन आगरा (2004)
5. डॉ. अरोड़ा रीता, सुदेश मारवाह (2005) ''शिक्षा मनो विज्ञान एवं सांख्यिकी'' शिक्षा प्रकाशन जयपुर, पृष्ठ संख्या (407–430)
6. भार्गव, ऊषा (1993) किशोर मनोविज्ञान. जयपुरः राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पृष्ठ संख्या–109
7. शर्मा (1999) ''वर्किंग वूमन एंड देयर फेमिली प्राबलम्स'', रिसर्च इनवेन्टी : इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ इन्जिनियंरिंग एण्ड साइंस, नवम्बर 1999, वाल्युम, ईश्यू 9, पृ. 14–18,
8. सिंह, आर., शर्मा, आर. के. एवं कौर, जे. (2008) – ''हरियाणा के सरकारी, निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की कार्य संतुष्टि के एक अध्ययन'' इण्डियन एज्यूकेशनल एब्स्ट्रेट, एन.सी.ई.आर.टी., जनवरी 2008, पृ. 7.
9. सुखिया, एस.पी. (1990) शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व. आगरा : विनोद पुस्तक मन्दिर।
10. मिश्रा, एम. (2006). संस्कृत एवं हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का उनकी बुद्धि, उपलब्धि अभिप्रेरणा एवं शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 31;2), 63,67
11. श्रीवास्तव, डी.एन. और वर्मा, प्रीति (2007) शिक्षा अनुसंधान में सांख्यिकी विधियाँ आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 11, Issue 5-6
पृष्ठ : 106-108

HOW DO HUMAN ACTIVITIES AFFECT CLIMATE CHANGE, AND WHAT MEASURES CAN WE TAKE TO CONTROL THEM

Kajal

Assistant Professor Geography, In Mahila Mahavidyalaya, Jhojhu Kalan, Charkhi Dadri

Abstract :-

In the industrial era, human activities have contributed to an increased concentration of greenhouse gases in the atmosphere. Some of the components of the climate system—the ocean and biosphere—primarily affect the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. Plants absorb CO2 from the atmosphere and convert it to carbohydrate through photosynthesis. The greatest contribution comes from fossil fuels that release CO2 into the atmosphere. The impact of human activities on the climate is much higher than that of natural processes. The purpose of this paper is to show how the main compounds resulting from human activities contribute to climate change.

Keywords :- climate change, greenhouse effect, temperature, carbon dioxide, and Flourinated gases.

Introduction :-

Burning fossil fuels, cutting down forests, and farming Livestock are increasingly influencing the climate and the earth's temperature. Many of these greenhouse gases occur naturally, but human activities are increasing the concentration of some of them in the atmosphere, in particular carbon dioxide (CO2), methane, nitrogen oxide, and fluorinated gases. Carbon dioxide produced by human activities is the largest contributor to Global warming.

Objective :-

1. Finding the cause of climate change.
2. Mitigation of the effects of climate change.
3. To suggest necessary measures to reduce the effects of climate change.
4. Raising public awareness about climate change.

Methodology :-

Secondary data has been used in the present research work.

Cause of rising emissions :

1. Cutting down forests (deforestation)
2. Burning coal, gas, and oil
3. Rapid industrialization
4. Using Transportation
5. Increasing livestock farming
6. Fertilizers containing nitrogen

1. Cutting down forests (deforestation) :- Trees help regulate the climate by absorbing CO2 from the atmosphere. When they are cut down, the amount of carbon dioxide in the atmosphere increases a lot.

2. Burning coal, gas, and oil produces carbon dioxide and nitrous oxcide.

3. Increasing livestock farming :- cows and sheep produce a large amount of methane when they digest their food.

4. Fertilizers containing nitrogen produce nitrous oxide emissions.

5. Using Transportation : Most cars, trucks, ships, and planes run on Fossil fuels. That makes transportation gases, especially carbon dioxide emissions, Fluorinated gases are emitted from equipment and products that use.

These gases. Such emissions have a very strong warming effect, more than CO2.

Fluorinated gases found in :

1. Air conditioners.
2. Refrigerators.
3. Aerosol sprays

Effects of climate change :-

1. Rising Temperatures
2. Rising sea level
3. Land degradation.
4. Unpredictable weather and climate
5. Increase in extreme weather events
6. Loss of wildlife and biodiversity

Measures we can take to control climate change :-

1. Reduce, Reuse, Repair, and Recycle : Electronics, clothes, and other items we buy cause carbon emissions at each point in production, from the extraction of raw materials to manufacturing and transporting goods to market. To protect our climate, buy fewer things. Buying fewer new clothes

and other consumer goods can reduce your carbon footprint and also cut down on waste.

2. Planting more trees : planting new trees is one of the most effective ways to reduce atmospheric carbon dioxide (CO2). Trees provide many benefits to us every day. They offer cooling shade, attract birds and wildlife, purify our air, prevent soil erosion, etc.

3. Walk, bike, or take public transport : The world's roadways are clogged with vehicles, most of them burning diesel or gasoline. Walking or riding a bike instead of driving will reduce greenhouse gas emissions and improve your health and fitness. For longer distances, consider taking a train or bus.

4. Throw away less food : When you throw food away, you're also wasting the resources and energy that were used to grow, produce, package, and transport it. And when food rots in a landfill, it produces methane, a powerful greenhouse gas.

5. Reduce water waste : saving water reduces carbon pollution too. That's because it takes a lot of energy to pump, heat, and treat your water. So take a shorter shower and turn off the tap while brushing your teeth.

Conclusion :-

Some aspects of current climate change are unlike those of previous periods. At the same time, the concentration of CO2 in the atmosphere has reached a record high relative to the last half million years, and this is an exceptional rate. If the warning continues in this way, Changes may be unusual in terms of geological time. Another unusual aspect of current climate change is that, if past changes have had natural causes, the warming of the past 4–5 years is mainly attributable to human activities.

Reference :-

1. https://climate.ec.europa.eu.
2. https://www.un.org.
3. https://ei.lehigh.edu.
4. https://en.m.wikipedia.org.
5. Slave, camellia, Man, Camen (2012): The contribution of human activities to climate change. In Agarian economy and Rural Development– Realities and Perspective for Romania.

Mob.No.- 9050193158

E-mail ID: kajalchauhan3158@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 11, Issue 5-6
पृष्ठ : 109-113

डॉ. अशोक कुमार 'मंगलेश' से साक्षात्कार

डॉ. नरेश कुमार सिहाग, एडवोकेट
विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

साक्षात्कार के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, कृतित्त्व, कार्यशैली आदि को परखा–निरखा जाता है। विशेष बात यह है कि किसी व्यक्ति का साक्षात्कार क्यों लिया जाए? किसका लिया जाए? किस समय लिया जाए? वास्तविक रूप में किसी भी व्यक्ति का साक्षात्कार किसी भी समय नहीं लिया जा सकता। आवश्यकता होती है साक्षात्कार की प्रासंगिकता को जानने और समझने की। अर्थात जब कोई व्यक्ति लीक से हटकर कोई ऐसा कार्य करता है जिसके पीछे समूहगत हित है अथवा हो सकता है। इसके अतिरिक्त विशेष अवसरों पर साक्षात्कार की उपयोगिता होती है जैसेकि डॉ. 'मंगलेश' वर्तमान में हिंदी साहित्य, अनुवाद, शोध और संपादन के क्षेत्र में एक ख्याति प्राप्त साहित्यकार के रूप में विलक्षण प्रतिभा के साथ हमारे समक्ष आते हैं। विशेषतः किसी व्यक्ति या रचनाकार की विशेष उपलब्धियों में बढ़ोतरी के कारण चर्चित होने पर सम्बंधित व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के सम्बन्धियों, आलोचकों, मित्रों आदि से साक्षात्कार अनुकूल होता है। प्रकृत पुस्तक के संपादक के तौर पर यहाँ डॉ मंगलेश का संपादन–कर्म विषयक साक्षात्कार लिया जाना संगत एवं प्रासंगिक प्रतीत होता है। डॉ. 'मंगलेश' का साक्षात्कार प्रस्तुत करने के पीछे मेरा उद्देश्य उनके संपादन–कर्म और कला को दिखाकर और अधिक जीवंतता उत्पन्न करना है। जिसके लिए मैंने प्रश्नोत्तरी शैली को माध्यम बनाया है। मेरे द्वारा साक्षात्कारदाता की परिस्थिति, अवसर, चयन और विषय का पूरा ध्यान रखा गया है। वस्तुतः साक्षात्कारकर्ता अगर साक्षात्कार का नियामक है तो साक्षात्कारदाता उसका आधार। साक्षात्कार दाता के सम्बंध एवं विषय में बात होनी चाहिए। इसी उद्देश्य के निमित्त यह साक्षात्कार प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे शोधार्थी, अध्येता एवं पाठक अवश्य लाभांवित होंगे।

प्रश्न : किसी भी पुस्तक के संपादन में समय सीमा के निर्धारण को लेकर आपकी प्रक्रिया क्या है?

उत्तर : एक संपादक के रूप में काम करते समय, आपको समय सीमा का सामना करना पड़ेगा जब आपको लेखक या प्रोजेक्ट मैनेजर को काम वापस करना होगा। एक संपादक के लिए अत्यावश्यक है कि वह कार्य प्रबंधन प्रणाली जैसे समय सीमा में प्रतिबंधित होकर कार्य करे। इस संदर्भ में संपादक द्वारा उपयोग किए जाने वाली सामग्री का अच्छे से आकलन कर पूर्व में ही प्राथमिकता के आधार पर एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और साथ ही, अन्य उपयोगी उपकरणों को एकत्रित कर कार्य शुरू करना चाहिए, ताकि एकाग्रता के साथ सुंदर संयोजन हो सके। एक निश्चित समय सीमा में कार्य सम्पन्न करना एक कुशल संपादक की कौशलता एवं निपुणता का परिचायक है।

प्रश्न : संपादन के सांसारिक पहलुओं को संभालते समय आप किस तरह अपना ध्यान बनाए रखते हैं?

उत्तर : संपादक को अक्सर थकाऊ और नीरस कार्यों का सामना करना पड़ता है, जैसे रूपरेखा बनाना, प्रूफ रीडिंग, स्रोतों की जांच करना, विषय–चयन, नवीनता का आग्रह, तथ्यों की जांच करना, जुटाना और संकलित सामग्री की समीक्षा करते समय सतर्क रहना आदि–आदि। यह सब सतर्कता मेरे जीवन का हिस्सा बन उसमें सुमार हो चुके हैं, इसलिए संपादन–कर्म अब मेरे लिए बहुत सहज हो चुका है।

प्रश्न : रचनात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए अपने दृष्टिकोण का वर्णन करें।

उत्तर : एक कुशल संपादक को लेखकों और सामग्री विशेषज्ञों को रचनात्मक प्रतिक्रिया देने की दक्षता में निपुण होना चाहिए। उन्हें ऐसा करने में समर्थ एवं सक्षम होने की आवश्यकता है जिससे सकारात्मक स्वर बनाए रखते हुए दूसरे पक्ष को लाभ प्रदान कर सके। अपने संचार कौशल और प्रतिक्रिया प्रदान करने की क्षमता को इस तरह से रेखांकित करें कि नकारात्मक या रक्षात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न न हो ताकि संवाद–सेतु निरंतर गतिमान बना रह सके।

प्रश्न : संपादन और आलोचना में क्या अंतर है, स्पष्ट करें।

उत्तर : सृजन और आलोचना की भांति संपादन एक महत्वपूर्ण कार्य है। आलोचना और संपादन ग्रँथों को तैयार करने में तटस्थता, निष्पक्षता और विवेक आदि गुणों के साथ–साथ एक सूक्ष्म–अन्वेषक समीक्षक, भावुक सर्जक का होना भी अत्यावश्यक है। चूंकि ऐसे रचनात्मक–सर्जनात्मक गुणों से लबरेज साहित्यकार ही संपादन के कार्य को श्रेष्ठता प्रदान कर सकता है।

प्रश्न : मूल लेखन और अनुवाद में आप क्या अंतर महसूस करते हैं?

उत्तर : देखिए, मूल लेखन और अनुवाद दोनों में कुछ अंतर अवश्य है। मूल पाठ में लेखक की मौलिकता एवं भावनाएं बनी रहती हैं जबकि अनुवाद दूसरे की चीज है। अनुवादक को अनुवाद में मूल लेखन से प्राप्त सुख गौण प्रतीत होता है और अपना अनुवाद दुगना। क्योंकि अनुवादक दो भाषाओं और दो संस्कृतियों से गुजरता है। मौलिक सृजन में लेखक के लिए एक भाषा एवं एक संस्कृति ही अपेक्षित होती है। हाँ, अनुवाद मौलिक सृजन के बराबर तो नहीं है, लेकिन उससे बड़ा, गहन एवं व्यापक विषय अवश्य है।

प्रश्न : वर्तमान में संपादन कार्य के संदर्भ में उसके महत्व पर प्रकाश डालिए।

उत्तर : वर्तमान समय में यदि हम साहित्यिक संपादन–कर्म की बात करें तो चरम सीमा की ओर अग्रसर अवश्य है, किंतु बिडम्बना यह है कि संपादक छपास रोग से ग्रस्त नजर आता है। आज संपादक अपने प्रकाशन खाते में मात्र पुस्तक संख्या को बढ़ाता है उसमें संपादन–कर्म की सीमाओं और मानदंडों या श्रेष्ठता का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। ऐसी पुस्तकों के संपादकीय में ज्ञानवृद्धि अथवा उपादेयता को लेकर या फिर उसके संपादन का उद्देश्य क्या है? कुछ भी लिखा नहीं मिलता। बस! रचनाओं को संकलित कर उस पर अपना नाम छापने तक सीमित है। संपादकीय तय करता है पुस्तक का महत्त्व कितना है, उसको संकलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या संकलन का विषय इतना महत्वपूर्ण था? किंतु रचना भेजने वालों का आभार मात्र तक पढ़ने को मिलता है। किसी संकलन या सामग्री के संपादन का कर्म उतना आसान नहीं जितना आसान समझा जाता है। हालांकि आज संपादन–कर्म की महत्ती आवश्यकता है। बशर्ते, उसे निष्ठा, लग्न, ईमानदारी और परिश्रम के साथ संकलित एवं संपादित किया जाना चाहिए।

प्रश्न : आप अपने अनुवाद साहित्य संपादन के बारे में बताइए।

उत्तर : जब से मैंने अनुवाद विधा और विषय को जाना और समझा है तब से इस विधा के प्रति बड़ा जिज्ञासु हूँ। हर बार कुछ नया और विशेष करने की ललक रहती है। जब से मधुकांत कृत हिंदी कहानी 'तिरंगा हाउस' को भारतीय 25 भाषाओं के अनुवाद को 'सर्जनात्मक अनुवादरू अनुभूति और पुनःसृष्टि' शीर्षक से संपादित एवं प्रकाशित किया है, तब से निरंतर एक के बाद एक नवोन्मेषकारी प्रयोग संपादित करने के अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके बाद प्रो. रूप देवगुण कृत हिंदी कहानी श्गोदश का 16 भाषाओं में 'गोद : सृजनात्मक अनुवाद' का तथा जल स्टार रमेश गोयल कृत हिंदी जल चालीसा का भारतीय–विदेशी 36 भाषाओं के अनूदित कार्य का संपादन अति महत्वपूर्ण हैं। साथ ही रक्तदान केंद्रित मेरी कविताओं का 21 भाषाओं में अनुवाद हुआ जिसे 'खूँ : वैश्विक बंधुत्व का सेतु' शीर्षक से संपादित एवं प्रकाशित किया। वरिष्ठ अनुवादक डॉ. सुरेश सिंघल द्वारा अंग्रेजी कहानियों के हिंदी अनुवाद को 'विदेशी कहानियों के हिंदी अनुवाद' शीर्षक से संपादित किया। अनूदित कार्य के संपादन की बात करें तो मैंने अधिकतम 36 भाषाओं के अनूदित कार्य का संपादन–कर्म कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, वह भी वैश्विक समस्या जल संरक्षण के निमित्त।

प्रश्न : आपने कौन-कौन सी भाषाओं में अनुवाद कार्य किया है?

उत्तर : मैंने हिंदी–अंग्रेजी, हिंदी–हरियाणवी भाषाओं में अनुवाद कार्य किया है। हाल ही में मैंने डॉ. जय भगवान सिंगला कृत 'खुशियाँ अपनी मुट्ठी में' नामक हिंदी पुस्तक का "Dr. Ramkumar Ghotar's 80 Short Stories" शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद सम्पन्न किया है। साथ ही, वरिष्ठ लघुकथाकार डॉ. रामकुमार घोटड़ कृत हिंदी की 80 लघुकथाओं को "Dr. Ramkumar Ghotar's 80 Short Stories" शीर्षक से अंग्रेजी में अनूदित किया है। दोनों पुस्तकें निर्मला प्रकाशन, चरखी दादरी, हरियाणा से प्रकाशित हुई हैं। यशपाल निर्मल के हिंदी बाल उपन्यास 'छुट्टियाँ' का हरियाणवी अनुवाद पर कार्य चल रहा है। इस सब के अतिरिक्त अनेक फुटकर रचनाओं के अनुवाद विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं एवं संकलनों में प्रकाशित हुए हैं।

प्रश्न : वर्तमान में आप किस संपादन कार्य में जुटे हैं?

उत्तर : वर्तमान में मेरे पास संपादन कार्य की होड़ लगी हुई है। आजकल मैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. मधुकांत पर अभिनन्दन ग्रँथ के संपादन कर्म में जुटा हूँ, जिसे सम्पन्न करने में कम से कम छह महीने का समय लगने की संभावना है। इस ग्रँथ में डॉ. मधुकांत के व्यक्तित्व–कृतित्व एवं सामाजिक–सांस्कृतिक विषयों को लेकर सौ साहित्यकारों के दृष्टिकोणों को संकलित किया जा रहा है जो अपने आप में एक अनूठा एवं अनुपम प्रयोग होगा।

प्रश्न : अपने अधिकांश सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद एवं संपादन-कर्म पर काम किया है, जबकि सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद का कार्य और संपादन बहुत कठिन है। सृजनात्मक साहित्य अनुवाद क्या है? और उसके संपादन पर प्रकाश डालिए।

उत्तर : सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद अपने आप में एक चुनोतिपूर्ण एवं एक कठिन प्रक्रिया है। दार्शनिक एवं सांस्कृतिक–सामाजिक तत्त्वों का अनुवाद इस क्षेत्र को और अधिक विस्तृत कर देता है। सृजनात्मक साहित्य में शब्दों की अभिव्यंजना–शक्ति भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें बिंबों, प्रतीकों, व्यंग्य, अलंकार, ध्वनि आदि के प्रयोग तथा साथ ही मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भी अनुवादक के लिए कठिन कार्य है। मेरे लिए इस सृजनात्मक अनुवाद का संपादन–कर्म बहुत चुनौतिपूर्ण रहा। जब मैं 'सृजनात्मक अनुवाद : अनुभूति और पुनः

सृष्टि' पुस्तक का संपादन कर रहा था तो सबसे बड़ी समस्या उसके प्रकाशन की रही। चूंकि इस पुस्तक में एक हिंदी कहानी को भारतीय 25 भाषाओं में अनूदित कराकर संपादन कर रहा था। इसके प्रकाशन के लिए मैं प्रकाशक के अतिरिक्त अपने सहयोगी अनुवाद मित्रों के साथ बराबर जुड़ा रहकर ही इसे अंतिम पुस्तकाकार रूप दे पाया था। यह मेरा पहला अनुभव था। इसके उपरांत तो मैंने ऐसी ही अन्य तीन पुस्तकों का और संपादन एवं प्रकाशन का कार्य संपन्न किया। जिसमें मेरे संचालन में निर्मला प्रकाशन, चरखी दादरी द्वारा भारतीय एवं विदेशी 36 भाषाओं के अनुवाद का अनूठा एवं अनुपम कार्य बहुत प्रसंशनीय रहा है। आज मैं ऐसे सृजनात्मक साहित्य के गद्य–पद्य अनुवाद का संपादन एवं प्रकाशन कार्य बड़ी सहजता एवं सरलता के साथ करने में अपने को समर्थ पाता हूँ।

प्रश्न : सृजन के साथ-साथ आप संपादन कार्य में सतत व्यस्त है। संपादन करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है?

उत्तर : पूर्वकालिक साहित्यिक संपादित कृतियों का अवदान इस बात का साक्षी है कि उनकी संपादित कृतियों का महत्त्व उनके मौलिक सृजन से कहीं कम नहीं है। जिनकी उपादेयता आज प्रासंगिक एवं उपयोगी प्रतीत होती है। संपादन कार्य सदैव श्रेष्ठ साहित्य को पाठकों के समक्ष परोसने का सशक्त माध्यम रहा है। महत्वपूर्ण रचनाओं और रचनाकारों के संपादकीय उनके व्यक्तित्व–कृतित्व की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। विपुल साहित्य एवं नदारद साहित्य पर संपादन–कर्म के माध्यम से उनकी परख करने वाली सामग्री उपलब्ध होती है। आज भी संपादन–कला पर पुस्तकें दुर्लभ हैं। इन्हीं उपेक्षा–वृतियों को संपन्न करने के उद्देश्य से सतत संपादन–कर्म में सलंग्न हूँ। संपादन के माध्यम से श्रेष्ठ साहित्य का समीक्षण, लेखकों के कार्य का मूल्यांकन किया जाना नितांत आवश्यक है। आज भी साहित्यिक अवदान को रेखांकित करने में हिंदी के आलोचक–विद्वान प्रायः मौन हैं।

प्रश्न : क्या कारण है कि संपादन-कला अपनी सुदीर्घ यात्रा के पश्चात भी विशेष महत्त्व नहीं पा सकी है?

उत्तर : आज हिंदी साहित्य से जुड़े असंख्य संपादक ऐसे भी हैं जो साहित्य और सम्पादन के कर्म और मर्म से अनभिज्ञ हैं। ऐसे संपादक केवल सहयोग राशि एकत्रित कर और सामग्री मंगवाकर छापने में ही संपादन–कर्म की सार्थकता और उपादेयता मानते हैं। जबकि संपादक का प्रमुख और आंतरिक कार्य होता है कि संकलित सामग्री में से महत्वहीन और आपत्तिजनक अंशों को हटाकर कृति के उद्देश्य के अनुसार सामग्री का संयोजन–संपादन प्रस्तुत कर। यदि संपादन–कला के परीक्षण के लिए अपेक्षित मानदंड और मूल्य निर्धारण तथा कौशल–परक बिंदुओं को संगत करके इस तरफ ध्यान दिया जाए तो तथाकथित संपादन व्याधि और निम्नतम स्तर से उभारा जा सकता है जो आज संपादन संदर्भ में अत्यावश्यक है। सही मायने में संपादक का कार्य लेखकीय कार्य से भी दुष्कर और उत्तरदायित्व पूर्ण होता है।

प्रश्न : आपके विचार में संपादन-कर्म क्या है?

उत्तर : संपादन विशेषतः चर्चित या लब्धप्रतिष्ठ रचनाकारों या ग्रँथों पर कार्य करना ही नहीं है अपितु संपादन का लक्ष्य साहित्य और समाज के ज्वलन्त विषयों एवं प्रश्नों से सम्बद्ध, समस्याओं, विषमताओं व विद्रूपताओं के समाधान हेतु सामग्री उपलब्ध कराना भी है। संपादकीय कला कौशल और प्रतिभा तथा सामर्थ्य की त्रिवेणी स्वरूपा है। युक्तियुक्त व्यवस्थित प्रस्तुति, सामग्री एकत्रण, विषय चुनाव आदि। संपादनकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह प्रमुखतः आंतरिक दृष्टि पर पूरा–पूरा ध्यान दे तथा बाहरी कार्य से बचे। अतः संपादन करना आसान काम नहीं

जिसे हर कोई कर सके या संपादन के उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके।

प्रश्न : अंतिम प्रश्न आप अपने पाठकों एवं हिंदी भाषियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?

उत्तर : हिंदी आज वैश्विक भाषा के रूप में उभर रही है। हिंदी अनुवाद एवं पत्रकारिता जैसे व्यावसायिक विषयों से जुड़ी एक समृद्ध एवं रोजगार की भाषा है। आज हिंदी भाषियों के लिए अनेक क्षेत्रों में भरपूर अवसर हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, प्रकाशन क्षेत्र, बैंकिंग, वाणिज्य, विदेशों में, अनुवाद का क्षेत्र, संपादन का क्षेत्र आदि। इस प्रकार आज सभी भारतीय भाषाओं को काम काज से जोड़ने का युग है जिससे भारतीय संस्कृति, साहित्य, कला व रोजगार के क्षेत्रों में और अधिक अवसरों को बढ़ाया जा सके।

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 11, Issue 5-6
पृष्ठ : 114-118

मैथिलीशरण गुप्त का रचनात्मक दृष्टिकोण

पंचमणि कुमारी
नेट / जे०आर०एफ

मैथिलीशरण गुप्त की रचना यात्रा परतंत्र भारत से स्वतंत्र भारत की पदयात्रा है, जिसमें भारत के बनते–बिगड़ते तस्वीर का चित्रांकण किया गया है। इसमें भारत की गरीबी शोषण के साथ ही साथ भारत की उज्जवल तस्वीर की झांकी भी प्रस्तुत होती है। इनका साहित्य विराट है जो समाज के असंख्य भाव–भूमि को प्रदर्शित करती है। वैसे तो साहित्य जगत में इनका आगमन द्विवेदी युग में हुआ लेकिन इनकी रचना किसी काल की सीमा रेखा में न बंधकर काल के प्रवाह को तोड़ते हुए मानवीय भावनाओं की सच्ची तस्वीर है। हरेक रचनाकार का रचनात्मक दृष्टिकोण होता है। यह दृष्टिकोण समाज, राष्ट्र और पारिवारिक परिदृश्य से निर्मित होता है और इस निर्मिति का प्रभाव रचनाकार के रचनात्मक व्यक्तित्व पर पड़ता है। दरअसल, रचनाकार समाज में फलित कड़वे–मीठे फलों का रसपान करता है तथा समाज की कड़वाहट और आवो–हवा को शुद्ध करने का काम रचना द्वारा करता है। इसी ध्येय को सार्थक करने के लिए गुप्त जी कहते हैं कि :–

"केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए,
उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए।"

मैथिलीशरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव में सेठ रामचरण दास के घर वैष्णव भक्त परिवार में हुआ। पिता ने इनका नाम मिथिलाधिप नन्दिनीशरण रखा था। किन्तु यह नाम स्कूल के रजिस्टर की एक पंक्ति में ना आने के कारण संक्षिप्त में मैथिलीशरण गुप्त कर दिया गया और आगे चलकर यही नाम साहित्य जगत में प्रसिद्ध हो गया। इनकी आरंभिक शिक्षा चिरगांव की ही पाठशाला में हुई। बाद में इन्हें अंग्रजी सीखने के लिए मेकडॉनल स्कूल में दाखिला करवाया गया किन्तु इन्होंने प्रायः घर पर रहकर स्वाध्याय के द्वारा हिन्दी, संस्कृत और बंगला साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। अगर हम मैथिलीशरण गुप्त की रचना यात्रा को देखते हैं तो उसका फलक बहुत विस्तृत है। विषय और काव्य की दृष्टि से उनके काव्य का वर्गीकरण निम्नांकित रूप से किया जाता है।

1. **महाकाव्य :** साकेत, जयभारत।
2. **खण्डकाव्य :** रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी, शक्ति, सैरन्ध्री, वन–वैभव, गुरूकुल, द्वापर, विष्णुप्रिया, रत्नावली आदि
3. **मुक्तक काव्य :** भारत भारती, राजा– प्रजा, पत्रावली, स्वदेश–संगीत, झंकार, कुणाल गीत आदि प्रमुख है।

4. **चम्पूकाव्य :** यशोधरा।

5. **अनुदित काव्य :** शकुन्तला, प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध आदि।

6. **नाटक :** तिलोत्मा, चन्द्रहास, अनघ आदि।

मैथिलीशरण गुप्त का महाकाव्य साकेत बारह सर्गों में विभक्त है। इसके विषय में नन्द दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं :– "साकेत महाकाव्य ही नहीं यह आधुनिक हिन्दी का युग प्रवर्तक महाकाव्य है।" साकेत ग्रंथ के शुरूआत में ही गुप्त जी कहते हैं कि :–

"राम, तुम मानव हो? ईश्वर नहीं हो क्या?
विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या?
तब मै निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करें;
तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे।"

वस्तुतः साकेत में गुप्त जी ने राम के शील और औदात्य के साथ–साथ मानवीय गुणों का समावेश किया है। इसमें रामायण के प्रसंग को नवीण दृष्टिकोण प्रदान किया गया है। इसके सभी सर्गों में गुप्त जी की कलात्मक अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। इसके आठवें सर्ग में कैकेयी का विलाप मर्मांत्क है तथा नवम् सर्ग इस कृति की प्राणधारा। दरअसल महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित लेख 'कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता' से प्रभाव ग्रहण कर मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत की रचना की। इसमें इन्होने रामायण के उपेक्षित पात्र उर्मिला को नायकत्व प्रदान किया। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है जो साकेत नगर में वास कर रही थी और अपने पति की विरह को बिना कहे झेल रही थी। वह मर्यादा की सीमा का अतिक्रमण नहीं करना चाहती है और ना ही अपने पति को कर्मविमुख करना चाहती है इसलिए अपनी भावनाओं को हृदय में समेट कर स्वंय का अस्तित्व तक भूल गयी है। गुप्त जी उर्मिला के माध्यम से कहते है कि –

"मानस–मंदिर में सती, पति की प्रतिमा थाप
जलती–सी उस विरह में, बनी आरती आप।
आखों में प्रिय–मूर्ति थी, भूले थे सब भोग,
हुआ योग से भी अधिक उसका विषम–वियोग!
आठ पहर चौंसठ घड़ी, स्वामी का ही ध्यान!
छुट गया पीछे स्वंय, उसका आत्मज्ञान!!"

दरअसल समकालीन समाज में स्त्रियों की दुर्दशा को देखकर गुप्त जी बहुत क्षुब्ध थे और स्त्रियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये एतिहासिक पात्रों द्वारा समाजिक सर्जना की। उस समय के समाज को स्त्रियों की दशा से अवगत कराने के लिए इन्होंने साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, रत्नावली आदि काव्य की सर्जना की। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थीं। जिसे कवि ने अपनी अनुभूतियों से कलम की धार पर उसके विकल मन को संसार के सम्मुख मार्मिकता से पेश किया है। यशोधरा की रचना सन् 1932 में किया गया है। इस पुस्तक के शुरूआत में बुद्ध का मन बेचैन है। उनकी बेचैनी का कारण नश्वरता, रोग, शोक आदि है और वह शाश्वता की खोज के लिए अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। बुद्ध के माध्यम से कवि कहते हैं :–

"मरने को जग जीता है!

रिसता है जो रन्ध्रपूर्ण घट,
भरा हुआ भी रीता है।
यह भी पता नहीं, कब किसका
समय कहाँ आ बीता है?"

बुद्ध ने मानवता के दुःखों को हरने के लिए अपने राज्य, घर, परिवार सभी का त्याग कर दिया और सिद्धि प्राप्त कर बुद्ध कहलाए जिन्हें संसार पूजता है और उनकी महिमा का गुणगान करता है, परंतु मैथिलीशरण गुप्त की दृष्टि बुद्ध पर ना जाकर उनकी विरहिणी यशोधरा पर जाती है जिसे बुद्ध ने बिना बताये त्याग कर दिया। यशोधरा अपना सर्वस्व जीवन बुद्ध की स्मृतियों के सहारे काट रही थी। मन में एक अभिलाषा लिये जीवन की नैया खे रही थी कि उसके पति सिद्धि प्राप्त कर उससे मिलने अवश्य आएंगे। यशोधरा कहती है :–

"सिद्धि–हेतु स्वामी गये, यह गौरव की बात;
पर चोरी–चोरी गये, यही बड़ा व्याघात।
सखि, वे मुझसे कह कर जाते,
कह, तो क्या मुझको वे अपनी पथ–बाधा ही पाते?
मुझको बहुत उन्होंने माना,
फिर भी क्या पूरा पहचाना?
मैंने मुख्य उसी को जाना,
जो वे मन में लाते।
सखि, वे मुझसे कह कर जाते,
स्वंय सुसज्जित करके क्षण में
प्रियतम् को प्राणों के पण में,
हमी भेज देते हैं रण में,
क्षत्र–धर्म के नाते
सखि, वे मुझसे कह कर जाते,"

इस काव्य में गुप्त जी ने यशोधरा के जीवन के साथ–साथ पितृहीन बालक की मार्मिकता को प्रकट किया है। राहुल यशोधरा से बार–बार अपने पिता के विषय में पूछता है। यशोधरा उसे आश्वासन देती है कि एक दिन उसके पिता अवश्य आएंगे, परंतु बाल मन की जिज्ञासा शांत नहीं होती है। वह सभी बंधनों को तोड़कर पिता से मिलना चाहता है और माँ से कहता है :–

"विहग–समान यदि अम्ब, पंख पाता मैं,
एक ही उड़ान में तो ऊँचे चढ़ जाता मैं।
मण्डल बनकर मैं घूमता गगन में,
और देख लेता पिता बैठे किस वन में।
कहता मैं– तात, उठो घर चलो अब तो,
चौंक कर अम्ब, मुझे देखते वे तबतो।

कहते– तू कौन है? तो नाम बतलाता मैं।
और सीधा मार्ग दिखा शीघ्र उन्हें लाता मैं।

. . . . . .

किन्तु बिना पंख के विचार सब रीते हैं,
हाय! पक्षियों से भी मनुष्य गये बीते हैं।"

'यशोधरा' में उद्यृत एक–एक पंक्ति भावों की अथाह सागर है। इसमें मातृ व्यथा की कारूणिक अभिव्यक्ति इन शब्दों में उजागर होती है जब बेबस यशोधरा अपने बच्चे के रोने पर कहती है :–

"चुप रह, चुप रह, हाय अभागे! रोता है अब किसके आगे
तुझे देख पाते वे रोते, मुझे छोड़ जाते क्यों सोते?"

'यशोधरा' में गुप्त जी ने यशोधरा के सम्पूर्ण जीवन को बखूबी प्रदर्शित किया है। काव्य के अंत में बुद्ध को यशोधरा ने अपना एक मात्र अवलम्ब राहुल सौंप दिया तथा स्वंय भी उनके धर्म में धर्मालीन हो गई।

पंचवटी मैथिलीशरण गुप्त की अमूल्य कृति है। वैसे तो इसकी कथा रामायण से संबंधित है लेकिन इसमें भी गुप्त जी ने मौलिक उद्‌भावना की है। इसमें लक्ष्मण की कर्त्तव्यनिष्ठा और पुरूषार्थ को केन्द्र में रखा गया है तथा प्रकृति का मनोरम दृश्य उपस्थित किया गया है। पंचवटी में जब लक्ष्मण सुर्पनखा के विवाह प्रस्ताव को ठुकराते हैं तब सुर्पनखा के विरोध में आधुनिक नारी की झलक मिलती है जो शास्त्रों पर प्रहार इन शब्दों में करती है :–

"पाप शांत हो, पाप शांत हो, कि मैं विवाहित हूँ बाले।
पर क्या पुरूष नहीं होते हैं दो–दो दाराओं वाले?
नरकृत शास्त्रों के सब बंधन है नारी को ही लेकर
अपने लिये सभी सुविधाऐं पहले ही कर बैठे नर।"

वास्तव में कोई भी रचनाकार अपने समय और समाज की सम्पूर्ण भंगिमाओं से अवगत होता है और समाज की रूपरेखा को अपनी रचनाओं में उकेरता है। यहाँ पर भी गुप्तजी ने उन शास्त्रों को नकार दिया है जो नारी के स्वतंत्रता की अवहेलना कर उसे विभिन्न वंदिशों में कैद करती हैं। गुप्त जी ने पंचवटी में लक्ष्मण के मुख से पशु की शालीनता को व्यक्त किया है तथा अपने आप को सभ्य जताने वाले मानव समाज पर प्रहार किया है क्योंकि स्वंय को सभ्य जताने वाले मानव अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए युद्धरत रहते हैं और युद्ध की विभीषिका से पशु पक्षी का त्रासद अन्त होता है। वे कहतें है –

"रखते हैं सयत्न हम पुर में, जिन्हें पिजरों में कर बन्द,
वे पशु–पक्षी भाभी से हैं हिले यहाँ स्वंयमपि सानन्द!
करते हैं हम पतित जनों में बहुदा पशुता का आरोप,
करता है पशु वर्ग किन्तु क्या, निज निसर्ग नियमों का लोप?
मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ,
किन्तु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ।"

भारत–भारती की रचना गुप्त जी ने 1912 ई० में किया। यह ग्रन्थ भारत वर्ष के संक्षिप्त दर्शन की

काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। इसे तीन खण्डों में विभक्त कर गुप्त जी ने भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य को उजागर किया है। भारतीय साहित्य में यह ग्रन्थ सांस्कृतिक नवजागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस कृति ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में इसके संबंध में यह कहा है– "गुप्त जी की ओर पहले पहल हिन्दी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत–भारती निकली। इसमें मुसद्दस हाली के ढ़ंग पर भारतीयों की या हिन्दुओं कि भूत और वर्तमान दशाओं कि विषमता दिखाई गई है; भविष्य निरूपन का प्रयत्न नहीं है। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग्वैचित्य इत्यादि का विधान इसमें न था, पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी–सादी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई।" गुप्त जी कहते हैं–

"हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी,
आओं विचारें आज मिलकर ये समस्याऐं सभी।"

इस पुस्तक में भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपने पौढ़तम् रूप में उपस्थित हुआ है। भारतीय जनमानस की चेतना को प्रमुखता देते हुए कवि कहते हैं :–

"हम बाह्य उन्नति पर कभी मरते न थे संसार में,
बस मग्न थे अन्तर्जगत के अमृत–पारावार में।
जड़ से हमें क्या, जब कि हम थे नित्य चेतन से मिले,
है दीप उनके निकट क्या जो पद्म दिनकर से खिले?"

अतः मैथिलिशरण गुप्त की रचना समाज के विभिन्न पहलुओं से होते हुए धर्म का ध्वज धारण कर राष्ट्र की गरिमा को प्रकटित करता है। इनके साहित्य में समाज कि विसंगतियों पर कुठार चलाया गया है तथा राष्ट्र की नवनिर्मिति पर चिन्ता व्यक्त की गई है। इन्होंने अपनी रचना में क्रमशः युगीन परिस्थितियों को आंकते हुए भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहते हैं। वे कहते हैं– "प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है।"

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मैथिलीशरण गुप्त 'भारत–भारती' (लोक भारती प्रकाशन) अड़तालीसवाँ संस्करण 2021
2. मैथिलीशरण गुप्त 'साकेत' (लोक भारती प्रकाशन) पाँचवाँ पेपरबैक संस्करण 2021
3. मैथिलीशरण गुप्त 'पंचवटी' (लोक भारती प्रकाशन) सत्ताइसवाँ संस्करण 2018
4. मैथिलीशरण गुप्त 'यशोधरा' (लोक भारती प्रकाशन) संस्करण 2020
5. हिन्दी साहित्य का इतिहास' आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, प्रकाशन संस्थान 2018
6. हिन्दी साहित्य का आधुनिक इतिहास' डा० तारक नाथ बाली, प्रभात प्रकाशन प्रथम संस्करण 2017
7. मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में नारी चेतना।

पता :– वार्ड नं०– 13, मोलदियार टोला, आनंद मार्ग स्कूल के पास, मोकामा, जिला–पटना, बिहार, पिन 803302
मोबाइलः– 7004725802, 7765825646, ई–मेल :– panch15feb@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 11, Issue 5-6
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 119-126

वर्तमान परिवेश में ग्रामीण समाज में महिलाओं की परिवर्तित स्थिति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

रिंकी जादव, शोधार्थिनी
डॉ. नीलम गुप्ता, मार्गदर्शक एवं प्राध्यापक
(समाजशास्त्र), महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महा. ग्वालियर (म.प्र.)

सारांश :-

प्रस्तुत शोध–पत्र म.प्र. के भिण्ड जिले की ग्रामीण महिलाओं की परिवर्तित स्थिति के अध्ययन पर आधारित है। ग्रामीण समाज में पुरूषों के साथ–साथ महिलाओं का भी पूर्ण योगदान रहा है, पारिवारिक एवं बाहरी दायित्व अर्थात् द्वंद भूमिका को पूर्ण करने में पुरूषों से अधिक कर्तव्यनिष्ठ है। आधुनिकीकरण के समय में महिलायें परिवर्तित पृष्ठभूमि में प्रगतिवादी विचार, कौशल एवं मनोवृत्ति को ढालकर समाज के नये आयाम को स्वीकार कर रही है, वहीं दूसरी ओर उनकी समस्याओं मे भी वृद्धि हुई है, जिसका प्रभाव समाज की परिवर्तित स्थिति पर पड़ रहा है।

प्रस्तावना :-

भारतीय समाज में महिलाओं की परिस्थिति समयानुसार कालखण्ड में परिवर्तित होती रही है। समुदायों के विभेदीकरण ने महिलाओं की स्थिति का भी विभेदीकरण किया है, नगरीय समुदाय नवनिर्मित जीवन प्रणाली की ओर अग्रसर होता है, जबकि ग्रामीण समुदाय पारंपरिक प्रणाली को ही अपनाये हुये है, इन प्रणाली में सहभागित कर नवीन भूमिकाओं में प्रयुक्त किया है, ग्रामीण–पुनर्निर्माण में वैज्ञानिक गतिविधियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, उत्पादन प्रणाली, ग्रामीण विकास, सांस्घ्कृतिक परिवर्तन, आर्थिक निर्भरता, शैक्षणिक विकास, राजनैतिक पहलू आदि विभिन्न पहलुओं में पृथक–पृथक रूप में परिवर्तन के अवसर प्रदान किये गये है। सांस्कृतिक परम्पराओं में बदलाव तो हुआ है, परन्तु ये बदलाव न्यून स्तर पर देखा जा सकता है क्योंकि रूढ़िवादिता ग्रामीण परम्पराओं को सुदृढ़ रूप से दृष्टिगोचर करती है।

भारत में लगभग 6,59,631 गांव है, सभी में महिलाओं की स्थिति भिन्न–भिन्न रूप में असंगठित आयामों में कृषि कार्य, पशु पालन, पारिवारिक निर्भरता आदि में पूर्ण योगदान देने पर भी पितृसत्तात्मक विचारों को समाप्त नहीं किया जा सकता, कृषि भूमि पर महिला किसानों का मालिकाना अधिकार न होने के कारण उन्हें पुरूषों के नाम अर्थात् किसानों की पत्नियों के नाम से ही जाना जाता है। अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास के प्रभाव में स्वयं

की परिस्थिति को बदलना नहीं चाहती एवं पुरूषों के अंतर्गत ही सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करती है।

प्रस्तुत शोध–पत्र, ग्रामीण महिलाओं की परिवर्तित स्थिति से संबंधित है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले तत्वों को दृष्टांगत कर सामाजिक, आर्थिक पहलुओं पर विचारणीय महत्वता को उल्लेखित किया गया है। ग्रामीण महिलाओं को प्राप्त अधोसंरचना सुविधाओं से जीवन प्रभावित तो हुआ है और स्वयं की स्थिति को परिवर्तित किया है।

सामाजिक परिवर्तन :–

सामाजिक परिवर्तन में कुछ ग्रामीण महिलाओं ने रूढ़िवादी परम्पराओं को त्याग दिया है जैसे– पर्दाप्रथा एवं पितृसत्तात्मक प्रभाव को भी कम कर दिया है, वे स्वयं निर्णय लेने की अधिकारी है एवं अपनी प्रतिष्ठा को गौरवान्वित कर रही है, बाल–विवाह में कमी तो हुई है परन्तु कुछ क्षेत्रों में 16–18 वर्ष की बालिकाओं का विवाह अब भी किया जाता है, परन्तु बेमेल विवाह को कुछ स्तर तक समाप्त कर दिया गया है, विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को कुछ हद तक प्राथमिकता दी जाती है इसके अतिरिक्त जातीय संस्करण में भी परिवर्तन हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जातीय प्रथा अधिक प्रभावित करती है, परन्तु जातीय जागरूकता के प्रभावित आयामों में ऊंच–नीच का संस्तरण कम कर दिया गया हैं, कुछ क्षेत्रों में जाति छुआछूत एवं ऊंच–नीच के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया है, सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक भावनाओं से व्यवहार किया जाता है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि में कुछ परिवर्तन देखे गये है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलायें जागरूक एवं आत्मनिर्भर हो रही है।

अध्ययन शोध पद्धति :–

प्रस्तुत शोध–पत्र में वर्तमान परिवेश में ग्रामीण महिलाओं की परिवर्तित स्थिति का विवरण किया गया है। उक्त शोध कार्य में प्रकृति के आधार पर विवरणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसके माध्यम से अध्ययन विषय में वास्तविक तथ्य एकत्रित कर उन्हें विवरणात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है एवं घटनाओं का यथार्थ रूप में विवेचन किया गया है।

सामाजिक शोध–पत्र की योजना के स्वरूप में निर्धारित शोध–पत्र की योजना के में निर्धारित शोध–कार्य की निश्चित दिशा प्रदान करने अथवा तथ्यों से संबंधित नवीन अंतदृष्टि प्राप्त करने के लिये वर्णनात्मक शोध अनिकल्प का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत शोध-पत्र के प्रारूप निम्न प्रकार है :–

1. शोध उद्देश्य का निरूपण करना।
2. तथ्य संकलन एवं पद्धतियों का चयन करना।
3. निदर्शन का चयन करना।
4. आधार सामग्री का सकंलन एवं परीक्षण करना।
5. परिणामों का विश्लेषण करना।
6. निष्कर्ष

अध्ययन के उद्देश्य :–

वर्तमान परिवेश में ग्रामीण महिलाओं की परिवर्तित सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

प्राक्कल्पनायें :–

ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन निम्ध्न स्ध्तर पर हुआ है।

अध्ययन क्षेत्र :–

प्रस्तुत शोध–पत्र हेतु अध्ययन का क्षेत्र म. प्र. के 50 जिलो में से भिण्ड जिले का चयन किया गया है। भिण्ड जिले में कुल 9 तहसील है, भिण्ड, अटेर, मेहगांव, गोहद, मिहोना, लहार, गोरमी, रौन, एवं मौ है। यहां ग्राम पंचायत की कुल संख्ध्या 447 है, जिसके अंतर्गत 949 गांव है। वर्ष 2011 में भिण्ड जिले की जनसंख्या 17,03,562 जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 9,26,843 एवं महिलाओं की जनसंख्या 7,76,162 है एवं वर्ष 2022 की अनुमानित कुल जनसंख्या 19,93,197 है जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 10,84,777 एवं महिला जनसंख्या 9,08,420 है। भिण्ड जिले की साक्षरता दर प्रति 1000 पुरूष में 753 महिलायें साक्षर है।

निदर्शन :–

शोध–पत्र में अध्ययन हेतु निदर्शन के अंतर्गत चयनित भिण्ड जिले के 9 तहसील में से मेहगांव को चुना गया है। मेहगांव की 5 ग्राम–पंचायत से 10 गांव की 400 महिलायें अर्थात् प्रत्येक गांव से 10 प्रतिशत महिलाओं को चयनित किया गया है। ग्रामीण महिलाओं का चयन दैव निदर्शन की लॉटरी विधि द्वारा किया गया है, जो निम्न सारणी द्वारा प्रस्तुत है :–

(तालिका–1)

क्र.	ग्राम पंचायत	गांव का नाम	वार्ड क्र.	कुल जनसंख्या	पुरूष जनसंख्या	महिला जनसंख्या	चयनित महिलाओं का 10 प्रतिशत
1	रनूपुरा	रनूपुरा	1–8	1157	672	485	48
2	रनूपुरा	जिठासों	11–16	759	414	345	34
3	रनूपुरा	जरसेना	18–20	614	366	248	24
4	सायना	सायना	1–20	2185	1257	928	93
5	सिलोली	सिलोली	1–14	973	485	487	49
6	सिलोली	रायपुरा	15–19	656	366	290	29
7	पड़कोली	पड़कोली	1–14	976	597	379	38
8	पड़कोली	सेथरी	15–18	229	131	98	10
9	कुठोदा	कुठोदा	1–14	1106	582	524	51
10	कुठोदा	सरसेड़	15–20	571	325	246	24
				9226	5196	4,030	400

आधार सामग्री का संकलन :–

प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत 10 गांत (रनूपुरा, जिठासो, जरसेना, सायना, सिलोली, रायपूरा, पड़कोली,

सेथरी, कुठोदा, सरसेड़) सो साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से दैव निदर्शन की लॉटरी विधि द्वारा चयनित 400 महिलाओं से आंकड़ो को संकलित किया गया है।

(तालिका-2)

उत्तरदात्रियों के परिवार का स्वरूप

क्र.	परिवार का स्वरूप	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	संयुक्त	220	55
2	एंकाकी	156	39
3	नवविवाहित	24	6
	400	100	

तालिका–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार का प्रतिशत सर्वाधिक 55 प्रतिशत है। अतः ग्रामीण समाज अभी भी संयुक्त परिवार को प्राथमिकता देते है। इसके अतिकरक्त एकांकी परिवार की संख्या में भी वृद्धि हुई है, 39 प्रतिशत है, इससे सिद्ध होता है कि शहरी जुड़ाव ने ग्रामीण समाज को प्रभावित किया है, क्योंकि नवविवाहित परिवार को भी दृष्टिगत किया है जो 6 प्रतिशत है।

(तालिका-3)

उत्तरदात्रियों का शैक्षणिक स्तर

क्र.	शैक्षणिक स्तर	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	निरक्षर	60	15
2	प्राथमिक	160	40
3	माध्यमिक	140	35
4	हाईस्कूल	76	19
5	स्नातक	44	11
6	स्नातकोत्तर	20	5
		400	100

तालिका–3 में दर्शाया गया है कि शिक्षा स्तर में 2022 में परिवर्तन हुआ है, जिसमें 15 प्रतिशत ग्रामीण महिलायें ही निरक्षर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा के रूप में किया गया है। परिणामतः सर्वाधिक आंकड़ो में 40 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त है। माध्यमिक शिक्षा का 35 प्रतिशत है परन्तु स्नातक एवं स्नातकोत्तर का प्रतिशत न्यून है अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार तो हो रहा है, परन्तु महाविद्यालय की अधिक दूरी के कारण स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा ग्रहण करने में असहाय है।

(तालिका–4)

उत्तरदात्रियों की स्थिति परिवर्तन में सहयोग

क्र.	स्थिति परिवर्तन मंण सहयोग	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	परिवार	40	10
2	प्रशासन	66	16.5
3	शिक्षा	84	21
4	सभी	210	52.5
		400	100

उपरोक्त तालिका–4 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदात्रियों की स्थिति परिवर्तन में योगदान सभी का है। जो आंकड़ो के अनुसार 52.5 है जबकि इन्हें भिन्न–भिन्न भागों में परिवार का 10 प्रतिशत है। परिवार में बदलाव का प्रमुख कारण आधुनिकीकरण का प्रभाव है, प्रशासन का 16.5 प्रतिशत है। इसके के अंतर्गत आंगनवाड़ी, स्वयं सहायता समूह आदि की भागीदारी है।

(तालिका–5)

उत्ध्तरदात्रियों का व्ध्यवसाय

क्र.	व्यवसाय	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	कुछ नहीं	125	31.25
2	निजी व्यवसाय	77	19.25
3	कृषि	130	32.5
4	नौकरी	8	2
5	श्रमिक	60	15
		400	100

तालिका–5 से स्पष्ट है कि ग्रामीण महिलायें सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में योगदान दे रही है जिसका 32.5 प्रतिशत है, एवं 31.25 प्रतिशत महिलायें पारिवारिक परिस्थिति से जुड़ी हुई है, जबकि 19.25 प्रतिशत महिलायें निजी व्यवसाय करती है। श्रमिक महिलायें 15 प्रतिशत है, ग्रामीण समाज महिलाओं को बाहरी समाज में असुरक्षित महसूस करते है और इसी कारण महिलाओं को नौकरी की इजाजत नहीं देता है। प्रधानमंत्री समर्थ योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय करने की जानकारी दी जाती है। फ्री सिलाई मशीन योजना से घरेलू व्यवसाय में वृद्धि हुई है।

(तालिका-6)

उत्तरदात्रियों के आवश्यकता के भौतिक साधन

क्र.	भौतिक साधन	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	कुछ नहीं	0	–
2	बिजली, नल, गैस, फर्नीचर, टी.वी. मोबाइल, यातायात	350	87.5
3	बिजली, नल, गैस, फर्नीचर, टी.वी. मोबाइल, कम्प्यूटर, यातायात	50	12.5
		400	100

तालिका–6 से स्पष्ट है कि 87.5 प्रतिशत ग्रामीण महिलायें भौतिक साधनों का उपयोग करती है जिसमें बिजली, पानी की सुविधा, गैस, फर्नीचर, टी.वी., मोबाइल, यातायात के साधन आदि शामिल है। बिजली में प्रशासन ने 100 यूलिट तक छूट दी है, पानी की सुविधा घरों में की गई है। उज्जवला योजना के अंतर्गत महिलाओं को घरेलू गैस चूल्हे सुविधायें दी गई है। यातायात के साधनों में मोटर साइकिल का उपयोग लगभग सभी परिवारों में किया जाता है। तकनीकी में मोबाइल एवं टी.वी., का उपयोग मनोरंजन एवं जानकारी के लिये किया जाता है, परन्तु भौतिक साधनों में कम्प्यूटर सिर्फ 12.5 प्रतिशत है, परन्तु भौतिक साधनों में कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सम्पन्न परिवार एवं प्रशासनिक योजनाओं के माध्यम से ही कम्प्यूटर का उपयोग किया जाता है।

(तालिका-7)

उत्तरदात्रियों की परिवार में सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति

क्र.	परिवार में सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	उच्च	142	35.5
2	मध्य	205	51.25
3	निम्न	53	13.25
		400	100

तालिका–7 में स्पष्ट है कि ग्रामीण समाज में महिलाओं की परिस्थिति में बदलाव महसूस किया गया है, गत वर्षों के शोध कार्य में ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का प्रतिशत न्यून स्तर पर था परन्तु तालिका–7 में स्पष्ट है कि ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति 35.5 प्रतिशत है, जबकि मध्य सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति 51.25 प्रतिशत है वहीं निम्न परिस्थिति 13.25 प्रतिशत है। अतः विश्लेषण में स्पष्ट है कि ग्रामीण समाज में महिलाओं की परिस्थिति में बदलाव दृष्टिगत किया गया है।

(तालिका-8)

क्र.	रूढ़िवादी परम्परायें	उत्तरदात्रियों की संख्या प्रतिशत	हां	नहीं
1	दहेज प्रथा	228	172	57–43
2	पर्दा प्रथा	248	152	62–38

तालिका–8 में स्पष्ट है कि ग्रामीण समाज में महिलायें रूढिवादी परम्पराओं को अपनायें हुये है, वे इन्हें त्यागना नहीं चाहती, क्योंकि 62 प्रतिशत महिलायें पर्दा प्रथा को उचित समझती है। वे इस प्रथा को सांस्कृतिक परम्परा मानती है। यदि दहेज प्रथा का उल्लेख किया जाये तो 57 प्रतिशत महिलायें इसके पक्ष में है।

निष्कर्ष :-

उपरोक्त अध्ययन में प्राप्त हुआ है कि भारत के ग्रामीण समाज की ग्रामीण महिलाओं में परिवर्तन दिखाई देता है। ग्रामीण परिवेश में रूढिवादी परम्परायें कम हुई है, समय अनुसार बदलाव धीरे–धीरे दृष्टिगोचर रहा है, बदलाव का एक प्रमुख कारण शहरों की ओर आकर्षण भी है। वर्तमान परिस्थिति में संयुक्त परिवार की अपेक्षा केन्द्रीय परिवार अधिक विकसित है। केन्द्रीय परिवार में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि प्रतिमानों में निरन्तर परिवर्तित दिखाई दे रहा है। ग्रामीण महिलाओं की परिस्थिति परिवर्तन में प्रशासन का बहुत योगदान है, जिसे आंगनवाड़ी, स्वयं सहायता समूह एवं संस्थाओं के माध्यम से उन्हें जागरूक किया जाता है। भौतिक साधनों के उपयोग से भी बदलाव हुआ है, घरेलू गैस चूल्हे, फर्नीचर, मोबाइल, टेलीविजन, यातायात के साधन आदि के माध्यम से दैनिक जीवन में परिवर्तन आया है। प्राप्त आंकड़े दर्शाते है कि कुछ ग्रामीण महिलायें कृषि के अतिरिक्त स्वंय का भी व्यवसाय करती है उसमें प्रशासन द्वारा लागू योजनायें उनके व्यवसाय में सहयोग करते है। अतः आंकड़ो के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि स्वतंत्रता पश्चात् ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन दिखाई देता है जिसमें महिला अपने परिवार में आत्मनिर्भर होकर स्व्वंय को गौरवान्वित कर रही है।

संदर्भ :-

1. कुमारी, गीता (2002) ग्रामीण महिलाओं में सामाजिक चेतना एवं राजनीतिक सक्रियता का समाजशास्त्रीय अध्ययन। (शोधगंगा)
2. अफ्रोज, शमा (2002) आधुनिकरण का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभाव। (शोधगंगा)
3. जैन, पारस (2017) 17जी फरवरी, ग्रामीण भारत में महिला शिक्षा, ISSN:2550-7001 (google)
4. मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2023, jansankhya.itshindi.com
5. वडेहरा, किरण एवं जॉर्ज कोरेथ, (2017) ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, SAGE publications India Pvt Ltd B1/I-1 Mohan Cooperative industrial Area Mathura Road, New Delhi 11044, India.
6. सिंह, डॉ. वी.एन. एवं सिंह, जनमेजय, (2005) ग्रामीण समामशास्त्र, विवेक प्रकाशन। 7–यू.ए., जवाहर नगर दिल्ली –110007.
7. सिहं, रामगोपाल एवं भारती (2016) सामाजिक अनुसंधान की विधियां। मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,

रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बानगंगा, भोपाल (म.प्र.) 462003.

8. शर्मा, डॉ. श्रीनाथ (2012) सामाजिक अनुसंधान पद्धति। मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बानगंगा, भोपाल (म.प्र.) 462003.
9. भगत, डॉ मनोज (2022) ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह की भूमिका। Sankalp Publication Head office : Ring Road 2 Gaurav Path, Bilaspur, Chhattisgarh- 495001
10. अग्रवाल, डॉ. विमल (2021) एस बी पी डी पब्लिकेशन्स 3/20 बी, आगरा–मथुरा बाईपास रोड, निकट तुलसी सिनेमा, आगरा–282002
11. ग्रामीण मतदान सूची (2022)
12. रूवाली, डॉ. प्रियंका एवं कु. वन्दना, कामकाजी महिलाओं की परिस्थिति एवं समस्याऐं : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। Journal of Acharaya Narendra Dev Research institute: ISSN:0976-3287.
13. कुमारी, अंजू (2019) समाज में महिलाओं की स्थिति एवं सामाजिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन। www.allresearechjournal.com, ISSN:2394-5869.
14. कौर, परमजीत (2016) मध्यकाल में महिलाओं का रोल और स्थिति। www,ijim.in ISSN:2456-0553
15. कुमारी, प्रियंका (2016) वैश्वीकरण के दौर में महिला सशक्तिकरण : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण। ISSN: 2394-2878.

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 11, Issue 5-6
पृष्ठ : 127-130

पण्डित नेहरू का सामाजवादी चिंतन

संतोष कुमार
शोधार्थी, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, उत्तर प्रदेश।
डॉ. ऋषिकेश सिंह
शोध निर्देशक, आचार्य, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज, गोण्डा।

'समाजवाद' शब्द इतना प्रचलित है कि इसकी निश्चित परिभाषा करना कठिन है। चिंतन के क्षेत्र में समाजवाद की विभिन्न शाखाएं हैं, वस्तुतः समाजवाद क्या है? यह समझना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। समाजवाद को किसी एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। कुछ विद्वानों का मानना है कि समाजवाद आंदोलन है तो कुछ का कहना है कहना है कि यह एक दर्शन है। इसी प्रकार समाजवाद की एक राजनीतिक प्रणाली है और आर्थिक व्यवस्था भी।

प्रो० लास्की के अनुसार – समाजवाद एक आदर्श है और एक साधन भी। इसका आदर्श एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां उत्पादन के साधनों एवं वितरण पर सामाजिक नियंत्रण होने के कारण विभिन्न सामाजिक वर्गों को समाप्त कर दिया जाएगा। इस आदर्श की प्राप्ति हेतु यह अपना साधन सामाजिक क्रांति मानता है, जिसके माध्यम से सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद कायम हो सके। लेकिन इसकी समस्या यह है कि समाजवाद का कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं है। समय–समय पर इसकी प्रकृति में विस्तार हुआ है जैसे कार्ल मार्क्स ने जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया उसमें लेनिन, स्टालिन, माओ आदि के प्रभाव के कारण साम्यवाद में अनेक संशोधन एवं परिवर्धन हुए।

स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू भी मार्क्सवाद से प्रभावित थें। लेकिन पण्डित नेहरू का समाजवाद में विश्वास वैज्ञानिक होने के साथ–साथ मानवीय था। पण्डित नेहरू मार्क्सवाद की मूल धारणा से इत्तेफाक रखते थे लेकिन वे लेकिन उसें लागू करने के मामले में वे रूसी क्रांति या अन्य किसी क्रांति के बजाय भारत के हालात के अनुसार चलना चाहते थें उनका विश्वास उस प्रकार के साधन अपनाने में बिल्कुल नहीं था। वें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं चाहते थे जिससे सर्वहारा अधिनायकवाद किसी व्यक्ति व दल का अधिनायकवाद बन जाए। लेकिन वें रूसी क्रांति की मूल भावना का आदर करते थे। पण्डित नेहरू समाजवाद की स्थापना लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर करना चाहते थें। उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि भारत जैसे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया उतनी ही अनिवार्य है जितना कि समाजवाद। उन्होंने कहा कि

"हमारा उद्देश्य यह है कि देश में प्रत्येक स्त्री–पुरुष तथा बच्चों को समान अवसर प्राप्त हो और बड़ी–बड़ी विषमताएं दूर हो जाए। लेकिन यह कोई सरल उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इससे हमारा मतलब प्रशिक्षण, शिक्षा तथा अन्य सैकड़ों उपायों से है जिससें मानवीय सुधार सामाजिक स्तर पर हो। समाजवाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से सोचते तथा विचारते है तथा हम अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और मिल जुलकर एक साथ काम करने का अपने क्षमता का किस प्रकार विकास करते हैं, "इस प्रकार यदि देखा जाए तो पण्डित नेहरू समाजवाद को केवल राजनीतिक व केवल आर्थिक विचारधारा के रूप में नहीं देखते थे, वे समाजवाद को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र से जोड़कर एक समाजवादी पुनर्निर्माण कि ओर आगे बढ़ना चाहते थें। वे समाज में हो रहें भेदभाव, अमीर–गरीब, ऊंच–नीच आदि को भारत की बड़ी समस्याओं में से एक मानते थें उनका मानना था भारतीयों को अब इस सब से बाहर निकलना चाहिए।

जाति व्यवस्था पर पण्डित नेहरू के विचार :–

भारत में जाति व्यवस्था प्राचीन समय से चली आ रही एक समस्या थी, इसके विरोध में समय–समय पर तमाम आंदोलन भी हुए हैं लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिल पायी।

पण्डित नेहरू जाति प्रथा से जुड़ी विषमताओं को दूर करने के लिए आर्थिक सम्पन्नता को एक अनिवार्य तत्व मानते थें। यदि समाज में आर्थिक निर्भरता ना हो तो जाति प्रथा की समस्या स्वतः सुलझ सकती है। वें जन्म के आधार पर जाति के निर्धारण से असहमत थे बल्कि कार्य के आधार पर प्राचीन काल में वर्ग के निर्धारण से सहमत थें लेकिन धीरे–धीरे जैसे ही इस व्यवस्था में विकृतियां आयी वैसे–वैसे समाज बंट गया और यह एक राष्ट्र के लिए बहुत ही बुरा है। पण्डित नेहरू का मानना इस समस्या के समाधान के लिए वर्तमान समाज के आर्थिक क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन करने चाहिये।

पण्डित नेहरू इस विभाजनकारी समाज में भारत का भविष्य ठीक नहीं देख रहे थें, उनका मानना था कि इस प्रकार से विभाजित समाज ना तो विकास कर सकता है और ना ही समाज में शांति स्थापित हो सकती हैं ऐसे में भारतीय समाज हमेशा संघर्ष के भेंट ही चढ़ा रहेगा।

पण्डित नेहरू जातिगत समस्याओं से निपटने में समाजवादी व्यवस्था को अधिक सहयोगी मानते थे। उनका मानना था इस व्यवस्था को अपनाने से तमाम जातिगत व जन्म आधारित भेदभाव से मुक्ति मिल सकती है। पण्डित नेहरू जातिगत समस्या से निपटने में आर्थिक सम्पन्नता, समाजवादी व्यवस्था और शिक्षा को अनिवार्य मानते थे। शिक्षा वास्तव में किसी भी समस्या के समाधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। एक शिक्षित समाज में इस प्रकार की नकारात्मक मानसिकता बहुत कम होती है। पण्डित नेहरू ने समाज को जागरूक करने के लिए एक वेलफेयर बोर्ड की योजना बनाई लेकिन उसे जमीन पर लागू नहीं किया जा सका। लेकिन उन्हें जब–जब मौका मिला तब–तब उन्होंने सामाजिक समता पर काम किया। लेकिन यह भी सच्चाई है कि पण्डित नेहरू कभी जातिगत उच्चता पर खुलकर मुखर नहीं हुए जो कि हमारे समाज की सबसे जटिल समस्याओं में से एक थी।

पण्डित नेहरू की धर्म संबंधी अवधारणा :–

पण्डित नेहरू के नजर में धर्म 'सत्य' की खोज; चेतना के विकास और मानव के अनुभव में निहित है; अज्ञात, अध्यात्म एवं दर्शन में लीन रहता है। यद्यपि पण्डित नेहरू धर्म के उदार और व्यक्तिपरक स्वरूप की ओर आकृष्ट हुए, परंतु उन्होंने जो अन्य के विचारों को सहन नहीं कर सकता तथा अवसरवादियों का शिकार रहता है तथा परिवर्तन और विकास का विकास का विरोध करता हैं, उन्होंने ऐसे संकीर्ण संगठित संस्थागत विचारों का विरोध किया।

पण्डित नेहरू धर्मतन्त्र के विरोधी थे। उन्होंने एक ओर शरीयत पर आधारित इस्लामी राज्य संबंधी जिन्ना के पाकिस्तान की अवधारणा का खण्डन किया तो दूसरी ओर हिन्दू राज्य संबंधी विचारों का भी। वे ऐसा राज्य चाहते थे जो किसी एक जाति, वर्ण या किसी एक धर्म के नियमों से ना चलकर लोकतांत्रिक व सामाजवादी मूल्यों पर शासित हो। पण्डित नेहरू भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना चाहते थें।

पण्डित नेहरू की आस्था धर्म निरपेक्ष परंपराओं में थी जिसका आधार था धार्मिक सहिष्णुता, स्नेह, अहिंसा, दैवीय भ्रातृत्व, सामनता, अन्तर्मन की स्वतंत्रता, सत्य को खोजने के विविधता से भरें मार्ग, तमाम धार्मिक विश्वासों के प्रति सहनशीलता आदि। पण्डित नेहरू ने इस क्रम में भारतीय सम्राटों एवं सुधारकों के योगदान को स्वीकार किया। उनकी नजर में सम्राट अशोक के द्वारा सभी धर्मों के सम्मिश्रण और सहिष्णुता का प्रयास किया गया और अकबर ने भी धार्मिक संघर्षो में शांति स्थापित करने के प्रयास किए। विभिन्न धार्मिक सुधारकों जैसे रामानन्द, कबीर, और गुरू नानक ने धर्मों के संगम के लिए तथा शंकराचार्य ने भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए योगदान किया। चार्वाक ने नास्तिकता के द्वारा तार्किकता पैदा की तथा राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद, और विवेकानंद आदि अन्य कई महापुरुषों के कार्यों से प्रभावित थें।

पण्डित नेहरू का मानना था कि धर्म और राजनीति का साम्प्रदायिक गठबंधन किसी भी देश के लिए घातक है, वे किसी धर्म विशेष को अधिक मान्यता देने के बजाय सभी धर्म के नैतिक मूल्यों को स्वीकार करते थें। धर्म के नाम पर अराजकता, रूढ़िवादी मान्यता व धार्मिक भेदभाव के वे कड़े आलोचक थें।

समाज में आर्थिक तत्व का सर्वाधिक महत्त्व होता है इसलिए पण्डित नेहरू का भी लक्ष्य था कि शांतिपूर्ण संवैधानिक साधनों द्वारा लोकतांत्रिक ढ़ांचे के अंर्तगत समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना। उनका मानना था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज का ताना–बाना यहां की मूल समस्या है और इसके समाधान के बिना देश का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है जिसके चलते उन्होंने भारतीय परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए समाजवाद और लोकतांत्रिक व्यवस्था के मिश्रण को भारत के लिए उपयुक्त समझा।

निष्कर्ष :–

स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान उन्होंने भारत को अच्छे से समझ लिया था और उस दौरान उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए अपना शत–प्रतिशत योगदान दिया था। लेकिन आजादी के बाद उन्हें देश ने बड़ा दायित्व दिया और उन्हें देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दायित्व का निर्वहन

भी पण्डित नेहरू ने बहुत ही ईमानदारी से किया। देश को गांधीवादी मूल्यों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए विकास के नए–नए रास्ते पर ले जाना, संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थानों का विकास करना, भारतीय सामाज को नये सपने दिखाना तथा देश को नयी दिशा देने का काम पण्डित नेहरू ने किया। वे एक अच्छे लेखक, चिंतक और सफल नेता भी थे। वें भारत में समाजवाद के शुरूआती समर्थक थे लेकिन वे बहुत ही सतर्क सामाजवादी थें उन्होंने समाजवाद के उन्हीं तत्वों को स्वीकार किया जो भारतीय समाज के हित में थें ना कि उसके अतिवाद को।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कश्यप, सुभाष, जवाहरलाल नेहरू : जीवन, कृति एवं कृतित्व, लोकसभा सचिवालय, एस. चंद कम्पनी एण्ड लिमिटेड, पृष्ठ 19.
2. विश्व इतिहास की झलक : जवाहरलाल नेहरू, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृष्ठ संख्या– 671.
3. नाटाणी, प्रकाश नारायण, गांधी, नेहरू और टैगोर, पोइंटर पब्लिशर्स जयपुर, पृष्ठ संख्या– 133
4. नेहरू, जवाहरलाल "मेरी कहानी" पृष्ठ 524.
5. चतुर्वेदी, बनारसी दास, नेहरू : व्यक्तित्व और विचार, पृष्ठ संख्या 447.
6. नेहरु स्पीचेज–1 पृष्ठ संख्या– 531.
7. हिन्दुस्तान की कहानी : जवाहरलाल नेहरू, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृष्ठ संख्या– 591.
8. त्यागी, रूचि, भारतीय राजनीतिक चिंतन, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या– 452, 460, 473.
9. पीयूष, बबेले, नेहरू मिथक और सत्य, संवाद प्रकाशन मेरठ, पृष्ठ संख्या– 265.
10. गुहा, रामचंद्र, भारत गांधी के बाद, पेंगुइन बुक्स दिल्ली, पृष्ठ संख्या– 129.
11. किदवई, रशीद, भारत के प्रधानमंत्री : देश, दशा, दिशा, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृष्ठ संख्या– 28, 30.
12. ब्रीचर, माइकेल, नेहरू, राजनीतिक जीवन चरित्र, मोतीलाल बनारसीदास, नयी दिल्ली, पृष्ठ संख्या– 173.

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 11, Issue 5-6
पृष्ठ : 131-135

प्रभावशाली सम्प्रेषण में शारीरिक भाषा की भूमिका

डॉ0 आनन्द कुमार कपिल
प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, एस0 डी0 पी0 जी0 कालेज, मठलार, देवरिया (उ0प्र0)

शोध सार :-

सम्प्रेषण में विभिन्न प्रकार की शारीरिक मुद्राओं व संकेतों द्वारा हमारा व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है। हम अपने मन की भावनाओं को अपने विचारों द्वारा व्यक्त करते है परन्तु कुछ मन की भावनाओं को अवाचिक हाव भाव द्वारा सम्प्रेषण करते है। शारीरिक भाषा के अन्तर्गत चेहरे की आनन अभिव्यक्ति, शारीरिक मुद्राएं, संकेत, चक्षु सम्पर्क, स्थान का उपयोग एवं गति आदि शामिल होते है। अवाचिक सम्प्रेषण की समझ रखने वाले दूसरों व्यक्ति के मन को जान सकते है। दो व्यक्तियों या समूह के बीच बातचीत या चर्चा के दौरान एक–दूसरों को प्रभावित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते है। भाषा का उपयोग जितना स्पष्ट एवं अर्थ पूर्ण होगा, उतना ही सम्प्रेषण प्रभावशाली होगा।

महत्वपूर्ण शब्द :-

सम्प्रेषण, शारीरिक मुद्रा व संकेत, व्यक्तित्व, भावनाएं, अवाचिक हाव भाव, चेहरे की आनन अभिव्यक्ति, शारीरिक मुद्राएं, संकेत, चक्षु सम्पर्क।

प्रस्तुत शोधपत्र में विभिन्न लोगों के परस्पर सम्प्रेषण का अवलोकन, साक्षात्कार तथा विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहार्विदों के अध्ययन को शामिल किया है। जिसके आधार पर अशाब्दिक संकेतों एवं मुद्राओं के विषय में बताया गया है। यह शोधपत्र शारीरिक मुद्राओं व संकेतो के हर पहलुओं का अध्ययन के बारे में बताती है। अधिकांश मुद्राएं दूसरी मुद्राओं की सहायता के बिना अकेले प्रयोग नहीं की जा सकती है। इसके लिए मैंने अति सामान्यीकरण को शामिल नहीं किया है। हालांकि अवाचिक संप्रेषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें लोगो के साथ–साथ उनके शब्द, आवाज का स्तर और शारीरिक गतिविधियों आदि को शामिल किया गया है।

पृथ्वी पर मानव जीवन के विकास क्रम में प्रारम्भिक आदि मानव बिना कोई भाषा से आपस में सम्प्रेषण किया करते है और एक दूसरे की आवश्यकताओं को भली–भांति समझते थे। परन्तु आज विभिन्न भाषाओं उदय हो गया है। फिर भी एक मानव दूसरे मानव को जानने में कठिनाई अनुभव करता है। यह लेख अपने साथी –समूह के साथ होने वाले सम्प्रेषण की समझ एवं अन्तर्दृष्टि विकसित कर सकेगा। जिस प्रकार एक पक्षी प्रेमी उसकी उड़ान एवं चहचाहट को समझकर उनके व्यवहार की व्याख्या करता है। उसी प्रकार लोगो के अवाचिक सम्प्रेषण को समझने के लिए यह शोधपत्र सहायक सिद्ध होगा।

शारीरिक भाषा के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि एक समाज में किसी विशेष व्यवहार की व्याख्या पर एक आम सहमति होती है। व्याख्याएं किसी देश या संस्कृति की विशेषताओं के सन्दर्भ में हो सकती है। जब हम किसी से बात करते है तो सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। इसकी परख के लिए हम कोई झूठ पकड़ने वाले मशीन को लेकर साथ नहीं चलते है। यदि सामने वाले व्यक्ति की बातों, भावों और मुद्राओं के आधार पर उसके सच या झूठ को समझ ले तो हम भविष्य में होने वाले नुकसान से बच सकते है। शारीरिक मुद्राओं में चेहरे के भाव उसके अभिव्यक्ति एवं सम्प्रेषण का आधार है।

1. चेहरे के भाव :–

प्रथम संकेत किसी व्यक्ति के चेहरे के भाव ही होते है। जिससे उसके व्यवहार की व्याख्या की जाती है। इस प्रकार उसके मनोभाव, मनोदशा एवं सामने वाले व्यक्ति के सम्पर्क के लिए एक सहमति को व्यक्त करती है। व्यक्ति के चेहरे के भाव निम्नांकित संवेग एवं मन की स्थिति को दर्शाते है :–

- **प्रसन्नता :–** व्यक्ति के चेहरे पर खुशी के कारण एक मुस्कान रहती है। जो यह दर्शाती है कि वह पूर्ण आत्म–विश्वास, ऊर्जा से परिपूर्ण है।
- **निराशा :–** उत्साह में क्षीणता एवं व्यवहार व सम्पर्क में अरूचि व्यक्ति की उदासी को व्यक्त करती है।
- **ध्यान केन्द्रितता :–** यह स्थिति व्यक्ति में रूचि, आवश्यकता, मनोवृत्ति एवं उद्देश्य पूर्ण व्यवहार को दर्शाती है। यदि वह उसमे अपना ध्यान केन्द्रित करता है तो वह अपनी दृष्टि को उस ओर लगाता है। और मनोयोग से बातों पर ध्यान देता है।

2. सिर एवं गर्दन की मुदाएं :–

प्रायः सिर एवं गर्दन की मुद्राओं को शारीरिक भाषा को समझने के लिए देखा जाता है। अक्सर किसी व्यक्ति का सिर हिलाना हां या स्वीकृति का प्रतीक होता है। और सिर को इधर–उधर हिलाना नहीं का संकेत भी होता है।

3. कंधे हिलाना :–

कंधों को पीछे करना साथ सीने को बाहर की ओर निकालना आत्म–विश्वास एवं साहस को दर्शाता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति के कंधे पीछे की ओर रखने का अभिप्रायः यह होता है कि वह व्यक्ति उदास व तनावग्रस्त है।

4. दूरी व स्थान :–

हम मानचित्र में देखते है किसी देश या प्रदेश का क्षेत्र का विस्तार होता है और रेखा द्वारा उसकी सीमाएं बनी होती है। उसी प्रकार व्यक्तियों के भी अपने क्षेत्र विस्तार होते है। वह व्यक्ति का व्यक्तिगत क्षेत्र होता है।

- **अन्तरंग क्षेत्र** :–

6 इंच से 18 इंच तक यह क्षेत्र सबसे कम दूरी का क्षेत्र होता है। एक व्यक्ति अपने इस क्षेत्र की सुरक्षा हर स्थिति में करता है। इस क्षेत्र में प्रेमी या प्रेमिका, माता–पिता, जीवन साथी, बच्चे, निकट के मित्र और रिश्तेदार होते है। इसमें एक उप क्षेत्र भी होता है जो मात्र 6 इंच दूरी का होता है जिसमें केवल शारीरिक सम्पर्क स्थापित

होता है। सबसे अन्तरंग क्षेत्र कहलाता है।

- **व्यक्तिगत क्षेत्र :–**

18 इंच से 48 इंच तक दूरी का क्षेत्र होता है जिसे व्यक्तिगत क्षेत्र कहा जाता है। इसके अन्तर्गत दोस्त संस्थान एवं कार्यालय के साथी–समूह आदि आते है।

- **सामाजिक क्षेत्र** :–

4 से 12 फुट का यह क्षेत्र होता है जिसे सामाजिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अन्तर्गत दुकानदार एवं ग्राहक का सम्पर्क, अधिकारी एवं कर्मचारी का सम्पर्क और मालिक एवं नौकर आदि के सम्पर्क एवं सामाजिक सम्बन्ध एवं अन्तर्किया होती है।

- **सार्वजनिक क्षेत्र :–**

12 फुट से अधिक का यह क्षेत्र होता है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र होता है। किसी नेता द्वारा किसी बड़े समूह को सम्बोधित करना, सरकारी घोषणाओं को किसी व्यक्ति द्वारा शहर या गांव के लोगों को दिया जाना।

क्षेत्रीय दूरी की व्यावहारिकता :–

किसी भी व्यक्ति के अन्तरंग क्षेत्र में कोई व्यक्ति सामान्यतः दो कारणो से प्रवेश करता है – प्रथम वह व्यक्ति हमारा बहुत करीबी रिश्तेदार या दोस्त या हमारा सैक्स पार्टनर हो। द्वितीय किसी व्यक्ति का दुश्मनी के कारण हमला करने का इरादा। हालांकि कोई भी व्यक्ति किसी अजनबी की अतिक्रमण व्यक्तिगत क्षेत्र एवं सामाजिक क्षेत्र में बर्दाश्त कर सकते है। परन्तु अन्तरंग क्षेत्र में कदापि नहीं बर्दाश्त कर सकते है। क्योंकि इस प्रकार के अतिक्रमण से बेचैनी व दिल की धडकन बढ़ने लगती है। गला सूखने लगता है। इस प्रकार प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिआक्रामण या भागने का विकल्प चुनते है।

व्यक्तित्व संरचना

शेल्डन के द्वारा व्यक्तित्व

क्र. सं.	व्यक्तित्व प्रकार	शीलगुण	पद स्थिति
1.	एक्टोमार्फिक	अन्तर्मुखी, सौम्य, शान्त, बुद्धिमान, जागरूक, कलात्मक	वैज्ञानिक, कवि, दार्शनिक।
2.	मैसोमार्फिक	साहसी, सुदृढ़, बहिर्मुखी, जोखिम प्रवृत्ति	नेता, अभिनेता, इंजीनियर, प्रबन्धक
3	एण्डोमार्फिक	मिलनसार, खुश–मिजाज, शौकीन	अभिनेता, व्यवसायी।

शरीर की मुद्रा उस व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में बताते है। बैठने की स्थिति के आधार पर उसके व्यक्तित्व को जाना जा सकता है। उदाहरण के लिए, आगे की ओर झुककर बैठना मित्रवत् या आत्मीय व्यवहार को उजागर करते है। जैसा कि हम जानते है, बॉडी लैग्वेज या शारीरिक मुद्रा एक प्रकार की शारीरिक भाषा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना होता है। प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक मुद्रा में अनेक भाव प्रदर्शित होते है। उसके प्रदर्शित किये गये भाव ही उसके व्यक्तित्व को व्यक्त करते है।

विभिन्न बॉडी लैग्वेज एवं भाव

क्र.सं	शारीरिक मुद्रा	भाव / स्थिति / व्यक्तित्व प्रदर्शन	प्रभाव नकारात्मक / सकारात्मक
1	सीने या पेट पर एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ना	उदास, तनावग्रस्त, लज्जा, सन्देह, रक्षात्मक आदि	नकारात्मक
2	सीने या पेट पर दोनों हाथों का क्रॉस बनाना	आत्म–संयम, घबराहट, भयभीत, तनावग्रस्त	नकारात्मक
3	हिप पर दोनो हाथ रखना	आक्रामकता, आक्रोश	नकारात्मक
4	जेब में हाथ डालना	उदासी	नकारात्मक
5	पीठ की ओर दोनो हाथों का पकड़ना	खुलापन, स्वतन्त्र, आत्मविश्वास, श्रेष्ठता, प्रभुत्वशाली	सकारात्मक
6	पैर पर पैर चढ़ाकर बैठना	उचाट	नकारात्मक
7	पैर फेलाकर बैठना	स्वतन्त्र,	सकारात्मक
8	नाक सिकुड़ना	घृणा, नापसन्द	नकारात्मक
9	आंखे न मिलाना	झूठ बोलना	नकारात्मक
10	आंख की पुतली का फैलाव	प्रेम, आदर, स्वीकृति	सकारात्मक
11	बाते करते समय रूक–रूक बोलना	झूठ बोलना	नकारात्मक

सुझाव :–

क्या न करें :

– अधिक तनकर या झुककर बातें न करें।
– हद से ज्यादा नजदीक आकर बातें न करें।
– लगातार घूर कर बाते न करे।
– हाथों को क्रॉस न बनाये।
– बोलते समय बार–बार हाथ न लगाये।
– नाक, कान व गर्दन पर बार–बार हाथ न लगाये।

ऐसा करें :

– सामने आकर बोले।
– उचित दूरी बनाकर रखे।
– मिलने पर हल्की मुस्कान रखे।
– आत्म–विश्वास के साथ बाते करें।
– परिस्थिति को समझकर बातें करें।

– प्रसन्न व शान्त रहें।
– अभिव्यक्ति के साथ बातें करें।
– बातें करके समय अनावश्यक रूप से सिर व पैर न हिलायें।
– आंख मिलाकर बातें करे।
– प्रभावशाली सम्प्रेषण के लिए हाथों की मुद्राओं का भी उपयोग करे।

सम्प्रेषण कौशल :–

दो व्यक्तियों या समूह के बीच बातचीत या चर्चा के दौरान एक–दूसरों को प्रभावित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते है। भाषा का उपयोग जितना स्पष्ट एवं अर्थपूर्ण होगा, उतना ही सम्प्रेषण प्रभावशाली होगा।

सम्प्रेषण कौशल बढ़ाने की विधियां :–

1. विषयगत समझ बढ़ाये।
2. सामने वाली व्यक्ति की मानसिकता को समझकर व्यवहार करें।
3. भाषण कला का अभ्यास निरन्तर रूप से करते रहें।
4. जानकारी अद्यतन रखे।
5. नकारात्मक बातें न करे।
6. सामने वाले व्यक्ति की बातचीत के दौरान सराहना करे।
7. अपनी बातों को आत्म–विश्वास के साथ रखे।
8. सम्प्रेषण में शारीरिक भाषा का विशेष महत्व है इसका प्रयोग करें।

सन्दर्भ :–

1. फास्ट, जूलियस (2014) बॉडी मैसेज है। शारीरिक भाषा, ओपन रोड मीडिया।
2. कैंडलर, वेंडी एवं लिले–मार्टिन, डायने (2006) सांकेतिक भाषा और भाषा विश्वविद्यालय : कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस।
3. वेबस्टर, रिचर्ड (2014) बॉडी लैग्वेज तुरन्त और आसान। लेविलिन प्रकाशन।
4. शारीरिक भाषा अशाब्दिक संचार का सबसे महत्वपूर्ण रूप आयनों जुलाई, 2020
5. मूर नीना (2010) अशाब्दिक संचार, विश्लेषण और उपयोग।
6. पीज, एलन और बारबरा (2004) शारीरिक भाषा की निश्चित पुस्तक, ओरियन हाऊस, लन्दन ओरियन बुक्स लिमिटेड पी।
7. अरूण सागी आनन्द, (2015) बॉडी लैग्वेज, वी. एण्ड पब्लिकशर्स।

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 11, Issue 5-6
पृष्ठ : 136-140

कुँवर चन्द्रपकाश सिंह के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का सुदृढ़ स्वरूप

डॉ0 हिमानी सिंह, शोध पर्यवेक्षक एवं आचार्य (हिन्दी विभाग)
सुमन सैनी, पीएच.डी. शोधार्थी, हिन्दी विभाग
राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

सारांश :-

राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से व्यापक अर्थ का बोध होता है जिसमें राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा, राष्ट्र का गौरव गान, राष्ट्र का परिवेश, राष्ट्र का उन्मेष आदि तत्वों का समावेश होता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेन्दु काल में उदित राष्ट्रीय भावना ने पराधीन देशवासियों के मन में राष्ट्रीय चेतना जगाने का भरपुर प्रयास किया। राष्ट्र प्रेम की प्रबल चेतना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, मैथिलीशरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद में सर्वाधिक दृष्टिगोचर होती है। प्रसाद के नाटकों में राष्ट्र प्रेम प्रखर रूप से प्रकट हुआ है। इसी प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी की कविता 'पुष्प की अभिलाषा' की विश्व की महान कविताओं में गणना होती है। राष्ट्रभक्त महान कवियों की इसी श्रृंखला में आचार्य कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह का नाम जुड़ता है, जिन्होंने अपने काव्य के माध्यम से राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का भाव देशवासियों में जाग्रत करने का भरसक प्रयास किया है।

राष्ट्र या राष्ट्रीयता की भावना एवं मनोवैज्ञानिक भावना है। मध्यकाल में जिस प्रकार भक्ति भावना अपने आराध्य के प्रति आंतरिक व बाहरी रूप को अनुभूत कर अनन्य भाव से प्रकट हुई उसी प्रकार राष्ट्रीयता की भावना अपने देश के आंतरिक गुणों के साथ–साथ उसके बाह्य स्वरूप के प्रति अगाध भक्ति की भावना है। राष्ट्रीयता एक अमूर्त भाव है। अमूर्त भाव होने के कारण राष्ट्रीयता का संबंध मानसिक तत्वों से है और मानसिक तत्वों का उद्‌गम हृदय से होता है, इसलिए जिस व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ में व्यक्ति का मन रमा होता है, उससे उसका गहरा प्रेम भाव होता है। सामान्य रूप से कहा जाये तो राष्ट्र के प्रति तन–मन–धन से समर्पित होने की भावना का नाम ही राष्ट्रीयता है।

गिलक्राइस्ट के अनुसार ''राष्ट्रीयता की भावना ऐसे लोगों में निहित है जो सामान्यतः एक ही जाति और स्थान से संबंध रखते हो, जिनकी भाषा, धर्म, इतिहास तथा आचार–विचार रूचियां सामान्य हो तथा सम्मान राजनैतिक आदर्श से संगठित हो।''[1]

''संस्कृति शब्द 'संस्कार' शब्द से बना है। 'संस्कार' सम् उपसर्गपूर्वक 'कृ' धातु में छम् प्रत्यय लगने से बनता है, जिसका मूल अर्थ है सुधारना या परिष्कार करना।''[2]

संस्कृति शब्द की अर्थाभिव्यंजना करते हुए बाबू गुलाबराय ने कहा है– ''संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है, जिसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना संस्कृत शब्द का भी यही अर्थ है। अंग्रेजी शब्द कल्चर में वहीं धातु है जो एग्रीकल्चर में है। जिसका भी अर्थ पैदा करना या सुधारना है। संस्कार व्यक्ति के भी होते हैं और जाति के भी जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते है।''[3]

मानव अपने जीवन को सुन्दर बनाने के लिए आजीवन श्रम करता रहता है इसे सुन्दर बनाने में बहुत कुछ तत्व शामिल होते हैं जैसे प्रेम, सत्य, परहित, मान सम्मान, सृजन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मुल्यपरकता एवं अन्य व्यापारिक क्रियाएं आदि यदि इन तत्वों पर गहराई से विचार करे तो इस परिश्रम का परिणाम अवश्य ही संस्कृति के रूप में प्राप्त होता है।

''चिन्तन द्वारा अपने जीवन को सुन्दर और कल्याणमय बनाने के लिए मनुष्य जो प्रयत्न करता है उसका परिणाम संस्कृति के रूप में प्राप्त होता है।''[4]

संस्कृति किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है, जो उसे जिन्दा ही नहीं रखती बल्कि विश्व के अन्य देशों से एक अलग पहचान भी प्रदान करती है। सांस्कृतिक एकता की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्रीयता और संस्कृति के आपसी संबंध के बारे में इस तथ्य को स्वीकार किया जा सकता है कि किसी भी देश के लोगों में एकता की अनुभूति जो राष्ट्रीयता की अनिवार्य शर्त है, का मूल आधार सांस्कृतिक एकता ही है। किसी भी राष्ट्र को अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए अपनी संस्कृति रूपी सरिता को निर्बाध गति से प्रवाहमान बनाये रखना अनिवार्य है।

कारयित्री एवं भावयित्री प्रतिभाओं के धनी आचार्य कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह हिन्दी साहित्य की बीसवीं शताब्दी के अन्यतम अध्यापक, महाकवि, नाटककार शोधकर्ता, समालोचक एवं अनुवादकर्ता है। ये आजीवन हिन्दी के अनन्य उपासक और साधक रहे। कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह का काव्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से परिपूर्ण है। उनके काव्य में राष्ट्रीय भावना का गौरव समाहित है। वे सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के उपासक थे, उनका मानना था कि सांस्कृतिक राष्ट्रीयता ही सच्ची व स्थायी राष्ट्रीय भावना होती है क्योकि राजनैतिक राष्ट्रीयता तो कभी भी खत्म हो सकती है किन्तु सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की भावना कालजयी होती है। कुँवर साहब के काव्य में अपने देश और जन्म भूमि के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है।

इसी उदात्त भाव पर भारत माँ की गौरव–गरिमा का वर्णन किया है।

''जय–जय नयनाभिराम,
भारत जय पूणकाम।
हिम–गिरि–सिर–किरणोज्ज्वल
भावोन्नत जलधि पद–तल
गंगा–जल–धौत अमल
पावन तन पुण्य धाम।''[5]

देश के सम्पूर्ण वैभव का गान करने वाला एक और गीत यहां उल्लेखनीय है।

''जय देश
भारत सतत् सत्य रत,

धर्म निःशेष।
पाया यही ज्ञान ने ज्ञेय का आधार
आकार ने आ बंधा जो निराकार
गूंजा महाशुन्य ने आदि ओंकार
संसार में सार का पूर्ण निदेश।''[6]

किसी भी देश का इतिहास और उसकी परंपरा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहमान रहते है जो आज वर्तमान है, वही कल इतिहास बनता है। इसी इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो विपत्ति के समय हमारा मार्ग प्रशस्त करती है, इन घटनाओं के गुणगान से हमारे अंदर ओज का संचार होता हैं और हमें शक्ति मिलती है। भारतीय पूनर्जागरण की घटना इसका उदाहरण है। आचार्य कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह को भी अतीत के इतिहास से राष्ट्र को जगाने की प्रचुर सामग्री मिली, जिसमें कवि विजयपथ पर बढ़ने के लिए देशवासियों का आह्वान करता है।

''तोड़ कर अपने बन्धन शेष
बढ़ चले विजय पथ पर देश।
लिए प्रेरक अतीत का ध्यान
कर रहे हम यह अभिमान
ध्येय को अर्पित तन, मन, प्राण
सजा है केशरिया वर वेश।
आज अनुशासन की स्वर–धार
कर रही प्लावित उर के तार,
उठी युग–जाग्रति की झंकार
भरा प्राणों में पुण्यावेश।''[7]

वेदों में तीन देवियों–मातृभाषा, मातृ–भूमि तथा मातृ संस्कृति का विधान है। इन तीनों देवियों का उपासक राष्ट्रवादी कहा जाता है और इनकी उपासना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। कुँवर जी मन, वचन, और कर्म से राष्ट्रवादी थे उनका हिन्दी भाषा के प्रति प्रेम निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्ट दिखाई देता है।

''जय हिन्दी, जय हिन्दी!
चिर अभिनव भारत माता के
भव्य भाल की बिन्दी!
इसके वर्ण, रूप, रस के वश
सूर–उदधि, तुलसी का मानस
सन्त कबीर और मीरा की,
वाणी सुचि–जय हिन्दी!''[8]

अपनी संस्कृति व धरोहर के प्रति उनका प्रेम 'शम्पा' काव्य संग्रह के इस गीत में दृष्टिगोचर होता है।

''देखो श्रद्धा–विनित प्रकृति का यह अभिनंदन,

निज धरती का हुलस–हुलस पग–पग पद वंदन।
व्यजन जल रहा पवन, चंदन किरणों का चामर,
झरते है प्रस्रवण प्रभा के नभ से निर्जर।
तीर्थाकृत यह महातीर्थ जागरण भरा है।
पुलक भरा है, मोद भरा है, गंध भरा है।
यह सांस्कृतिक समृद्धि–वृद्धि का पावन उपक्रम,
यह स्वधर्म उत्थान हेतु भवदीय महाश्रम।''[9]

कुँवर साहब ने अपने काव्य में प्रकृति के विविध रूपों का वर्णन किया है। भारतीय अध्यातम दर्शन की आधार भूमि पर सर्वात्मवाद की अभिव्यक्ति उनके प्रकृति चित्रण को अलौकिक तथा दिव्य बनाती है। इनके प्रकृति चित्रण पर विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं का प्रभाव माना जा सकता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जिसे Pantneisn तथा Transcendental beauty कहा है वही यहां सर्वात्मवाद तथा दिव्य सौंदर्य है।

कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह का मन भारतमाता ग्रामवासिनी ने अधिक रमा है। कवि के उपमान गांवों की निश्छलता, ग्रामीण मन, सौंदर्य, ऋतु परिवर्तन की अनोखी छटा का चित्रण और प्रकृति की उदात्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। छायावादी कवियों की भांति इनके भी अपने प्रतीक है। पलाश, आप की मंजरियां, गेहूं की बालिया, सरसों के फूल इनकी सौंदर्यानुभूति के अनुपम बिम्ब उपस्थित करते है :–

''रूप वह शिशिर–सुहानी धुप!
सरसों के फूलों सी जगमग
तन की शान्ति अनुप!
अंग–अंग में बलखाती सी थी बेसुध तररूवाई,
लहर उठाती ज्यो गेंहँ कें खेतों में पुरवाई,
अथवा जैसे गंध लुटाती फागुन की अमराई।''[10]

कुँवर जी के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के साथ–साथ यर्थाथवादी चेतना के दर्शन भी होते हैं 'हल' शीर्षक गीत में कुँवर साहब का कृषक प्रेम दिखाई देता है। भारतीय किसानों की दीन–हीन दशा देखकर उनका मन विचलित हो उठता है। किसान और हल दोनों हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग है परंतु सभी क्षेत्रों में विकास के बावजूद किसान की दशा आज भी दयनीय है। जीवन की आधार शक्ति के केन्द्र किसान और उसके हल का विकास भी अति आवश्यक है। मानव सभ्यता के इस विकास को कवि ने कितनी सुक्ष्मता से चित्रित किया है।

''बल्कल को तोड़ वसन सुन्दर
पहने सुन्दरियों ने तन पर
कुटियों के उठे धाम सुखकर
वैभव, विलास, आमोद प्रचुर
पर अब तक वैसा ही अविचल
दो बैलों का छोटा यह हल।''[11]

इनकी, 'दीन देश' शीर्षक गीत राष्ट्रकवि दिनकर की उस कविता में भी अधिक मार्मिक है जिसमें कहा गया है धनी लोगो के तो श्वानों को भी दुध मिलता है और गरीबों के बच्चे भूख–प्यास से अकुलाते है। गांव में खाद्यान्न का इतना अभाव है कि बच्चे एक–एक रोटी के लिए छीना झपटी कर रहे हैं।

''वह बुभुक्षित बालकों की मंडली
एक रोटी के लिए क्या खलबली
ताकती है चाल कौए की चपल
शोक! टुकड़ो के लिए यह घोर द्वेष।''[12]

निष्कर्ष :–

कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह के काव्य में हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का व्यापक रूप देखने को मिलता है। कुँवर साहब का काव्य प्रारम्भ से लेकर अन्त तक देश जागरण तथा आत्म–गौरव का काव्य है। यह आत्म गौरव देश गौरव का पर्याय है। प्रो0 कन्हैया सिंह का कहना है– ''कुँवर चन्द्रप्रकाश साहब पूर्णतः कवि ही थे। छायावादी कवि थे पर स्वतंत्रचेता छायावादी कवि थे। वे क्रांतिकारी राष्ट्रीय कवि थे और वे सांस्कृतिक आस्था को राष्ट्रीयता से जोड़ने वाले महाकवि थे पर साथ ही एक भक्त कवि थे भक्ति एक ऐसा तत्व है जो भावुक हृदय की पहचान बनता है। जो भक्त होता है वही देशभक्त, समाजभक्त, मातृ–पितृ भक्त और मानवता का भी भक्त होता है।''[13]

सन्दर्भ सूची :–

1. R.N. Gilchrist, Principal of Political Science, P. 26
2. द्वारिका प्रसाद शर्मा चतुर्वेदी (सम्पादक) संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ' पृ. 1148
3. बाबू गुलाबराय, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, पृ. 11
4. बाबू गुलाबराय, मेरे निबंध जीवन और जगत, पृ. 16
5. कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह, शम्पा, पृ. 31
6. वहीं पृ. 19
7. कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह, अपराजिता, पृ. 70
8. कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह, शम्पा, पृ. 30
9. वहीं पृ. 79
10. कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह, गीत संग्रह, पृ. 6
11. कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह, शम्पा, पृ. 47
12. वहीं, पृ. 51
13. प्रो. शिवमोहन सिंह, महाकवि कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह की सांस्कृतिक–राष्ट्रीय कविता, पृ. 74

Email - sumansainirc@gmail.com
Mob- 9587123180
Email- hihrsh1@gmail.com
Mob- 9414392801

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 11, Issue 5-6
पृष्ठ : 141-145

भारत में ग्राम पंचायत की एतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रोफेसर डी. आर. यादव, अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग,
राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।
यशवन्त सिंह, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,
गायत्री विद्यापीठ (पी0जी0) कालेज रिसिया, बहराइच (उ0प्र0)

भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है जहां पर ग्राम पंचायतो का इतिहास बेहद पुराना है, सिन्धु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक पंचायतो का अपना महत्व रहा है। जो सामाजिक, व्यवसायिक व न्यायिक आदि फैसले स्वाविवेकानुसार किया जाता था। पंचायते ग्राम व समाज की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहती थी।

इतिहासकार पंचायती राज व्यवस्था का आरम्भ सिन्धु घाटी की सभ्यता से मानते है लेकिन इस सन्दर्भ में प्रचूर सामग्री, साक्ष्य और प्रमाणों के अभाव में उस समय की राजनितिक जीवन एवं प्रशासनिक व्यवस्था का सही प्रमाण नहीं मिल सका है। सम्भवतः इस सभ्यता के अर्न्तगत नारी की अनेक मूर्तियां प्राप्त होने से यह समाज ''मातृ–प्रधान'' था। ''ग्राम'' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भी किया गया है। प्राचीन काल में चाणक्य रचित ''अर्थशास्त्र'' में भी ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख किया गया है।

यदि हम भारत के ज्ञात इतिहास को सिन्धु घाटी की सभ्यता से माने तो भारत लगभग चार हजार साल की प्रशासनिक यात्रा कर चुका है, जिसे भारत का प्रशासनिक इतिहास कहा जा सकता है। इस यात्रा के सबसे प्रमुख तीन पड़ाव माने जाते हैं। इसका पहला पड़ाव मौर्य साम्राज्य का प्रशासन है, जिसे प्राचीन भारत के अर्न्तगत रखा गया है। दूसरा पड़ाव मुगलकालीन प्रशासक है, जिसे हम मध्यकालीन इतिहास के अर्न्तगत पढ़ते हैं। इस काल का प्रशासन इससे पूर्व के विशुद्ध भारतीय प्रशासन से इस अर्थ में थोड़ा भिन्न था कि इस काल के प्रशासकों ने भारत में पहले से ही स्थापित प्रशासनिक प्रणाली में मध्य एशिया की मंगोल तथा तैमूर की परम्पराओं का मिश्रण करके एक नई प्रशासनिक प्रणाली को जन्म दिया। तीसरा पड़ाव अंग्रेजों के आगमन का है। इसे हम आंग्ल प्रशासन कह सकते है। यह आधुनिक भारत के इतिहास के अर्न्तगत आता है। भारत के ये तीनों प्रशासनिक व्यवस्थाएं अपने में काफी अलग–अलग होने के बावजूद काफी समानताएं भी प्रदर्शित करती हैं। इन तीनों प्रशासनों अपने बाद आने वाली प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अगल–अलग तरीके से किन्तु स्थायी रूप से प्रभावित किया जिन्हे आज भी देखा जा सकता है। हां, यह आवश्यक है कि उनके स्वरूप कुछ अलग हैं और नाम भी। इसलिए यह आवश्यक मालूम पड़ता है, कि यदि भारतीय प्रशासन के विकास को सही रूप से समझना है तो इन तीनों प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए।[1]

ऐसे में भारत में प्रजातीय तौर पर कोई शुद्ध नही है, किसी को पता नही है कि उसके सौ पीढ़ी के पहले वंशज ब्राहम्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र या वनवासी क्या थे। और वे इन कारणो से आज की जातिगत स्थिति पर पहुंच गये, उनकी जातिगत ऐतिहासिक गतिशीलता क्या रही ये भी तय कर पाना सम्भव नहीं है। ऐसे में सब सिर्फ कयास लगाते हैं और पिछले कुछ दशकों की सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों पर हजारों सालों के शोषण करने के आरोप मढ़ते हुए सामाजिक संघर्ष का हिस्सेदार बनते हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक बिन्दु है कि ऐतिहासिक गल्प में छुपे सामाजिक सघर्ष से भारतीय समाज को टूटने और बिखरने से बचाया जाय और नई पीढ़ी को एक साथ आगे बढ़ने के लिए विकसित किया जाए। भेदभाव की एक समस्या को खत्म करने के लिए नई समस्या को जन्म देने से बचाया जाए। [2]

आधुनिक काल के ब्रिटिश काल में 1880 से 1884 के मध्य लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्ण काल माना जाता है, इन्होने 1882 ई0 में "वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट" को समाप्त कर कई महत्वपूर्ण कार्य किये जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य था– "स्थानीय स्वशासन" की शुरूआत। हालांकि उस समय यह व्यवस्था उस समय उतनी लोकप्रिय नही हो सकी थी। आजादी के दौरान महात्मा गांधी "हरिजन सेवक" नामक पत्र में 2 अगस्त 1942 के अंक में "ग्राम स्वराज" की चर्चा की है।

15 अगस्त 1947 को जैसे ही हमारा भारत देश ब्रिटिश हुकुमत से आजाद हुआ तो समाज में मौजूद समस्त विकृतिंया समाप्त होने की किरण जगी और हम भारत वासियों को अपना संविधान बनाने का मौका मिला और इसी संविधान ने भारत में गणतान्त्रिक लोकतंत्र की स्थापना की। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा अनेक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया तथा भारतीय संविधान में भाग–4 के अनुच्छेद–40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया। इसके पश्चात् पंचायती राज व्यवस्था हेतु कई सारी समितियों का निर्माण समय–समय पर हुआ। जनवरी 1957 में भारत सरकार नें सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) द्वारा किए कार्यो की जाँच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवम्बर 1957 को अपने रिपोर्ट सौंपी और "लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण (स्वायत्तता)" की योजना की सिफारिश की जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया।[3]

73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को निश्चितता, निरंतरता और शक्ति प्रदान करने के लिए उनकी कतिपय आधारभूत और अनिवार्य विशेषताओं को संविधान में ही शामिल करने का प्रयास किया गया है। ग्राम, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों की व्यवस्था की गई है। अन्य बातों के साथ–साथ ग्राम या ग्राम–समूह में ग्राम सभा, ग्राम स्तर और अन्य स्तर या स्तरों पर पंचायतों के गठन ग्राम स्तर और मध्यवर्ती स्तर, यदि कोई हो तो, पर पंचायतों में सभी स्थानों के लिए तथा ऐसे स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों के पद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन महिलाओं के लिए आराक्षण तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों की सदस्यता के लिए स्थानों और पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण, पंचायतों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल और किसी पंचायत के अतिष्ठित होने की दशा में छह माह की अवधि के भीतर निर्वाचन कराने, सदस्यों की निरर्हताओं, राज विधानमण्डल द्वारा पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए और विकास

सम्बन्धी योजनाओं को तैयार करने और उनके क्रियान्वयन करने की शक्ति, राज विधानमण्डलों से पंचायतों को संचित निधि में से सहायता अनुदान के लिए प्राधिकरण सुनिश्चित करके और अभिहित करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के राजस्व का पंचायतों को समनुशन करके या विनियोग द्वारा, पंचायतों के पोषण वित्त, संशोधन के एक वर्ष और उसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष के भीतर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना, पंचायतों के लेखों की जांच करने, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निरिक्षण निदेशन और नियन्त्रण में पंचायतों के निर्वाचन के सम्बन्ध में उपलब्ध करने की राज्य विधानमण्डल की शक्ति, पंचायती राज सम्बन्धी सांविधानिक उपबंधों के राज्य क्षेत्रों पर लागू होने, कतिपय राज्यों और क्षेत्रों को इन उपबन्धों से बरी रखने, वर्तमान विधियों और पंचायतों को संशोधन के आरम्भ से एक वर्ष तक जारी रखने और पंचायतों के निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को अलग रखने के लिए आवश्यक उपबन्ध करने के लिए संविधान में एक नया भाग–9 और उसके अर्न्तगत अनुच्छेद 243 और 243 (क) से 243 (ण) तक नए प्रावधान जोड़े गए। अनुच्छेद 280 में एक नया उपखण्ड (ख ख) जोड़ा गया तथा संविधान में एक नई अनुसूची–11 वीं जोड़ी गई। अनुसूची में उन विषयों को विवरण दिया गया जिनपर पंचायतों को विशेष अधिकार दिये जा सकेंगे। राज विधानमण्डल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेंगे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों। यह अधिनियम लोक सभा में 22 दिसम्बर और राज्य सभा में 23 दिसम्बर, 1992 को पारित हुआ। 20 अप्रैल 1993 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 24 अप्रैल को यह लागू हुआ।[4]

पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना 2004 में की गई थी। इसका प्रमुख कार्य संविधान के भाग–9 के प्रावधानों, अनुच्छेद 243 जेडडी और पीईएसए के अनुसार जिला आयोजन समिति संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। मंत्रालय का लक्ष्य पंचायतों अथवा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकेंन्द्रीकृत और भागीदारीपूर्ण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करना है। मंत्रालय का मिशन पंचायती राज संस्थानों का सशक्तीकरण, उन्हें सक्षम एंव जवाबदेह बनाना है ताकि सामाजिक न्याय और सक्षम सेवा वितरण के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रालय अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए विभिन्न तरीकों से काम करता हैं पंचायती राज मंत्रालय ज्ञान के सृजन और उसे साझा करने पर बल देता है ताकि समाधान किए जाने वाले मुद्दे स्पष्ट हों, उनके लिए सार्थक कार्यनीतियां तैयार की जाएं और सरकार के भीतर और गैर–सरकारी एजेंसियों तथा विशेषज्ञों के बीच भागीदारी हो। मंत्रालय विभिन्न राज्यों में सीखने के लिए तकनीकी सहायता और सुविधाएं भी प्रदान करता है। हाल में किये गये नीतिगत परिवर्तनों और उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाने के लिए मंत्रालय ने अपने अधिदेश में बुनियादी परिवर्तन करते हुए अपने को नए ढ़ग से तैयार किया हैं पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि यानी 2012–13 से 2015–16 तक राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसए) चलाया। इस अभियान के दौरान पंचायतों के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं जैसे अधिकारों का अपर्याप्त हस्तांतरण, कर्मिकों का अभाव बुनियादी ढांचे का अभाव और पंचायतों की कारगर कार्यप्रणाली में सीमित क्षमता का अध्ययन किया गया और उन्हें दूर करने के लिए कार्मिक, ढांचा, प्रशिक्षण और पंचायतों को अधिकारों के हस्तांतरण को बढ़ावा देने तथा जवाबदेही का ढ़ांचा कायम करने के उपाय किये गए। उपरोक्त गतिविधियों को अंजाम देने के लिए 2014–15 तक राज्यों

को पर्याप्त धन जारी किया गया।[5]

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण व कुछ राज्यों में 50 प्रतिशत आरक्षण के बावजूद निर्वाचित महिला प्रतिनिधि ग्राम पंचायतों में कोई कारगर भूमिका नहीं निभा पा रही है। इसका एक कारण तो यह है कि उनके पास गाँव के प्रशासन के लिए उपयुक्त जानकारी व पर्याप्त कौशल प्राप्त नहीं है। जिसके फलस्वरूप उनके पति ही पंचायत के कर्ता–धर्ता बन जाते हैं जिससे मुखिया/प्रधानपति जैसी संकल्पना व्याप्त हुई है। महिला आरक्षण के बावजूद सत्ता के छद्म उपयोग की विषम परिस्थिति विनिर्मित हुई है। स्पष्ट प्रशासनिक निर्देशों के उपरान्त भी प्रधानपति या अन्य रिश्तेदार उनके अधिकारों का उपयोग करते देखे जा सकते हैं इसके अलावा विकास कार्यों के प्रति जागरूकता का अभाव और छद्म सत्ता केन्द्रों के उदय के कारण महिलाओं की पंचायती राज में कमजोर हुई है। जैसे– महिला साक्षरता दर की कमी, राजनीति अनुभव हीनता, राजनीतिक चेतना का अभाव व अधिकार प्राप्ति हेतु उत्साह की कमी। भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक रीतियाँ विश्वास तथा रूढ़ियां जो समाज पर सामाजिक निर्योग्यताएँ लागू करते हैं उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधक हैं। इसके अलावा भारत के पुरूष प्रधान समाज की मानसिकता, पारिवारिक पुरूषों का अहम् और पुरूषों पर महिलाओं की निर्भरता ग्रामीण पंचायत के बैठकों में प्रतिभाग करने के लिए भी किसी पारिवारिक पुरूष जैसे पिता, पति या भाई की आवश्यकता महसूस होना।

वर्तमान परिदृश्य में पंचायतों में भी दलगत राजनीति उभरकर सामने आई है जिसमें सियासी राजनैतिक दलों कि दखंलदाजी से पंचायतें धीरे–धीरे राजनीतिक अखाड़ा बनती जा रही है। लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के तर्ज पर पंचायत चुनाव होने से इसमें भी धनबल और बाहुबल का प्रयोग, चुनावी हिंसा, और सियासी दुश्मनी भी खूब देखी जो रही है अतः पंचायतों में भी दूषित राजनीति की शुरूआत हो गई है। स्थानीय निकायों पर विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और प्रभावशाली व्यक्तियों के घरानों एवं रिश्तेदारों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पंचायत चुनाव लड़ना भी पैसो का खेल हो गया है जो कि गरीब और कमजोर वर्गो के सहभागिता को कम कर रहा है। अशिक्षित महिला प्रतिनिध निर्वाचित होने के बाद जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों का इस्तेमाल पूर्णतः नहीं कर पाती इसके अतिरिक्त उनके पति उनके अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं इससे महिला आरक्षण की संकल्पना अर्थहीन होती प्रतीत हो रही है।

देश भर में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि लाखों की संख्या में सफलता की कहानियां लिख रहीं है। अपने क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला अपनी छाप छोड़ रहीं ये महिलाओं के लिए रोल मॉडल की भूमिका निभा रहीं हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की ग्राम पंचायत बटकीडोह की सरपंच श्रीमती कलीबाई को ग्राम पंचायत में किये गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए उत्कृष्ट ग्राम पंचायत के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जिले में तालाबों के निर्माण से जलस्तर में बढ़ोतरी से संचाई क्षेत्र बढ़ाने में योगदान सहित ग्रामीण घरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, गांव में पक्की सड़कें बनवाने और लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें 2014 में पुरस्कृत किया गया था। हरियाणा के करनाल जिले में चंदसंमद ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने गंदे पानी को साफ करने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत तीन तालाब विकसित किये हैं, अब बागवानी, रसोई बागवानी और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए उनके चारो ओर एक हरी बेल्ट विकसित की गई है। हरियाणा में ही धौंज ग्राम पंचायत

की महिला प्रमुख ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई पहल की है। इनमें से महिलाओं और लड़कियों का कौशल विकास, मोबाइल–कम्प्यूटर प्रशिक्षण के माध्यम से डिजिटल विभाजन को दूर करना, स्कूल छात्राओं को उनके अधिकारों के लिए प्रेरित करना, पर्दा/घूंघट आदि रिवाजों के खिलाफ अभियान चलाना आदि प्रमुख हैं।[6]

देश में पंचायती राज में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्धारण की आवश्यकता को देखते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से 17 अप्रैल 2017 को देश भर में महिलाओं की क्षमता के निर्माण और महिला पंचायत नेताओं के प्रशिक्षण के बारे में एक विस्तृत मॉडयूल शुरू किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य गांवो के शासन और प्रशासन के क्षेत्र में पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमताओं, दक्षताओं और कौशल का विकास करके उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाना है। झारखण्ड से शुरूआत करते हुए यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देश भर में विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थानों और पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रतिभागिता पर आधारित है जिसमें सामूहिक चर्चाओं, व्यख्यानों, प्रदर्शन, क्षेत्र का दौरा करना, कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा।[7]

गाँवों का सर्वांगीण विकास पंचायतों की सफलता के द्वारा ही सम्भव है साथ ही जरूरी है कि योजनाओं का बेहतर समन्वय और क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाए। पंचायतें अपनी योजना खुद से तैयार करें और उसे लागू भी करें। स्थानीय स्तर पर राजस्व की उगाही के लिए और कर लगाने के अधिकार दिये जाने चाहिए। हालाँकि 15 वे वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए फडिंग में इजाफा जरूर किया हैं।

सही मायने में शक्ति का विकेंन्द्रीकरण तभी होगा तब पंचायत के प्रतिनिधियों को स्वनिर्णय लेने का अधिकार दिया जाए। इससे पंचायतों में न केवल आत्मनिर्भरता आयेगी बल्की गांधी जी के ग्राम स्वराज सपने को भी साकार किया जा सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. डॉ0 विजय अग्रवाल : प्रशासनिक चिन्तक, आधार पब्लिसिंग हाउस 11, सुरूची नगर, भोपाल इण्डिया 462001 पृष्ठ सं0–45
2. कपिल शर्मा (बिहार सिविल सेवा के अधिकारी) इतिहास के गुनहगार कौन, राष्ट्रीय दैनिक जागरण, संपादकीय पृष्ठ, 10–08–2018
3. एम लक्ष्मीकान्त : भारत की राजव्यवस्था (छठवां संस्करण) मैकग्रा हिल एजुकेशन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई पृष्ठ सं0–38.3
4. सुभाष कश्यप : हमारा संविधान (भारत का संविधान और संवैधानिक विधि), नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज–11 वंसत कुंज, नई दिल्ली–110070, पृष्ठ सं0–293–294
5. भारत 2018 वार्षिक संदर्भग्रन्थ : महानिदेशक प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, सूचना भवन, सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 पृष्ठ सं0–465–466
6. कुरूक्षेत्र पत्रिका, जुलाई–2018, पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी, पृष्ठ सं0–41
7. डॉ0 सीमा रानी : ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका, शोध मंथन, मार्च 2018, पृष्ठ सं0–25

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 11, Issue 5-6
पृष्ठ : 146-149

रूपांतर की कथाभूमि

डॉ. दिवाकर पांडेय
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार) 802301

हिंदी कथा साहित्य को जिन कथाशिल्पियों ने अपनी मेधा से नया आयाम प्रदान किया है उनमें राधाकृष्ण का एक अलग स्थान है। अपने लेखन के प्रारंभिक दौर में ही इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था। इनकी मेधा से प्रभावित होकर कभी कथा सम्राट प्रेमचंद ने कहा था कि यदि हिंदी के उत्कृष्ट कथाशिल्पियों की संख्या काट–छाँटकर पाँच भी कर दी जाय तो उसमें एक नाम राधाकृष्ण का होगा।

राधाकृष्ण के कथा–साहित्य की मूल चेतना हास्य और व्यंग्य की है। इनके व्यंग्य बड़े तीक्ष्ण होते हैं। खासकर कहानियों में इनके हास्य–व्यंग्य की छटा देखते ही बनती है, वहीं उपन्यासों में इनका झुकाव यथार्थ की ओर है, पर शैली में व्यंग्य वहाँ भी हावी है। इनके उपन्यासों में 'फुटपाथ', 'रूपांतर', 'बोगस', 'सनसनाते सपने' और 'सपने बिकाऊ हैं', प्रमुख हैं। 'रूपांतर' को छोड़कर शेष सभी उपन्यास यथार्थवादी चेतना से ओत–प्रोत हैं। सिर्फ रूपांतर ही एक अलग किस्म का उपन्यास है। इसमें राधाकृष्ण जीवन के शाश्वत प्रश्नों से जूझते हैं। कथा और शिल्प दोनों दृष्टियों से यह उपन्यास अनूठा है।

इस उपन्यास के पूर्व राधाकृष्ण की छवि एक हास्य–व्यंग्य लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। 'रूपान्तर' के पूर्व उनका 'फुटपाथ' उपन्यास प्रकाशित हो चुका था, जिसमें भारतीय जीवन का खुरदुरा यथार्थ व्यक्त हुआ है। यह उपन्यास सन 1941 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें दिखाया गया है कि भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी फुटपाथ पर अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। आज आजादी के बाद भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। आज भी भारतीय जीवन का एक बड़ा हिस्सा फुटपाथी जीवन जी रहा है। उपर्युक्त चर्चा के पीछे मेरा मकसद सिर्फ राधाकृष्ण की रचनाओं की केंद्रीय चेतना की झलक दिखाना भर था। अब हम आते हैं उनके 'रूपान्तर' उपन्यास पर,जिसमें राधाकृष्ण का एक नया अवतार दिखायी पड़ता है। इस उपन्यास में उन्होंने अपनी बंधी–बंधायी छवि को तोड़ डाला है। यह भी एक जोखिम और साहस का काम होता है कि व्यक्ति अपने ही बनाये हुए साँचे को ध्वस्त कर एक नए साँचे में अपने को ढाल ले।जैसा कि पहले मैं कह चुका हूं कि राधाकृष्ण ने इसमें जीवन के शाश्वत प्रश्नों पर विचार किया है।

उपन्यास के आमुख में ही उन्होंने स्वीकार किया है –''जीवन में क्या श्रेय है और क्या प्रेय, अथवा दृष्टिभेद के अनुसार श्रेयस्कर ही प्रेयस्कर है अथवा प्रेयस्कर ही श्रेयस्कर, यह समस्या हमें निरन्तर उलझाती रही है। इसे सुलझाने में हम सोच–सोचकर हारते रहे हैं और हार–हारकर भी सोचते रहे हैं और अंत मे ऐसा लगता है, जीवन को अविच्छिन्न प्रवाह–रूप में न देखने के कारण ही हार–जीत का यह द्वंद्व हमें घेरे हुए है।''

इसी श्रेय और प्रेय के द्वंद्व को सुलझाया गया है 'रूपान्तर' में । उपन्यास में एक ओर मांधाता हैं जिन्होंने अपने पराक्रम से सम्पूर्ण पृथ्वी पर आधिपत्य स्थापित कर लिया है। दान–पुण्य यज्ञादि कर यश अर्जित कर चुके हैं। करने को उनके पास शेष कुछ भी नहीं रहा। फिर भी, उनके मन को शांति नहीं। वे शान्ति की तलाश में है। दूसरी ओर सौभरि हैं, जो संन्यासी हैं। तपोबल से सारी सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। उपभोग के क्षेत्र में अब कुछ भी शेष नहीं रहा जिसे उन्हें प्राप्त करना हो। फिर भी, उन्हें भी शांति नहीं। इन्हीं दो विरोधाभासों के लेकर चला है यह उपन्यास। सब कुछ प्राप्त कर लेने के पश्चात भी मान्धाता अपने को रीता महसूस कर रहे हैं। उन्हें चिंता सताती है कि मैंने अपनी संततियों को करने के लिए कुछ भी छोड़ा ही नहीं। वार्तालाप के क्रम में अपनी धर्मपत्नी इंदुमती से कहते हैं– ''अपनी संतान को देखकर मैं और भी कतार हो जाता हूँ। वे हमारे पुत्र हैं, इसलिए वे मुझसे भी अधिक अभागे हैं। उनका भविष्य तो और अधिक अंधकारमय है। मैंने सारी पृथ्वी को जीतकर शौर्य का कुछ प्रदर्शन भी किया, लेकिन मेरे लड़कों के लिए कौन–सी भूमि बची है जिसे जीतकर वे अपना पराक्रम दिखला सकेंगे। मैंने सभी प्रकार के यज्ञ–शेष कर दिए, वे अब क्या करेंगे।''

एक दिन जब उन्हें मालूम होता है कि उनका पुत्र अम्बरीश इतना महत्वाकांक्षी हो गया है कि वह अपने पिता पर ही विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि उसे करने के लिए पिता ने कुछ छोड़ा ही नहीं तो उनका दुःख और बढ़ जाता है। वे क्रोधाग्नि में जलने लगते हैं। उनकी बची–खुची शांति भी चली जाती है। दूसरी ओर, सौभरि हैं जो योग की पराकाष्ठा पर पहुँचे हैं। वे अपने प्रिय शिष्य नाभाग के साथ वन में निवास करते हैं। एक दिन वे काम क्रीड़ारत सारस के जोड़े को देखते हैंऔर उनके अंदर की कामवृत्तियाँ झंकृत हो उठती हैं। वे अपने आप से डर जाते हैं। वे अपनी कामवृत्तियों को जितना ही दबाना चाहते हैं, वे उतनी ही जोर पकड़ती जाती हैं। अंततः वे अपने प्रिय शिष्य नाभाग को अकेला छोड़ एकांत–सेवन हेतु पलायन कर जाते हैं। एक गुफा में कठोर तपस्या कर उन वृत्तियों पर काबू पाते हैं। फिर भी, उनके अंदर पूर्ण शांति नहीं। वे अभी तक ईश्वर के सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाये हैं। वे अपने को अधूरा महसूस करते रहते हैं। एक दिन जल में तपस्या करते वक्त जल की मछलियों को काम–नृत्य करते देखते हैं। अंदर में एक अंतर्बोध होता है। सारी सृष्टि काम की मधुर झँकृतियों से गुंजायमान है। सत्य का साक्षात्कार पलायन और एकांत में नहीं हो सकता। वह तो इसी संसार मे रहकर प्राप्त किया जा सकता है। वे योग बल से युवा शरीर धारण करते हैं और मांधाता की पुत्री कुंतला से उनकी शादी होती है। गृहस्थ जीवन मे आने के बाद उन्हें सत्य का साक्षात्कार होता है और वे एक नये जीवन की ओर उन्मुख होते हैं।

इस पूरे कथानक में राधाकृष्ण कई–कई सवालों से टकराते हैं। जो विश्वविजयी है, सारे भौतिक पदार्थों का स्वामी है, जो अपनी प्रजा में ईश्वर का अंशावतार माना जाता है, प्रजा ईश्वर की तरह पूजती है, उसे भी शांति नहीं। और जिसने सम्पूर्ण कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसके दाएं–बांये ऋद्धियाँ और सिद्धियां चलती हों, दुनिया जिसे साक्षात् ईश्वर स्वरूप मानती हो, विश्व विजेता जिसे सर झुकाता हो, उसे भी शांति नहीं। भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने वाले भी अशांत! अधूरे !! यह कैसी विडम्बना!!!

जो विश्वविजयी है, जिसने सम्पूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन कर रखा है, वह अपने पुत्र से भयभीत है। विश्वविजेता को भय! वह भी अपनी सन्तति से!! दूसरी ओर सौभरि हैं जिसने देशकाल को जीत लिया है, समस्त अज्ञान को जीत लिया है, जिसे प्रकाश प्राप्त है, वह भी भयभीत! वह भी स्वयं से!!

राधाकृष्ण 'श्रेय और प्रेय' के समाधान में पूरे उपन्यास में कंट्रास्ट उत्पन्न करते चलते हैं। यही कंट्रास्ट उपन्यास की शक्ति और सीमा बनता है। मान्धाता और सौभरि दोनों परेशान हैं। दोनों दुःखी हैं, दोनों अशांत हैं, पर मांधाता के दुःख में जहाँ क्रोध है, वहीं सौभरि में करुणा। अपनी अशांति पर उद्वेलित दोनों हैं। एक में उदासी और क्रोध है तो दूसरे में कातरता और करुणा। पर शांति की तलाश दोनों को है। आगे चलकर उपन्यास में अनेक कंट्रास्ट उत्पन्न होते हैं। एक दिन सौभरि को एक क्षत–विक्षत बनिया मिलता है। सौभरि की चिकित्सा से वह ठीक हो जाता है। वह सौभरि से अपनी व्यथा–कथा कहता है। वह जीवन में बहुत धन अर्जित कर चुका है। दो पुत्रों का पिता है। जब दोनों पुत्र उस अपार सम्पदा को दान–पुण्य और गरीबों में खर्च करने लगे तो उन्हें नालायक समझकर उसने वृद्धावस्था में तीसरी शादी की ताकि उसे एक योग्य पुत्र उत्पन्न हो। तीसरी पत्नी भी अपने सौतेले पुत्रों की राह पर चलने लगी। उसे चिंता होती है। ऐसी स्थिति रही तो तीन पुश्तों के बाद उसके घर मे फूटी कौड़ी भी नहीं रहेगी। उसने धोखे से बड़े बेटे पर तीर चलाया। वार खाली गया। वह पकड़ा गया। मारपीट कर जंगल मे फेंक दिया गया। वह चाहता है कि सौभरि उसे युवा और शक्तिशाली बना दें ताकि वह अपने पुत्रों से बदला ले सके। उसे अफसोस हैं कि उसने अपनी सम्पूर्ण जवानी धन कमाने में लगा दी, पत्नी और पुत्रों पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई।

यहां भी एक अजीब कंट्रास्ट पैदा हुआ है। तप और योग से सौभरि को अवकाश ही नहीं मिला कि वे यौवन के उद्दाम वेग को दिशा दे सकें। दूसरी और उस वणिक को धन कमाने में अपने यौवन का ध्यान ही नहीं रहा। उसने भी अपना यौवन गवां दिया। तीसरी ओर मांधाता हैं, जो छककर यौवन और मस्ती का पान करते हैं, पर विडम्बना यह कि उन्हें भी शांति नहीं। तीनों के तीनों ही अपूर्ण हैं। सौभरि ने मृत्यु को ध्यान में रखा तो भी शांति नहीं। बनिये ने विचार ही नहीं किया तो भी शांति नहीं। बनिये ने दान–पुण्य किया न कर धन बटोरा तो भी शांति नहीं। सौभरि ज्ञानी है तो भी शांति नहीं। वणिक अज्ञानी है तो भी शांति नहीं और मांधाता ज्ञान पिपासु है तो भी शांति नहीं। इसी तरह के अनेक कन्ट्रास्ट आते–जाते रहते हैं।

आगे चलकर एक और कन्ट्रास्ट आता है। राज्य की सीमा पर जब दस्युओं का आक्रमण बढ़ जाता है तब उनके दमन के लिए अम्बरीश को भेजा जाता है। दस्यु–सन्धान के क्रम में अम्बरीश ऐसे स्थानों पर पहुंचते हैं जहाँ सम्पूर्ण शांति व्याप्त है। उन्हें वन में नग्न रहने वाले वनवासी मिलते है जो जीवन के समस्त राग–द्वेष, इच्छा–आकांक्षाओं से दूर शांत जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। दूसरी ओर 'चंदन के उन वनों के बीच ऐसे लोगों के ग्राम थे जो समस्त दिन काम करते तथा समस्त रात्रि नृत्य किया करते थे। उन्हें निद्रा कम आती थी। उनके गीत मन्त्रों के समान होते थे।'' प्रकृति के सान्निध्य में रहने वाले ये वनवासी सुखी थे। क्योंकि उन्हें किसी चीज के संग्रह की जरूरत नहीं थी। न धन की चाहत है न सत्ता की आकांक्षा। वनवासियों की निर्लिप्तता ऐसी की रत्नों से अधिक सुंदर प्रकृति में खिले फूलों को मानते हैं जिसमें सौंदर्य भी है और सुगंध भी। उनकी स्त्रियां रत्नों को छोड़, फूलों को ही धारण करती हैं। वहाँ सर्व शांति व्याप्त है।

यहाँ आकर उपन्यास में समस्या के समाधान का बीज दिखायी देने लगता है। मनुष्य की आवश्यकता ही क्या? आकांक्षाएं ही दुःख के कारण हैं। सौभरि में मुक्ति की कामना है। ईश प्राप्ति की कामना हैं। अतः आध्यात्मिक ऊँचाई पर जाकर भी वे दुःखी हैं। वहीं वनवासी समस्त कामनाओं से मुक्त हैं, इसीलिए शांत हैं। वे स्वयं अपने शिष्य नाभाग से स्वीकार करते हैं– ''मेरे मन में वैराग्य का मोह है, उस मोह को, उस समस्यामय जीवन को दूसरी

ओर जाने नहीं देना चाहता।''

योग–तपस्या से प्राप्त सम्पूर्ण सिद्धियों के बाद भी वे अपने को रिक्त महसूस करते रहते हैं। प्रकृति से प्रेरित आत्मबोध के संधान के बाद वे गृहस्थ–जीवन मे प्रवेश को उद्यत होते हैं। वे मांधाता से उनकी पुत्री की याचना करते हैं। समस्त वाद–प्रतिवादों के बाद मन्धाता सौभरि के सामने अपने को पराजित महसूस करते हैं। यह कैसी विसम्बना! समस्त पृथ्वी पर दिग्विजय का झंडा फहराने वाला एक निहत्थे के सामने हार जाता है। कुंतला सौभरि से व्याह दी जाती है। गृहस्थ जीवन में आने के बाद सौभरि को एक नया प्रकाश मिलता है। गार्हस्थिक जीवन में पति–पत्नी का एक दूसरे के प्रति निर्लिप्त समर्पण ईश्वर के प्रति योगियों के समर्पण से कहीं अधिक सुंदर होता है। मांधाता ने सौभरि को अपना सेनापति नियुक्त करना चाहा, पर सौभरि ने उसे निर्लिप्त भाव से ठुकरा दिया। उन्होंने ग्राम्य जीवन को अपनाया। कुटिया में पति–पत्नी सादगी से रहने लगे।

चारों ओर शांति व्याप्त हो गयी। वे अपने अनुभव से यह जान जाते हैं कि ईश्वर का प्रकाश इतना तेज है कि कोई साधक उसे सम्भाल नहीं सकता। साधक को इतना ही प्रकाश चाहिए जिसे वह सम्भाल सके। गार्हस्थ्य जीवन में रहकर भी व्यक्ति विधाता के उस प्रकाश को पा सकता है जितना वह सम्भाल सके। इससे अधिक की आवश्यकता ही क्या?

उन्होंने समस्त कामनाओं से मुक्त होकर गार्हस्थिक जीवन जीते हुए दीन–दुखियों की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया। उन्हें इस कार्य में असीम शांति मिली। जीवन का प्रकाश मिल गया। साधना सफल हुई। जब उनकी पत्नी कुंतला उनसे योग सीखाने का आग्रह करती तब वे कहते– ''योग तो अब आकर मैंने सीखना प्रारम्भ किया है। इसके पहले जो मैंने पाया था, वह वियोग था अपने को ही पाने का एकांगी प्रयास था। जो मिलाए वही योग है।''

उनकी समस्त साधना और अनुभवों को उनकी निम्न पंक्तियों में समझा जा सकता है जिसमें जीवन का 'श्रेय और प्रेय' अभिव्यक्त हुआ है– ''अहो, मैं कैसा विचित्र था? प्रभु की कृपा श्रावण की झड़ी की भाँति हृदय को घेरकर बरसने लगतीं, पर उस वारिधारा में प्रसन्न होने के बदले मैं उसे छोड़ मरुस्थल को ओर लपक जाता था। बस, अपने पीछे पागल था। अपने को ही जानने के पीछे व्यक्त था। कस्तूरी मृग की भाँति अपने ही पीछे मैं दौड़ रहा था.... प्रभु के सच्चे दर्शन यहाँ आकर किए .....वहाँ बोध होता था यहाँ अनुभव होता है।''

भूमि और भूमा के सुख का सन्धान करते हुए राधाकृष्ण इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनों सुख एकांगी हैं। भूमि का सुख पाकर मांधाता अपने को रिक्त महसूस करते रहे, वहीं भूमा का सुख पाकर सौभरि अपने को। इस रिक्ति की पूर्ति तब होती है जब सौभरि भूमि–सुख का उपभोग करते हुए भूमा तक पहुंचते हैं। यही मानव जीवन का श्रेय और प्रेय है।

diwakarara3@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 11, Issue 5-6
पृष्ठ : 150-155

हिंदी उपन्यासों में दलित चेतना

बाबु बिगुल्ला
शोधार्थी, हिन्दी विभाग, डॉ. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद।

साहित्य का केन्द्र समाज होता है और समाज का केन्द्र मानव होता है उपन्यास साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें मानव और उसके जीवन के विविध पक्षों का चित्रण होता है। उपन्यास–साहित्य समात के प्रेरणा ही नहीं लेता, बल्कि सामाजिक संरचना और परिवर्तन में भी योगदान देता है।

युगीन परिस्थितियाँ ही प्रमुख रूप से साहित्य के निर्माण का कारण बनती हैं। ये परिस्थितियाँ ही उपन्यासों में उभरकर आतीं हैं जिनके बीच साहित्य सृष्टा लेखक स्वयं रहता है। नवजागरण की इस अवधारणा में हिन्दी उपन्यास हिन्दी साहित्य में दलित–चेतना पर कई महत्वपूर्ण उपन्यासों का सृजन हुआ।

परम्परागत वर्ण–व्यवस्था में शूद्र और पंचम वर्ण के अन्तर्गत आने वाले समुदाय को जो स्वर्णों द्वारा अछूत माना जाता रहा है, उसे 'दलित' कहा जाता। इसमें आदिवासी वर्ग भी शामिल है। 'दलित' केवल हरिजन और नवबौद्ध नहीं। गांव की सीमा के बाहर रहने वाली सभी अछूत जातियाँ, आदिवासी, भूमिहीन, खेत, मजदूर, श्रमिक, यायावरी जातियाँ सभी के सभी दलित शब्द से व्याख्यायित है।

साहित्यकार सकारात्मक समाजवादी व्यवस्था का आग्रही है। दलित साहित्य समाज के समूह–मन का दर्पण है। जो उसके मन का आलेख, दस्तावेज, कथातथा संघर्ष का प्रतीक है। वह अपनी अकारण नीच बनायी गई दशा, वंचना, गरीबी, समाज में व्याप्त उपेक्षा और अपमान की कहानी कहता है। सम्पूर्ण समाज की पीड़ा और व्यथा को वाणी देना 'दलित साहित्य' का लक्ष्य है। दलित साहित्य का केन्द्र बिन्दु मनुष्य है। वह मनुष्य के दुःख, दर्द, उसके संघर्ष और जिजीविषा तथा उसकी मुक्ति और उत्कर्ष को कसोटी मानता है। निषेध, नकार तथा विद्रोह, इसके मूल में हैं। कमलेश्वर (प्रसिद्ध चिंतक व उपन्यासकार) कहते हैं, 'जातीय स्वाभिमान को छोड़कर इस साहित्य ने भारत के दलित और वंचित मनुष्य को सम्मान दिया है। यह साहित्य भारत की अपमानित और वंचित मनुष्य की अस्मिता की आवाज है।

कबीरदास जी ने कहा है कि, 'मैं कहता आँखिन देखी।'

मैंने जो अनुभव किया वही बोल रहा हूँ। दलित साहित्य का यही दृष्टिकोण साहित्य के संदर्भ में है। जो यथार्थ के धरातल पर उभरकर आता है।

दलित चेतना, क्रांतिकारी मानसिकता है। जो आनंद पर आश्रित न होकर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है।

चेतना :– मानवीय चेतना में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक चेतना का समावेश होता है। मनुष्य की सारी

क्रियाओं, गतिशील प्रवृत्तियों का मूल कारण होता है। चेतना का विकास सामाजिक वातावरण के सम्पर्क से होता है। विकास की चरम सीमा में चेतना निज स्वतंत्रता की अनुभूति कराती है। चेतना ही अनुभूतियों की जननी है वह साहित्य की आत्मा है। साहित्य चेतना के बिना निष्प्राण है।

दलित चेतना :-

दलित चेतना शब्द, जाति वाचक शब्द है किन्तु इससे समाज एवं समूह का बोध होता है। दलित चेतना सामूहिक चेतना के अंतर्गत है। दलितों का अपने अस्तित्व के प्रति एहसास, अनुभूति और समाज में अपने अधिकारों के प्रति जागना दलित चेतना है। इसमें किसी वर्ग समाज, देश या प्रांत का लक्ष्य नहीं है। इसमें तो समस्त मानव जागृति और परिवर्तन का श्रेय समाहित है।

ओमप्रकाश वाल्मीकि कहते हैं कि, 'जो दलितों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सामाजिक भूमिका की छवि के तिलस्म को तोड़ता है वही दलित चेतना है। दलित मतलब मानवीय अधिकारों से वंचित सामाजिक तौर पर जिसे नकारा गया है। उसकी चेतना यानी दलित चेतना।'

सदियों से पीड़ित पशु से भी लांछित जिंदगी जीने वाले दलित को अपने मनुष्य होने का एहसास होते ही अपनी आंतरिक तथा बाह्य शक्ति का भी ज्ञान होना ही दलित चेतना है।

इसकी प्रेरणा के स्त्रोत गौतम बुद्ध, महात्मा कबीर, ज्योतिराव फुले, डॉ.. भीमराव अंबेडकर है।[1]

दलित चेतना सत्य, न्याय और नीति के विजय की चेतना है। इसमें पीड़ित शोषित मानव की यातनाएँ हैं, वेदना है, व्यथा है, संघर्ष है, आक्रोश है, विद्रोह है, सामाजिक उत्कर्ष की प्रक्रिया एवं नूतन क्रांति का बीजारोपण है।

डॉ. पुरुषोत्तम 'सत्यप्रेमी' दलित कविता के मुख्य हस्ताक्षर सवालों का सूरज कविता में वे कहते हैं :

'आँसू ही आँसू मेरे भारत।
नम हुई है आँसू से। हर आदमी की आँख
और स्वतंत्रता, स्वराज्य व समता का
सपना संजोती भारत माता
संशय की पीड़ा भोग रही है।'

जीवन में उत्पीड़न और अपमान का जो दंश है। उसी का चित्रण दलित साहित्य है लेखकों ने दलित समाज की यातनाओं, उसके साथ किए जा रहे पाखंडपूर्ण एवं अमानवीय सामाजिक व्यवहार अथवा उनकी अवहेलना, उपेक्षा, उत्पीड़न, प्रवंचना की कथा के माध्यम से केवल रचनात्मक जिजीविषा को शांत नहीं किया है बल्कि उन्होंने सामाजिक प्रतिबद्धता, और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए यथार्थ का बीजारोपण किया है।

साहित्य और जीवन सदैव समानांतर चला है। साहित्य तभी सार्थक होता है जब युगबोध से जुड़ा रहता है।

दलित साहित्य कलावादी या रंजनावादी साहित्य नहीं है। दलित साहित्य अध्यात्मवाद और गूढ़ रहस्यवाद को अस्वीकार करते हुए भोगे हुए यथार्थ का साक्षात्कार कराता है।

दलित चेतना पर अंबेडकर विचार धारा का प्रबल प्रभाव रहा है।

जो मानव जीवन को सुन्दर रखने वाली संवेदना जागृति की ज्वाला जलाये रखने वाली अग्नि है, संघर्ष शोषण के खिलाफ संगठित होकर उठायी हुई बुलंद आवाज है, बहुजन समाज की दीनता, दुःख दासत्व और दरिद्रता की गुणकारी दवा है, बुद्ध के चेहरे की मधुर मृदु–मुस्कान है, दीन–दुखियों के मुरझाये हुए चेहरे को खिलाने वाला मलय–बयार है, अन्याय, अज्ञान और अंधविश्वास व रूढ़ियों को उखाड़ फेंकने वाला सम्यक सदभाव है।

मानवीय स्वतंत्रता का गीत गाने वाला, समता का अलख जगाने वाला, बंधुत्व का बीजारोपण करने वाला, अन्याय–अत्याचार का विरोध और न्याय की चिंता करने वाला, मानवता का बहुमुखी विकास चाहने वाला, धर्म–निरपेक्ष, निरीश्वरवादी, बुद्धिप्रमाण्यवादी और क्रांतिकारी है। इनके रोदण, हाहाकार, सामाजिक, छल, आत्महीनता, निषेध और जातिय व्यवस्था से भारत माता भी परेशान है इनके लिए स्वतंत्रता का सपना भंग हो चुका है।

हिन्दी उपन्यास साहित्य में पिछले सौ वर्षों में निरंतर बदलाव दृष्टिगोचर होता है। आजादी के पहले हिन्दी साहित्य जन जागरण व राष्ट्रीय–सांस्कृतिक चेतना का साहित्य रहा है। परंतु आजादी के बाद हिन्दी साहित्य में वैयक्तिक–सामाजिक जीवन की बाहरी–भीतरी समस्याओं में वैयक्तिक–सामाजिक जीवन की बाहरी–भीतरी समस्याओं का अंकन और नैतिकता के नये मापदंड विकसित हुए हैं।

आजादी के बाद कविता के स्थान पर कथा साहित्य उत्तरोत्तर बढ़ते गया। अपने समय के यथार्थ और समाज की चुनौतियों, अंतर्विरोधों, विसंगतियों, विद्रुपताओं और यंत्रणाओं की अभिव्यक्ति में उपन्यास सक्षम साबित हुआ है। जीवन की विविध जटिल समस्याओं को अभिव्यक्त करने के कारण कथा साहित्य का स्वरूप भी बदलता रहा है। जो समय धर्मी है, इसमें जीवन–मूल्यों का क्षरण, दुख, निराशा, हताशा, अकेलापन, असंयम, आक्रोश, क्षोभ, असंतोष, अनास्था आदि के स्वरों को सुना जा सकता है।

हिन्दी उपन्यास हर युग में रचनात्मक सम्पन्नता का परिचय देता आया है। आधुनिक साहित्यिक विधाओं में पठनीयता की दृष्टि से उपन्यास को प्रथम स्थान प्राप्त है। क्योंकि इसमें जीवन के यथार्थ जगत से साक्षात्कार होता हैं क्योंकि रचनाकारों ने यथार्थ और यथार्थवादी चेतना के विस्तार के तहत् उपन्यास को सृजित किया है। सामाजिक यथार्थ के विभिन्न आयामों से उपन्यास का यह सरोकार सामाजिक इतिहास की भूमिका को भी दर्शाता है। तात्पर्य यह है कि हर युगीन उपन्यास निरंतर गतिशील सामाजिक धड़कनों को आत्मसात करता हुआ ज्ञान और विवेक के साथ सामाजिकता का अंकन करते आया है। आजादी के पहले स्वतंत्रता आन्दोलन के समान्तर उभरी विभिन्न समाज–सुधारक संस्थाओं, गांधीजी की हरिजन दृष्टि तथा डॉ. बाबासाहब अंबेडकर की कोशिशों ने मिलकर शोषित पीड़ित वर्ग के प्रति एक नई मानसिकता अपनाने की भूमिका तैयार की। जिससे दलित और पिछड़ी जातियों के उद्धार की कामना मूर्त रूप साकार करते रही।

हिन्दी साहित्य में प्रेमचंद ने सर्वप्रथम इन शोषित पीड़ित दलितों की शापग्रस्त जिन्दगी का चित्रण अपने कथा साहित्य में किया। उसके बाद साठोत्तरी युग की बदलती हुई जीवन सम्बंधी दृष्टि को जीवन को अत्यंत सूक्ष्मरता के साथ अपने में समेटने का कार्य किया। परिणामतः जाति, धर्म, वर्ग आदि से हटकर मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने की विशाल मानसिकता भी बल पकड़ने लगी। जिससे साहित्य में दलित चेतना का उदय हुआ।

दलित सामाजिक दृष्टि से बहिष्कार का सामना सदियों से करते आ रहे हैं। भारतीय पृष्ठभूमि उनके

व्यक्तित्व को शूद्र की कोटि में रखकर हमेशा हीन, पतित, नीच मानकर अपमानित और पशुतुल्य जीवन जीने के लिए विवश करती रही। विवशता और मूक जीवन मानों उनका भाग्य ही है। ऐसी सामाजिक मान्यता बन गई। जातीयता की बदबू चारों ओर आज भी व्याप्त है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले दलितों का शोषण सामाजिक परम्परागत रूढ़ अमानवीय शक्तियों द्वारा होता रहा है। उन्हें अछूत करार देकर मानव की श्रेणी से हमेशा नकारा है। उन्हें सेवक, दास और अपराधी की भूमिका में सदियों से समाज देख रहा है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, मानसिक शोषण का यह श्चाकश दलितों को कुचलकर लहूलुहान करता रहा है। उनका दमन और दलन आज भी जारी है।

शरणकुमार लिंबाले 'नरवानर' के माध्यम से कहते हैं कि 'अपना देश आजाद हो गया, हमने सोंचा अब हमारी समस्यायें सुलझ जाएंगी, अब हम पर अन्याय–अत्याचार नहीं होगा, हाथों को काम, पेट को रोटी मिलेगी, इज्जत मिलेगी, लेकिन समस्यायें अधिक विकट हो गई, आजादी से हमें कोई लाभ नहीं हुआ।'

भारतीय संदर्भ में अगर विचार किया जाए तो दलितों के लिए ही नहीं बल्कि नर–नारी, आदिवासी–दलित, स्वामी–सर्वहारा, मालिक नौकर प्रत्येक को हमारे संविधान ने समान अधिकार दिये हैं। संविधान का निर्माण सामाजिक जीवन परिवर्तन का उद्घाटन है। दलितों को सामाजिक सम्मान प्राप्त हो इस हेतु वह शिक्षित होकर शासकीय पदों पर आसीन होकर मोहताज की जिंदगी से छुटकारा प्राप्त कर सम्मानित जीवन जीयें। लेकिन आज भी दलितों को उसके अधिकारों के प्रति वंचित रखा जा रहा है। आरक्षण से कुछ समाधान आवश्यक हुआ है।

सामाजिक, धार्मिक, मानसिक, आर्थिक शोषण को अपनी सहनशीलता से स्वीकारता हुआ दलित उसके विरुद्ध विद्रोह की भूमिका में जब चेतना शील हुआ तो उसके विद्रोह के विस्फोट को दलित साहित्य कारों ने वाणी दी और दलित साहित्य प्रकाश में आया। ग्राम्यस– आंचल में रहने वाला, शहरी बस्तील में घुटने भरी जिंदगी जीने वाला 'दलित' आज भी सामाजिकता की चक्की में पीसा जा रहा है।

आम आदमी के कुचले जाने के दर्द को 'दलित' वाणी देने का कार्य कर रहा है। क्योंकि साहित्य का आधार सिर्फ संवेदना सहानुभूति, सहवेदना ही नहीं है बल्कि वह चेतना, प्रेरणा अस्मिता और स्वाभिमान के प्रति भी जागरुकता का पक्षधर है।

सदियों से पीड़ित दलितों के जीवन में परिवर्तन की कामना वर्तमान काल की अनिवार्य आवश्यकता को समझकर हिन्दी साहित्य के उपन्यासों में 'दलित' चेतना का अंकन करके उनके दर्द को वाणी देने का प्रयास किया है। उन्होंने प्रताड़ित, अपमानित आहत् आत्मा की आवाज को पहचाना। उसकी जिजीविषा, ताकत, धीरज, कर्तव्यशीलता, संताप विद्रोह, आक्रोश में बनते–बिगड़ते टूटते–गिरते अस्तित्व को दर्शाने का प्रयास किया है। 'दलित–विमर्श के इस स्वर के माध्यम से उपन्यासकारों ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि हमारे देश के व्यवस्था तंत्र, राजतंत्र, जमींदार तंत्र दलित जातियों को आज भी विभिन्न षडयंत्रों के द्वारा उनका हनन कर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही दलितों की भी अपनी कुछ समाजगत रूढ़िवादी मान्यताएँ हैं जो उन्हें कमजोर कर रही हैं।

कालबाह्य जर्जर, अमानवीय, अपमानजनित परम्पराओं के प्रति असहमति दर्शाने हुए दलित पात्रों में उभरता हुआ स्वाभिमान, अस्तित्व–बोध संघर्ष करने और जीने के उत्साह को मानवीयता का आवरण चढ़ाने का

प्रयास उपन्यास कारों ने किया है। साथ ही अन्यायपूर्ण व्यवस्था के प्रति विद्रोह दर्ज कर उनके विरोध की क्षमता, साहस और संघर्ष–शक्ति में वैचारिकता प्रदान कर उनके जीवन की सच्चाई का उद्घाटन किया है।

स्वतंत्रता का बिगुल बजा सवर्ण, सामंत, पूँजीपति स्वतंत्र हुए। परंतु उनकी शोषण नीति में कोई बदलाव नहीं आया। 'दलित' की नियति में तो स्वतंत्रता शब्द नहीं के बराबर है। हिन्दी उपन्यासकारों ने इस सच्चाई को अभिव्यक्त करने का प्रयास अपने उपन्यासों के माध्यम से किया है। हार– पराजय, दुःख–दर्द, सुख–आनंद, यश–अपयश की मानसिकता को नया तथ्य देकर उपन्यासकारों ने श्दलितश मानव की भावाभिव्यक्ति को शब्द देने का प्रयास किया है। अपनी वैचारिकता प्रतिबद्धता से दलित–विमर्श का अंकन करने वाले प्रमुख लेखक हैं।

फणीश्वरनाथ रेणू, भट्ट, हिमांशू श्रीवास्तव, रांगेय राघव, शैलेश मटियानी, जगदीशचन्द्र जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, गोपाल उपाध्याय, अमृतलाल नागर, नार्गाजुन, भैरव प्रसाद गुप्त, गिरिराज किशोर, रमेश चन्द्र शाह, शिव प्रसाद सिंह, जय प्रकाश कर्दम गुप्त, सुबोध कुमार श्रीवास्तव, मदन दीक्षित, मन्नु भण्डारी, तेजिन्दर सत्य प्रकाश मोहनदास नैमिशराय आदि। इन लेखकों ने भारत के विविध राज्यों में बसे हुए दलित जनजीवन, उनकी संस्कृति, उनकी समस्याएँ और शोषण का चित्रण किया है।

ग्राम्य–आँचल में रहने वाले दलितों की जीवन पद्धतियों उनके दैनिक जीवन की घटनाओं को सामाजिकता के मापदण्ड में तौलते हुए उपन्यासकारों ने यथार्थवादी दृष्टिकोण से चित्रित किया है। हार–पराजय, दुःख–दर्द, सुख–आनंद, यश–अपयश की मानसिकता को नया तथ्य देकर उपन्यासकारों ने 'दलित' मानव की भावाभिव्यक्ति को शब्द देने का प्रयास किया है।

'हर इंसान से खुलकर मिल
ना जाने किस भेष में खुदा मिल जाए।'

की भावना से 'दलित' अपने व्यक्तित्व के प्रति समर्पण का भाव लिए हुए है तो समाज का भी फर्ज है कि वह इंसानियत को जीवन में अर्थ देकर हाथ मिलाने का संकल्प लेकर आगे बढ़े तथा ईश्वर की संतान होने का प्रमाण दे। मानवता दिशा–दिशा उन्मुक्त भावना में महकती रहे अपने स्वाभिमान को तराशती हुई आगे बढ़ते रहे।

मन की गहराई में बसे भय के आतंक की छटपटाहट को परिवर्तित समाज के संदर्भ में रूपांतरण की प्रक्रिया द्वारा संभावनाओं को समझकर दलित चेतना का अंकन हुआ है। अपने सुख को दुःख में बदलते देखना इनके लिए जीवन का सच और भाग्य का लेख भले ही रहा हो लेकिन इन्होंने अपनी पराजय को हजम कर विजय मात्रा में धीरज से कदम बढ़ाकर नये संदर्भ खोजे हैं। अपने अस्तित्व को अर्थप्रदान कर उसे इंसानियत के अर्थ में लाकर खड़ा किया है। समाज की दोगली नीति के चलते इन्होंने अपना स्वाभिमान जिन्दा रखा और जीवन के हर मोड़ हर, चट्टान हर किनारे से, हर पगडंडी से राह खोज कर चलते रहने की संकल्पशील आस्था को डगमगाने नहीं दिया। सतत् अपनी चेतना को जाग्रत रखा।

उपन्यासकारों ने अपनी व्यापक दृष्टि गहरी और सच्ची अनुभूति तथा तार्किक और ईमानदार अभिव्यक्ति उपन्यासों के माध्यम से प्रस्तुत की है।

'दलित–चेतना' से जुड़े यह उपन्यास दारुण सत्य से रू–ब–रू करते हैं। विभिन्न संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने के बाद भी मानवीयता दम तोड़ रही है। महात्मा गांधी जी, डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव

फुले, के इस देश में उन्हें अस्वीकार की भावना से कुण्ठा जनित स्थिति में जीवनयापन करना है लेकिन कब तक इस लाचारी और मोहताज की जिंदगी वे जीते रहेंगे इसे विद्रोह में बदलने का संकल्प दलित–चेतना द्वारा संभव हुआ है। क्योंकि साहित्य सामाजिकता के मापदण्डों को कथानक के बल पर चित्रित कर सत्य का पक्षधर होता है इसी पक्षधरता का सबूत दलित चेतना है। जिसमें सदियों से प्रताड़ित और अपमानित आत्मा की आवाज सुनाई दे रही है।

संदर्भ ग्रन्थ :–

1. समकालीन हिन्दी उपन्यास (वर्ग एवं वर्ण संघर्ष) – डॉ. जालिंदर इंगले, पृ. 14
2. बीसवीं सदी के अंतिम दशक के हिन्दी उपन्यासों का प्रवृतिमूलक अनुशीलन – डॉ. क्षितिज यादवराव धुमाल, पृ. 113
3. आठवे दशक के हिन्दी उपन्यासों में आधुनिक बोध – डॉ. शोभा देशपांडे, पृ. 91
4. अंबेडकर चिंतन और हिन्दी दलित साहित्य – पी. एन. सिंह– पृ. 42
5. दसवें दशक के आँचलिक उपन्यास – डॉ. बृजेश कुमार शर्मा, पृ. 36
6. जगदीश चन्द्र का उपन्यास साहित्य – एक सामाजिक अनुशीलन – डॉ. सारस्वत परमार, पृ. 67
7. दसवें दशक के हिन्दी उपन्यासों में दलित चेतना – वसाणी कृष्णावंती, पृ. 81

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 11, Issue 5-6
पृष्ठ : 156-161

Shakespeare in Bollywood : Where and Why

Geeta Gupta
Associate Professor, Dept. of English, Vaish College, Rohtak

Abstract :-

Shakespeare's flamboyant universe appears to have captivated Bollywood directors forever, motivating them to interpret or adapt his works in the setting of their own socio-cultural environment. Shakespeare's majestic and "universal" stories of love, retaliation, intrigue, and bloodshed have had a profound impact on the Indian ethos and imagination in postcolonial India.

The playwright began to feature in Bollywood films many years ago, and as time went on, he became known as the Bard of Bollywood. From Gulzar's Angoor (1982), an adaptation of The Comedy of Errors, to Vishal Bhardwaj's Haider (2014), a replica of Hamlet, the author has had a number of diverse on-screen personalities.

Bollywood has domesticated Shakespearean texts by making them popular using its own masala formula, which consists of dance, singing, item songs, and other aspects in order to entertain and cater to the preferences of the desi audience.

Shakespearean tragedies have undergone Bollywoodization and entered popular or mass culture in this region of the world. The writings of the Bard have been adapted for the screen by filmmakers, and Shakespearean storylines intertwine practically all of the nuanced and complex elements of human psychology and existence, giving the texts the capacity to draw large audiences, which aids in the economic goals of the filmmakers. In this essay, we'll look at how Shakespearean works have been reexamined, reinterpreted, or recreated in Bollywood over the years. The article also seeks to explain the politics of stealing and commercializing literary and cultural objects in order to satisfy mass consumption and the general public. The research also tries to show how Shakespeare's writings' intrinsic or embedded modernity enabled their creator to go beyond the bounds of personal subjectivity and, ultimately, to become a symbol for many or "global" humanity.

Keywords :- Shakespeare, Bollywood, Film and Audience

Shakespeare, an English poet and playwright, is recognized as one of the greatest writers of all

time, and throughout the years, a big scholarly community and a hedonistic cultural industry have grown up around him. Shakespeare's plays have been appropriated, plagiarized, and commercialized to pique the attention and attraction of a wide spectrum of audiences. Shakespeare's association with Bollywood in cinema draws attention to this aspect of the playwright's appeal to the industry. There may have been a longstanding relationship between Bollywood and Shakespeare because of the industry's fascination with and awe for Shakespeare's works, but there also seems to be a very real and complicated web of economic interest that suggests Bollywood's interactions with this literary and cultural phenomenon known as Shakespeare are primarily for commercial gain.

Shakespeare and Bollywood collectively make up a cultural capital, and as a result, they have come to symbolize a new global culture. Shakespeare, the highbrow, elite, and Bollywood, the lowbrow, popular — this seemingly unusual convergence spanning two distinct cultures may appear natural, yet it is heavily packed with business concerns and marketing/profit-generating potentials.

The current study looks at how commercial and profit-making influences and shapes the politics of appropriation and adaptation. It also aims to delve deeply into the intertwined relationship between Bollywood and Shakespeare. Shakespeare's words are fundamentally modern and present; thus, the article also considers how he may speak to "states unborn and accents yet unknown". Finally, we argue that reading "Bollywood Shakespeare" results in fresh readings of the texts and that these various critical engagements can be successfully incorporated into a "larger framework of reading alternative Shakespeare's, involving an essentially interdisciplinary critical exercise.

The term "Bollywood cinema" refers to a certain style of filmmaking that is distinguished by an incredible quantity of musical and dance components and has over the years created a "brand value." Indian, national, local, hybrid, and even global and transnational components are all included in a typical Bollywood production. Due to its adaptation and flexibility potential, Bollywood films have been able to build an immensely lively institutional and cultural matrix. This has garnered a sizable following for this film industry across continents, and through time, Bollywood has also come to reflect popular culture in the country in the sense that Bollywood cultural representations have nearly become metonymic of Indian cultural ethos and values.

Ashis Nandy defines Bollywood film or "Bombay cinema" as "mass culture" or "popular mass culture." Bollywood commercial films are created in such a way that they may fit the secret dreams of a wide range of audiences, from uneducated day laborers to affluent urbanites. Cinema, India's model of interethnic peace, is still "culturally dominant" there. Bollywood thus provides a "simulacral realm of mass culture" where a person's interest in visual media, which Fredric Jameson has referred to as the "pornographic fascination of the mind with cinema," finds an outlet and is administered;

additionally, where the filmic representations of the issues, such as patriotic nationalism, the idea of a "pure" native identity, a sense of community, as well as caste and gender issues, play significant roles in shaping. In such a manner, Vijay Mishra accurately guarantees that the creation and gathering of Indian movies are "molded by the craving for public local areas" and a "dish Indian mainstream society."

In the context of India especially, some film critics contend that there is a crucial connection between the history of cinema and literature. The history of film adaptations can be considered to have parallels with the history of cinema. Due to its intimate links to literature, film as an art form has advanced significantly. Bollywood cinema in particular seems to never be shy to take from and adapt from European dramas as well as (melodramatic) books. However, adaptation brings up the question of authenticity and the complex link between literature and film. Perhaps from the very beginning of movie history, there has been a discussion over the veracity of how literary texts are portrayed in films. Some authors claim that films and literature have a parasitical relationship; D. H. Lawrence, for instance, referred to film as a "vulgar medium" because he thought it "homogenized popular culture.". As a result, it is less controversial to adapt drama for the big screen, which has been a common practice throughout time.

The poet's works, seen through a variety of lenses and many viewpoints, have opened up an endless spectrum of meanings and possibilities. Now, returning to Shakespeare and Bollywood: each century has interpreted and reinterpreted Shakespeare in its own manner. Shakespeare investigates the human mind in great depth and goes deeply into the darkest aspects of human awareness, providing incisive insights about the state of humanity as a whole. His plays advance multiculturalism by promoting crosscultural exchanges and dialogue. The Bard has democratized the drama genre itself by bridging the gap between tradition and modernity and challenging the hierarchy between elite and common culture, extending its doors to individuals of every race, colour, and cultural background. As a result, it seems sense that movie producers, directors, and screenwriters would go to this "millennial poet" and this "university" of human emotions for inspiration. The same is true of Bollywood.

Hamlet, sometimes referred to as Khoon Ka Khoon (1935), was the first and oldest Shakespearean sound film adaptation to appear on a Hindi movie screen. The film's director is Sohrab Modi, dubbed "the man who brought Shakespeare to the Indian screen."It is acknowledged as one of the first adaptations of this tragedy of vengeance in talkies. Although the movie did poorly at the box office, it garnered favourable reviews, especially for the language and "quality of the play." Film reviewers point to The Comedy of Errors adaption Angoor from 1982 as one of the most successful and noteworthy remakes of the playwright's works. Angoor was a great box office triumph. Filmmakers

like Sanjay Leela Bhansali, Habib Faisal, and Vishal Bhardwaj have offered localized and indigenous adaptations of Shakespeare's plays in modern India by addressing contemporary issues like the conflict between ethnic clans, the idea of honour killing (also known as Khap killing in Hindi), gender inequality, and the problem of political feuds among rival political parties/groups. The desi versions of the romantic tragedy Romeo and Juliet by Bhansali's Ram-Lella (2013) and Faisal's Ishaqzaade (2012) both place the love tales of the starcrossed lovers against the backdrop of political conflicts between two competing families/clans. These two films depict the contemporary, conflict-ridden hinterlands of India, where tensions or violent intercaste or inter-religious confrontations occur often.

Despite a more than a century-old habit of plagiarism, Bhardwaj's films—Haider (2014), a modernized version of Hamlet, Maqbool (2003), and Omkara (2006)—are the first to be regarded as Bollywood adaptations of Shakespearean works. Shakespeare's many and varied avatars, as well as modern adaptations of his plays, have been brought to the public by Bhardwaj, who is most known for his tragic trilogy of Shakespeare. His most recent film, Haider (2014), is a dramatic rendition of Hamlet by William Shakespeare. The film, which is set against the background of modern-day Kashmir, puts the issue of civilian disappearances front and centre and seeks to carefully analyses the political climate of the insurgency-affected Kashmir wars of 1995.

A young student and poet, Haider is a bollywoodized version of Hamlet. He returns to Kashmir from Aligarh at a pivotal point in the ongoing conflict and sets out to solve the mystery of his father's disappearance but finds himself caught up in the fundamentally dishonest politics of the state. When reading the Bard, Bhardwaj embraces the concept of retaliation, or inteqam (the Urdu term for retaliation). However, Bhardwaj makes a little departure from the original text and offers a different perspective on the vengeance story by having his main character pardon the person who killed his father. Deeply moved by his mother's final words, Haider decides against seeking retribution against his uncle for killing his father. He also rejects joining the vicious circle of inteqam, which the mother of the main character believes will not only fail to bring freedom or azadi for Haider but also for the people of Kashmir: "Inteqam will produce more inteqams, and until us free or azad our souls from inteqam... no freedom or azadi can be achieved," the adage goes.

Although the inclusion of item songs and dance routines clearly serves as the main source of entertainment, the practice is undeniably linked to the commercialization of film. Desi blonde girls dancing in chiffon sarees while surrounded by rural or urban police officers in a local bar, where the men gawk at them as objects of desire, or duet song and dance performances of aspiring lovers in an exotic location, etc., not only have sensual appeal for the general public but are also effective crowd-pullers. Without a doubt, the sexualization of women, the depiction of male and female sexual desire,

and the pornographic depictions of female bodies all contribute to the explosive growth in ticket sales, serving the economic goals of the filmmakers.

It's interesting that Shakespeare's adaptation into the Indian cultural context turns out to be a less difficult and demanding undertaking for Bollywood filmmakers. Shakespeare's works address the human psyche and emotions, but they do not restrict themselves to a particular period of time, location, or geopolitical or cultural context. They become the representations of not only universal concepts and ideals, but also of a fine fusion of various cultural classifications, such as high, low, popular, or mass culture, and they reflect both local and global issues, democratizing the cinematic experience and highlighting the fundamental "glocality" of texts. Shakespeare's plays may thus be rewritten many times due to their inherent globalism and modernity. And we must not lose sight of the fact that translations and adaptations are always a real possibility since, in the end, "cultures" are more alike than distinct.

We will wrap up this brief discussion of Bollywood adaptations of Shakespearean plays with a general reflection on the politics of film production and reception, as well as the importance of the perceptive viewer: as Vijay Mishra convincingly argues in Bollywood Cinema, the experience of watching films is crucial to the construction of the self and the community, so we cannot ignore the poetics and politics that are ingrained in this type of experience. The experience of old moviegoers has changed dramatically as the world is now made to pass through the filter of the cultural sector. The audience at a multiplex becomes a consumer of films as well as all the ancillary products such as popcorn, beverages, snacks and commercials. A number of locations, such Universal City Walk in Orlando, Florida, and Bashundhara City Cinema in the capital city of Dhaka, have developed into "gated communities," preventing entry by lower mortals.

In these gated communities, where several displays are only a component of a bigger "merchandising and recreational enterprise," money becomes the only factor in determining one's capacity to inhabit a "space." Only the upper and upper middle class or middle class strata of a society are allowed to occupy these posh locations; the masses on the periphery of society are denied entry and loiter outside of these ultramodern mega-complexes; the situation, as many would agree, bears witness to the glaring marginalization and discrimination. Additionally, because real life and movies are so similar to one another, it can be difficult for viewers to discern between the real world they live in and the fantastical one that is shown on the screen.

No room is left for creativity; the range of one's ability to critically analyze their environment has also narrowed. Individual and societal life is firmly rooted in mindless materialism, repugnant narcissism, and trivial worries. One cannot afford to watch films mindlessly or consume them in this

period of history when "the end of imagination" seems inevitable and where the ghosts of capitalism loom large. Instead, one must analyze, decode, and be aware of the poetics and politics involved in film production and reception. This critical awareness should, of course, also be used while examining Shakespeare in Bollywood.

Reference :-

1. Bywater, T., & Sobchack, T. (2009). Introduction to Film Criticism: Major Approaches to Narrative Film. New Delhi : Pearson Education, 14.
2. Chakravarti, P. (2014). Interrogating "Bollywood Shakespeare": Reading Rituparno Ghosh's The Last Lear", Bollywood Shakespeare. Craig Dionne and Paramita Kapadia (New York: Palgrave Macmillan US, 128.
3. Dix, A. (2010). Beginning Film Studies. New Delhi: Viva Books, 309.
4. Jain, J., & Rai, S. (2015). "Introduction", Film and Feminism: Essays in Indian Cinema,. New Delhi: Rawat Publications, 1.
5. Maswood Akhter,, A. F. (2017). Encountering Shakespeare's Gobbos Through Gerontological Imaginary",. Praxis, 9, 7-14.
6. Nandyqtd, A., & Mishra, V. (2002). Bollywood Cinema: Temples of Desire. Routledge: New York & London,, 15.
7. Ray, S. (1976). Our Films Their Films. New Delhi: Orient Black Swan, 3.
8. Singh, V. (n.d.). "Fiction to Film: A brief History and a Framework for Film Adaptations", Filming Fiction: Tagore, Premchand and Roy.
9. Trivedi, P. (n.d.). "Afterword: Shakespeare and Bollywood", Bollywood Shakespeares,.

geetaramangupta@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 11, Issue 5-6
पृष्ठ : 162-167

आधुनिक काल में लोक साहित्य का महत्व

रंजना गुप्ता

सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि लोक साहित्य क्या है। लोक साहित्य से आशय क्या है? लोक साहित्य घुस साहित्य को कहते हैं जिसकी रचना लोक द्वारा की जाती है। अर्थात बोक साहित्य का सम्बन्ध किसी क्षेत्र विशेष से होता है। इस साहित्य से उस क्षेत्र मे रहने वाले लोगों की भावनाये जुड़ी रही है। यह साहिए उन्ही लोगों द्वारा समझा जाता है। इस साहित्य की सहज उस साहित्य की प्राणाधार होती है। इस साहित्य मे बनावटीपन ही अभिव्यक्ति ही होता इसकी भाषा आम जन की भाषा होती है। वास्तव में लोक साहित्य शब्द अंग्रेजी के फोकलिटरेचर का अनुवाद है। जितना पुराना मानव जीवन का इतिहास है उतना हो पुराना लोक साहिल है। इस साहित्य में मानव जीवन के प्रत्येक पहलू का है वह सुख–दुःख, हर्ष उल्लास, जीवन की अनेक अवस्थाओ, प्रकृति समावेश होता के अनेक रूपो को समाहित करके युगो युगो की लम्बी यात्रा थे अनेको परम्पराओं, परिवर्तन माताओं, बदलती आस्थाओं, बदलती विचारधाआओं को लेकर गतिमान होती है लोक साहित्य सदैव लोक की भावनाओ को सम्मान करती है यही कारण है कि अलिखित और मौखिक परम्परा के होने के पश्चान भी लोक साहित्य के प्रति नीक की सच्ची भावना है। बोक साहित्य को एक सुनिश्चित परिभाषा में बाँधना थोड़ा कठिन है क्योंकि लोक साहित्य लोक मानस की सरल और स्वभाविक अभिव्यक्ति है। किसी समाज के इतिहास के इतिहास को समझने के लिये उसके लोक साहित्य को समझता पड़ेगा। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास मे लिखा है कि 'भारतीय जनता का सामान्य स्वरूप पहचानने के लिए पुराने परिचर परिचित मान्य नीति की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल पंडितों द्वारा प्रवर्तित काव्य का अनुशीलन ही पर्याप्त नहीं है।'

हिन्दी भाषी प्रदेशों में प्रत्येक जनपद में हमे अलग–अलग बोली बोली जाती है उनका अपना अलग अलग लोग साहित्य है। उदाहरण के लिये मैथली कोली, छत्तीसनही बुन्देली भोजपुरी, अवधी, बृजभाषा राजस्थानी OUVA पंजाबी गठवानी, नेपाली आदि भाषाएँ बोलियों का अपना लोक साहित्य होता है। लोक साहित्य की उनकी विशेषताये होती है जो उसे शिष्ट साहित्य से अलग करता है बाँझे उसमे ग्रामीण आंचलिक भाषा होती है जैसे यदि शिष्ट भाषा मे लिखा बरे 'लखनऊ लेकिन लोक भाषा मे 'नखनऊ' इसकी यही अपनी सुन्दरता है। उससे छेड़छाड़ नहीं होती है। जैसा अनुभव होता है जैसी स्की अनि पक्ति काव्यमिकता का कोई समावेश नहीं होता है। इसका वस्तन पोषण भरिरक परम्परा करती है। इस साहित्य में हास्य की प्रधानता रहती है। यह शिक्षित अशिक्षित दोनों वर्मा व के लोगों को आनन्दित करता है। यह शिष्ट साहित्य के लिये प्रेरणा का काम करता है।

जैसे जायसी के पद्मावत में गिनती वियोग वर्णन थे 'भाषा' फर्म है। जायसी के लिये शुक्ल जी ने प्रशंसात्मक भाव से लिखा– 'उन्होंने तीन पुस्तके लिखी पद्मावत, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाल'। जायसी के अध्यात्म को उन्होंने लोक पक्ष से समन्वित पाया। उल्लेखनीय है कि शुक्ल जो संबंध कायस जाकर वसै सूफी फकीरो से आग्रह करके पद्मावत ले आये थे। उसके बाद जायसी ग्रन्था बनी लिखी गई। हिन्दी साहित्य के इतिहास मे उन्होंने लिखा है।

'बायसी के समय मे हो उनके शिष्य फकीर इनके द्वारा बनाये भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि लोक गाथाओं, कथाये, लोक साहित्य मे थी तुम्ही से प्रेरित होकर शिष्ट साहित्य की अमृत्य 20ताये की गयी। साहित्य में लोक के उपयोग की दरख्या कम से शुरू हुयी और उसका क्या रूप है। भारत हमे अपने आदिकालीन समान से ही प्राप्त होती है उदाहरण के लिये रामायण और महाभारत के विषय को ले सकते है। राम कथा मे केवट प्रसंग, सामरी प्रसंका अनेक प्रासंगिक कथाचे लोक जीवन लोक संस्कृति और लोक परम्परा के साहित्य में उपयोग के उत्कृष्ट उदाहरण है भी इसी का उदाहया है। रामायण भे लव कुश की कथा हमारी से ऐतिहासिक घटनाओं का यथार्थ परक रूप प्रस्तुत होता है।

OUVE लोक कथाओं की वैदिक काल से लेकर महाभारत काल तक यह कथाओं का पारम्परिक रूप देखने को मिलता है महाभारत में संजय द्वारा महाभारत की कथा का मौखिक वर्णन धृतराष्ट के समझ करना। आज की उसका 'परम्परा प्राप्त होता है। स्वरूप हमारी लोक साहित्य। सूर और मीरा के पद को साखी, तुलसी की अवधी की चौपाइयाँ, रहीम के दोहे और कबीर भी अनगिनत कवियों संतो की वाणी और रचनाओं मे हम पाते है। कबीर को की यह दोहा है :–

'चलती थाक्की देश दिया की रोम दो पाटन के बीच मे साबुत रहा न कोया।'

हिन्दी साहित्य का इतिहास में 'आचार्य रामचन्द्र शुक्ल लिखते है कि इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता चलता है कि सूफी फकीरो और पीरों के द्वारा जन सामान्य की भाषा में जीत गाये जाते थे।

हिन्दी साहित्य का इतिहास में आचार्य शुक्ल लिखते है कि बनना सुरीर साहित्य का सम्बन्ध जोड़ते हुए आचादी में जनवादी स्थापना यह दी कि साहित्य बनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिनिम्न है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप मे भी परिवर्तित होता चला जाता है। दूसरी ध्यान में रखने की बात यह है कि किसी विशेष समय में लोगो ये रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार से हुआ।

इतिहासकारों के अलग अलग भतो में एक मत यह है कि थेरी गाधाएं सभी ईसा पूर्व छठी शताब्दी की नहीं है बल्कि थे ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी तक यानी तीन सौ इकाई के अर्से मे रची गयी और मौखिक परम्परा मे जीवित रही जिन्हें बाद में सम्भवतः पहली शताब्दी मे बडी लंका में श्री बौद्ध धेरवाद सम्प्रदाय द्वारा निधि कह किया गया। ये मेरी लाचार्य और थेर गाथायें की पहले किसी जन काया मे ही रचा गया लोक कथाओं लोक की शिक्षा का भार्ग ! प्रशस्त करती है। भारतीय परम्परा में लोक अपने व्यवहार द्वारा परिक्षण करके स्थिर करता है वे शास्त का भी मार्ग दर्शन करते है।

मूल्य स्थिर भारतीय परम्परा में शक्ति के आचरण से लेकर ज्ञान और सामाजिक तक की कसौटी प्रेको लोक को ही माना गया है। इसमें सत्य की खोज शिव की साधना सौन्दर्य की पूजा इन तीनो का समात महत्व

है। भारतीय लोक चित्त हताशा, परान्य और दुखान्त में विश्वास नहीं करती। यही कारण है कि लोक साहित्य के नायक नायिका न टूटते है न हारते है।

भारतीय लोक साहित्य में मानवतावादी दृष्टि होती है। भानव जाति के कल्याण की कामना की जाती है। उदाहरण के लिये आज भी लोक कथा सुनाने वाला यह भी कहता है कि 'जैसे उनका भला हुआ, वैसा सबका भला हो। अथवा जैसे उनके दिन बहुरे बैसे सबके अच्छे दिन बहुरे।

लोक साहित्य लिखित न होने के कारण यह मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। उदाहरण के लिये हमारे रीति रिवाज परम्पराये हमे अपने इन वर्षो से प्राप्त होती है। और वह हम आने पीढ़ी तक ले जाते है। लोक साहित्य को लिखि बद्ध नही किया जा सकता क्योंकि इससे उसकी स्वभाविक सहनता खत्म हो जायेगी। लोक साहित्य लोक संस्कृति का ही अंग है। संस्कृति से तात्पर्य एक ऐसी जीवन पद्धति से है जो प्राकृतिक और अर्जित संस्कारों के माध्यम से के मनुष्य भीतर की समस्त भावनाओ को लगाती है। संस्कृति का स्वरूप किसी भी देश, जाति, किसी विशिष्ट समाज की, उसकी धार्मिक आस्थाओं, प्रवृत्तियो, विचार धाराओ, रुचियों, व्यवहारो, रीति रिवाजो एंव रहन सहन के समागम से निर्मित होता है। उदाहरण के लिये राम और कृष्ण भगवान को लेकर जो लोक गाथायें और कथाये, लोक साहित्य से ही ली गयी है।

लोक साहित्य की धारा में संस्कार गत अनुगन, देवी देवताओ की पूजा अर्चना, नाट्य मंच, पर्व, त्योहार, मेलें, खेत खलिहान, स्त्रियों के समूह गान बहतु गीत, बोआई कटाई तिलक, विवाह, विदाई आदि उपनेको प्रकार की परम्पराओं भावनाओं और उनकी सहजता का संगम मिलता है।

लोक साहित्य का अपना सामाजिक महत्व है को इस साहित्यक माध्यम से गीत कथाओं, कथाओ रहते सहत विचार, खान पान चित्रण देखने को मिलता है। लोक साहित्य के माध्यम से भाईबाहन, आता पुत्री, सास बहू आदि का वर्णन मिल जाता है। जिससे हमारे प्राचीन सामाजिक व्यवस्था उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त हो जाती है। और उस प्राचीन सम्माखिक व्यवस्था को समझते में मदद मिलती है अपने समाज का निर्माण किस प्रकार से और अच्छा हो सकता है इसकी सहायता से कर सकते है।

इस साहित्य का अपना सांस्कृतिक महत्व यह है कि हमारे प्राचीन समाज में संस्कृति का विशेष महत्व था। जिसके विषय में हमें लोक साहिल के द्वारा वर्तमान समय में प्राचीन समय के रीति रिवाजों, परम्पराओं, त्यौहारो लोक गीतों, लोक नृत् त्योहारों, लोक लोक कथाये, प्राचीन कहानियाँ, व्रत देवी देवता मेले आदि का विशेष महत्व है जिसका वर्णन लोक साहित्य के माध्यम से फितला।

जैसा हम सब जानते हैं हिन्दू धर्म में या कहे संस्कार अधिक है उदाहरण के लिये जन्म, विवाह, नामकरण, भुण्डत जनेअ गर्भाधान।' मृत्यु संस्कार है।

गर्भाधान संस्कार एक शिशु के जन्म का संस्कार है। जिसने सभी निकटतम सम्बन्धियों और मिलले भुलने वाली द्वारा प्रार्थना की जाती है कि जच्चा बच्चा के स्वस्थ की कामना तथा ईश्वर माँ के गर्भ मे योग्य संतात की धारण करें तथा बधाई स्वरूप बधाईयाँ गाई जाती है।

जनेऊ को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते है। यह संस्कार दिवाह से पूर्व या शिक्षा आरम्भ से पूर्व किया जाता है। विवाह के पूर्व तथा बाद मे होने वाले संस्कार लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों अपने अपने है परम्पराओं और संस्कारों के' अनुसार करते है।

बच्चे के जन्म के बाद नामकरण संस्कार होता है अर्थात गर्भ से ही हमारे संस्कारों का बाल्यअवस्था नये संस्थाए आरम्भ होता है युवा अवस्था जीवन के प्रत्येक पड़ाव में हमारे साथ रहते हैं।

जीवन के अन्त में की मृत्यु के बाद भी हमारे सगे सम्बन्धी अनेका संस्कारो को परम्परागत तरीके से पूर्ण करते है। कहते कामतला यह है कि हमने जो देखा हो पापा अपने पूर्वको से वह किया और हमारे करने ने जो हमसे सीखा वह आगे करेगे। हन्दी पुमा हस्तान्तरण की दुक्रिया है।

हमारे लोक गीत ने मानवीय मूल्य होते हैं। उदाहरण के लिये होली, कजरी, दीपावली आदि जीतो के आदमन से रोज मर्रा के जीवन से कुछ समय के लिये हट कर अपने को फिर से अर्जाबात करते है। जीवन के प्रत्येक पक्ष को उर्जा हमारे लोक गीती के माध्यम से अर्जानाम प्राप्त होती है यदि जीवन का हम अपने आरम्भ संस्कार गीती से होता है वही ईश्वर के प्रति आस्था व्रत भीतों के द्वारा उदाहरण के लिये हमारे नवरातों मे गाये जाते वाले देवी गीत इसका अच्छा उदाहरण है। भ्र' भारत एक कृषि प्रधान देश है यहाँ पुरुष और महिलाएं खेतो मे कम्म करते करते गाते है। घर मे महिलाएं चक्की पीसने या अन्य सामूहिक कार्य करते में भुम गीत गा गा कर काम करती है हास्य विनोद करती है। इसका मतलब है काम की हमे धकान नहीं देते उसके साथ गीत हमे तरोताजा करते हैं। लोक संगीत की अनेक भूमिकार्य है हमारे जीवन में जैसे होलक, प्रयोग, बांध की द्वारा देवी गीत ढोलक बना कर सोहर, लटका, बन्ना बन्नी आदि गीतो को गाया जाता है। यह तो हुआ जीवन की अनेक शुभ अवसरों पर नापेलाने बाले गीत उनके नाम। परन्तु यही तक लोक साहित्य सीमित– नहीं है गीती 723 का अपना महत्व है जैसे प्यारे देश में चार ऋतुएं होती है जाड़ा गर्मी, बरसात, बसंत। इन ऋतुओं का वर्णन लोक गीतो मे भाकर होता है। जैसे सावन महिने में चहुँ ओर हरियाली देख कर मानव हृदय प्रभावित होता है और लोक गीत भूलते है। इनके विषय कुछ भी हो सकते है जैसे अनेक पारिवारिक, हार्दिक और सामाजिक विवाद होते हैं। गीतो का मनोवैज्ञानिक हम व्यक्त महत्व भी है क्योकि जिस अभिव्यक्ति नही पाते गीतो के माध्यम से किसी को कर कौं जाली की दे दें तो सामूहिक तौर पर किये जाने वाले चीनो में एक दूसरे को बोलते है इससे उनके मन की जाती है। किसी को कुछ धनि की नही होती है।

जिंकल :–

हमारे लोक साहित्य का अंग होते है लोकगीत, लोक नाट्य लोककथा लोक गाथा, लोक नृत्य ताटक, लोक संगीत यदि लोक नाटकों के विषय में बात करे तो लोक का वैसा ही पहलावा कोली, वातावरण होता हूँ जो 'तसा' ही चता आ रहा है इससे उसकी स्वभाविकता बरकरार रहती है नाटक के पान बहुत समय से उदाहरण के लिये राजनीला, कृष्ण लीला कितनी ही पुनि पुरानी विधा है आज की हमारे जीवन मे स्थान रखती है वे हमारी आम्बा से जुड़े है। लौकी कहयूतली आदि रे मन हमारे लोक में नही मनोरंजन के साथत है जो आज की हमारे जीवन को रंगी से भरते है इनके 'हास्य' है मनोरंजन है शिक्षा है।

हर समाज का, समुदाय, अपना लोक साहित्य होता है। समन ये सभी धर्मो के लोग साथ साथ रहते थे आपने अपने धर्मो के नियमों का पालन करते थे लोक साहित्य के माध्यम से आए पीढ़ी दर पीढ़ी भक्ती लोग तक पहुँचाना जाता है T लोकसाहित्य के माध से लोकगीत, लेककला, लोकगाथा बोकोक्तियों इन सभी के 4 इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है. साधारतः कहावते चुटकले, पहेलियाँ आज भी हमे घर के बुजुर्गों या जिसका सम्बन्ध गाँव से हो वहाँ के ग्रामीण लोगों के मुख से सुनी जा सकती है उन्हें जरूरत है संकलित करने की।

इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिये कधी कि इसकी स्थानिक स्वभाविक मिठास में परिवर्तन ना आये। उदाहरण के लिली खुरपी की

'खुसरो की एक पहेली है
एक थाल मोतियो से भरा,
सबके सर पर औधा धरा चारों ओर वह थानी फिरे,
भोती उसमे एक न जिरे
उत्वर है आसमान।'
'हरी थी मत करी थी लाख मोती नही थी
राजा जी के वाण में दुआला आहे रही थी।'

उत्तर लुट्टा

कामते, लोक जोकोक्तियाँ, मुहावरे हमारे दैनिक जीवन धर्मा की का झांकी मिलती है।

बहुत मित्रता होता
आँख सुप सुअर के बाल होता दाल गया न होना
हाथ पर हाँदा घरे बेवला – निकम्मा होता कोशिश करता
हांका पैर भारता
ईद का चाँद होता –
बहुत दिन
भद मिलना,
दिखता।

घर का भेदी लंका ढहायें– हमारे अपने का धोखा देना।

नाच न आहे आँगन टेढा– दोष इसरो पर काला।

यह हमारे देशी भाषा की सुत सुन्दरता है घुटकी इस प्रकार के अनेक गुहावरे लोकोक्तियाँ हमारी लोक बोलियों में मिश्रित है मिसरी की भाँति मिली है। यह तो हमारे प्राचीन समय की के विषय में है परंतु हिन्दी साहित्या में भारतेन्दु युभा मे ऐतिहासिक पौराणिक सामाजिक राजनैतिक रोमांटिक तथा राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्वा नाटको की रचना हुयी तथा हिन्दी से संस्कृत, बागला अंग्रेजी मे अनुवादित हु तथा उन भाषाओं से हिन्दी में अनुवादित हुये। इनको लोक परम्परा से जोड़कर आज की जीवित रखा गया है।

प्रेमचंद के कथा साहित्य में लोक जीवन की स्पष्टता देखने को मिलती है प्रेमचंन्द्र, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, रुकमणी, मंग।

आतकी जंगल– पार्वती मंगल, शिवमूर्ति आदि कथाकार अपने साहित्य में लोक जीवत को स्थान देते है। प्रेमचंद का गोदान 'रंगभूमि' आदि, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल त्रिमूर्ती के तिरिया चरित्रम जैसी कहानी, उपन्यास विधाओं मे लोक साहित्य से प्रेरित से कर लिखे गये साहित्य है। आधुनिक काल मानव सभ्यता के विकास का सबसे गतिशील काल है। यदि हमारे भारतीय समाज की बात करे तो भारतीय समाज मध्यकाल तक प्रधानतः कृषि आधारित समाज रहा है। परन्तु आज वह उद्योग पर आधारित समाज में परिवर्तिव हो गया है। आज

के वर्तमान समय में बाजारवाद या बाबाह भूपरिवार मूल्यों पर भारी पड़ रहा है। लोक साहित्य वर्तमान समय में अनिवार्यता रूप मे स्वयं को पारस्परिक आलू ज्ञात करता है। उदाहरण के लिये लोकगीतों को उड़ने और टी. वी. से आनेबाटकर आधुनिक सिनेता के लोकप्रिय संस्कृति था फ्यूलर कल्चर को बटुक संचालि आब हमारे तब चोडिया के माध्यम से तीव्रगति से विश्व परिदृश्य प्रस्तुत किया है। नगरीय सभ्यता में लोक संस्कृति के सहज रूप को जेता और दर्शकों तक पहुंचाया है। इससे परम्परा सुरक्षितता होती है लेकिन परम्परा में परिवर्तन की होता है। हुआ यह कि भूत लोक साहित्य की शैलियों द्वारा आधुनिक साहित्य और कला प्रभावित हो रही है। हमारी लोक संस्कृति, लोक साहित्य का पौराणिक महत्व यह है कि सामाजिक आचार विचार, शिक्षा नैतिकता, व्यवहार ज्ञान के विविध आदर्श प्राप्त होते है। हमारे बहुत से प्राचीन रीति रिवाज आधुनिक समय, विलुप्त हो चुके है। इस स्थित में लोक साहित्य की अपनी अहम भूमिका है। जिसके माध्यम से कम प्राचीन समय के रीति रिवाजों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते है। हमारी प्राकृतिक जानकारियाँ कैसे वृक्षों का संरक्षण आज के समय की माँग है। परन्तु लोक साहित्य के द्वारा का जानते है कि वृक्ष करते नही जाते थे मुलकी गाथा की जाती है पेड़ पौधों से श्रौर्यादित बतायी जाती थी। श्रीषधि का प्रयोग क्षेत्र निवारण हेतु किया जाता था। प्रकृति को ईश्वर के समात आता जाता था। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जानकारी लोक साहित्य द्वारा प्राप्त की सकती है। कैसे शिक्षा अधि पद्धति का विकास किया ला सकता है। इसे अपनी मुहियों को समझतें और अच्छा विकसित करने का मार्ग प्राप्त होता है। माता कि आज है बादलले आधुनिक समय में लोक छोनी में भी परिवर्तन हुई है। हमारे सेवी के मंचन का तरीका बदला है। हमारी भारतीय संस्कृति मे नाटकों सम्मा लोक चेतना को जागृत का माध्यम रहे है। कैसा हम सब जानते है भारत की भूमि अनेक संस्कृति, धर्मी, सामाजिक विविधताओं से सभी भूमि रही है। इसके हर अंचल में लोक कथायें चलन में है। जैसे हमारी व्रत कथायें, परियो की कहानियाँ जैसे वह सावित्री कथा; हरतालिका तीन कथा गणेश चौथ काष करवाचौथ कथा नागपंचमी की कथा हिन्दी प्रदेशी में।

लोक गावडे जैसे नलदपर्यन्ती कथा, जैसा महसं आव्हा ऊदल की कथा, विक्रम बेताल कथा। यह सब हमे लोक साहित्य से प्राप्त कथाये है जिनको हिन्दी साहित्य, हिन्दी सिनेमा को लोक साहित्य से पुत्र किया गया है।

जीवन को सहन गति प्रदान करता परम्परा की उपेक्षा न करता लोक में जो है वह लोक का ही है जिसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जब तक हमारे अन्तःकरण के विकसित नहीं होगी तब तक ना ही लोक की रक्षा होगी नही लोक यह भावना लोक साहित्य। लोक संस्कृति और नहीं जोक की सम कला मे हमारी प्राचीन धरोहर है हमें इसे सकता है आगे बढ़ाता है कहीं से यह कहीं औरोगी करण और लगी करण के कारण हम सहज जीवन धारा से विमुख होकर कृतिमता की और मुड़ जाये। के लोक साहित्य को सहेजता है उसके महत्व को प्रचारित और प्रसारित करता है।

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
Vol. 11, Issue 5-6
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
पृष्ठ : 168-173

'सूचना, अर्थ और शस्त्र' की नई घेरेबंदी

डॉ. अभिषेक शुक्ल
सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273009

'आज हम जिस पूँजीवादी विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं वह बहुराष्ट्रीय निगमों का पूँजीवाद है। सूचना, अर्थ और शस्त्र इसके औजार हैं।'

पुलिस–प्रशासन, नौकरशाह, राजनेता, मीडियाकर्मी, ठेकेदार, माफिया, छोटी–बड़ी कम्पनी, कम्पनी के कर्मचारी, अपराधी, दलाल आदि के नए गठजोड़ को नव–उदारवादी दौर वे हिन्दी उपन्यासों में अभिव्यक्ति मिल रही है। ऐसा नहीं है कि इस गठजोड़ की भिन्न–भिन्न दीवारों में पहले भ्रष्टाचार नहीं था। इनमें पहले भी भ्रष्टाचार, अन्याय व शोषण की ईंटें देखी जा सकती थीं। लेकिन, परवर्ती समय में नव–उदारवादी छत ने इन अलग–अलग दीवारों को जोड़ दिया है। इनके बीच एक तंत्र विकसित हो चुका है, जो पहले की तुलना में ज्यादा संगठित व शोषणकारी है। इस गठजोड़ ने मुनाफे की प्रतिस्पर्धा को नई ऊंचाई दी है। इस नए गठजोड़ से पार पाना मुश्किल है। पहले की तुलना में इस गठजोड़ की दीवारें निरन्तर अनुलंघनीय ऊंचाई प्राप्त करती जा रही हैं।

रणेन्द्र के उपन्यास 'गायब होता देश में' इस गठजोड़ का दृश्य दिखता है। इस उपन्यास में चित्रित ऐसे पात्र जो छोटी–छोटी दलाली व छुटभैये किस्म के अपराध में संलिप्त थे वो तेजी से प्रगति करते हैं और अच्छे–खासे ठेकेदार, माफिया व बिजनसमैन आदि में तब्दील हो जाते हैं। इस बदलाव से उनकी प्रवृत्ति में कोई फर्क नहीं होता बल्कि वे पहले की तुलना और ज्यादा मजबूती से अपने दुष्कार्य को करने लगते हैं। उपन्यास के उक्त अंश से इस स्थिति का अन्दाजा लगाया जा सकता है– 'खाली निरंजने राणा काहे, भेड़ियों का पूरा झुंड ही निकला कारखाना कॉलोनी सेक्टर नंबर तेरह से। सबने अपने–अपने इलाके बांट लिए। सुनील शर्मा रेलवे ठेका मैनेज करने लगा। रवीन्द्र बनारसी शहर से रंगदारी उठाने लगा। लंगड़ा पप्पू ने निगम के ठेका पर कब्जा कर लिया तो वरुण राय को पुल–पुलिया की ठेकेदारी हाथ लगी। शुरु में पूंजी, आर्म्स और शूटर के लिए ये लोग यू.पी.–बिहार के अपने स्वजातीय माफिया गिरोहों पर निर्भर थे। लेकिन इन्हें ऐसी चरागाह हाथ लगी कि देखते–देखते सबके सब खुद बड़े माफिया बन गए। शहर ने पहले इतना संगठित अपराध और अपराध से झरती नोटों की अथाह गड्डियां कभी देखी ही नहीं थीं।' ये अपराधी अपने को छोटी–मोटी लूट–छिनैती व जमीन हथियाने तक सीमित नहीं रखते। अब इनका दायरा बहुत बढ़ चुका है। इनके संगठित अपराध वेफ नए खिलाड़ी है आला अधिकारी, नेता, खनन–माफिया आदि। जिन्होंने भ्रष्टाचार से काली कमाई कर मोटी रकम इकट्ठा कर लिया है। ये सब 'रियल स्टेट' के धन्धें में अपनी रकम लगाकर आपस में साझेदार हो जाते हैं। जो अपराधी या

माफिया थे वे अब बिजनेसमैन हो चुके हैं। इस बिजनेस की आड़ में लूट का तंत्र मजबूत हुआ है। मुनाफा प्रत्येक हिस्सेदार में बंट जाता है। इस तरह अपराधी, नेता, अधिकारी, माफिया आदि सब का नया गठजोड़ चल निकला है। उपन्यास में दर्ज है कि– 'अब ई 'जमीन–छिनतई' जैसा छोटा–मोटा क्राइम का मामला नहीं रह गया। यह तो 'रियल स्टेट' का बिजनेस हो गया है। कोयला माफियाओं का पैसा, बॉक्साइट–आयरन ओर के माफियाओं का पैसा, सरकार के बड़का से लेकर छोटका हाकिमों के उपरी कमाई का पैसा, सबके सब इस बिजनेस में। जैसे गंगा में मिलकर सब नाला पवित्र हो जाता है वैसे ही सारे धंधों की काली कमाई इस धंधें में आकर सफेद हो जा रही है।' रियल स्टेट नव–उदारवादी दौर का एक ऐसा धन्धा है जिसके अस्तित्व के लिए जमीन की भूमिका अनिवार्य है। इस धन्धे ने जमीन की लूट को काफी तेज कर दिया है। आम–आदमी की जमीनें औने–पौने दाम पर या धोखे से या डरा–धमकाकर बड़े पैमाने पर ली जा रही है। इससे आम–आदमी व गांव लगातार खिसकते जा रहे हैं। जिन जमीनों पर फसल लहलहाया करती थी उस पर तेजी से बहुमंजिली इमारतें खड़ी हो रही हैं। इस बिजनेस में तेजी का कारण मोटी पूंजी के अलावा वर्चस्व के विविध आयामों का एकजुट हो जाना है।

इस नए गठजोड़ में डॉक्टर भी शामिल नजर आते हैं। दवाईयां भी बहुत बड़े धन्धे का स्वरूप ले चुकी हैं। दवाई कम्पनियां भी मुनाफे का कोई भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती। नव–उदारवादी दौर का धंधा कोई भी हो वह अथाह मुनाफा कमाना चाहता है और मेडिकल सेक्टर भी इसका अपवाद नहीं। इसमें व्यापक पैमाने पर विदेशी पूंजी का निवेश हो रहा है। गरीबी, तंगहाली में जीने वाले लोगों के बीच व नव–उदारवादी दौर के पर्यावरणीय ह्वास ने बीमारियों को तेजी से प्रसार दिया है। इससे दवाईयों के धंधे में काफी उछाल आया है। दवा व उसे बनाने वाली कम्पनी तथा मरीज के बीच डॉक्टर एक अनिवार्य कड़ी है। अतः दवा कम्पनी के खेल में डॉक्टर का शामिल होना भी स्वाभाविक है। ऐसी ही स्थिति किशनपुर में देखने को मिलती है। जिसमें एक दवा कम्पनी अपनी दवाओं का गुप्त ट्रायल करती है। मरीजों को डॉक्टर सिन्हा जैसे लोग नई दवाइयां मुफ्त में देते हैं। मरीज इस तथ्य से अनजान है कि उनवेफ इलाज के बहाने नई दवाओं का ट्रायल चल रहा है। इन दवाओं का किशनपुर में लोकन पैट्रन जेम्स मील होता है। जो अमेरिका से आकर दिखावे के लिए रियल स्टेट के धंधे में अपनी पूंजी निवेश करता है। साथ ही आम ग्रामीण–आदिवासी लोगों की षड्यंत्र के तहत मदद करता है। उन्हें टी.वी., मोबाइल, पैसे आदि बांटता रहता है।

डॉक्टरों के व्यवहार में आये आकस्मिक बदलाव व मुफ्त में बांटे जाने वाली दवाईयों से स्थानीय लोग आश्चर्यचकित होते हैं– 'अब सोचिए सर! ऐसन–ऐसन जल्लाद डॉक्टर लोग का रातो–रात हृदय परिवर्तन हो गया।... एतना मिठ–बोली कि मधु चू रहा हो। किशन सर! एतना तो हम भी बूझते हैं कि हृदय परिवर्तन वाला जादू सब गांधी ये बाबा के साथ बिला गया। ई जल्लाद लोग का बाप सब अपना बूँद से नयँ, नोट से पैदा किया है।... जो सरकारी हॉस्पीटल का दवा सब बेच दे रहा था वो ही अपना प्राइवेट क्लिनिक में मुफ्त में दवा दे रहा है।... खाली कुछ फार्म सबमें ढेपा–दस्तख्त लगता है। विशेष बात ई कि उफ दवइया सब बाजार में नयँ मिलता है। साथ में दवा इस्तेमाल करके उसका खाली स्ट्रिप भी डॉक्टर साहब को लौटाना पड़ता है। लोगों में नया–नया तरह की बीमारी। मौत भी और साल से ढ़ेरे ज्यादा पिछला दो साल से हो रहा है।' डॉक्टर सिन्हा के साथ किशनपुर के कई अन्य डॉक्टरों ने नई दवाइयों की कम्पनी से काली कमाई की थी। इसी का परिणाम था उनका

हृदय परिवर्तन। जिन पर जिन्दगियां बचाने का दारोमदार है वही जान का सौदा कर रहे हैं। यह है नव–उदारवादी दौर के मुनाफे कमाने वालों की सच्चाई। नई दवाओं के इस खेल का अभिष्यंत बड़ाइक पर्दाफाश करता है। उसे इसमें शामिल किशनपुर के डॉक्टरों की सूची व जेम्स मील की भूमिका की जानकारी मिल जाती है। दवा के धंधे में ऐसा षड्यंत्र असंवेदनशीलता, अमानवीयता, शोषण की पराकाष्ठा की कहानी कहता है। आम आदमी चारों ओर से खुद को लुटा–पिटा पाता है। दिलचस्प यह कि जिस इंटरनेट के महाजाल पर इस दौर का वितण्डा खड़ा हुआ है उसी इंटरनेट के माध्यम से अभिष्यंत उर्फ चार्ल्स कोरिया इस पूरे षड्यंत्र से पर्दा उठाता है। यह सब जानने के बाद भी इस षड्यंत्र को रोक पाना मुश्किल है। इसके दो कारण उपन्यास में दर्ज हैं। पहला जेम्स मील की दानवीर वाली प्रवृत्ति। वह उलिहातु के साथ ही नजदीकी गांवों में पम्पसेट, सोलर, कंबल, लालटेन, टी.वी., गाय आदि जरुरतमंदों में बांटता रहता है। इससे उसकी छवि आम लोगों में एक सामाजिक व दयालू अमीर वाली बन गई। उस पर कोई भी शक करने के बजाय श्रद्धा भाव से भरा है। दूसरी बात है जेम्स मील के षड्यंत्र को साबित करने के लिए मेडिकल साइंस के किसी जानकार की दरकार है। लेकिन उसने किशनपुर के डॉक्टरों को तो अपने धन्धे में हिस्से बना लिया है। सो उनकी जुबान खुलने से रही। इसी मजबूरी के चलते जो स्थानीय पत्रकार इस खेल को समझ रहे थे वह सवाल उठाने व निराश होने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते– 'अब ऐसे दानवीर कर्ण पर कोई कैसे उंगली उठावे? बीमारी बढ़ी तो हर दो–तीन गाँव पर दस–दस बेड का छोटा–छोटा नर्सिंग होम। अब बूझते रहिए कि वहां इलाज हो रहा है कि चूहा–बेंग समझ कर आप पर दवा की जाँच हो रही है। संभव है गांव के लोगों को समझा पाना? या हम ही कैसे प्रूफ कर पाएंगे? मेडिकल साइंस का बहुत जानकार आदमी ही प्रुफ कर सकता है राजेश बाबू! हमारे आपके जैसे साधारण रिपोर्टर तो केवल सवाल ही उठा सकते हैं।'

इस नए गठजोड़ में पुलिस व मीडिया की भी अनिवार्य हिस्सेदारी है। अपराध व भ्रष्टाचार करने वाले भले ही सफेदपोश लिबास पहन कर अपना मजबूत गठजोड़ बना लिए हो, लेकिन अपराधी घोषित करना व उनका एनकाउंटर नहीं रुका है। फर्क ये है कि इसमें निर्दोष को अपराधी घोषित किया जाता है और एक दिन उसका एनकाउंटर हो जाता है। मीडिया और पुलिस दोनों इसमें कारगर भूमिका निभाते हैं। अमरेन्द्र एक छोटा–मोटा पत्रकार है जो इस गठजोड़ के अन्याय व शोषण के खिलाफ लिखता है। एतवा पाहन उसका ड्राइवर है और स्थानीय आदिवासी भी। अमरेन्द्र, राजेश को उलिआक्सी ऑक्सीजन सिलेण्डर के नए कारोबार के बारे में जानकारी देता है। इसी क्रम में उसकी व्यथा छलक उठती है। वह कहता है कि– 'हमसे क्या पूछते हैं? हम नक्सली रिपोर्टर और आपके दाहिने ओर डेढ़ लीवर का जो आदमी करवट बदल रहा है वह एतवा पाहन नक्सल का एरिया कमांडर। हम लोगों की बात का वैल्यू क्या और भरोसा क्या? इतना खतरनाक हैं हम लोग कि हमसे बात क्या करना है, खाली टाइम बरबाद, बस एनकाउंटर। वही हमसे बात करने लायक है बंदूक गोली। हीराहातु थाना तो यही बूझता है। एरिया कमांडर एतवा पाहन का इमेज भी मीडिया ने यही बना रखी है। नरभक्षी जंगली जानवर की। मराना ही हमारी मंजिल रह गई है राजेश बाबू और क्या बोलें?' बन्दूक और गोली के इस खेल में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी निर्दोष व्यक्ति को कानून से पहले समाज में अपराधी घोषित करने का काम मीडिया ही करती है। एतवा पाहन को कुख्यात नक्सली कमांडर का दर्जा पुलिस व मीडिया के संयुक्त मोर्चे से ही सम्भव हो पाता है। अमरेन्द्र बताता है कि जिस बात के बारे में एतवा को खुद नहीं पता है वैसे ही अपराध का

आरोप मीडिया उस पर लगा रहा है– 'विश्वास तो एतवा को भी नहीं है। बाकी अखबार सब उसी के बारे में हर आठ–दस दिन पर कोई न कोई कांड छापता रहता है तो विश्वास करना ही पड़ेगा।'

अन्ततः होता भी वही है। पुलिस–प्रशासन अपना चाक चौबन्द इन्तजाम कर देती है। निशाने पर अमरेन्द्र मिश्र व एतवा पाहन। दोनों को घेर कर पुलिस मौत के घाट उतार देती है। दरअसल, इस नए गठजोड़ में बल की भूमिका पुलिस की होती है जो अथाह मुनाफा कमाने वाले दल के लिए मौत का सौदा करती है। उनके मुनाफे की राह को सुदृढ़ बनाने के लिए अमरेन्द्र और एतवा का मारा जाना जरुरी था। इसलिए पुलिस ने उन्हें मार गिराया। आगे का काम मीडिया का होता है। मीडिया ने भी अपनी भूमिका खूब निभाई– 'अखबार के पहले पन्ने पर एतवा दा और अमरेन्द्र मिश्र की लाशें पड़ी हुई थीं... हीराहातु के रिपोर्टर सुरेश साहू ने कलम तोड़ दी थीः 'दुर्दांत एरिया कमांडर एतवा पाहन अपने सहयोगी के साथ मुठभेड़ में मारा गया।' उसके बाद पूरा विवरण कि ढेलवावुफट्टा वेफ घने जंगल में कैसे तीन तरफ से घेर लिया गया दुर्दांत एतवा पाहन।' इस प्रकार पुलिस का आध काम मीडिया ने कर दिया। उसने आदिवासी ड्राइवर निर्दोष एतवा को दुर्दांत नक्सली घोषित कर दिया। खबर ऐसी कि आमजन सचमुच में राहत की सांस लेने लगे और पुलिस के बहादुरी पर वाह–वाही हो।

आदिवासी समाज अपने हक–हकूक, जंगल से जुड़े मुद्दे, अलग झारखण्ड राज्य की मांग आदि को लेकर धरना प्रदर्शन, घेराव, हड़ताल आदि करते हैं पर, नतीजा सिर्फ। उल्टे इनके पर पुलिस बल का इस्तेमाल किया जाता। पुलिस बेरहमी से आन्दोलनकारियों को पीटती, कभी–कभी फायरिंग भी हो जाती। ऐसी पुलिसिया कार्यवाही आए दिन होती रहती है। लेकिन, पुलिस का असल व्रूफर चेहरा तब नजर आता जब वह औरतों, बच्चों व वृद्धों को भी नहीं बकसते। उन्हें भी बेरहमी से मारा–पीटा जाता। ऐसा दृश्य महुआ माजी के उपन्यास 'मरंग गोड़ा निलकंठ हुआ' में दिखता है। आन्दोलनकारी अपना दुःख बयान करते हुए कहते हैं कि– 'हमें दुःख इस बात का है कि सरकार हम आदिवासियों की इन तमाम गतिविधियों को कानून व्यवस्था भंग किये जाने वेफ नजरिए से देख रही है। इसके नेपथ्य में छिपी हमारी सामाजिक आर्थिक समस्याओं को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है।' यही विडम्बना है आम जनता की। वे लाठी–डंडा खाने की कीमत पर भी न्याय पाने की लालसा में संघर्ष करते हैं। लेकिन न्याय देने वेफ ठीक विपरीत उन्हें ही अराजक व न्याय व्यवस्था को भंग करने वाला घोषित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति उनकी निरूपायता के दर्द को बयां करती है।

यूरेनियम के कारोबारी मरंग गोड़ा में खदान, मिल व डैम के सिलसिले में बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण करते हैं। उनकी कम्पनी के सिलसिले में जंगल, पर्यावरण व विकिरण की समस्या तो होती ही है। इसके अलावा विस्थापितों को मुआवजा भी उचित नहीं दिया जाता है। परिणामस्वरूप 'मरंग गोड़ा आदिवासी विस्थापित बेरोजगार संघ' के बैनर तले विस्थापित लोग आन्दोलन करते हैं। इस आन्दोलन के दौरान वह देखते हैं कि– 'इधर कंपनी वालों को जल्द से जल्द तीसरे टेलिंग डैम का निर्माण करना था। स्थानीय मजदूरों द्वारा असहयोग किये जाने पर उन्होंने बाहरी मजदूरों को लाकर भारी संख्या में पुलिस बल की मदद से काम करवाना आरंभ कर दिया। इन कार्यों में बाहरी राजनेताओं को सहयोग करते देख मरंग गोड़ा के लोगों को बड़ा गुस्सा आया।' यह है विस्थापितों की त्रासदी का दृश्य। पहले वेफ दो डैम के निर्माण में जो जमीन कम्पनी ने लिया उसके विस्थापितों को उचित मुआवजा का निस्तारण किए बगैर नए डैम के निर्माण की शुरुआत। इसमें कम्पनी का साथ देने वाले हैं पुलिस व राजनेता। पुलिस व राजनेताओं के साथ से अन्याय पर मुहर लग जाती है।

कम्पनी अत्याचार, शोषण व अथाह मुनाफे का कारोबार चल निकलता है।

इस गठजोड़ ने एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म दिया। यह समस्या है माओवाद की। जिसकी चपेट में निर्दोष पुलिस व अर्द्धसैनिक बल आते हैं। शोषण व अन्याय के खिलापफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। किन्तु, इस प्रतिक्रिया का क्रूरता, हिंसा, हत्या, लूट कुल मिलाकर माओवाद–नक्सलवाद में बदल जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। माओवाद–नक्सलवाद को किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता।

दरअसल, अमानवीय ढंग से मुनाफे कमाने के लिए निर्मित नव–उदारवादी गठजोड़ और माओवाद–नक्सलवाद में फर्क मुश्किल है। ये दोनों देश व समाज के लिए घातक है। इन दोनों की कारिस्तानी में आमजन व निर्दोष लोग पिस रहे हैं। इन निर्दोष लोगों में नेता, पुलिस, अधिकारी, पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर आदि भी आते हैं जिनमें इन्सानियत व न्याय का मूल्य जीवित है। माओवाद वेफ फलने–फूलने व प्रसार में शोषणकारी गठजोड़ की भूमिका है। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि इसमें शामिल होने वाले ज्यादातर आम ग्रामीण व आदिवासी हैं जिनके शोषण को देखकर माओवादियों ने उनके घाव को सहलाना शुरु किया व बहला–फुसलाकर अपनी जमात में शामिल कर लिया। माओवाद–नक्सलवाद वर्तमान समय में देश व समाज का कोढ़ बन गया है। ये गैर–कानूनी व समानान्तर सरकार चला रहे हैं। निर्दोष पुलिस वालों की बड़ी संख्या में हत्या हो रही है। आम लोगों से लेवी वसूल रहे हैं। लूट व हत्या को इन्होंने अपना हथियार बना लिया है। देश के बाहर की शक्तियां भारत को अस्थिर करने के लिए इन्हें हथियार व धनराशि मुहैया कराती हैं। इन्होंने व्यापक अराजकता को जन्म दिया है। प्रज्ञा जब वापस मरंग गोड़ा लौटती है अपने अध्ययन के सिलसिले में तो उसे ऐसा ही मंजर दिखता है। वह हैरान है दो–तीन वर्षों में ही काफी बदल गया है यह क्षेत्र व सारण्डा के भोले–भाले लोग। प्रज्ञा आदित्यश्री को बताती है कि 'और आरम्भ हो गया खूनी खेल! सबसे पहले मुखबिरी के संदेह में डाक बंगले के वनपाल लूथर तिर्की और बिट्किलसोय के मुंडा जीवन मसीह भुइयां की गर्दन रेतकर हत्या कर दी गयी। वन विभाग के एक रेस्ट हाउस को भी उड़ा दिया गया। फिर जीवन मसीह भुइयां का शव लेकर लौट रहे पुलिस के वाहनों को बारूदी सुरंग विस्फोट से उड़ा दिया। जिंदा बचे पुलिसकर्मियों को घने जंगल में घेरकर मारा गया। दिसंबर 2002 को घटी इस घटना में 16 लोगों की मौत हुई थी जिनमें बारह पुलिसकर्मी थे और चार निजी चालक। सोचकर हैरानी होती है कि सारंडा की उन खूबसूरत वादियों में, जहां हम इतने भोले–भाले लोगों से मिले थे, ऐसा खूनी खेल भी हो सकता है?' प्रज्ञा द्वारा बताई गई इन घटनाओं की शुरुआत हार्डकोर माओवादी ईश्वर चन्द महतो के एनकाउंटर के एक वर्ष बाद बदला लेने के लिए इसके अन्य माओवादी साथियों ने उसकी बरसी पर इस दुर्दांत–नृशंस घटना को अंजाम देने की योजना से किया था। माओवादियों द्वारा डर और नृशंस हत्या के बलबूते अपना जंगलराज चलाने की प्रवृत्ति होती है। वे इतने बर्बर तरीके से हत्या को अंजाम देते हैं कि रूह कांप जाए। वह अपने ही बीच के लोगों को भी नहीं बख्सते। 'अपने ही बीच के एक व्यक्ति को मुखबिरी के आरोप में पकड़कर वन विश्रामालय के मैदान में ले गये। कुल्हाड़ी से मारकर उसके घुटनों को तोड़ा। जब वह कराहने लगा, तब उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। जब वह तड़पने लगा तो उसका सिर काटकर अलग कर दिया गया। इतनी क्रूरता के साथ हत्या।'

पुलिस और माओवादियों के संघर्ष में सबसे ज्यादा आम आदमी, ग्रामीण लोग पीसते हैं। उन्हें पुलिस जब चाहती है शक के आधार पर उठा ले जाती है। मारती–पीटती है। माओवादी आते हैं तो वे बन्दूक की नोक पर

ग्रामीणों से जबरन खाना पकवाते हैं उनसे मदद लेते हैं। इस पर उन्हें माओवादियों का सहयोगी मान पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दोनों ही स्थितियों में दुर्दशा स्थानीय ग्रामीणों की ही होती है। जबकि उद्योगपति, कारोबारी लोग यहां भी समीकरण सेट कर लेते हैं। वे पर्दे के पीछे लाखों–करोड़ों की लेवी माओवादियों को देकर उन्हें अपने पक्ष में बनाए रहते हैं। इसके बावजूद इन कारोबारियों को नक्सलियों का मददगार नहीं कहा जाता। पुलिस जानकर भी लगभग अनजान सी हो जाती है। इस स्थिति का विवरण 'तहलका' में छपी खबर से मिलती है जिसमें सारंडा पर विस्तृत लिखा गया होता है। लेख में दर्ज है कि– 'जब से खनन कंपनियों के साथ दलालों का आना शुरु हुआ तब से पूरी व्यवस्था ही बदल गयी।... गांव वालों का आरोप है कि वे नक्सली व पुलिसवालों के बीच पिसकर बर्बाद हो रहे हैं।... यदि कोई ग्रामीण मजबूरी में एक शाम का खाना माओवादियों को खिला देता है तो उसे नक्सली मददगार घोषित करते हुए मारा–पीटा जाता है, जेल भेजा जाता है लेकिन जो उद्योगपति, व्यवसायी, कारोबारी वर्षों से लाखों करोड़ों की लेवी देते हैं, वे नक्सली मददगार क्यों नहीं घोषित होते?...'

पुलिस–प्रशासन, अधिकारी, राजनेता, कम्पनी मालिक, माफिया आदि के पास कोई पहुंचे इससे पहले प्राथमिक स्तर पर ही ठेकेदार द्वारा उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं। जमीनी स्तर पर निर्माण को ठेकेदार द्वारा ही क्रियान्वित कराया जाता है। इसलिए विरोध के प्रत्येक स्वर को दबाने के लिए उसके अपने लठैत होते हैं। धमाड़ में बनने वाले डैम के खिलाफ धरना–प्रदर्शन करने वालों में आदित्यश्री को ठेकेदार चितिंत कर लेते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि इसी ने अपने कमरे से ली गई तस्वीरों को और वीडियो को गांववालों को दिखाकर प्रदर्शन के लिए उकसाया है। '...गांव से निकलकर डैम की तरफ बढ़ते जुलूस की अगुवाई करते देख डैम के ठेकेदारों ने अपने गुंडों से जमकर पिटवाया था उसे। अधमरा सा रात भर जंगल में पड़ा रहा था।... ठेकेदार की नाराजगी की वजह उसके द्वारा फिल्में दिखा दिखाकर गांववालों को भड़काया जाना था।' आदित्यश्री ग्रामीण–आदिवासियों के हित के निमित्त उन्हें सच से रूबरू करवाया था।

संदर्भ :–

1. नीरू अग्रवाल (संपा.)– भूमण्डलीकरण और हिन्दी उपन्यास में संकलित आलोक टंडन के लेख 'स्वराज, भूमण्डलीकरण और सांस्कृतिक संकट' से उद्धृत, पृ. 75, 76, दिल्ली : अनन्य प्रकाशन, 2015
2. रणेन्द्र– गायब होता देश, गुड़गाँव : पेंगुइन बुक्स इंडिया, 2014, पृ. 105
3. वही, पृ. 105
4. वही, पृ. 228
5. वही, पृ. 249
6. वही, पृ. 249, 250
7. वही, पृ. 250
8. वही, पृ. 295
9. महुआ माजी– मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ, नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 2015, पृ. 117
10. वही, पृ. 171
11. वही, पृ. 333
12. वही, पृ. 333, 334
13. वही, पृ. 396
14. वही, पृ. 170

मो.नं.: 7268018122, ईमेलः abhishekpostbox5@gmail.com

संगम Impact Factor : 4.553
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
विशेषज्ञ समीक्षित पत्रिका A Peer Reviewed International Refereed Journal
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित मासिक
Vol. 11, Issue 5-6
पृष्ठ : 174-179

नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम का विद्यालय प्रबंधन पर प्रभाव का अध्ययन

डॉ. सुरेन्द्र कुमार सहारण, प्राचार्य
ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षा महाविद्यालय, संगरिया
सुनन्दा बिश्नोई, पी.एच.डी. शोद्यार्थी
एम. जी. एस. विश्वविद्यालय, बीकानेर।

सारांश :-

प्रस्तुत शोध मे ''नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम का विद्यालय प्रबंधन पर प्रभाव का अध्ययन'' का अध्ययन किया गया हैं। अध्ययन में प्राप्त आंकडों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किये गए है। यह अध्ययन राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिले के नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित कुल 420 (शहरी व ग्रामीण) संस्था प्रधानों का चयन किया गया है। इस हेतु विद्यालय प्रबन्धन मापनी–(स्वनिर्मित) उपकरण का उपयोग किया गया है। निष्कर्ष रूप में पाया गया कि नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित प्राप्त सरकारी शहरी व ग्रामीण विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विद्यालय प्रबंधन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है अर्थात समान है।

प्रस्तावना :-

किसी समाज के समग्र व्यक्तित्व निर्माण हेंतु सर्वोत्तम साधन शिक्षा है जिस पर समूचे समाज का विकास निर्भर है। शिक्षा द्वारा ही मानव अपनी विचारधारा, तर्कशक्ति, समस्या समाधान, रचनात्मकता, मूल्यों, दृष्टिकोणों तथा बुद्धि का विकास करता है।

जन्म के समय बालक में सामाजिकता का गुण नहीं होता क्योंकि वह दूसरों पर निर्भर होता है तथा प्रत्येंक क्षण उसे किसी दूसरें की सहायता की अपेक्षा होती है। शिक्षा ही उसे समाज में सामाजिक प्राणी का स्वरूप प्रदान करती है और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्यों का निर्माण करती है तथा व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्तियों का शोधन करके उसे समाज का सक्रिय सदस्य बनाती है जिससे वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर सकता है।

टी.पी. नन के अनुसार, "शिक्षा बालक की वैयक्तिकता का पूर्ण विकास है जिससे वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके।" अतः शिक्षा से ही व्यक्ति के अन्तर्मन का अन्धकार दूर होकर प्रकाश का ज्योर्तिपुंज स्थापित होता हैं।" यह अंतर्मन का अंधकार अशिक्षा है तथा ज्योर्तिपुंज शिक्षा है।

शिक्षा के तीन महत्वपूर्ण घटक माने जाते है गुरू, शिष्य, व पाठ्यक्रम। ये तीनो घटक विद्यालय के महत्वपूर्ण अंग है। शाला प्रधान शाला का ध्रुव बिन्दु है। जिस प्रकार सेना का सेनापति के बिना कोई आधार नहीं होता और नाविक के बिना नौका का बेड़ा पार नहीं होता उसी प्रकार विद्यालय को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने वाला और उसे उत्तरोतर उन्नति दिलवाने वाला संस्था प्रधान ही होता है। संस्था प्रधान के नेतृत्व में ही समस्त अध्यापक एक कुशल टीम के रूप में कार्य करते है तथा विद्यार्थियों के हितार्थ, नियमों, उद्देश्यों का निर्माण कर उनके व्यक्तित्व को निखार प्रदान करते है।

संस्था प्रधान का व्यक्तित्व ही समस्त शाला परिवार का प्रतिबिम्ब होता है। संस्था प्रधान अपने आचार व्यवहार तथा गुणों का प्रतिस्थापन छात्र–छात्राओं में करता है जिससे उनमें भी आगे चलकर एक कुशल नेतृत्वकर्ता के व्यक्तित्व का विकास होता है। इन्हीं गुणों के निर्वहन से विद्यार्थी आगे चलकर अपने जीवन में एक कुशल सामाजिक प्राणी की भुमिका अदा करता हैं। सस्था प्रधान कुशल नेतृत्व क्षमता के कारण ही नेता के रूप में समग्र विद्यालय का कुशलता पूर्वक संचालन करता है। कुशल नेतृत्व के कारण वह अपने समूह के सदस्यों को जो कि भिन्न–भिन्न व्यक्तित्व के धनी होते है, एकजुट करके उनकी शक्तियों का संचय कर शाला की उन्नति का पथ प्रशस्त करता है। नेतृत्व शब्द अपने आप में ही एक ऐसा शब्द है जो अपने अर्न्तबाह्य गुणों से किसी अन्य की क्रियाओं को उचित दिशा प्रदान कर उनका संचालन करता है तथा उन्हें ध्येय प्राप्ति की और अग्रसर करता है।

वर्तमान में अनेक संस्थाए कार्यशील है जो संस्था प्रधानों में नेतृत्व क्षमता संवर्द्धन एवं कौशल विकास हेतु प्रयासरत है। इन संस्थाओं द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते है। जिनसे संस्था प्रधानों के नेतृत्व गुणों तथा नेतृत्व क्षमता में अभिवृद्धि की जा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम है जो संस्था प्रधानों की योग्यताओं में वृद्धि हेतु चलाया गया है।

प्रस्तुत शोध का महत्व :–

शैक्षिक स्तर उन्नयन हेतु किए जाने वाले अनुसंधान न केवल अनुसंधानकर्त्ता के लिये बल्कि शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के लिये महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक समस्या पर कार्य करने से पूर्व यह देखना उचित होता है कि अनुसंधान के परिणाम शैक्षिक वातावरण व उसके व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करेंगें।

शिक्षा आयोग के अनुसार, ''शोध के बिना अध्ययन मृतप्रायः हो जाता है, अतः शिक्षा जगत के लिये शोध की आवश्यकता समझी जाती है।''[1]

शिक्षा जीवन का एक अमूल्य साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य का चहुंमुखी विकास संभव है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में शिक्षा का स्थान न केवल अनिवार्य बल्कि अपरिहार्य भी है। विद्यालय समाज की छोटी इकाई है। विद्यालय बच्चों की वृद्धि एवं विकास को प्रेरित करने वाली एक संस्था है। विद्यालय का वातावरण छात्र–छात्राओं में प्रतिबिंमबित होता है। इस वातावरण में अध्यापक संस्था प्रधान, विद्यार्थी सभी का प्रभाव पड़ता है। विद्यालय निरंतर प्रयोगों एवं परिवर्तनों की नींव है, जहां सभी के लिये अधिगम के अवसर है। वर्तमान में ज्ञान परक समाज की बढ़ती आकांक्षाओं के अनुरूप विद्यालयों में अपेक्षित बदलाव नितान्त आवश्यक हैं। संस्था प्रधान विद्यालय की छवि होता है। विद्यालयों में बदलाव की अनिवार्यता को साकार करने के लिये एक नेतृत्वकर्त्ता और प्रबंधनकर्त्ता के रूप में संस्था प्रधानों की जिम्मेदारी दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संस्था प्रधान विद्यालय प्रमुख होता है।

संस्था प्रधान जितना कुशल नेतृत्व क्षमता का धनी होगा, विद्यालय का प्रबंधन, संचालन, नियंत्रण, शिक्षण उतना ही कुशल होगा। संस्था प्रधान में ऐसे गुण होने चाहिएं, जिससे वह विद्यालय का संचालन कुशलतापूर्वक कर सके। वर्तमान समय में कुछ संस्था प्रधान ऐसे हैं, जिनमें नेतृत्व क्षमता का अभाव है, जिसके कारण वे विद्यालय का संचालन सुचारू रूप से नहीं कर पाते। इसका प्रभाव विद्यालय के प्रबंधन एवं स्टाफ पर भी पड़ता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बहुत प्रभावित होती है।

वर्तमान समय में विभिन्न संस्थाओं द्वारा संस्था प्रधानों की योग्यताओं, क्षमताओं को विकसित करने के लिये विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों में से एक नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के द्वारा संस्था प्रधानों को नेतृत्व, आत्मविश्वास, समय प्रबंधन, शिक्षा को व्यवहारिक जीवन से कैसे जोड़ा जाए, आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे संस्था प्रधानों में ऐसी योग्यताओं का विकास हो जाए कि वे कठिन एवं जटिल परिस्थितियों में भी विद्यालय में उपलब्ध अवसरों का समीक्षात्मक विश्लेषण करने योग्य हो सकें। नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संस्था प्रधान की क्षमताओं का विकास एवं इनकी कार्यशैली में सुधार करना है।

प्रत्येक तथ्य का कोई न कोई औचित्य होता है, तभी उसका चयन किया जाता है। शोधकर्त्री के इस विषय का चुनाव कर यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम से संस्था प्रधान की प्रबंधन क्षमता में कितना सुधार हुआ है। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण लेने के बाद संस्था प्रधान ने इस प्रशिक्षण का कितना व्यवहारिक उपयोग किया है। नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित संस्था प्रधानों में विद्यालय प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता में कितना अंतर है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस शोध द्वारा प्राप्त करने जानने का प्रयास किया गया है।

समस्या कथन –

''नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम का विद्यालय प्रबंधन पर प्रभाव का अध्ययन।''

शोध शीर्षक में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण :–

1. **नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम :–** संस्था प्रधानों के कौशल सुधार, क्षमताओं का विकास, प्रबंधन क्षमता एवं व्यवहारिक शिक्षा आदि हेतु चलाया गया कार्यक्रम नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम है।
2. **नेतृत्व अभिक्षमता :–** नेतृत्व अभिक्षमता से आशय किसी व्यक्ति की ऐसी क्षमता से है, जो अपने आंतरिक व बाह्य गुणों से दूसरों की क्रियाओं को निर्देशित एवं संचालित करते हुए उन्हें एक निश्चित पथ की और ले जाता है।
3. **विद्यालय प्रबंधन :–** विद्यालय प्रबंध का तात्पर्य किसी भी कार्य अथवा योजना के लिये आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण करना तथा उन्हें क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करके विभिन्न व्यक्तियों को सौंपना है।
4. **प्रशिक्षित संस्था प्रधान :–** नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण लेने वाले संस्था प्रधान प्रशिक्षित संस्था प्रधान हैं।
5. **अप्रशिक्षित संस्था प्रधान :–** नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण नहीं लेने वाले संस्था प्रधान अप्रशिक्षित संस्था प्रधान हैं।

अध्ययन के उद्देश्य :–

1. नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित प्राप्त सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विद्यालय प्रबंधन का अध्ययन करना।
2. नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित शहरी सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विद्यालय प्रबंधन का अध्ययन करना।
3. नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित ग्रामीणी सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विद्यालय प्रबंधन का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकपनाएँ :–

1. नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित प्राप्त सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विद्यालय प्रबंधन के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
2. नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित शहरी सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विद्यालय प्रबंधन आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
3. नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित ग्रामीणी सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विद्यालय प्रबंधन आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

न्यादर्श :–

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के रूप में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिले के नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित कुल 420 (शहरी व ग्रामीण) संस्था प्रधानों का चयन किया गया है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण :–

विद्यालय प्रबन्धन मापनी–(स्वनिर्मित)

प्रदत्तों का विश्लेषण व विवेचन –

1. नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित प्राप्त सरकारी विद्यालयों के संस्थाप्रधानों के विद्यालय प्रबंधन के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

सारणी संख्या – 1

संस्थान	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मान	सार्थकता का स्तर
प्रशिक्षण प्राप्त सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधान	210	26.85	4.752	3.935	अस्वीकृत
गैर प्रशिक्षण प्राप्त सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधान	210	24.94	5.186		

व्याख्या :– परिकल्पना संख्या 1 अनुसार नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विद्यालय प्रबंधन से सम्बन्धित दत्तों के विश्लेषण प्राप्त टी–मान सार्थकता के स्तर 0.01 के सारणी मान से अधिक है। अतः इस आधार पर शोधकर्त्री द्वारा निर्मित शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है तथा परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अन्तर्गत

प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विद्यालय प्रबंधन में सार्थक अन्तर है। अर्थात् नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विद्यालय प्रबंधन असमान है।

2. नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित शहरी सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विद्यालय प्रबंधन आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

सारणी संख्या – 2

संस्थान	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मान	सार्थकता का स्तर
प्रशिक्षण प्राप्त शहरी सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधान	105	27.26	4.530	2.879	अस्वीकृत
गैर प्रशिक्षण प्राप्त शहरी सरकारी विद्यालयों के संस्थाप्रधान	105	25.25	5.536		

परिकल्पना संख्या 2 के अनुसार नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित शहरी सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विद्यालय प्रबंधन से सम्बन्धित दत्तों के विश्लेषण प्राप्त टी–मान सार्थकता के स्तर 0.01 के सारणी मान से अधिक है। अतः इस आधार पर शोधकर्त्री द्वारा निर्मित शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है तथा परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित शहरी सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विद्यालय प्रबंधन में सार्थक अन्तर है। अर्थात् नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित शहरी सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विद्यालय प्रबंधन असमान है।

3. नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित ग्रामीण सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विद्यालय प्रबंधन आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

सारणी संख्या – 3

संस्थान	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मान	सार्थकता का स्तर
प्रशिक्षण प्राप्त ग्रामीण सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधान	105	26.44	4.952	2.685	अस्वीकृत
गैर प्रशिक्षण प्राप्त ग्रामीण सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधान	105	24.63	4.816		

परिकल्पना संख्या 3 के अनुसार नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित ग्रामीण सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विद्यालय प्रबंधन से सम्बन्धित दत्तों के विश्लेषण प्राप्त टी–मान सार्थकता के स्तर 0.01 के सारणी मान से अधिक है। अतः इस आधार पर शोधकर्त्री द्वारा निर्मित शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है तथा परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित ग्रामीण सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विद्यालय प्रबंधन में सार्थक अन्तर है। अर्थात् नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित ग्रामीण सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विद्यालय प्रबंधन असमान है।

उपयोगिता :–

सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों की नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम का विद्यालय प्रबन्धन के सम्प्रत्यय एवं वर्गीकरण को समझने का एक यथासम्भव सुनियोजित व क्रमबद्ध प्रयास किया है। नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम का विद्यालय प्रबन्धन शिक्षा के सम्प्रत्यय को समझने के क्रम में संकलित सूचनाएँ उच्च माध्यमिक विद्यालयों, अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रबन्धकों एवं नियोजकों, प्राचार्य, अध्यापक शिक्षकों के कार्य व्यवहार में रूचि रखने वालों के लिए उपयोगी हो सकती हैं और भावी अध्येताओं के अध्ययन एवं चिंतन का आधार बन सकती हैं।

नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम संस्था प्रधानों के विद्यालय प्रबन्ध को प्रभावित करता है, विद्यालयी वातावरण को प्रभावशाली बनाने में संस्था प्रधान का शैक्षिक नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अच्छा शैक्षिक नेतृत्व एक अच्छा विद्यालयी वातावरण का निर्माण करता है। इस अध्ययन के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा से जुड़े सभी हितधारक, संस्था प्रधान के शैक्षिक नेतृत्व को उन्नत करने वाले विभिन्न आयामों युक्त नेतृत्व अभिक्षमता कार्यक्रम द्वारा सैद्धान्तिक और व्यावहारिक जानकारी प्राप्त कर उसको उन्नत करने हेतु सकारात्मक योगदान कर सकते हैं।

सन्दर्भ सूची :–

1. अग्रवाल, अर्चना (2015), ''ए स्टडी ऑफ टीचर्स मोरल इन रिलेशन टू ऑर्गनाइजेशनल क्लाइमेट'' भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, लखनऊ, जुलाई–दिसंबर 2014
2. कपिल, एच. के. (2006), सांख्यिकी के मूल तत्व, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
3. डॉ. अनार सिंह, डॉ. शोभा बोहरा, डॉ. योगेश शर्मा : शैक्षिक प्रणाली एवं विद्यालय संगठन, एसोसिएटड बुक कंपनी, जोधपुर, 2007
4. डॉ. शर्मा, वी. एस. ''शिक्षा मनोविज्ञान'' साहित्य प्रकाशन आगरा (2004)
5. डॉ. अरोड़ा रीता, सुदेश मारवाह (2005) ''शिक्षा मनो विज्ञान एवं सांख्यिकी'' शिक्षा प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ संख्या (407–430)
6. त्यागी, प्रो. एम.पी. एवं ओंकार सिंह : विद्यालय प्रबंध एवं शैक्षिक नवाचार, अरिहंत शिक्षा प्रकाशन, जयपुर, द्वितीय संशोधित संस्करण।
7. भार्गव, ऊषा (1993) किशोर मनोविज्ञान. जयपुरः राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृष्ठ संख्या–109
8. मिश्र, डॉ. दिवाकर : विद्यालय प्रबंध एवं शैक्षिक नवाचार, श्री कविता प्रकाशन, जयपुर, नवीन संस्करण।
9. सुखिया, एस.पी. (1990) शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व. आगरा : विनोद पुस्तक मन्दिर।
10. श्रीवास्तव, डी.एन. और वर्मा, प्रीति (2007) शिक्षा अनुसंधान में सांख्यिकी विधियाँ आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर.

PRINTED MATTER/PRINTING BOOK CLAUSE 121 (A) P & T GUIDE

गीना देवी शोध संस्थान

द्वारा श्रीगंगानगर, राजस्थान से प्रकाशित

साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक

Impact Factor : 4.533

ISSN : 2321-8037

Gina Shodh SANGAM

Peer Reviewed & Refereed International Research Journal
Journal of Literature, Arts, Culture, Humanities and Social Sciences

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

विशेष :-

आलेख भेजने की अन्तिम तिथि :- प्रत्येक माह की 13 तारीख

सहयोग राशि भेजने की अंतिम तिथि :- प्रत्येक माह की 20 तारीख

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त पेपर पर विचार नहीं किया जाएगा।

आपको अगले अंक के लिए पुनः सारी प्रक्रिया करनी होगी।

शोध आलेख भेजने के लिए मेल आईडी : grngobwn@gmail.com

नियम एवं शर्तें :

1. शोध आलेख की सीमा 1500-2000 शब्दों की है। पेपर के टाइटल के नीचे अपना नाम, पता, मोबाईल, मेल आईडी अवश्य लिखें इसके अभाव में आपका पेपर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. साहित्य, कला, संस्कृति, मानविकी एवं समाज विज्ञान से सम्बन्धित किसी भी विषय पर शोध आलेख भेज सकते हैं। शोध आलेख कृतिदेव 10, मंगल फॉन्ट में एमएस वर्ड फाइल में टाईप करवाकर ही भेजें। पीडीएफ या हाथ से लिखा पेपर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. शोध आलेख केवल अपनी ईमेल से ही भेजें क्योंकि हम तमाम प्रकार की जानकारी जिस मेल से हमे पेपर प्राप्त होता है उसी पर देते हैं व्यक्तिगत फोन करके नहीं।
4. एक से अधिक बार भेजे गए शोध आलेख/अशुद्ध आलेख स्वीकृत नहीं होंगे। सम्पादक मंडल का निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा।
5. अशुद्धियों, प्लेगरिज़्म एवं मौलिकता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आलेख प्रूफ रीडिंग के बाद भेजें, प्रकाशन के बाद किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा।
6. पत्रिका की हार्ड/प्रिंट कॉपी+ऑनलाईन के लिए प्रकाशन/सहयोग राशि 1300/- देनी होगी। पीडीएफ+ऑनलाईन के लिए सहयोग राशि 600/- है।

सेमिनार/संगोष्ठी में प्रस्तुत शोध आलेखों को विशेषांक रूप में प्रकाशित करवाने के इच्छुक व्यक्ति/संस्थान सम्पर्क करें-8708822674

प्रधान संपादक एवं सचिव :
डॉ. नरेश सिहाग, एडवोकेट

संपादक एवं निर्देशक :
डॉ. रेखा सोनी

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक गीना देवी शोध संस्थान के लिए डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट ने मनभावन प्रिन्टर्ज, भिवानी से छपवाकर सम्पादकीय कार्यालय 6-एच 30, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर, राजस्थान-335001 से वितरित की।

ISSN 2321:8037